लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

[खंड 33 म अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXIII contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 12—मंगलवार, 27 नवम्बर, 1973/6 अग्रहायण, 1895 (शक)

No. 12 *Thursday, November* 27, 1973/*Agrahayana* 6, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q.Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
221.	बीकानेर डिवीजन तथा गाजियाबाद के लोको कर्मचारियों द्वारा हड़ताल Strike by Locomen of Ghaziabad-Bikaner Division . .	1–5
224.	थीन बांध के निर्माण के लिये पंजाब को भूमि Land to Punjab for Construction of Thien Dam. . . .	5–6
227.	औषध तथा भेषजोय उद्योग का भारतीयकरण Indianisation of Drug and Pharmaceutical Industry. . .	6–9
231.	कलकत्ता और दिल्ली के बीच चलने वाली मेल गाड़ी का रास्ता बदलना Conversion of Routes of Mail Train between Calcutta and Delhi.	9–10
232.	गुंटकल-सिकन्दराबाद लाइन को बड़ी लाइन में बदलना Conversion of Guntakal Secunderabad line into Broad Gauge.	10–11
233.	भारतीय विधि संस्थान के कार्यों की जांच करने के बारे में जांच समिति Enquiry Committee to look into the Affairs of Indian Law Institute . . .	11–13
234.	गैस सिलेण्डरों की चोर बाजारी Black Marketing of Gas Cylinders.	13

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

222.	तेल शोधक कारखानों पर अशोधित तेल की सप्लाई में कमी का प्रभाव Impact of Short Supply of Crude Oil on Refineries. .	14
223.	दिल्ली और बम्बई के बीच बरास्ता मथुरा दोहरी रेलवे लाईन बिछाना Doubling of Railway Line between Delhi and Bombay *via* Mathura. . . .	15
225.	हरियाणा में जवाहरलाल नेहरू नहर परियोजना Jawaharlal Nehru Canal Project in Haryana. . .	15
226.	पेट्रोल और मिट्टी के तेल के उत्पादन में कमी करना Curtailing Production of Petrol and Kerosene. . . .	15–16
228.	समाचारपत्रों के स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण के बारे में प्रतिवेदन Report on Diffusion of Press Ownership	16

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked abovet the name of a Member indicates that the Question was asked on floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
229.	कावेरी बेसिन में सिंचाई कार्य प्रारंभ करना	Irrigation Works to be Undertaken in Cauvery Basin. .	16–17
230.	बिहार में तापीय बिजली घर स्थापित करना	Setting up of a Thermal Power Station in Bihar . .	17
235.	चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा किया गया व्यय	Election Expenses incurred by Candidates. . . .	17–18
236.	आसाम के नाहरकटिया क्षेत्र में गैस निक्षेपों का पता चलना	Location of Gas Reserves in Naharkatiya Region of Assam	18
237.	भोजुडीह (दक्षिण पूर्व रेलवे) स्थित रेलवे हाई स्कूल में अपेक्षित योग्यता न रखने वाले अध्यापकों की भर्ती/पदोन्नति	Unqualified Teachers Recruited/Promoted in Railway High School at Bhojudih (South Eastern Railway). . .	19
238.	नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में मियाभाय न्यायाधिकरण की सिफारिशें	Miabhoy Tribunal Recommendations in respect of Casual Labour.	19–21
239.	दोषपूर्ण वितरण के कारण राजधानी में कुकिंग गैस और मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Cooking Gas and Kerosene Oil in the capital due to Faulty Distribution. .	21
240.	उत्तर कनारा जिले की नदियों से जल विद्युत उत्पादन	Hydel production from Rivers of North Kanara District .	21–22
241.	कालिंदी परियोजना के लिये सहायता	Assistance for Kalindi Project.	22
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2203.	गरीबों को कानूनी सहायता देने के लिये वकीलों का दल नियुक्त किया जाना	Appointment of Group of Lawyers to give Legal Aid to Poor.	22
2204.	मद्रास के लिये भूमिगत द्रुत परिवहन सेवा (अंडरग्राउंड रपिड ट्रांजिट सर्विस)	Underground Rapid Transit Service for Madras . .	23
2205.	मध्य प्रदेश में रेलवे अस्पताल तथा स्वास्थ्य एकक	Railway Hospitals and Health Units in Madhya Pradesh .	23
2206.	मध्य प्रदेश की बिजली परियोजनाओं की स्वीकृति	Clearance of Power Project in M.P.	23
2207.	खिड़कियां रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) के प्लेटफार्म पर शेड बनाना	Construction of Shed on the Platform of Khirkiya Railway Station (Central Railway) .	23–24
2208.	मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़ जिले में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in East Nimar District of Madhya Pradesh.	24

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2209.	भुसावल डिवीजन (मध्य रेलवे) के स्विचमनों को औसत वेतन पर छुट्टी और आकस्मक छुट्टी न देना	Non-Grant of Average Pay Leave and causal leave to Switchmen, Bhusaval Division (Central Railway)	25
2210.	रामपुरा, दिल्ली में रेलवे स्टशन की व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव	Proposal to provide Railway Station at Rampura, Delhi .	25
2211.	मेरठ जिले के मुरादग्रामपुर गांव में गलियों में बिजली लगाना	Installation of Street Lights in Village Muradgrampur, Meerut District . . .	25–26
2212.	उत्तर रेलवे के दिल्ली-बीकानेर डिवीजन पर 1 नवम्बर, 1973 को रेल सेवाओं में बाधा	Distruption of Train Services from Delhi to Bikaner Division of Northern Railway on 1st November, 1973. . .	26
2213.	एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन पर व्यय की गई धनराशि और इसके निर्माण में प्रगति	Amount spent and progress made in Construction of Ernakulam Trivandrum Railway line .	26
2214.	देश में माल डिब्बे बनाने वाला कारखाना	Wagon Building Factory in the Country. . . .	27
2215.	एफ० ए० सी० टी० की उद्योग मंडल यूनिट के अंतर्गत चल रहे संयंत्रों की उत्पादन क्षमता	Production Capacities of Plants Working under Udyogmandal Unit of FACT. . . .	27–28
2216.	स्टाक जांच कर्ताओं के वेतन-मानों के पुनरीक्षण के मामले पर मध्यस्थता-बोर्ड का निष्कर्ष	Findings of Board of Arbitration regarding case of Stock Vertifiers.	28
2217.	कोचिन स्थित रेलवे स्टाफ से अभ्यावेदन	Representation from Railway Staff at Cochin. . . .	29
2218.	पश्चिम रेलवे के सर्वेक्षण तथा निर्माण विभाग का सिविल इंजीनियरिंग विभाग के साथ विलय	Merger of Survey and Construction Department with Civil Engineering Department of Western Railway . . .	29
2219.	सरकारी वाहनों में पेट्रोल की खपत घटाना	Reducing Consumption of petrol in Government Vehicles .	29–30
2220.	मथुरा तेल शोधक कारखाने का डिजाइन तयार करने के लिये सोवियत विशेषज्ञों का भारत का दौरा	Soviet Experts visit to India for designing Mathura Oil Refinery. . . .	30
2221.	रेल कर्मचारियों को दिए गए आश्वासनों को क्रियान्वित करने के लिए विशेष मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन सैल	Special Evaluation and Implementation Cell for Implementing assurance given to Rallway Employees. . . .	30

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2222.	बिड़ला और गोयंका व्यापार गृहोंकी कम्पनियों अथवा फर्मों के बारे में जांच	Enquiry against companies or firms of Birla and Goenka houses.	30–31
2223.	पेपर मिल्ज, यूनियन कार्बाइड और बाम्बे डाइंग पर लगाये गये प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया संबंधी आरोप	Charges of restrictive trade practice against Paper Mills, Union Carbide and Bombay Dyeing	31
2224.	देश में जीवन बचाने वाली औषधियों का उपलब्ध- न होना	Non-availablity of Life Saving Drugs in the country . .	31–32
2225.	समुद्र-जल का दूषण	Pollution of Sea Water . .	32
2226.	दिल्ली में "ट्यूब रेलवे" परियोजना के लिये सर्वेक्षण	Survey for Tube Railway project in Delhi. . . .	32
2227.	एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा टायर कम्पनियों के क्रियाकलापों के बारे में जांच	Investigation into the cases of mono-polistic and restrictive trade practices Tyre Companies by MRTP Commission.	33
2228.	1971–72 और 1972–73 में रेलवे पर किये गये धन संबंधी दावे	Money claims preferred with Railway during 1971-72 and 1972-73.	33
2229.	लंबी यात्रा के लिये एक्सप्रेस गाड़ियों में अलग डिब्बे	Separate Compartment in Express Trains for Long Journeys.	33–34
2230.	भारतीय उर्वरक निगम के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के बारे में समाचार	News report regarding appointment of Managing Director of FCI.	34
2231.	पन बिजली परियोजना के लिये मशीनरी का आयात करने के बारे में कर्नाटक सरकार का अनुरोध	Request from Karnataka Government for Import of Machinery for Hydroelectric Project.	34
2232.	गोआ में एक तापीय संयंत्र की स्थापना करना	Setting up of a Thermal Plant at Goa.	35
2233.	रेल गाड़ियों को डीजल से चलाना	Dieselitisation of Railway Trains	35
2234.	एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को प्राप्त हुई शिकायतें	Complaints received by MRTP Commission. . . .	35–36
2235.	पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर का उत्पादन करने के लिये जे० के० सिनथेटिक्स द्वारा मशीनरी का आयात	Import of machinery by J.K. Synthetics for producing Polyester Staple Fibre. .	36–37
2236.	उर्वरकों के उत्पादन में कमी	Decline in production of Fertilisei.	37

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2237.	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा हरियाणा राज्य विद्युत आयोग के खरीद सौदों की विशेष लेखापरीक्षा	Special Audit of purchase Transactions of Haryana State Electricity Board by C.I.A.G.	37
2238.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ का औद्योगिक कार्यों में उपयोग	Utilisation of Profits earned by foreign oil companies for industrial purposes . . .	38
2240.	उर्वरकों के वितरण का कार्य कृषि मंत्रालय को अंतरित करना	Transfer of work regarding distribution of fertilizers in Ministry of Agriculture . .	38
2241.	दानापुर डिवीजन (पूर्व रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई	Supply of Essential Commodities to Railway Employees in Danapur (E.Rly.) . .	38–39
2242.	दिल्ली की निचली अदालतों में भ्रष्टाचार	Corruption in Lower Courts of Delhi	39
2243.	दिल्ली के न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले	Cases pending in Delhi Courts .	39–40
2244.	गाजियाबाद में रेलवे कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी न करना	Non-payment of City Compensatory Allowances to Railway employees at Ghaziabad. .	40
2245.	दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रेस गाड़ी के यात्रियों को सोमेश्वर स्टेशन पर दी गई सहायता	Help given to passengers of Delhi-Ahmedabad Express train at Someshwar Station .	40–41
2246.	थीन बांध परियोजना का पूरा किया जाना	Execution of Thien Dam Project	41
2247.	कोयले को ले जाने के लिये पंजाब के लिये माल डिब्बों का कोटा	Wagon quota for movement of coal for Punjab. . . .	41
2248.	पंजाब को डीजल तेल की सप्लाई	Supply of Diesel Oil to Punjab	41–42
2249.	फारस की खाड़ी में तेल का पता लगाने में असफलता	Failure to discover oil in Gulf of Cambay	42
2250.	रेल यात्रियों के जन-घंटों की क्षति होना	Man hours lost by Rail Travellers	42–43
2251.	कृत्रिम रेशा बनाने वाले क्षेत्र को बिड़ला बंधुओं की क्षमता	Birla's Capacity in the man-made Fibre Manufacturing Sector	43–44
2252.	26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पुंजी वाली विदेशी औषध-निर्माता फर्मों को दिये गये लाईसेंस	Licences issued to Foreign Drug Firms having more than 26 per cent Foreign Equity .	44
2253.	औषधि और भेषज निर्माता उद्योग की जांच करने संबंधी समिति	Committee to inquire into Drugs and Pharmaceutical Industry	44–45

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2254.	1 नवम्बर, 1973 से दस नई रेलगाड़ियों का चलाया जाना	Introduction of ten new Trains from 1st November, 1973	45
2255.	डीजल तेल के उपयोग में कमी का डीजल इंजनों को उपयोग में लाने संबंधी योजना पर प्रभाव	Effect on Dieselisation Plan in view of Economy in use of Diesel Oil	45–46
2256.	भारतीय भूवैज्ञानिक द्वारा "अकार्बनिक पैट्रोलियम का संकेत" शीर्षक से समाचार	News captioned "Indian Geologist Hints at inorganic petroleum"	46
2257.	प्रेषक केन्द्रों से पटसन की ढुलाई में रेलवे की असमर्थता	Railways' inability to transport jute to despatching Centres	46–47
2258.	जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाना	Introduction of Jayanti Janata Express Trains	47
2259.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश की समसोला परियोजना का शामिल किया जाना	Inclusion of Somasila Project in Andhra Pradesh in Fifth Plan	47
2260.	आन्ध्र प्रदेश के लिए मंजूर की गई ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनायें	Rural Electrification schemes sanctioned for Andhra Pradesh	48
2261.	आन्ध्र प्रदेश में तेल की खोज के लिए सवक्षण किया जाना	Survey for oil in Andhra Pradesh	48
2262.	विधायी विभाग की पत्रिका कक्ष में पुस्तकों की मूल्यांकन समिति में नियुक्तियां	Appointment on the Evaluation Committee for books in Journal wing of Legislative Department	48–49
2263.	पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने के कारण टैक्सी और स्कूटर किरायों में वृद्धि	Increase in Taxi and Scooter fares due to increase in price of petrol	49
2264.	रेल विभाग में संविदा श्रमिक (विनियमन और समापन) अधिनियम की क्रियान्विति	Implementation of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act in Railway	49–50
2265.	1973 में चलाई गई नई गाड़ियां	New trains introduced during 1973	50
2266.	रेलवे इंजनों के उत्पादन में वृद्धि	Raise in production of Locomotives	50
2267.	पांचवीं योजना के दौरान तेल शोधक कारखानों के स्थापनास्थल	Location of Oil Refineries during Fifth Plan	50–51
2268.	कोंकण रेलवे का परिव्यय	Outlay on Konkan Railway	51
2269.	काली पन-बिजली योजना की परियोजना लागत	Project Cost of Kali Hydro-Electric Works	51–52
2270.	कुकिंग गैस की कमी	Shortage of Cooking Gas	52

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2271.	कोयले की कमी के कारण गत तीन वर्षों में गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Trains due to coal shortage during the last Three Years	52–53
2272.	भाड़े की दरों में परिवर्तन के परिणाम-स्वरुप रेलवे को हुई हानि	Loss to Railways due to Change in Freight Rates	53–54
2273.	रेलवे कन्टेनर सेवा से कम आय	Lower Income from Railway Container Service	54
2274.	इमारती लकड़ी के परिवहन में हानि	Loss in Transportation of Timber	55
2275.	फरक्का बांध परियोजना में मजदूरों की छंटनी	Retrenchment of Labourers in Farakka Dam Project	55
2276.	महवल रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण (पूर्वोत्तर रेलवे)	Electrification of Mahwal Railway Station (N.E. Railway)	55
2277.	पूर्वोत्तर रेलवे तथा अन्य सेक्शनों में रेल सेवाओं का बंद रहना	Suspension of Train Services on North-Eastern Railway and other Sections	55–56
2279.	पैट्रो-रसायन एककों के लिये लाइसेंस देने की नीति	Licencing Policy for Petro-Chemical Units	56
2280.	बरेली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बम विस्फोट	Bomb Explosion on Railways platform of Bareilly	56
2281.	गत पांच महीनों के दौरान तोड़ फोड़ की गतिविधियों के कारण मध्य रेलवे में हुई दुर्घटनायें	Accidents on Central Railways as a Result of subversive Activities during the last five months	56–57
2282.	पूर्व रेलवे में जंजीर खींचने की घटनायें	Chain Pulling incidents on Eastern Railway	57–58
2283.	गत पांच महीनों के दौरान पूर्वी रेलवे पर हुई दुर्घटनायें	Accidents on Eastern Railway during the last five months	58
2284.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के कमचारियों को अदा किये गये समयोपरि भत्ते की राशि	Amount of Overtime Allowance given to the Employees in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs	58–59
2285.	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये दानापुर स्थित डी० एस० आफिस के अतिरिक्त (अनुसचिवीय) पदों का बनाया जाना	Creation of Additional Posts (Ministerial) in D. S. Office, Danapur for Implementing Third Pay Commission Recommendations	59
2286.	पदोन्नति के परिणाम स्वरुप कार्यालय कर्मचारी वर्ग के पदों का पुनः वितरण	Re-distribution of Posts of Ministerial Staff consequent upon Up-gradation	59–60
2287.	पटना जंक्शन के लिये 11 अप एक्स प्रेस रेलगाड़ी में शायिकाओं का कोटा बढ़ाना	Increase in Quota for berths for Patna Junction in 11UP Express Trains	60

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2288.	माल गाड़ियों के निर्धारित स्थान पर पहुंचने पर कम पाये गये माल की धनराशि को मुगलसराय स्टेशन के गुड्स क्लर्कों के नाम डालना	Amount debited to Goods Clerks of Mughalsarai Station for shortages noticed at Destination	61
2289.	विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा लगाया गया धन और अर्जित लाभ	Investment made and Profits earned by Foreign Durg Companies	61–62
2291.	पांचवीं योजना के दौरान यात्रियों की सुविधाओं के लिये नियत राशि	Amount allocated for passenger amenities during Fifth Plan.	62–63
2292.	"80 ट्रेन रोबरीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item captioned "80 Train Robberies"	63
2293.	मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर का विस्तार करने का प्रस्ताव	Proposal for Expansion of Mangalore Chemicals and Fertilisers	64
2294.	काला नदी पन-बिजली परियोजना के लिये सहायता	Assistance to Kalinadi Hydro-Electric Project	64
2295.	कोयाली तेल शोधक कारखाने के श्रमिकों के आन्दोलन का निपटारा	Settlement of Agitation by Workers of Koyali Refinery.	64–65
2296.	मध्य प्रदेश में "सुपर" तापीय बिजली-घर की स्थापना	Setting up of "Super" Thermal Plant in Madhya Pradesh	65
2297.	अमरीका में हुआ विश्व जल सम्मेलन	World Water Congress held in U.S.A.	65–66
2298.	दिल्ली में भाखड़ा से बिजली की सप्लाई	Supply of power to Delhi from Bhakra	66
2300.	केरल के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों के अधिक बड़े क्षेत्रों को ढ़कने के लिये छतों की व्यवस्था	Increasing of covered areas at important Railway Stations in Kerala	66–67
2301.	केरल में वलाड नदी पर "मन्नाथन-योडी पन-बिजली परियोजना" का निर्माण	Construction of "Mannanthody Hydro Electric Project" at River Volad in Kerala	67
2302.	कर्नाटक में काबिनी परियोजना का निर्माण	Construction of Kabini Project in Karnataka	68
2303.	बारामूरा (त्रिपुरा) में गैस की खोज	Exploration for Gas in Baramura, Tripura	68
2304.	उत्तरी उड़ीसा में स्वर्ण रेखा परियोजना	Subarna Rekha Project in North Orissa	69
2305.	चावल की तस्करी के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे में गाड़ियों का विलंब से चलना	Late Running of Trains on the S.E. Railway due to smuggling of rice	70

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2306.	पैट्रोल की कीमत में वृद्धि का पूर्व-ज्ञान	Prior knowledge of Petrol Price Rise	70
2307.	पूर्वी रेलवे के हावड़ा बान्देल सैक्शन में उप-मार्गों को चौड़ा करना	Broadcasting of Subways in Howrah Bandel section of Eastern Railway. . .	70
2308.	दुर्गापुर तापीय बिजली संयंत्र द्वारा बिजली का उत्पादन	Generation of power by Durgapur Thermal Plant . .	71
2309.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा संयुक्त उद्यम की पेशकश	Joint Venture offer by Foreign Oil Companies . . .	71
2310.	न्यू इंडिया इनस्योरेंस कम्पनी में प्रबंध-निदेशक के लिए स्वीकृत पेंशन संबंधी शर्तें	Pension Terms granted to Managing Director of New India Assurance Company .	71–72
2311.	आई० सी० आई० की परियोजनाओं का विस्तार	Expansion of Projects of ICI.	72–73
2312.	इंडियन फार्मेस्यूटिकल्स कारपोरेशन के कैप्टरोलैक्टम संयंत्र को चालू करने में विलंब	Delay in Commissioning of the Caprolactam Plant to IPC .	73
2313.	मिट्टी के तेल की मांग को पूरा करने के लिये इसका आयात	Import of Kerosene Oil .	73–74
2314.	पूर्वी क्षेत्र में बिजली घरों की स्थापना हेतु सुझाव देने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त तकनीकी समिति	High powered Technical Committee to Suggest setting up of Power Houses in Eastern Region	74
2315.	सरकार द्वारा विधि आयोग को उसकी राय जानने के लिये भेजे गये मामले	Cases Referred to Law Commission for its Opinion by Government	74
2316.	फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स त्रावनकोर इंजीनियरिंग तथा डिजाइन संगठन द्वारा प्राप्त क्रयादेश	Orders Received by FACT Engineering and Design Organisations	75
2317.	रेलवे यात्रियों को पैकेटों में खाद्य-पदार्थ देने का निर्णय	Decision to Provide Lunch and Dinner Packets to Railway Passenger	75
2318.	पांचवीं योजना अवधि में अधिक इंजन बनाने की योजना	Scheme to produce more Railway Engines during Fifth Plan period . . .	75–76
2319.	दिल्ली में पेट्रोल की कमी	Shortage of Petrol in Delhi	76
2320.	उर्वरक निर्माता कम्पनियों को रियायतें	Concession for Companies Manufacturing Fertilizers . .	76–77
2322.	कलकत्ता दिल्ली रेल लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Calcutta Delhi Line	77

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2323.	उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन मामलों की संख्या	Number of Cases Pending in Supreme Court . . .	77
2324.	कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम के बीच रेल लिंक के निर्माण में हुई प्रगति	Progress made in Construction of Rail Link between Kannyakumari and Trivandrum .	77–78
2325.	दिल्ली डिवीजन में ए० सी० सी० और इंडियन आयरन एंड स्टील कं० साइडिंग को निशुल्क समय दिया जाना	Free Time Allowed to ACC and and IIS Co. Sidings in Delhi Division	78
2326.	उत्तर रेलवे के सहायक स्टेशन मास्टरों को "गुड्स कोर्स" प्रशिक्षण	"Goods Course" Training for Assistant Station Masters on Northern Railway . .	78–79
2327.	उत्तर रेलवे में अनुसूचित जाति के सहायक भंडारण अधिकारियों का चयन	Selection of Assistant Stores Officers belonging to SC (Northern Railway) . .	79–80
2328.	दिल्ली क्षेत्र (उत्तर रेलवे) में एस० एण्ड टी० डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को पूल से बाहर क्वार्टरों का आबंटन	Allotment of Non pooled Accommodation to Staff of S & T Department in Delhi area (Northern Railway) . .	80–81
2329.	नियमानुसार काम करने के बारे में सिगनल एंड टेलिकम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन द्वारा दिया गया नोटिस	Signal and Telecommunication Staff Association notice regarding work to Rule .	81–83
2331.	आपटा से दासगांव के आग कोंकण रेलवे में हुई प्रगति	Progress made in Konkan Railway beyond Apta to Dasgaon	83
2333.	कम्पनियों के प्रबंध तथा निदेशक मंडल में प्रस्तावित संरचनात्मक परिवर्तन	Proposed Structural changes in the Boards of Directors and Management of Companies	83–84
2334.	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सुझाव	Suggestions on appointment of judges of Supreme Court .	84
2335.	कश्मीर में प्राकृतिक गैस के लिये खोज	Exploration for Natural Gas in Kashmir	84
2336.	दिल्ली में बिजली का बंद होना	Power Breakdown in Delhi	84
2337.	हिमाचल प्रदेश में पन-बिजली उत्पादन केन्द्र की स्थापना	Setting up of a Hydro Electric Power Generation Station in H.P.	85
2338.	अशोधित तेल के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ के सुझाव	Suggestions from FICCI regarding Crude Oil . . .	85

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2339.	पांचवीं योजना की अवधि में यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करना	More Amenities to Passengers During Fifth Plan Period .	85–86
2340.	इंडियन आयल कारपोरेशन की शोधनशाला तथा पाइपलाइंस डिवीजन के मजदूरों की ओर से हड़ताल का नोटिस	Notice of Strike from Workers of Refineries and Pipelines Division of IOC . .	86
2341.	गुजरात राज्य द्वारा उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Fertilizer Plant by Gujarat State . .	86–87
2342.	लोको संगचल कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति	Mass Absenteeism of LOCO Running Staff . . .	87
2343.	विधि मंत्रालय की राय जानने के लिये उसको भेजे गये मामले	Cases Referred to the Ministry of Law for Opinion . .	87
2345.	पराम्बूर स्थित इंटेग्रेल कोच फैक्टरी में उत्पादन	Prodnction in Integral Coach Factory at Perambur . .	87–88
2346.	विभिन्न यूनिटों के लिए एक समान मजूरी नीति	Uniform Wage Policy for various Units	88
2347.	दिल्ली-हावड़ा रेल गाड़ियों में घटिया किस्म का भोजन दिया जाना	Inferior Quality of Food Served in Delhi Howrah Train .	88–89
2348.	कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी	Clearance of Irrigation Projects Karnataka	89–90
2349.	कोचीन तेल शोधक कारखाने को अशोधित तेल ले जाने के लिये ट्रीटन एण्ड कम्पनी को दिया गया ठेका	Contract given to Triton and Co. for Transportation of Crude Oil to Cochin Refinery . .	90
2350.	वर्ष 1973–74 में आरंभ की जाने वाली रेलगाड़ियां	Trains to be Introduced in 1973-74	90
2351.	उपचुनावों के लिए नई प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव	Proposal to adopt new procedure for Bye Elections . .	91
2352.	सीमेंट उद्योग के लिए वैगनों का उपलब्ध न होना	Non-Availability of Wagons for Cement Industry . .	91
2354.	अलकावती परियोजना के निर्माण के लिए मंजूर की गई धनराशि	Amount sanctioned for Construction of Alkawati Project .	92
2355.	स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रेलवे लाइनों की सप्लाई में वृद्धि	Increase in line Mileage since Independence . . .	92
2356.	मंगलौर-आर्प्टे रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Mangalore-Apta Line	92

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2357.	नई रेलवे लाइनों के लिए अधिक भाड़ा तथा यात्री किराया	Higher Freight and Passenger Rates for New Lines . .	93
2358.	नई दिल्ली तथा दिल्ली मेन जंक्शनों पर प्रति दिन आने वाली तथा वहां से जाने वाली रेल गाड़ियां	Trains arriving at and departing from New Delhi and Delhi Main Junction Daily .	93–94
2359.	रेलवे द्वारा दी जाने वाली खाद्य सामग्री की किस्म में सुधार	Improvement in the quality of food stuff served by Railways	94
2360.	बिहार को सिंचाई के लिये दामोदर घाटी निगम की तिलैया और कोनार जन परियोजनाओं से जल की सप्लाई	Supply of Water for Irrigation to Bihar from Tillaiya and Konar Projects of DVC .	94
2361.	पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद	Posts of Judges in Patna High Court	94–95
2362.	केरल में एलपी होकर कायाकुलम से एर्णाकुलम तक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव	Proposal for Rail Link from Kayakulam to Ernakulam *via* Alleppy in Kerala . .	95
2363.	बिजली के उत्पादन तथा वितरण का केन्द्रीयकरण	Centralisation of Generation and distribution of Electricity	95–96
2364.	कीटनाशी दवाई कारखानों में उत्पादन	Production of Pesticides Units	96–97
2365.	कीटनाशी दवाइयों के लिए लाइसेंस नीति	Licencing Policy for Pesticides	97
2366.	ईंधन की कमी के बारे में गृहणियों की ओर से ज्ञापन	Memo from House wives regarding Fuel Shortage . .	98
2367.	मध्यप्रदेश में रेल संचार प्रणाली में विघ्न	Disruption of Rail Communications System in Madhya Pradesh	98–99
2368.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को तेल की सप्लाई	Supply of Oil to DESU	99–100
2369.	उत्तर रेलवे की खान-पान व्यवस्था के बारे में शिकायतें	Complaints about the catering System of Northern Railway	100
2370.	कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन	Calcutta Electric Supply Corporation	100–102
2371.	कोलगेट पामओलिव, सिंगर स्विनगर मशीन तथा ग्रामोफोन कम्पनियों के विरुद्ध आरोप	Charges against Colgate Palmolive Singer Swinger Machine and Gramophone Companies	102
2372.	संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान के कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन	Report on the Working of Institute of Constitutional and Parliamentary Studies	102

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2373.	चौगुले एंड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	Chowgule and Company (Private Limited) . . .	102–103
2374.	पोंग बांध में पानी का स्तर ऊँचा होनेके कारण कांगड़ा घाटी रेलवे पर ज्वाली और गुलेर स्टेशनों के बीच रेल पटरी का पानी में डूब जाना	Submersion of Railway Track between Jwali and Guler Stations of Kangra Valley Railway due to rise in water level of Pong Dam	103
2375.	कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन (एन० जी०) को उखाड़ना	Dismantling of Kangra Valley Railway Track (NG) . .	104
2376.	हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर पन बिजली परियोजना	Hydel project on River Sutlej in Himachal Pradesh . .	104–105
2377.	वर्ष 1973-74 के दौरान उत्तर रेलवे में रेल गाड़ीयों में डीजल इंजनों का लगाया जाना	Dieselisation of trains on Northern Railway during 1973-74	105
2378.	गैस के बारे में प्रकाशित समाचार	News regarding Gas . .	105–106
2379.	रेलवे कार्यालयों में लेखन सामग्री की कमी	Shortage pf Stationery in Railway Offices	106
2380.	आवास के आवंटन और किराये की वसूली के लिये मानदंड	Criteria for allotment of allowance and recovery of rent	106–107
2381.	बाराकार रेलवे कालोनी (पूर्व रेलवे) में बच्चों के लिये पार्क	Children Park at Barakar Railway Colony (Eastern Raiway)	107
2382.	निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी सरकारी प्रस्तावों का अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में प्रकाशन	Publication of Government's proposals for Delimitation of Constituencies in English and Hindi	107
2383.	निर्वाचन आयोग में हिन्दी अनुवाद का प्रबंध	Arrangements for Hindi Translation work in Election Commission	107–108
2384.	निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश की हिन्दी भाषी जनता से अंग्रेजी में सुझाव मांगा जाना	Suggestions invited by Election Commission from Hindi knowing people of U.P. in English	108
2385.	विदेशों में भारतीय दूतावासों में रेलवे सलाहकार	Railway Advisors in Indian Embassies abroad. . .	108–109
2386.	रेलवे सुरक्षा बल तथा सतर्कता निदेशालय के मुख्य कार्यालयों का दिल्ली / नई दिल्ली से अंतरण	Shifting of Head Office of RPF and Vigilance from Delhi/ New Delhi . . .	109
2387.	रूस के साथ किया गया करार	Agreement signed with U.S.S.R.	110
2388.	गाड़ियों में प्रथम श्रेणीके डिब्बों की जीर्णक्षीण अवस्था	Dilapidated Condition of 1st Class Bogies in Trains .	110

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2389.	ब्यास-सतलुज जल परियोजना का काम — Work on Beas Sutlaj Water Project	110–111
2390.	गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिये की गई कार्यवाही — Action Taken on Free Legal Aid to the Poor	111
2391.	आगामी पांच वर्षों में केरल में नई रेलवे लाइनें — New Railway Lines in Kerala in Next Five Years	111
2392.	मंगलौर, त्रिवेंद्रम और एर्णाकुलम मद्रास रेलवे लाइनों पर बिजली का लगाया जाना — Electrification of Mangalore, Trivandrum and Ernakulam Madras Railway Lines.	111
2393.	पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ द्वारा 30 अक्तूबर 1973 को समस्तीपुर में प्रदर्शन — Demonstration by North Eastern Railway Mazdoor Union at Samastipur on 30-10-73	111–112
2394.	गुजरात पेट्रो-रसायन द्वारा "डी० एम० टी०" के उत्पादन में कमी किया जाना — Reducing Production of DMT by Gujarat Petro Chemicals	112–113
2395.	मशीनी तेलों (लुब्रीकैन्टस) की मूल्य-वृद्धि की विद्युत उद्योग पर प्रभाव — Effect of Increase in Prices of Lubricants on Power Industry	113
2396.	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त जल परियोजनाएं स्थापित किया जाना — Setting up of Joint Irrigation and Hydel Projects between Maharashtra and Madhya Pradesh	113–114
2397.	रेलों को उचित रूप में और कुशलता से चलाने के लिये की गई कार्यवाही — Steps taken to run Railways properly and Efficiently	114–115
2398.	रेल प्रयोक्ता सलाहकार समितियों का लाभ — Advantages of Railways Users Consultative Committees	115
2399.	अक्तूबर, 1973 तक राजस्थान में बसे पोंग बांध के निष्क्रांत व्यक्ति — Pong Dam Oustees settled in Rajasthan Upto October, 1973	115–116
2400.	कांगड़ा घाटी रेलवे — Kangra Valley Railway	116
2401.	विदेशों में तेल संबंधी रियायतों के लिए भारत का प्रयास — Indian Looking for Oil Concessions Abroad	116
2402.	25 सितम्बर, 1973 को रेल भवनपर रेल कर्मचारियों का प्रदर्शन — Railway Employees Demonstration at Rail Bhavan on 25th September, 1973	116–117

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	117
बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) विधेयक	Payment of Bonus (Second Amendment) Bill Laid	
सभा पटल पर रखा गया	Paper laid on the table	117
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	117–118
नियम 377 के अंतर्गत मामला—	Matter under Rule 377	
एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं उपयोग का वर्ष 1972 का प्रशासनिक प्रतिवेदन पेश करने में सरकार की असफलता	Failure of Government to present Administrative Report of the MRTP Commission for 1972	118–119
प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक—	Press Council (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	119–120
श्री वी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	121
श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahaman	121
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Dev	121–121
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	123
श्री परिपूर्णानन्द पन्थुली	Shri Paripoornanand Painauli	123
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy	124
श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujral	124–128
खंड 2, 3 और 1	Clauses, 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujral	128
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	129
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	119
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazara	129
श्री इशहाक संभली	Shri Ishaque Sambhali	129–130
श्री एम० के० पी० साल्वे	Shri N.K.P. Salve	130
भारतीय रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक—	Indian Railways (Second Amedment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्रीमुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	131
ी मोहम्मद इस्माईल	Shri Mohammad Ismail	131–132

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga	132
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey .	132–133
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . . .	133–134
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R. R. Sharma . .	134
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy .	134–135
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder .	135–136
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	136
श्री मधु दण्डवते	Shri Madhu Dandavate	136
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary .	136–137
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar .	137
श्री भागवत झा आझाद	Shri Bhagwat Jha Azad .	137
इंडियन एयरलाइन्स में तालाबंदी के बारे में चर्चा--	Discussion Re. Lockout in Indian Airlines—	
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	137–139
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Shri Narain Chand Parashar	139–140
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mahommad Ismail	141
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe . .	142
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	142
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad .	142–143
श्री था किरूतनन	Shri Tha Kiruttinan	143
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	143
श्री राज बहादूर	Shri Raj Bahadur .	144–146

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 27 नवम्बर 1973/6 अग्रहायण, 1895 (शक)
Tuesday, November, 27, 1973 / Agrahayana 6, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
(MR. SPEAKER *in the Chair*)]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बीकानेर डिवीजन तथा गाजियाबाद के लोको कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*221. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) और गाजियाबाद के कुछ लोको कर्मचारियों ने नवम्बर, 1973 के प्रथम सप्ताह में आंदोलन और हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और उक्त आन्दोलन किस प्रकार समाप्त हुआ ;

(ग) जनता, कर्मचारियों और सरकार को कुल कितनी हानि हुई और इस आन्दोलन के कारण कितने जन-दिवसों की हानि हुई; और

(घ) रेल मंत्री और सम्बद्ध अधिकारियों ने क्या-क्या आश्वासन दिए हैं और समय समय पर दिये गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

बीकानेर मण्डल के लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा एक आंदोलन किया गया था । आंदोलन तब प्रारम्भ हुआ जब बीकानेर मण्डल के मण्डल अधीक्षक दो अमान्यताप्राप्त संगठनों अर्थात् आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन और आल इंडिया मैकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के रूप में उनसे बात करने से सहमत नहीं हुए । हालांकि उन्होंने कर्मचारियों को सलाह दी थी कि वे उनसे व्यक्तिगत रूप में मिल सकते हैं और अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं जिनकी जांच की जायेगी ।

रेलों को लगभग 6.3 लाख रुपये की और 1870 जन-दिन की हानि हुई । कर्मचारियों को निम्नलिखित आश्वासन दिया गया था :—

"बीकानेर मण्डल के सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को एतद्द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि जैसा कि बीकानेर के मण्डल अधीक्षक ने संकेत दिया है कि किसी कर्मचारी को तंग नहीं किया जायेगा बशर्ते व हड़ताल स्वत: वापस ले लें और तत्काल ड्यूटी पर आ जाएं "।

इसके बाद कर्मचारी ड्यूटी पर आ गये ।

उपर्युक्त आश्वासन पूरा करने के लिए किसी विशिष्ट कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।

नवम्बर के प्रथम सप्ताह में गाजियाबाद में लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा कोई हड़ताल नहीं की गई थी ।

Shrimati Savitri Shyam : Sir, there are two aspects of my question which I have asked on the basis of the reports published in 'Janyug' and 'Patriot' etc. The hon. Minister has mentioned in the statement that the strike in Bikaner Division started because the officer did not agree to meet the workshop representatives. About the strike in Ghaziabad it has been said that there was no strike by loco running Staff at Ghaziagad in the first week of November, will the hon. Minister be kind enough to clarify whether there was any strike on November 2 or 3 in Ghaziabad and whether 13-14 arrests were made and what were the reasons for the strike? I was informed that there is a strike at Ghaziabad on the demand of equal compensatory allowance at Ghaziabad to that of Delhi, since Cost of living at Ghaziabad is a same as in Delhi. I was informed about reported assurance by the Railway Minister in this regard. The hon. Minister says that there was no Strike at Ghaziabad on November 2 or 3. May I know the date when there has been a strike at Ghaziabad if it was not on November 2 or 3, what are the reasons behind this strike and what assurances were given by the Railway Minister and how he is going to implement them?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : There has been no strike during the first week of November at Ghaziabad. There has been a strike at Rewari in Bikaner Division. They wanted to submit a representation to D. S. in Bikaner Division. D. S. did not agree and therefore the staff went on strike. As regards strike at Ghaziabad my information is that there has been no strike during the first week of November. As regards compensatory allowance, that is a separate matter. This has got nothing to do with the strike. There is another issue on which they intent to go in strike but there was no strike.

Shrimati Savitri Shyam : May I know whether the demand for compensatory allowance was made through some representation or memorandum or by resorting to strike? What I wanted to know is whether or not there has been any strike in the month of November. The hon. Minister says no but my information is that there has been a strike. May I know whether the demand of compensatory allowance from loco workers, Ghaziabad has been accepted?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : We have not so far accepted that but that is under consideration.

Shrimati Savitri Shyam : By what time the matter will be decided and about the strike in Bikaner...

Mr. Speaker : You may discuss the matter personally with the Minister in his room.

श्रीमती सावित्री श्याम : महिलाओं के लिये कमरे में जाकर बातबचीत करना कठिन कार्य है । मैं सदन में ही इसका उत्तर चाहती हूं । यहां क्या कठिनाई है ?

श्री ए० पी० शर्मा : यह टिप्पणी कार्यवाही से निकाल दी जानी चाहिये क्योंकि यह मंत्री महोदय पर एक आक्षेप है क्योंकि सदस्या कहती हैं कि वह अकेले में बात नहीं कर सकतीं ।

श्री नवल किशोर शर्मा : उन्होंने 'खतरनाक' शब्द प्रयोग म करके 'कठिन' शब्द का प्रयोग करके बड़ी उदारता दिखाई है ।

Shrimati Savitri Shyam : My second question has not been replied to so far. Why there are nationwide strikes? Railway officers do not want to meet the representatives on the plea, that they are the representatives of un-recognised unions. This results into losses, loss of mandays etc. we have suffered a loss of lakhs of rupees in Bikaner Division, May I know whether the hon, Minister propose to make such arrangements or to evolve such a policy that there are no strikes and the officers meet and listen to Grivneces of the staff?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : There are two recognised unions in Railways and only those unions are authorised to negotiate. The Govrenment negotiate with those unions. As regards meeting of the officer with the railway staff, officers are always ready to meet the Staff but there cannot be any direct negotiation with the staff in that meeting. I am explaning the postitions as is today.

Shrimati Savitri Shyam : What about future?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Every employee will be listened to and instructions have been issued to this effect.

Shri Chandra Shekar Singh : In the nationwide strike of April 73, workers levelled corruption charges against certain high officers. How far he has been able to check the same? May I know whether any inquiry has been made regarding those allegations? Recently three four days ago shri S.P. Verma a railway employee attempted to commit suicide because the corruption charges were not looked into and the matter was raised here in this House, Is it a fact?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The hon. member has not mentioned the nature of the allegations. Those are not the allegations but demands to be accepted, the House is aware that the demands of Railway employees is not a new matter, this is a routine affair and efforts are made to meet those demands.

The hon. Member has referred to 'Shri' Verma. He went on hunger strike before Parliament House and attempted to commit suicide. At present, I have got no details about that but so far as my knowledge goes he is a retired railway employee and his pension has not been sanctioned, which he was trying to get in time.

Shri A. F. Sharma: It has been ascertained from the news paper that Defence of Indian Rules have been extended for 6 months more in Railway...

Ramawatar Shastri : And the same has been condemned by all.

Shri A. P. Sharma : But you have not even after the enforcement of defence of India Rules there are strikes in Railway. These strikes are not organised by recognised unions Every now and then who so ever likes to go on strike resorts to that. The hon, Minister in his reply has said that no action has been taken against them though Defence of India Rule are in force. May I know the action his Ministry takes against such mischief committed even when Defence of India Rules are in force? May I know whether the Government propose to take action according to these Rules?..

श्री कृष्णचन्द्र हालदर : यह प्रश्न संगत नहीं है ।

Shri A. P. Sharma : May I know whether the Railway authorities and the Government will take action against such illegal activities taking place every now and then so that such disturbances which are created in the name of strike could be checked ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Imposition of the Defence of India Rules does not mean any retaliatory action on the part of the Railways against their workers. The Defence of India Rules are imposed against the unfair activities indulged in to hamuer the working of the Railways. Therefore, the Defence of India Rules will be fully implemented against such activities and no relaxations will be done. There will not be applied to the Railway workers with a retliatory view. The application of these Rules is necessary for the proper functioning of the Railways.

Shri Mohammad Ismail : Talks are going on between the loco running staff and the Government but no compromise has been reached so far. I do not know whether compromise is likely to be reached or not. In the meanwhile the railway authorities have adopted an attitude and they have started to transfer the members of the Staff Council. I have received a telegram from "lumding" Shri K.K. Dhar of that place has been transferred and it is being done at other places also. Is the Government aware of it? A.I.R.F. a recognised one, has decided to resort to direct action if compromise is not reached.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It is learnt from the newspapers that the A.I.R.F, has decided to resort to direct action if we are unable to arrive at a decision regarding 10 hours duty.

So far as the loco running staff is concerned, talks are going on with them and they have reached at a crucial stage at this time. Therefore, it will be better for the workers as well as the Railway Department to say noting about it at the moment.

Shri Mohammded Ismail : That is a recognised Federation and have they informed the Government or not?

Shri Hukam Chand Kachwai : What the Government says, it does not abide by it.

Mr. Speaker : much time has been given to this question,

Shri Hukam Chand Kachwai : The Government has created this situation, therefore, we have to ask questions. We work among the workers.

Mr. Speaker : This is question hour, it is not a debate,

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, we work among them,

Mr. Speaker : It does not matter whether you work or make pudlicity but this is no place for that, you have to elicit information. How it is ppssible in question-hour?

Shri R. P. Yadav : The hon, Minister has said that the D.I.R. are applied to the persons who resort to unfair activities. Will they treat it as unfair if the laws enacted by them are abided by? If any employee workes to rule, will they treat it as unfair or not. Will an assurance be given that no action would be taken against such persons ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : If any employee resorts to unfair activity during work to-rule period, the D.I.R. will be applied to him. What does the honl. Member mean, I do not know, but there has been no case so far in which D.I.R. was not applied to any defaulter?

Shri. R. P. Yadav : What does hon, Minister mean by work to rule ?

Shri Hukam Chand Kachwai : It is given in the statement made by the Minister of Railways that they have given certain assurances. Is it true that those assurances are not being fulfilled properly? Is it true that there is no parity in all the zones and as a result of that distrubances take place? What steps are proposed to be taken to ensure parity in all the railway zones?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : All the assurances viz. the period of absence during strike given by the D.S. in the Bikaner Division will be treated as "*Dies-non*" and it has been fully implemented. There will be no victimisation. If there is any incidence in the knowledge of the hon. Member he may bring that to one notice. We shall definitely look into it.

Shri Hukam Chand Kachwai : What are they giving to do about the disparity in the zones which causes distrurbances?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : This is a suggestion, we shall consider it.

Shri Narsingh Narain Pandey : Is the hon Minister prepared to consider that the reason for the strikes,...

Mr. Speaker : This is not a relevant supplementary. Since this morning, questions are asked giving information. Dont give information just think over the question, Shrimati Savitri shyam started with reverse supplementaries and all have gone her way, the question is not coming to an end.

Shri Narsingh Narain Pandey : Mr. Speaker, Sir, I am asking a relevant supplementary May I know whether thereis some difference between the views of the hon. Minister and the Officers of the Railway Board? The hon. Minister gives some assurance and that assurance is not fulfilled by the officers of the Board.

That is why the strikes, lockouts and the things alike take place. Would the hon. Minister, therefore, try to rectify these things and take action against those persons who indulge in such activities?

Shri L. N. Mishra : It is not true that the Railway Board do not implement any decision taken by the Minister. The Railway Board did implement all the decisions taken so far. As I had assured earlier, we are putting the responsibility of evaluation and implementation on the Railway Board so that all the commitments and assurances are adequ l evuated and implemented, and no leniency would be tolerated in this behalf.

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister has just now stated that he does not hold talks because the union was not a recognised one. Is it, then a fact that you are holding talks with the all India Loco Running staff Association on the issue relating to 10 hours work a day and other allied matters? If so, by what time you propose to find out a solution in this problem: As regards other unrecognised unions, what objection do you have in accepting any memoranda submitted by them? When you can hold talks with one unrecognised union and why do you hesitate in receiving memoranda from others ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I want to make it more clear that the Railways would not recognise any category-wise Unionssince it is beneficial neither to the workers nor to the Railways. We want to have only one union in the Railways and I have been assured by the category-wise unions that in case there happens to be only one union for the entire Railway workers. They all would get dissolved and merged into that ..... *Interuptions*

थीन बांध के निर्माण के लिए पंजाब को भूमि

*224. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थीन बांध का निर्माण प्रारंभ करने के लिए पंजाब को पट्टे पर भूमि देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने थीन बांध के प्रशासन के लिए भाखड़ा प्रबंध बोर्ड के समान एक बोर्ड बनाने का सुझाव दिया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उसपर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । बहरहाल, परियोजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण करने के लिए अन्तर्राज्यीय बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्यों को दिए गए सुझावों में से एक था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जब भी थीन बांध के प्रश्न पर विचार करने का अवसर आया, हमें सरकार ने टाल-मटोल करने जैसे उत्तर दिये । यह योजना वर्ष 1964 में आरंभ हुई थी और अब वर्ष 1973 है । सरकार अभी तक इसपर विचार कर रही है । क्या इस संबंध में चर्चा के समय कभी यह स्वीकार किया गया था कि इसके लिय जम्मू व काश्मीर सरकार से जमिन पट्ट पर प्राप्त की जायेगी और कि इस पर प्रारम्भिक कार्य पंजाब सरकार द्वारा आरंभ किवा जाएग. ।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : ऐसा कोई सुझाव नहीं था कि जम्मू व काश्मीर सरकार से पट्टे पर भूमि ली जाये । यह सुझाव एक बार मुखर दिया गया था कि जम्मू व काश्मीर सरकार भूमि का अधिग्रहण करे तथा परियोजना में एक संबंधित राज्य के रूप में भाग ले परन्तु जम्मू व काश्मीर सरकार ने इस संबंध में कतिपय कानूनी और संवैधानिक मामले उठा दिये थे । उनकी विधि मंत्रालय ने जांच की थी और अपना मत संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया था । अभी भी विभिन्न राज्यों में इस पर परस्पर मतभेद हैं । परियोजना की लागत, कौन दे, यह परियोजना केंद्रीय परियोजना हो या नहीं और इसका लाभ विशेष रूप से प्रजनित विद्युत के मामले में किस प्रकार वितरित हो आदि कई बातों पर असहमति है । जब तक इन पर सहमति नहीं हो जाती, स्वभावत: ही यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : पंजाब के मुख्य मंत्री ने यह विशिष्ट वक्तव्य दिया थी कि केंद्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जम्मू व काश्मीर सरकार पंजाब को पट्टे पर भूमि देगी । दूसरे, पंजाब सरकार इस परियोजना के प्रारंभिक कार्य पर लगभग एक करोड़ रुपया व्यय कर चुकी है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह लाभान्वित होने वाले राज्यों की एक संयुक्त बैठक बुलाने तथा निर्धारित समय-बद्ध कार्यक्रम के अनुरूप इस समस्या को सुलझाने का कोई प्रयास करेंगे ? क्या वह इस संबंध में कोई आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : संबंधित राज्यों के मध्य कोई समझौता करने के संबन्ध में अपनी हर प्रकार की सहायता देकर मुझे खुशी होगी क्योंकि मेरे विचार से इस बांध के निर्माण से रावी नदी के पानी का उपयोग किया जाना राष्ट्र के हित की बात है ।

इस विचार से, मुझे निश्चय ही यह आशा है कि सभी संबंधित मुख्य मंत्री इस भावना को लेकर किसी बात पर तुरन्त ही सहमत हो जायेंगे । मैं जरूर उनसे विचार-विमर्श करूंगा परन्तु किसी को राजी कर लेने के संबंध में कोई समय-बद्ध कार्यक्रम तो निश्चित नहीं किया जा सकता ।

औषध तथा भेषजीय उद्योग का भारतीयकरण

*227. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषध तथा भेषजीय उद्योग का भारतीयकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र में काफी प्रगति हो चुकी है और यह अब (सरकारी क्षेत्र के साथ) देश में उत्पादित औषधों का लगभग आधा दे रहा है ।

देश में विदेशी फार्मास्युटिकल्स कम्पनियों के कार्यक्रम का विनियमन करने तथा भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने पहले ही निम्नलिखित उपाय अपनाये हैं :–

(1) निर्माण संबंधी योजनाओं के अनुमोदन में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को तरजीह दी जाती है ।

(2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रपुंज औषधों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता है ।

(3) सूत्रयोग बनाने के लिये, जब तक प्रपुंज औषधों के उत्पादन से सम्बन्ध न हो विदेशी फर्मों को सामान्य रूप से औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिये जाते है ।

(4) विदेशी फर्मों को अधिकमूल अवस्थाओं से प्रपुंज औषधों का उत्पादन शुरू करने के लिये कहा जाता है और उन्हें क्षमता में विस्तार करने अथवा नया आरंभ करने की इजाजत इस शर्त पर दी जाती कि वे प्रपुंज औषधों के अपने उत्पादन का उपयुक्त भाग देश के असम्मिलित निर्माताओं को दे ।

(5) विदेशी फर्मों के बारे में क्षमता में विस्तार करने तथा नये कार्य आरंभ करने की अनुमति देने के लिये उपयुक्त निर्यात पाबंदी लगाई जाती है ।

(6) विदेशी साम्य शेयर पूंजी में उत्तरोत्तर कमी और भारतीय शेयरों की तदनुरूपी वृद्धि किये जाने की शर्त बनाई जाती है जब उन्हें अपने निर्माण संबंधी कार्यकलापों का विस्तार करने की इजाजत दी जाती है ।

श्री के० एस० चावड़ा : देश के कुल 300 करोड़ रुपये के मूल्य के भेषजीय उत्पादन में से 200 करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन विदेशों से प्राप्त होता है । जिस कम्पनी का 50 प्रतिशत से अधिक भाग विदेश साम्य पूंजी शेयर हो उसे विदेशी कम्पनी कहते हैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का विचार विदेशी पूंजी-शेयर की प्रतिशतता को 50 से घटाकर 25 करने का है ?

श्री शाहनवाज खां : वस्तुतः यही हमारी मन्शा है परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं औषध और भेषजों का उत्पादन एक जटिल मामला है जिनमें काफ़ी विदेशी अनुसन्धान अन्तर्ग्रस्त है । हम इस मामले में कुछ धीरे धीरे चलना चाहेंगे क्योंकि हम विश्वभर में होनेवाली गतिविधियों से लाभान्वित होना चाहते है और हम देश के हितों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाये बिना ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । इस उद्योग के भारतीय तंत्र को वरीयतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में प्रपुंज औषध के निर्माण को बढावा दिया जा रहा है । ये कुछ उपाय हैं जो क हम कर रहे है ।

श्री के० एस० चावड़ा : मैंने पूछा था कि क्या सरकार का विचार विदेशी साम्य पुंजी शेयर को 50 प्रतिशत के घटा कर 25 प्रतिशत करने का है ।

श्री शाहनवाज खां : मैंने कहा है कि यही हमारा उद्देश्य है परन्तु यह हमे जल्दबाजी में नहीं करेंगे ।

श्री के० एस० चावड़ा : प्रस्तुत विवरण में देश में विदेशी भेषजीय कम्पनियों के कार्य को नियमित करने तथा भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के छः उपाय बताये गये है । ये उपाय तो बड़े अच्छे हैं परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह सभा को यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में कम से कम इनमें से आध उपाय तो क्रियान्वित किये ही जायेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : आधे नहीं बल्कि पूरे के पूरे उपाय क्रियान्वित किये जायेंगे ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच नहीं है कि भारत के सरकारी संस्थानों द्वारा निर्मित औषधें विदेशी साम्य-पूंजी शेयर प्राप्त कम्पनियों को बड़ी सस्ती दरों पर बेची जा रही है जिसके फलस्वरूप उन कम्पनियों द्वारा भारी मुनाफ़ा कमाया जा रहा है ? अब जबकि भारतीय करण अत्यन्त कठिन हो गया है, क्या मै जान सकता हूं कि सरकार कुछ ठोस उपाय तो करेगी जिससे कि इन कम्पनियों द्वारा इस प्रकार की लूट को रोका जा सके ?

श्री शाहनवाज खां : कुछ आयातित औषधों को सरकार उपक्रमों के माध्यम से वितरित किया जाता है । उन औषधों के लिये सरकारी उपक्रम न्यायोचित मूल्य होते हैं । देश में ही निर्मित होने वाली औषधों

मूल्य नियंत्रित हैं तथा निरन्तर कम रखे जाते हैं। भारतीय औषधों के संबंध में विदेशी कंपनियों द्वारा मुनाफ़ाखोरी की गुंजाईश हो सकती है। यह मामला मंत्रालय के विचाराधीन है। हमें उपचारात्मक कार्यवाही करनी होगी।

डा० रानेन सेन : सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ? इस मामले पर इस सदन में चर्चा की जा चुकी है। यदि उनका भारतीयकरण न किया जाए तो कम से कम उन्हें ऐसी लूटमार करने से तो रोका जाएं।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : मुझे ऐसी विदेशी कम्पनियों के बारे में कुछ याद नहीं है जो इसके अन्तर्गत आती हों। आई० डी० पी० एल० जिन मूलभूत औषधियों की उत्पादन करता है, उनमें से एक-दो औषधियां ऐसी हो सकती हैं जिनका वह विभिन्न उत्पादकों को भी वितरण करता है। मैं इस बात की जांच करूंगा। निश्चय ही आई० डी० पी० एल० का विस्तार किया जा रहा है तथा पांचवी योजना में उसका अधिक विस्तार किये जाने की सम्भावना है। आई० डी० पी० एल० का यह भी विचार है कि अधिक से अधिक फार्मूले उपलब्ध किये जाएं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : हमारे देश में कुल कितनी औषध-निर्माता कम्पनियां है, उनके नाम क्या हैं तथा उनका किन-किन देशों से सम्बन्ध है तथा उनमें कुल कितनी पूंजी लगी है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। आप एक पृथक प्रश्न की सूचना दे सकते है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : राज्य मंत्री ने प्रथम अनुपूरक प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह असंतोषजनक ही नहीं वरन् उससे ज्ञात होता है कि सरकार का दृष्टिकोण दृढ़ नहीं है। औषधि निर्माता फर्मों के धीरे-धीरे भारतीयकरण करने के बारे में सम्भावतः सरकार का यह दृष्टिकोण है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो औषधियों सम्बन्धी कुछ उन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा जिनका उत्पादन अब विदेशी कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। अन्य विकसित देशों में ऐसा नहीं होता। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह औषध तथा भेषज उद्योग के क्षेत्र में अपने प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को आर्थिक तथा अन्य प्रोत्साहन देकर अपने ही देश में अनुसंधान कार्यों के विकास के लिये क्या कदम उठा रही है ? मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं जिससे...

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट उत्तर के लिये आपका प्रश्न भी स्पष्ट होना चाहिये।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरा प्रश्न यह है कि यदि सरकार औषधि तथा भैषज उद्योग का शीघ्रता से भारतीयकरण नहीं करना चाहती और वह इस कार्य को धीरे धीरे करना चाहती है तो उसने भारतीय वैज्ञानिकों को आर्थिक तथा अन्य प्रोत्साहन देकर क्या ठोस कदम उठाए हैं जिससे उसे यह आशंका न रह कि अनुसंधान सम्बन्धी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा।

श्री देवकान्त बरुआ : मुझे वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है; मैंने इस पर विचार नहीं किया है। किन्तु जहां तक अनुसंधान कार्य का सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स में एक सुव्यवस्थित अनुसंधान केन्द्र है तथा आई० डी० पी० एल० स्थित अनुसंधान केन्द्र भी सराहनीय कार्य कर रहा है। वास्तव में हम हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स में किये जा रहे भारतीय अनुसंधान कर्ताओं की कुछ उपलब्धियों का विक्रय भी कर रहे हैं। विदेशी पूंजीवाली कम्पनियां तथा भारतीय कम्पनियां –दोनों ही किसी न किसी सीमा तक अनुसंधान कार्य में रुचि रखती हैं। इसके अतिरिक्त औषधि अनुसंधान संस्थान तथा सी० एस० आई० आर० भी हैं। ये सभी संस्थान अनुसंधान कार्य करते हैं। औषधि सम्बन्धी अनुसंधान कार्य न केवल अधिक खर्चीला है वरन यह अनेक परीक्षणों पर आश्रित है। अतः इसमें बहुत समय लगता है। इस देश की जनता अथवा किसी भी देश की जनता किसी नई औषधि के लिये बहुत दिनों तक

प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अत: कभी-कभी हमें कुछ नई औषधियों को हमारे अनुसंधान कार्यों को पूरा होने से पूर्व ही स्वीकार करना पड़ता है। किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि हमारे अनुसंधानों को रद्द कर दिये जाएगा... (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : (रोंग एमड टोंग) नितांत गलत (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको आगे प्रश्न पूछने से केवल इसी प्रकार रोका जा सकता है।

श्री देवकान्त बरूआ : उन्होंने कहा रोंग एमड टोंग। इसमें लय अवश्य है किन्तु औचित्य बिल्कुल नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपको संतुष्ट हो जाना चाहिये। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है।

Shri Madhu Limaye : In the last part of his statement in hon. Minister has said that progressive reduction of foreign equity participation with corresponding increase in the Indian share holding is imposed when they are allowed expansion of their manufacturing activities. Under the provision of a circular issued by the Government some year ago all the companies were permitted to expand 25 per cent of their production without imposing any conditions. May I know whether Government have made any phased programme for the indianisation of the foreign drug manufacturing companies, and if so, the time by which it is likely to be completed?

Shri D. K. Borooah : Now we get a legislation on foreign exchange. Therefore, all the companies will have to abide by it, earlier, the applicants were asked to dilute foreign equity and to go step by step. At the time of issuing the licence we reduced the foreign equity from 75 per cent to 60 per cent in certain cases and from 60 per cent to 50 percent in certain other cases. Secondly, a condition was imposed that some part of the production would have to be exported. Thirdly they will have to give 30 per cent or 50 percent of their production to the small formulation because of the fact that they would not be able to make formulation fully.

कलकत्ता और दिल्ली के बीच चलने वाली मेल गाड़ी का रास्ता बदलना

*231. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और कलकत्ता के बीच बरास्ता डाल्टन गंज (पालामाऊ) चलने वाली किसी मेल गाड़ी का रास्ता बदलने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) यातायात सम्बन्धी औचित्य के प्रश्न के अलावा दिल्ली/नयी दिल्ली-हवड़ा/सियालदह के बीच चलने वाली डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में से किसी गाड़ी का डालटनगंज के रास्ते मार्ग परिवर्तन करना इस समय लाइन क्षमता पर अधिक दबाव और मार्गवर्ती खण्डों पर रफ्तार पर प्रतिबंध के कारण व्यावहारिक नहीं है और इस प्रकार मार्ग परिवर्तन करने से सीधे जाने वाले लम्ब सफर के यात्रियों को अधिक किराया देना पड़ेगा और उनका यात्रा समय भी बढ़ जायेगा।

कुमारी कमला कुमारी : मुझे कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना है।

Shri Chandrika Prasad : Mr. Speaker, Sir . . .

Mr. Speaker : She, who has tabled the Question, is satisfied. Why should you not be satisfied?

Shri Chandrika Prasad : There are several mail trains from Delhi to Howrah on the main route via Allahabad and Mugal Sarai. But no direct train service is available from Delhi to Howrah via Banaras. Deluxe trains run, twice-thrice in a week. May I know whether he would be pleased to run any one of the mail trains direct from Delhi to Howrah via Banaras?

Shri L. N. Mishra : The main question relates to Daltonganj and not to Banaras. I will give him this information later on if he tables this question.

Shri Shankar Dayal Singh : The answer of the hon. Minister is quite unsatisfactory. If you kindly look at the map of the Bihar State, you would find that it is divided into two parts, north Bihar and south Bihar. Palamau (Daltonganj) is situated in south Bihar. Both the Government and the Railways have neglected south Bihar completely. In view of this position may I know the reasons for not starting a new train or diverting the route of any of the existing trains via Daltonganj so that the people of Orissa and Madhya Pradesh States would be benefited?

Shri L. N. Mishra : So far as south Bihar is concerned, train service is available via Dehri-on-Son and Gomo-also. It is not a fact that there is no mail trains in south Bihar. As I have said in the main reply, it is not possible to start a new train due to strained line capacity in view of the fact that frast trains can not be run on this line. Unless the traek is changed and improved fast trains can not be run on it.

Sri Shankar Dayal Singh : I have based my demand on the fact that it is tribal and backward area. It is in policy of the Government to give priority to these areas. How it it that even a demand for a train to this region is not fulfilled. How then, can any relief be given to this area.

Mr. Speaker : Let me please now go ahead.

गुंटकल-सिकन्दराबाद लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*232. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटकल-सिकन्दराबाद लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में रेलवे बोर्ड ने कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) चूंकि मोजूदा मीटर लाइन जो उत्तर और दक्षिण की मीटर लाइन प्रणालियों के बीच एक सम्पर्क है, को त्यागना सम्भव नहीं होगा इसलिए गुंतकल्लु और सिकन्दराबाद के बीच अलग से एक बड़ी लाइन बनाने के लिए 12-7-1973 को यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दी गयी। बड़ी लाइन के इस रेल सम्पर्क के निर्माण के बारे में आगे विचार तब किया जायेगा जब सर्वेक्षण का काम पूरा हो जायेगा और उसकी रिपोर्ट की सभी दृष्टियों से जांच कर ली जायेगी ।

श्री के० कौडंडा रामी रेड्डी : रेलवे बोर्ड ने इस यातायात सर्वेक्षण के लिये आदेश देने में कितना समय लिया तथा यातायात सर्वेक्षण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और प्रतिवेदन मिलने के पश्चात् अन्य बाधाओं को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं बता चका हूँ कि दिनांक 12 जुलाई, 1973 को यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई थी तथा यह कार्य पूरा हो जाएगा। मैं निश्चित तिथि नहीं बता सकता किन्तु इस कार्य को पूरा होने में 9 महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिये ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मंत्री महोदय के उत्तर से प्रतीत होता है कि सरकार गुंटक्कल से सिकंदराबाद तक एक पृथक बड़ी रेलवे लाइन बनाना चाहती है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि बंगलोर-गुंटाकल मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा चुका है तथा गुंटाकल और सिकंदराबाद के बीच की यह लाइन उस बृहद योजना का भाग है जिसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की राजधानियों के बीच की रेलवे लाइन बनाई जाती है। इस स्थिति में क्या मंत्री महोदय इस सम्पूर्ण मामले को खटाई में डालने बजाय शीघ्रता से क्रियान्वित करायेंगे क्योंकि रायलसीमा पिछड़े क्षेत्र में यही एक रेलवे लाइन है। तथा इस क्षेत्र में रेल सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाएं बहुत कम है तथा उसकी उपेक्षा की गई है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : गुंटाकल-बंगलौर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदल जाने का कार्य 1976 तक पूरा हो जाएगा। जहां तक गुंटाकल-सिकंदराबाद लाइन के बदले जाने की बात है मैं कह चुका हूँ कि इससे सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्य आगामी 9 महीनों में पूरा हो जाएगा तथा हमारा प्रयत्न है कि यह कार्य शीघ्रता से पूरा हो जाए।

श्री एम० एस० संजीवीराव : श्री वेंकट सुब्बया के सुझाव पर बल देते हुए मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि रेलवे के लिए उत्तर और दक्षिण के बिच विजयवाडा सबसे बड़ी कठिनाई है। गुंटाकल और हैदराबाद के बिच रेलवे लाइन बनने के बाद दिल्ली से दक्षिण भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बन जाएगा। क्या मंत्री महोदय इस परि योजना को शिघ्रता से पूरा करने के लिए कार्यवाही करेंगे ?

श्री मुहमद शफी कुरेशी : यह एक सुझाव है।

भारतीय विधि संस्थान के कार्यों की जांच करने के बार में जांच समिति

*233. **श्री आर० वो० बड़े :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधि संस्थान के कार्यों की जांच करने के बारे में एक जांच समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गई थी; और

(ग) इतने विलम्ब के बाद भी इस समिति ने अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं दी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को ध्यान में रखते हुए उस संस्थान की उपलब्धियों और उसके कार्यों का पुनर्विलोकन करन के लिए अगस्त, 1971 में एक समिति गठित की गई थी।

(ग) समिति की कुछ आरम्भिक बैठकें हुई जिनमें संस्थान के संबंध में एक प्रश्नावली तैयार की गई। समिति ने पुनर्विलोकन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर भी विचार विमर्ष किया। इसके बाद, समिति ने संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री की जांच करने के लिए कुछ और बैठकें कीं, किन्तु एक सदस्य की मृत्यु हो जाने और समिति के कार्य के लिए किसी अन्य सदस्य के उपलब्ध न होने के कारण, जांच का काम पूरा नहीं हो सका। कार्य को यथासंभव शीघ्र पूरा किए जाने के लिए कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है।

Shri R. V. Bade : Who are the members of this committee and what are the terms of its reference?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : यह कोई औपचारिक रूप से गठित की गई समिति नहीं है । चूंकि सरकार भारतीय विधि संस्थान को पर्याप्त अनुदान देती है अत: सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे निकायों के कार्यों की जांच करे जिन्हें काफी मात्रा में अनुदान दिया जाता है । अत: संस्थान के कार्यकरण की जांच हेतु 1971 में एक समिति अनौपचारिक रूप से गठित की गई थी। मैं भी उस समिति का सदस्य था किन्तु मैं गैर सरकारी सदस्य था। जब मैंने अपना यह पद संभाला तो समिति को पुर्नगठित करना पडा। इसके अतिरिक्त, एक सदस्य सेवानिवृत्त हो गया और दूसरे ने त्याग पत्र दे दिया। उच्चन्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश को भी समिति का सदस्य बनाया गया। समिति के पुनर्गठित होने के बाद एक सदस्य की मृत्यु हो गई और बाकी सदस्य अपना कार्य पूरा करने की स्थिति में नही थे। यही कारण है कि वह अपना कार्य अब तक पूरा नहीं कर पाए और हमें आशा है कि जितनी जल्दी संभव होगा यह कार्य पूरा किया जाएगा।

श्री आर० वी० बडे : मैंने समिति के सदस्यों के नाम तथा उसके निदेश पदों के बारे में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक एक करके सबही प्रश्न पूछिए।

श्री आर० वी० बड़े : मैं यह जानना चाहता हूं कि समिति के अन्य सदस्य कौन कौन से है तथा वे समिति की बैठकों में भाग क्यों नही ले रहे?

श्री नीतिराजसिंह चौधरी : मूल समिति 1970 में गठित की गई। श्री ए० एस० चौधरी जो तब उप सचिव और विधि परामर्शदाता थे, श्री एस० एस० नामक जोकि उस समय विधि मंत्रालय में आंतरिक वित्तीय सलाहकार थे, श्री एन० डी० सिन्हा, उपसचिव श्री आर० एन० शर्मा, भूतपूर्व न्यायधीश और श्री एच० आर० गोखले इस समिति के सदस्य थे। श्री गोखले मंत्री पद संभालने के बाद समिति के सदस्य नहीं रहे । श्री चौधरी सेवा निवृत्त हो गए और श्री एस० एस० नामक एक सरकारी उपक्रम में किसी काम पर चले गए और उन्होंने मंत्रालय छोड दिया। अगस्त 1971 में समिति पुनर्गठित की गई और श्री आर० एन० शर्मा भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय श्री डी० वी० पटेल, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट, श्री शेट्टी, उप सचिव और विधि परामर्श दाता श्री एच० बी० मूर्ति, उपसचिव और श्री एन० डी० सिन्हा, उपसचिव इसके सदस्य बने। दुर्भाग्यवश श्री एस० एस० शेट्टी की मृत्यु हो गई। श्री एन डी० सिन्हा पुराने सदस्य थे। श्री एच० बी० मूर्ति को कोई और कार्य सौप दिया गया। अत: समिति में केवल तीन सदस्य रह गए। संस्थान को साढे सात लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। जिसमें से वर्ष 1973–74 में डेढ लाख रुपया पहली किश्त के रूप में दिया जाएगा।

श्री आर० वी० बडे : इसके निदेश पद क्या है?

श्री नितीराज सिंह चौधरी : कोई निदेश पद नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : निदेश पदों के बिना समिति कैसे गठित की जा सकती है ?

श्री एच० आर० गोखले : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है । उन्हें विधि संस्थान की उपलब्धियों और कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन करना होता है । यही मुख्य उत्तर है।

श्री आर० वी० बडे : कब तक प्रतिवेदन प्राप्त होने की संभावना है ?

Shri Nitiraj Singh Chaudhury : First information was received from the Law Institute in 1971, Two years have gone by. Full information is being collected from them and they have been asked to submit this report as early as possible.

श्री पी० आर० शिनाय : इस समिति पर कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय पहले इस बारे में बता चुके है ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : इस समिति पर कुछ भी धन व्यय नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच है कि इस जांच समिति की नियुक्ति के समय कुछ विशिष्ठ निदेश पदों का उल्लेखन करने के कारण सरकार की कडी आलोचना की गई और उस आलोचन को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कुछ विशिष्ट निदेश पद निर्धारित करेगी ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : माननीय सदस्य का कहना ठीक नहीं है । निदेश पदों के संबंध में समिति की कोई आलोचना नहीं की गई और न ही उस धन के, जो उन्हें दिया गया है, उचित रूप से न व्यय करने पर आलोचना की गई है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं समाचार पत्र की रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है ।

Black Marketing of Gas Cylinders

***234. Shri Ishwar Chaudhry ;**

Shri G. P. Yadav;

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-paper reports that gas-cylinders are being sold in black-market in Delhi;

(b) whether this is being done with the connivance of the Officers and many other people; and

(c) if so, the steps being taken by Government to check this evil?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) सरकार अथवा भारतीय तेल निगम द्वारा दिल्ली में चोर बाजारी से गैस सिलैण्डर बेचने की कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Ishwar Chaudhri ; The hon. Minister has stated in his reply that no specific complaint has been received in this regard. It is a fact that the gas companies charge some premium from the licensed dealers for the supply of gas cylinders to them and they in turn charge 5 to 7 percent per cylinder from the consumers and thus the consumers do not get gas for months together? What action has been taken by the Government on Complaint received by it?

Shri Shahnawaz Khan ; We have not received any complaint, we shall look in to the matter when we receive such a complaint. In fact there was shortage of gas and we have taken certain steps to ensure quick supply of gas and I hope there will be no shortage of gas within next ten days and everybody's demand will be met.

Shri Ishwar Chaudhry : I appreciate the assurance given by the hon. Minister Will the hon. Minister hold an investigation to see if the consumer has to pay Rs. 10 as overcharge per cylinder and take stern action in this regard.

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D. K. Barooah); We will certainly look into the matter.

Shri Shahnawaz Khan ; If any hon. Member brings to our notice any specific complaint, we will make a thorough enquiry.

श्री परिपूर्णानन्द पेन्युली : गत चार माह से विशेषकर दिल्ली में तथा समान्यता देश के अन्य भागों में कितने व्यक्तियों के नाम गैस सिलिंडरों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज है ?

श्री शाहनवाज खां : इस समय निश्चित आंकडे मेरे पास उपलब्ध नही है । पर मैं बाद में यह जानकारी दे दूंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि जब भी किसी संसद सदस्य को गैस नही मिली वह संबद्ध मंत्री से संपर्क स्थापित कर गैस प्राप्त करने में समर्थ हुए। यह बात कहा तक सही है? और क्या जनता को गैस उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए गए है?

श्री शाहनवाज खां : मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि अगले 10 दिनों में किसी को दिल्ली में इस बारे में कोई शिकायत नहीं रहेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तेलशोधक कारखानों पर अशोधित तेल की सप्लाई में कमी का प्र ाव

*222. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल की सप्लाई में कमी का प्रभाव मद्रास तेलशोधक कारखाने और कोचिन तेलशोधक कारखाने पर पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बाते क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) और (ख) मद्रास शोधनशाला के लिए न तो खनिज तेल की कमी हुई है और न ऐसा होने की आशा है। नेशनल ईरानियम तेल कंपनी जिसके साथ सरकार ने डेरियस खनिज तेल की सप्लाई के लिए एक लम्बी अवधि के लिए करार किया है, वह मद्रास शोधनशाला को उसकी क्षमता एवं करार के अनुसार खनिज तेल की सप्लाई कर रही है। जब कि कोचीन शोधनशाला के 1974 के लिए खनिज तेल की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है लेकिन मेसर्स ट्रिटोन शिपिंग कंपनी द्वारा खनिज देल परिवहन करार का एक पक्षीय रुप से निराकरण करने के कारण इस शोधनशाला के लिए खनिज तेल को पहुंचाने के लिए उपयुक्त टैंकर प्राप्त करने में बाधाएं आ रही है। करार की शर्तों के अनुसार कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है। एक माल-संविदा करार पर हस्ताक्षर किए गए है और इससे यह आशा की जाती है कि वर्ष 1974 के दौरान इस शोधनशाला की क्षमता को पूर्ण रुप से उपयोग करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी ।

Doubling of Railway line between Delhi and Bombay Via Mathura

*223. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Railline between Delhi and Bombay via Mathura, Sawai Madhopur, Kota, Ratlam and Baroda on the Western Railway is being doubled;

(b) if so, the progress made in this regard so far; and

(c) the time by which it would be completed?

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c) On the Delhi-Bombay line via Mathura and Baroda, double line to the extent of 1022 km is already available, Doubling of about 207 km is in progress and doubling of another 153 km is under sanction. With this doubling, which is expected to be completed in stages by 1977-78 subject to the availability of the requisite funds and materials, the entire route will be double line excepting for four bridges across important rivers and one tunnel.

हरियाणा में जवाहरलाल नेहरू नहर परियोजना

*225. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा सरकार के जवाहरलाल नेहरु नहर परियोजना संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ! और

(ख) यदि हां, तो उसपर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) परियोजना प्रतिवेदन को, जिसमें 144,000 हैक्टेयर की सिंचाई के लिए 30 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत का उल्लेख किया गया है, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में तकनीकी जांच की जा रही है ।

पेट्रोल और मिट्टी के तेल के उत्पादन में कमी करना

*226. **श्री श्री किशन मोदी :**

श्री सी० जनार्दन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोल और मिट्टी के तेल का देश में उत्पादन में 25% कम करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सभी पट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन में और कमी करने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस बारे में राज्य सरकारों की सलाह ली है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरूआ) : (क) और (ख) विश्व बाजार में कच्चे तेल तथा पट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण इन पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक समझा जाता है। आरम्भ में आने वाले वर्ष में मोटर गैसो-

लिन और मिट्टी के तेल के उपभोग में 25% तक की कमी का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शोधनशालाओं में इन पदार्थों के उत्पादन संमजित किया जा सकता है ।

(ग) अन्य सभी पेट्रोलियम पदार्थों के उपभोग की समस्त अर्थ व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है ।

(घ) जहां आवश्यक होता है, राज्य सरकारों से भी उपयुक्त समय पर विचार विमर्श किया जाता है ।

समाचारपत्रों के स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण के बारे में रिपोर्ट

*228. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या विधि, **न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने समाचारपत्रों के स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण के बारे में अपनी राय सरकार को दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) अभी कोई राय नहीं दी गई है। किन्तु सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। मामला अभी विचाराधीन है ।

कावेरी बेसिन में सिंचाई कार्य प्रारंभ करना

*229. **श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा वीर बासप्पा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कावेरी बेसिन में सिंचाई कार्य प्रारंभ करने की मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कावेरी डेल्टा में जल के बहाव का निर्धारण करने के लिए कोई स्थायी आयोग स्थापित किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) योजना आयोग ने चौथी योजना के दौरान कावेरी बेसीन में निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाएं स्वीकार की है :—

कर्नाटक

1. मनचनाबेले बहूदेश्यीय जलाशय परियोजना
2. तराका जलाशय परियोजना
3. सागरे डोडाकेरे जलाशय परियोजना
4. गुंडाल जलाशय परियोजना
5. वोट होले सिंचाई परियोजना

तमिलनाडु

1. परप्पालर जलाशय
2. पलार पोरनदलर
3. चिन्नार जलाशय
4. पोन्नानियार जलाशय
5. नन्दन चेनल की मरम्मत

(ख) कारी जल से संबंधित मामलों पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के मुख्य-मंत्रियों द्वारा मई, 1973 में हुई विचार-विमर्श के दौरान किए गए निर्णय के अनुसार कावरी जल, बसिन में स्थित परियोजनाओं और जल समुपयोजन से संबंधित सभी सम्बद्ध आंकड़ों को एकत्र करने के लिए भारत सरकार ने एक तथ्यान्वयी समिति नियुक्त की थी। तथ्यान्वेषी समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1972 में प्रस्तुत कर दी थी।

अप्रेल, 1973 में इस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, जैसे कि मुख्य मंत्रियों ने इच्छा व्यक्त की थी, कृषिगत तथा सिंचित क्षेत्र आदि के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा दिए गए आंकड़ों का पुनरावलोकन करने तथा अपेक्षित जांच करने के लिए मई, 1973 में समिति पुनः गठित की गई थी। समिति ने अगस्त, 1973 में अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री और केरल तथा तमिलनाडु के मंत्रियों और केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री ने 9 और 10 अक्तूबर, 1973 को इस समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया। इस विचार-विमर्श से यह पता चला कि कावेरी जल संबंधी विवाद को आपसी बातचीत द्वारा सुलझाना संभव हो सकता है। विचार-विमर्श के दौरान, राज्यों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वर्तमान जल समुपयोजन तथा नई परियोजनाओं में परिकल्पित किफायत करना आवश्यक है। राज्यों ने यह इच्छा व्यक्त की कि भारत सरकार जल के समुपयोजन में कितनी किफायत कर सकती है, इसका अध्ययन करे। ये अध्ययन किए जा रहे हैं।

बिहार में तापीय बिजली घर स्थापित करना

*230. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में गया के निकट तापीय बिजली घर स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) भारत सरकार के सम्मुख ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचनों में उम्मीदवारों द्वारा किया गया व्यय

*235. **श्री पीलू मोदी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1971 तथा 1972 में संसद् तथा विधान सभाओं के लिए हुए अलग-अलग निर्वाचनों में और वर्ष 1967 में संसद् तथा विधान सभाओं के एक साथ हुए निर्वाचनों में उम्मीदवारों ने, निर्वाचन आयोग को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, कुल कितना धन व्यय किया था ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : : 1971 और 1972 में संसद् तथा विधान सभाओं के लिए हुए पृथक निर्वाचनों में और 1967 में संसद् तथा विधान सभाओं के लिए एक साथ हुए निर्वाचनों में उम्मीदवारों द्वारा किया गया कुल व्यय निम्न प्रकार था :—

निर्वाचन का प्रकार और वर्ष	उम्मीदवारों द्वारा किए गए निर्वाचन व्यय की रकम
	रु०
1. साधारण निर्वाचन, 1967 लोक सभा . .	1,11,13,183.66
2. साधारण निर्वाचन, 1967 विधान सभा . .	3,45,87,766.73
3. साधारण निर्वाचन, 1971 लोक सभा .	2,59,26,635.53
4. साधारण निर्वाचन, 1972 विधान सभा . .	6,09,84,807.38

उपयुक्त व्यय में उन उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय की रकम शामिल नहीं है जिन्होंने अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं किए। इसके अतिरिक्त 1967 में एक साथ हुए साधारण निर्वाचनों की बाबत दर्शाए गए कुल व्यय में उन उम्मीदवारों द्वारा किए गए निर्वाचन व्यय की रकम शामिल नहीं है जिन्होंने बिहार राज्य से इन निर्वाचनों को लड़ा था क्योंकि इस बारे में जानकारी अभी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भेज जाने की प्रतिक्षा है।

आसाम के नाहरकटिया क्षेत्र में गस निक्षेपों का पता चलना

*236 **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आसाम के नाहरकटिया क्षेत्र में "हाई प्रेशर पट्रोलियम गैस" का भंडार पाया गया है ;

(ख) गैस निक्षेपों की मात्रा के बारे में सही अनुमान क्या है ;

(ग) क्या इस खोज से उस क्षेत्र में काफी पेट्रोलियम निक्षेप मिलने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में तेल संशोधन की और खोज करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) जी हां।

(ख) केवल एक कप जिसका कार्य पूरा कर लिया गया है के बारे में इतनी जल्दी गैस के भंडार की सीमा का अनुमान लगाना उचित नहीं है।

(ग) इस बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस क्षेत्र में किए गए अतिरिक्त व्यधन कार्यों के परिणामों को देखना होगा।

(घ) अगले वर्ष से व्यधन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए योजना है।

भोजूडीह (दक्षिण पूर्व रेलवे) स्थित रेलवे हाई स्कूल में अपेक्षित योग्यता न रखने वाले अध्यापक की भर्ती/पदोन्नति

*237. **श्री मुहम्मद इस्माईल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोजूडीह स्थित रेलवे हाई स्कूल में अपेक्षित योग्यता न रखने वाले कुछ अध्यापकों को भर्ती किया गया है अथवा पदोन्नति किया गया है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान इस प्रकार की अनियमितताओं की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में मियाभाय न्यायाधिकरण की सिफारिशें

*238. **श्री रोबिन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में सरकार ने मियाभाय न्यायाधिकरण की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें क्रियान्वित करने के लिए भी कोई कदम उठाये गये है और क्या इस बारे में किसी शिकायत की जांच करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या विशेषकर दक्षिण मध्य रेलवे में इन सिफारिशों को लागू न किये जाने के बारे में कोई शिकायतें की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक बयान सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें स्थिति बतायी गयी है ।

(ख) वतमान तंत्र को और सक्रिय कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नैमित्तिक मजदूरों के नियोजन के विषय में वर्तमान नियमों और हिदायतों का कोई उल्लंघन हो रहा हो तो उसके सम्बन्ध में कार्रवाई की जा सके और उसे अविलम्ब दुरुस्त किया जा सके ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

नैमित्तिक मजदूरों के सम्बन्ध में रलवे श्रम अभिकरण (मियाभाय) 1969 की सिफारिशें	वर्तमान स्थिति
1. शिकायत के सम्बन्ध में बोर्ड को तत्काल ही निदेश जारी कर देने चाहिए ताकि "नैमित्तिक श्रमिक" की परिभाषा से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन न हो और उनमें जो भावना निहित है उसका सही ढंग से निर्वाह किया जाय । यह देखने के लिए भी बोर्ड द्वारा	स्वीकृत

उपयुक्त तंत्र गठित किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त नियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन किये जाने पर उन्हें तत्काल सही कर लिया जाये। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि नैमित्तिक श्रमिकों को नियुक्ति कार्ड जारी किये जायें ताकि सेवा की निरन्तरता का साक्ष्य नष्ट न हो सके।

2. इस सम्बन्ध में निश्चित हिदायतें जारी की जानी चाहिए कि सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त स्थानीय दरों को ही उस इलाके में, जहां से वे प्राप्त हुई हों, काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को भुगतान के लिए स्वीकार किया जाये और विभिन्न दरों को तालिकाबन्द करके एक कृत्रिम दर निकालने की प्रक्रिया, जो एक मण्डल में प्रचलित है, का पालन नहीं किया जाना चाहिए। — स्वीकृत

3. यदि किसी कारणवश डेढ़ वर्ष से अधिक अवधि के लिए स्थानीय दरें ज्ञात नहीं की जाती या नहीं की जा सकती तो नैमित्तिक श्रमिकों को तदनुरूपी रेल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम समय वेतनमान के 1/30 की दर पर भुगतान किया जाना चाहिए। — स्वीकृत

4. (i) अस्थायी हैसियत अर्जित करने के लिए न्यूनतम सेवा की अवधि छः महीने की बजाय चार महीने निश्चित की जानी चाहिए। — स्वीकृत

(ii) यदि कोई नैमित्तिक श्रमिक 31 मार्च को स्वतः समाप्त होने वाले निर्माण कार्यों पर नियुक्त हो तो, उसकी सेवा में कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा बशर्ते कि उस काम के लिए बाद में मंजूरी मिल जाये और नैमित्तिक श्रमिक, जिन्हें काम पूरा करने के लिए लगाया जाये, वही हो, और बशर्ते कि किसी भी नैमित्तिक श्रमिक को अस्थायी रेल कर्मचारी की हैसियत अर्जित करने से वंचित करने के लिए किसी कार्य पर काम करने से रोका नहीं जाना चाहिए। — स्वीकृत

5. अनुसूचित श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए नियमावली के वर्तमान उपबन्ध को निकाल कर उसके बदले एक नयी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जिससे अनुसूचित श्रमिक मजदूरी भूगतान के मामले में अनुसूचित श्रमिकों के समान स्तर पर आ जायें अर्थात् यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि अनुसूचित श्रमिकों को भी या तो स्थानीय दर मिले या, उसके सुलभ न होने पर, वेतनमान दर मिले। यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि इन दरों में से प्रत्येक दर न्यूनतम से कम हो तो अनुसूचित श्रमिकों को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निश्चित की गयी न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। — स्वीकृत

6. परियोजना नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में नियमावली में की गयी व्यवस्था में इस प्रकार संशोधन किया जाये कि उसमें ऐसी व्यवस्था हो जा कि ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों को भी, वतनमान दर से स्थानीय दर से अधिक होने की दशा में, वेतनमान दर दी जायेगी, बशर्ते कि परियोजना नैमित्तिक श्रमिकों को छः महीने की निरन्तर अवधि के लिए उसी किस्म के काम पर लगाया जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय के फलस्वरूप किसी परियोजना नैमित्तिक श्रमिक को न तो अस्थायी कर्मचारी की हैसियत मिलेगी और न ही उसे किसी भावी वेतन-वृद्धि का लाभ मिलेगा। — सरकार के विचाराधीन है।

7. यदि नैमित्तिक श्रमिकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की गयी न्यूनतम मजदूरी के आधार पर वेतन दिया जाये तो, यदि ऐसी न्यूनतम मजदूरी के निश्चित किये जाने के बाद जीवन-यापन की लागत के सूचकांक में कोई अन्य भावी वृद्धि हो तो, उस भावी वद्धि को उन्हीं शर्तों और वेतनमान के अनुसार, जिनकी सिफारिश महंगाई भत्ता आयोग ने की है, नैमित्तिक श्रमिकों को निष्प्रभावन देकर, निष्प्रभावित किया जाना चाहिए । सरकार के विचाराधीन है ।

दोष पूर्ण वितरण के कारण राजधानी में कुकिंग गैस और मिट्टी के तल की कमी

*239 **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में दोषपूर्ण वितरण के कारण कुकिंग गैस और मिट्टी के तेल की कमी रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) और (ख) राजधानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल कम्पनियों के साथ मिट्टी के तेल की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद कुछ स्थानों से मिट्टी के तेल की स्थानीय कमी की शिकायतें प्राप्त हुई थी । दिल्ली प्रशासन के साथ परामर्श के साथ 17 नवम्बर, 1973 से दिल्ली में तेल कम्पनियों के 45 फुटकर मिट्टी के तेल के पम्पों से मिट्टी के तेल की फुटकर बिक्री के सम्बन्ध में व्यवस्थायें की गयी थीं । अब वह सर्वत्र उपलब्ध है तथा अब कमी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । जहां तक ईंधन गैस का सम्बन्ध है, राजधानी में वर्तमान कमी कुछ संयुक्त तथ्यों जैसे हड़ताल, धीरे धीरे काम करना, भार एवं अनुशासन भंग आदि एक के बाद एक घटनाएं घटने के कारण हुई । तब से गत सप्ताह में कोयाली शोधनशाला से नियमित रूप से सप्लाई हो रही है तथा इस सप्ताह के अन्त तक सामान्य स्थिति हो जाने की आशा है ।

उत्तर कनारा जिले की नदियों से जलविद्युत उत्पादन

*240. **श्री वी० वी० नायक :** क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम की ओर बहने वाली उत्तर कनारा जिले की सभी नदियों से पांचवीं योजना में जल-विद्युत पैदा करने के लिए योजनाएं तैयार की जा चुकी है ;

(ख) क्या विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में केन्द्र को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; यदि हां, तो उनका संक्षिप्त विवरण क्या है ; और

(ग) इन कठिनायों को दूर करने के लिए केन्द्र का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) कर्नाटक राज्य के उत्तरी कनारा जिले की पश्चिम-प्रवाही नदियों पर विद्युत विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें पांचवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की गई हैं :—

स्कीम का नाम	क्षमता (मैगावाट)
1. शरावती	178
2. कालीनदी—चरण-एक	270
3. कालीनदी—चरण-दो . .	640
4. लिंगनामक्की बांध बिजली घर	55

बेड टो नदी पर 220 मैगावाट की एक स्कीम की जांच हो रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कालिदी परियोजना के लिए सहायता

*241. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कालिदी परियोजना पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु वित्तीय सहायता देने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है क्योंकि राज्य को 1982 में पुनः संकट का सामना करना पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) जी हां, । केन्द्रीय सरकार ने कालिदी जल-विद्युत परियोजना के चरण–एक के कार्यान्वयनार्थ 1972–73 के दौरान विशेष सहायता के रूप में 10.37 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी। 1973–74 के वर्ष के दौरान 11.89 करोड़ रुपये तक की धनराशि देने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि चौथी योजना के लिए विद्युत कार्यक्रमों पर व्यय में से राज्य का पूर्ण भाग व्यय किया जा चुका हो।

गरीबों को कानूनी सहायता देने के लिए वकीलों का दल नियुक्त किया जाना

2203. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में पिछड़ी हुई जातियों के लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु पिछड़ी जातियों के वकीलों का एक दल नियुक्त करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : जी नहीं।

मद्रास के लिये भूमिगत द्रुत परिवहन सेवा (अंडरग्राउंड रॅपीड ट्रांजिट सर्विस)

2204. **श्री एस० डी० सोम सुन्दरम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने मद्रास में भूमिगत द्रुत परिवहन सेवा के लिये सर्वेक्षण कार्य को तेज़ी से करने हेतु कोई कार्यवाही की है ताकि पांचवीं योजना अवधि के दौरान परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ हो सके ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : रेलवे के महानगर परिवहन परियोजना संगठन मद्रास ने राज्य सरकार के यातायात एकक द्वारा सुलभ की गयी सामग्री के आधार पर अपनी यातायात सम्बन्धी जांच-पड़ताल पूरी कर ली है। यातायात की स्थिति और उसके हल के बारे में एक प्रारम्भिक रिपोर्ट महानगर परिवहन परियोजना संगठन द्वारा दे दी गयी है। रिपोर्ट पर रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में विचार हो रहा है और पांचवीं योजना की अवधि में इस सम्बन्ध में आगे की जाने वाली कार्रवाई के बारे में योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जायेगा।

Railway Hospitals and Health Units in Madhya Pradesh

2205. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the Railway stations in Madhya Pradesh where Railway Hospitals and Health Units have been set up for employees and the kind of facilities made available there in..

(b) the number of employees working in each station; and

(c) the distance between Burhanpur Railway station and the Divisional Hospital?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) Information is given in the statement attached. [*Placed in the library, See No. Lt-5813/73*]

(c) The distance between Burhanpur Rai way Station and the nearest Divisional Hospital at Bhusawal is 54·57 kms.

Clearance of Power Project in M. P.

2206. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) Whether the Madhya Pradesh Government have recently urged the Central Government to clear the power projects awaiting their sanction; and

(b) if so, the Central Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad) : (a) The Madhya Pradesh authorities have requested for early clearance of the Korba West Bank Thermal Power Station Scheme.

(b) The scheme has since been cleared by the Advisory Committee of the Planning Commission for irrigation, flood control and power Projects.

Construction of shed on the Platform of Khirkiya Railway Station (Central Railway)

2207. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a shed has been constructed on one platform only of Khirkiya Railway Station (Central Railway) and there is a demand for construction of a shed on the other platform also;

(b) whether Government propose to construct the shed on the other platform also; and

(c) if so, when and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) There is demand for shed on the Up platform only, as cover has recently been provided on the Down platform. At present the maximum number of passengers dealt with at any one time at Khirkiya Railway Station is 200. To meet the requirements of traffics covers over platforms measuring 41·8 Sq. M. (450 S.ft.) on the Up side and 209 Sq. M (2250 S.ft) on the Down side already exist, which are considered adequate.

Electrification of Villages in East Nimar District of Madhya Pradesh

2208. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of villages electrified so far in Khadkar Kala and Savil Blocks in East Nimar district of Madhaya Pradesh and the names of villages which are proposed to be electrified during the current financial year;

(b) whether the villages situated on Khoknar-Derhatabhai main road are also propsed to be electrified during this year; and

(c) if so, the what time?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) to (c) 22 villages in Khaknar Block of East Nimar district in Madhya Pradesh have been electrified. The State Electricity Board proposes to electrify 12 villages during the current financial year. The details of the villnges are given in the statement attached. The villages situated on Khoknar-Derhatabhai main road are included in this number. Sewal is a village in Khaknar Block and not a separate block. It has already been eletrified.

Statement

Villages Electrified/to be Electrified in Khaknar Block

Villages electrified	Proposed to be electrified during the current financial year.
1. Chadli	1. Hasinabad
2. Ratagarh	2 Doifodia
3. Borsar	3. Sai Khera
4. Badgaon	4. Khaknar Khurd
5. Sarola	5. Nimandhad
6. Shikarpura	6. Manjrodhkhurd
7. Sindkhera	7. Tukaithad
8. Hanumatakhera	8. Rai Talai
9. Mahalgurara	9. Balanath
10. Gulari	10. Dad Talai
11. Sirpur	11. Khadnar Kalan
12. Sindkhera-Khurd	12. Tejanpur
13. Nimapur	
14. Hyderpur	
15. Raigaon	
16. Sewal	
17. Hirara	
18. Palasun	
19. Andharwadi	
20. Badikhera	
21. Dabia Khera	
22. Bhat Khera	

Non-Grant of Average Pay Leave and Casual Leave to Switchmen of Bhusawal Division (Central Railway)

2209. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of Switchmen in Bhusawal Division who took leave on average pay and Casual Leave during the years 1972 and 1973 and the reasons for not granting leave to other employees and

(b) the number of such Siwtchmen who sent intimation of their illness and the number of days for which they were ill and the reasons for so many cases of illness ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) 258 and 255 Switchmen in Bhusawal Division took leave during the years 1972 and 1973 respectively. There were no cases when leave was not granted. However, there were cases where staff had to wait on account of acute position.

(b) 172 Switchmen reported sick during the year 1972 when 5353 man-days were lost on this account. 150 Switchmen have so far reported sick in the year 1973 and 4241 mandays have been lost.

Reasons for sickness in most cases was normal illness.

रामपुरा, दिल्ली में रेलवे स्टेशन की व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव

2210. **श्री हरी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली रोहतक रेल लाइन पर रामपुरा दिल्ली में रेल्वे स्टेशन नहीं है जिसके कारण आस-पास की अनेक कालोनियों के लगभग 3,00,000 निवासियां की बहुत असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार रामपुरा, दिल्ली में कब तक स्टेशन की व्यवस्था करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) दयाबस्ती और शकूरबस्ती स्टेशनों के बीच रामपुरा में नया स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गयी थी । इसे मंजूर नहीं किया जा सका क्योंकि कोई नया स्टेशन सामान्यत: तब तक नहीं खोला जाता जब तक कि ऐसे नये स्टेशन और उसके इधर-उधर के स्टेशनों के बीच की दूरी कम से कम 5 कि० मी० न हो । इस मामले में यह दूरी क्रमश: 2.00 कि० मी० और 2.25 कि० मी० है । इस क्षेत्र में सड़क सेवाऐं पर्याप्त है । इस खंड की पूरी क्षमता का उपयोग हो रहा है और नये स्टेशन का खोलना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

मेरठ जिले के मुरादग्रामपुर गांव में गलियों में बिजली लगाना

2211. **श्री हरी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री मेरठ जिले के मुरादग्रामपुर गांव में गलियों में बिजली लगाने के बारे में 28 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4526 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (हापुड़) ने उपर्युक्त गांव में गलियों में बिजली लगाने का कार्य इस बीच पूरा कर लिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या गांव के बाकी आधे भाग को घरेलू कनेक्शन दिए गए हैं ; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त का कार्य शीघ्रता से पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मुरादग्रामपुर जिला मरठ के ग्राम प्रधानने गलियों में 25 बिजली कनेक्शन लगाने के लिए अपेक्षित धनराशि जमा करा दी थी। 25 कनेक्शनों में से 10 कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष इस महीने के दौरान दे दिए जाएंगे।

(ख) घरेलु कनेक्शनों के लिए केवल 12 उपभोक्ताओं ने करार पर हस्ताक्षर किए थे जिनमें से चार को पहले ही सम्प्लाई दे दी गई है। इस महीने के दौरान और चार उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन तैयार है और शेष पर कार्य प्रगति पर है।

(ग) इस कार्य के दिसम्बर, 1973 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है।

उत्तर रेलवे के दिल्ली-बिकानेर डिवीजन पर 1 नवम्बर, 1973 को रेल सेवाओं में बाधा

2212. **श्री सुख देव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली–बिकानेर डिवीजन पर 1 नवम्बर, 1973 को रेल सेवाओं में बाधा आई थी, और

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : :(क) और (ख) बिकानेर मंडल की गाड़ी सेवाएं इंजन कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण 30–10–73 से 3–11–73 तक अस्त-व्यस्त रहीं। ऐसा न होना इस बात पर निर्भर है कि कर्मचारी आकस्मिक हड़तालों से अलग रहें।

एरणाकुलम-त्रिवेंद्रम रेलवे लाइन पर व्यय की गई धनराशि और इसके निर्माण में प्रगति

2213. **श्री वायलार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्णाकुलम–त्रिवेंद्रम रेल्वे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के निर्माण कार्य में 1 नवम्बर, 1973 तक क्या प्रगति हुई है और इस पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ख) क्या निर्माण काय निर्धारित समयानुसार वर्ष 1975–76 में पूरा हो जायेगा और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कोल्लम और एर्णाकुलम के बीच सभी 13 पहुंच मार्गों पर मिट्टी डालने का और पुलों के गर्डरों को मजबूत करने का काम जारी है। रेल पथ में बड़ी लाइन के 63 गर्डर डाल दिये गये हैं और मीटर लाइन के 46 पुराने गर्डरों को मजबूत बनाया गया है। पाराबूर और वामनपुरम् में मुख्य पुलों की नींव गलाने का काम पूरा कर लिया गया है। कोल्लम और तिरुवनन्तपुरम् सेन्ट्रल के बीच दुसरे पुलों की उपसंरचनाओं को मजबूत करने / बनाने का काम जारी है। 16 नयी बाक्स पलियों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। 28 पाइप पुलिया बनायी जा चुकी हैं। बड़ी लाइन के लिए मार्ग साफ करने के वास्ते 9 ऊपरी सड़क पुलों और 4 ऊपरी पैदल पुलों को ऊपर उठाया गया है।

अक्तूबर, 1973 के अंत तक इस काम पर खर्च हुई कुल राशि 2.13 लाख रुपये हैं।

(ख) आशा है धन उपलब्ध होने पर यह काम मार्च, 1976 तक पूरा हो जायेगा।

देश में माल डिब्बे बनाने वाला कारखाना

2214. **श्री वायलार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में माल डिब्बे बनाने वाला एक अन्य कारखाना स्थापित करने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के मामले में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस कारखाने के स्थान के बारे में निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस कारखाने को केरल में स्थापित करने के लिये आवश्यक कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) किसी नये माल डिब्बा निर्माण कारखाने की स्थापना के लिए इस मंत्रालय का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एफ० ए० सी० टी० की उद्योग मंडल यूनिट के अन्तर्गत चल रहे संयंत्रों की उत्पादन क्षमता

2215. **श्री वायलर रवि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एफ० ए० सी० टी० की उद्योग मंडल यूनिट के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न संयंत्रों की क्षमता को संक्षिप्त करने की वजह क्या है और उत्पादन क्षमता के अनुपात में प्रत्येक युनिट की वास्तविक उत्पादन प्रति-शतता क्या है ; और

(ख) इन संयंत्रों की वास्तविक उत्पादन क्षमता के अनुपात में निरन्तर कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं और प्रत्येक यूनिट का वास्तविक उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) इस यूनिट के कुछ अनुभाग विशेषकर एसिड संयंत्र बड़े पुराने हैं इसलिए यह निर्धारित क्षमता अथवा उसक लगभग उत्पादन करने में समर्थ नहीं हुआ। इससे काफी हद तक अमोनिया का उपक्रम और उर्वरके का उत्पादन सीमित होगा। पूर्ण क्षमता क उपयोग में आने वाले तकनकी समस्याओं का पता लगाया गया है और बाधाओं को दूर करने के कुछ कार्यक्रम भी आरंभ किये गये हैं। इसके फलस्वरुप 1973-74 के पहले 6 महिने में इस यूनिट के कार्यकरण में क्षमता प्रयोग के रूपमें काफी सुधार हुआ है।

एक विवरण पत्र, जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है भी सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

उद्योगमंडल में प्लांट का नाम	क्षमता (मीटरी टन प्रतिवर्ष)	उत्पादन (मीटरी टनों में) 1972–73	उत्पादन (मीटरी टनों में) 1973–74 (अप्रैल–सितम्बर 73)	प्रयोग में लाये गये क्षमता की प्रतिशतता 1972–73	1973–74 (अप्रैल –सितम्बर, 73) (अनुपात)
1. अमोनियम सल्फेट	198,000	95,950	57,040	48.4	57.6
2. अमोनिया फास्फेट	171,500	51,220	37,140*	38.8	43.6
3. सुपर फास्फेट	49,500	20,170	17,040	40.7	68.9
4. अमोनिया क्लोराइड	24,750	8,270	4,770	33.4	38.5
5. अमोनिया	117,150	48,480	30,270	41.4	51.7
6. अल्फोरिक अम्ल	246,180	117,460	76,290	47.7	62.0
7. फास्फोरिक एसिड	41,250	12,230	8,070	29.6	39.0

(20:20:0 ग्रेड सम्मिलित हैं।)

बाधाओं को दूर करने के कायक्रम में अमोनिया संयंत्र–तीसरा स्तर, के लिए एक नये पम्प टरबाइन यूनिट की प्रतिस्थापना कार्य, फास्फेटिक एसिड प्लांट के लिए अतिरिक्त रिएक्टर, अमोनिया सल्फेट प्लांट के लिए जिप्सम को गाढ़ा करना, राक ग्रिनडिंग अनुभागों के लिए नये ग्रिनडिंग मिल, अमोनिया क्लोराइड प्लांट के लिए नये अपकेन्द्रित्र, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में सुधार कार्य आदि सम्मिलित है।

स्टाक जांचकर्ताओं के वेतन-मानों के पुनरीक्षण के मामले पर मध्यस्थता-बोर्ड का निष्कर्ष

2216. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लेखा विभाग के स्टाक जांचकर्ता के वेतनमानों के पुनरीक्षण का मामला संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के अन्तर्गत मध्यस्थता बोर्ड को सौंपा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) मध्यस्थता बोर्ड ने स्टाक सत्यापकों की कोटि के लिए 210–475 रुपये के वेतनमान की सिफारिश की है।

(ग) मध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिये गये निर्णय के कार्यान्वयन का प्रश्न विचाराधीन है।

कोचीन स्थित रेलवे स्टाफ स अभ्यावेदन

2217. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखानों / एफ० ए० सी० टी० साइडिंग, इरम्बानम स्थित रेलवे स्टाफ से प्राप्त अभ्यावेदन में (i) डाक–तार विभाग के कर्मचारियों को पहले ही दिए जा चुके मकान किराये भत्ते के अनुसार बकाया राशि; (ii) इन्स्टालेशन (जोखिम) भत्ता, जो तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों को दिया जाता है ; और (iii) बिना किराये के क्वार्टर, जैसा कि मदुराई और मेट्टूर बांध जैसे गैर–सरकारी साइडिंग में तैनात रेल कर्मचारियों को दिए जात है; मंजूर करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) दक्षिण रेलवे के मुख्यालय कार्यालय में 19–11–73 को रेल कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है और उनमें उठाये गय मुद्दों की रेल प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। बोर्ड कार्यालय में रेल प्रशासन की सिफारिश प्राप्त होने के बाद उन पर यथासमय आवश्यक निर्णय किये जायेंगे।

पश्चिम रेलवे क सर्वेक्षण तथा निर्माण विभाग का सिविल इंजीनियरिंग विभाग के साथ विलय

2218. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के वर्तमान सर्वेक्षण तथा निर्माण विभाग का विलय उसी रेलवे के नियमित सिविल इंजीनियरिंग विभाग के साथ करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि सवृक्षण तथा निर्माण विभाग के कर्मचारियों को अपने सेवाकाल के दौरान जीवन की अत्यन्त कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ा है; क्या उनके वर्तमान वेतन भत्ते आदि, दर्जे और अवसरों के संरक्षण की गारन्टी देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं :

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Reducting Consumption of Petrol in Government Vehicles

2219. **Shri Chandulal Chandrakar :**

Shri Bishwanath Jhunjhunwala :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any steps to reduce the consumption of petrol in Government vehicles in view of its shortage; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) (a) & (b) : All Departments of the Government of India, State Governments and Union Territories have been requested to issue immediate instructions for strictest possible economy in the consumption of Motor Gasolene in Government vehicles, Central and

State public sector undertakings, local bodies and Government-aided agencies have also been advised accordingly. Consumption of Petrol by Staff cars and other vehicles which are not used for operational purposes or for field duties is required to be curtailed to the maximum possible extent.

Soviet Experts' Visit to for India Designing Mathura Oil Refinery

2220. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Petroluem and Chemicals** be pleased to state:

(a) the period for which the Soviet Experts' Team which has come to India in connection with preparing the design of Mathura Oil Refinery is likely to stay in India;

(b) the number of Members in the Team; and

(c) the expenditure to be incurred on them?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Sah Nawaz Khan) : (a) The maximum period for which the Soviet specialists, who have been deputed to India for assisting IOC in preparation of the Memorandum of Instructions, in accordance with the Protocol dated 20-7-1973 between the Governments of India and USSR, are likely to stay in India is 45 days. However, in the case of some of the specialist the period may be less.

(b) As per an agreement between IOC and the Soviet organisation concerned, the team was to comprise 15 experts and two interpreters. Against this the team actually deputed so far consists of nine experts and two interpreters.

(c) The total expenditure to be incurred on the team consisting of 17 members as originally envisaged is Rs, 2,35,001·00 and free accommodation, transport etc. while the specialists are in India for the said work. However, the actual expenditure to be incurred would be less owing to reduction in the number of specialists actually deputed.

Special Evaluation and Implementation Cell for Implementing Assurances given to Railway Employees

2221. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to form a Special Evaluation and Implementation Cell for implementing the assurances given to the Railway employees and solving their difficulties; and

(b) if so, the outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shaffi Qureshi):

(a) Yes.

(b) The matter is receiving consideration.

बिड़ला और गोयंका व्यापार गृहों की कम्पनियों अथवा फर्मों के बारे में जांच

2222. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–73 की अवधी के दौरान बिड़ला और गोयन्का व्यापार गृहों की कितनी कम्पनियों अथवा फर्मों को काली सूची में दर्ज किया गया है अथवा कदाचारों के लिये जांच चल रही है ;

(ख) इसी अवधि के दौरान उन फर्मों के कितने मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच चल रही है ; और

(ग) वे फर्में कौन–कौन सी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय म उप मंत्र. (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

पेपर मिल्ज, यूनियन कार्बाइड और बाम्बे डाइंग पर लगाये गये प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया संबंधी आरोप

2223. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल पेपर मिल, कलकत्ता, टीटागढ़, पेपर मिल्ज, पश्चिम बंगाल और ओरिएंट पेपर मिल्ज (बिड़ला बन्धुओं की), यूनियन कार्बाइड और बाम्बे डाइंग पर प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियाएं संबंधी आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध किस प्रकार के आरोप लगाये गये है; और

(ग) इन आरोपों पर यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है, तो वह क्या है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क), (ख) तथा (ग) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने अपने स्वयं के ज्ञान अथवा सूचना के आधार पर बंगाल पेपर मिल्स लिमिटेड, एवं ओरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड के विरूद्ध उनके निबंधनकारी प्रथाओं में निरत होनेकी जांच करते हुअे एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 10(क) (4) के अन्तगत कार्यवाही की है।

रजिस्ट्रार निबंधनकारी व्यापार अनुबंध द्वारा यूनियन कार्बाइड लिमिटड के, निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं में निरत होने की जांच करने के लिये आयोग को निवेदन करत हुए, धारा 10(क) (3) के अन्तर्गत एक आवेदन–पत्र दिया गया है। आयोग को इस सभी विषयों में धारा 37 के अन्तर्गत भी जांच–पड़ताल करनी है। बम्बई डाईंग एण्ड मैनूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की बाबत, आयोग ने, जांच–पड़ताल निदेशक को, कम्पनी द्वारा अपनाई गई निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं की प्राथमिक जांच करनेका निदेश दिया था, एवं जांच–पड़ताल निदशक की जांच के आधार पर, कम्पनी ने अपने क्षेत्रीय वितरकों के साथ किये गये पहले के अनुबन्ध में संशोधन कर दिया। अत: आयोग ने जांच स्थगित कर दी, परन्तु इसने जांच–पड़ताल निदेशक को क्षेत्रीय वितरकों एवं व्यापारियों के मध्य हुये अनुबन्धों की पुन: जांच करने का निदेश दिया है। आयोग द्वारा जांच–पड़ताल निदेशक की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

देश में जीवन बचाने वाली औषधियों का उपलब्ध न होना

2224. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री के० लकप्पा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में जीवन बचाने वाली औषधियों का नितान्त अभाव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा क्यों है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) जी नहीं। देश के कुछ भागों में कुछ स्वास्थ्य औषधों के यदा कदा कमी जिसके बारे में कुछ अन्य दवाइयों के उत्पादन भी उपलब्ध है, के बारे में राज्य औषध नियंत्रकों से इस मंत्रालय में रिपोर्ट प्राप्त हुई है, ऐसी रिपोर्टों के प्राप्त होने पर उत्पादक एककों से संबंध बनाये गये हैं तथा उन्हें औषधों को उन क्षेत्रों में भेजने, जहां औषधों की कमी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा औषधों की सप्लाई की सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

समुद्र-जल का दूषण

2225. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रिय स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर तथा केन्द्रीय सरकार के उर्वरक सलाहकार ने अक्तूबर, 1973 के पहले सप्ताह में गोआ का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने समुद्र जल दूषण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया था; और

(ग) यदि हां, तो उनके अध्ययन के क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) : कथित अवधि के दौरान पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में सलाहकार (उर्वरक) ने कारखाने का दौरा नही किया किन्तु अनेक विशेषज्ञ जिनमें केन्द्रीय लोक सेवा तथा इंजीनियरिंग रिसर्च इन्सीट्यूट नागपुर से एक वैज्ञानिक भी सम्मिलित है, ने सितम्बर, 1973 के अन्तिम सप्ताह से नवम्बर, 1973 के बीच गोवा का दौरा किया। इन विशषज्ञों ने प्रदूषण की प्रवृत्ति की सीमा का मूल्यांकन तथा इस संम्बन्ध में अपेक्षित संसाधनों के अध्ययन किये। गोवा उर्वरक संयंत्र ने मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य के लिए काम बन्द किया है तथा इस माह के अन्त तक संयंत्र के पुन: चालू हो जाने के कारण प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में अपेक्षित साधन पूर्ण होने की आशा है।

Survey for Tube Railway Project in Delhi

2226. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether a survey was recently conducted in Delhi for a "Tube Railway" project in order to improve the city transport system;

(b) if so, the results thereof; and

(c) the time by which the work on this project is likely to be started?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c): Techno-economic feasibility studies of mass rapid transisystem (underground/elevated etc.) are being carried out by the Railways' Metropolitan Transport Project Organisation, Delhi. Results of this survey which is being co-ordinated with the revised planning data for Delhi areas, and further work thereafter, if any, will be known after the present studies are completed.

एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा टायर कम्पनियों की क्रिया कलापों के बारे में जांच

2227. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**

श्री ई० वी० विखे पाटिल :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने स्वेच्छा से प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के अनेक मामलों की जांच आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों की जांच आरम्भ की गई है और क्या मूल्यों में एकरुपता रखने के लिये इनमें टायर कम्पनियों के क्रिया कलाप भी शामिल है यद्यपि प्रत्येक बांड के टायर और ट्यूब की किस्मों में अन्तर है; और

(ग) यदि जांच के इन मामलों में टायर कम्पनियों के क्रिया–कलाप शामिल नहीं है, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में जांच करने के लिए आयोग को निर्देश देने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत वरूआ) : (क) से (ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने अधिनियम की धारा 10(क) (6) के अन्तर्गत, स्वयं के प्रस्ताव से (1) वेस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी लिमिटेड और (2) 10 कागज की मिलों द्वारा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं में निहित होने की जांचें आरम्भ की हैं। जांचें अभी तक निलम्बित हैं। आयोग ने टायर कम्पनियों के विरुद्ध स्वयं के प्रस्तावानुसार किसी भी कार्यवाही का अनुपात नहीं किया है। हालांकि धारा 11 के अन्तर्गत, आयोग द्वारा 8 टायर कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतों के आधार पर जांच –निदेशक को प्राथमिक जांच का कार्य सौपा गया है। निदेशक द्वारा जांच–पड़ताल का कार्य लम्बित हैं।

Money Claims Preferred with Railways during 1971-72 and 1972-73

2228, **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a number of money claims had been preferred by the Railway employees with the Railways during the years 1971-72 and 1972-73 ;

(b) whether the claims sanctioned by the Railway Administration have not yet been paid; and

(c) if so, the names of persons who have preferred their claims in Bareilly Division and the reasons for delay in their payment?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Separate Compartment in Express Trains for Long Journeys

2229. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any statutory requirement that there should be a separate compartment in express trains for long journeys;

(b) whether the said requirement has not been complied with by the Railway Administration and if so, the reasons therefor; and

(c) whether such compartments have been added to the Bareilly Express (Kathgodam) and Agra Express on the North Eastern Railway and if so, from what date?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) As a measure of facility for passengers travelling for distances exceeding 240 Kilometres, one bogie each is earmarked on 11 Dn/12 Up Kumaon Express running between Agra Fort and Kathgodam and 13 Up/14 Dn. Agra Express running between Lucknow and Agra Fort. This arrangement is in vogue since 1960.

भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के बारे में समाचार

2230. **श्री राज सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अगस्त, 1973 के 'इकोनामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय उर्वरक निगम के नये प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति में रहस्य बना हुआ है ;

(ख) क्या नय प्रबन्ध निदेशक को नियुक्त कर लिया गया था जब कि पिछले प्रबन्ध निदेशक ने न तो त्याग-पत्र दिया था और न ही उसे बरखास्त किया गया था; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) श्री एच० एन० सेंथाना के त्याग पत्र देने के कारण निगम के अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ। 22 अगस्त 1973 से डा० क० आर० चक्रवर्ती, भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक भी छुट्टी पर चले गये। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद को मिलाकर एक कर लिया गया तथा भारतीय उर्वरक निगम के भूतपूर्व निदेशक (प्रोजेक्ट) श्री के० सी० शर्मा, को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

पनबिजली परियोजना के लिए मशीनरी का आयात करने के बारे में कर्नाटक सरकार का अनुरोध

2231. **डा० डी० वी० चन्द्रगौडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है कि बिजली उत्पादन की स्थिति के बारे में दिल्ली के आयोजकों को यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और पनबिजली परियोजना के लिए अपेक्षित मशीनरी के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि कर्नाटक के पास कम लागत से पनबिजली के उत्पादन करने की क्षमता है ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक राज्य में उपलब्ध जल शक्यता की जानकारी है। लिंगनामक्को बांध विद्युत घर के लिए जल–विद्युत उत्पादन संयंत्र की 27.5–27.5 मेगावेट की दो यूनिटों के आयात के लिए कर्नाटक सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया हैं।

गोआ में एक तापीय संयंत्र को स्थापना करना

2232. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के प्रशासकों ने पांचवीं योजना के दौरान राज्य में एक तापीय संयंत्र को स्थापित करने के केन्द्र के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Dieselisation of Railway Trains

2233. **Shri Shrikrishna Agarwal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the proposal submitted by the Railway Board for expediting dieselisation of railway trains in the country has been approved for inclusion in the Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, Planning Commission's reaction thereto?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) The dieselisation programme proposed by the Railways during the Fifth Plan has since been accepted by the Planning Commission.

एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को प्राप्त हुई शिकायतें

2234. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग के गठन के बाद इसे अब तक जनता से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने कितने मामलों में आरोपों को सही पाया और कितने मामलों म कार्यवाही की गई;

(ग) क्या आयोग के नये अध्यक्ष ने उपभोक्ता संघों और व्यक्तियों से भी प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के बारे में शिकायते मांगी हैं; और

(घ) यदि हां, तो सितम्बर, 1973 से अब तक कितनी ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) हां श्रीमान्।

(ख) आयोग ने इस प्रकार की शिकायतों का परीक्षण किया है और जहां भी आवश्यक समझी गई वहां कार्यवाही की गई। प्राप्त सात शिकायतें प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं के आरोपों में धारा 10(क) (1) के जांचान्तर्गत थी और दो मामल जिनका आगे कार्यवाही आवश्यक न होने के कारण निबटान कर दिया गया था, को छोड़कर वे जांच-पड़ताल के विभिन्न चरणों पर हैं।

(ग) कम्पनी कार्य विभाग ने अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार–पत्रों के माध्यम से तथा विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम में प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं के संबंध उपबन्धों का विस्तृत प्रचार किया। एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ने भी व्यवसायिक व्यापारिक एवं वाणिज्य संगठनों को स्वीकृत करते हुए उल्लेख किया कि आयोग, प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं को समाप्त करने की अपनी उद्घोषणा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संघों एवं व्यक्तिगत उपभोक्ताओं से शिकायतों का स्वागत करेगा।

(घ) 1 सितम्बर, 1973 तक 36 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनमें से 9 पर कोई भी कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया था। 6 को जांच–निदेशक की प्राथमिक जांच–पड़ताल के लिए दे दिया गया है और शेष 21 अभी भी विचार के विभिन्न चरणों पर हैं।

पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर का उत्पादन करने के लिये जे०के० सिनथैटिक्स द्वारा मशीनरी का आयात

2235. **श्री मधु लिमये :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जे० के० सिनथेटिक्स ने, जिसने नायलोन स्टेपल फायबर जिसके लिए उन्हें प्रारम्भ में लाइसेंस दिया गया था, की बजाये प्रोलिएस्टर स्टेपल फाइबर के उत्पादन के लिए मशीनरी का आयात किया था, 450 मीटरी टन प्रति वर्ष पोलीएस्टर फाइबर बनाने के लिए विविधीकरण की अनुमति के लिये आवेदन पत्र दिया था;

(ख) क्या उनके मूल लाइसेंस का उल्लंघन करते हुए पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर संयंत्र के लिए आयात की गई मशीनरी को संरक्षण प्रदान करते हेतु यह अनुमति दी गई थी ;

(ग) क्या यह कम्पनी वास्तव में अपनी मूल विविधीकरण अनुमति से अधिक, प्रति वर्ष लगभग 3,000 मीटरी टन की दर से पोलिएस्टर फाइबर का उत्पादन कर रही है ;

(घ) क्या सरकार इस कम्पनी को 'डी० एम० टी०' जैसा कीमती आयातित और देशी कच्चा माल उपलब्ध कराके इसकी गतिविधियों में सहायता दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इन उल्लंघनों के कारण अधिकारियों और कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) (क) दिसम्बर 1967 में घोषित उदार लाइसेंस नीति, जिसमें कुल क्षमता के 25% तक नई वस्तुओं के लिये विविधता की अनुज्ञा दी गई थी, फर्म को पहले नायलान स्टैपिल फाइबर संयंत्र के लिये दी गई विदेशी मुद्रा के अन्दर पालीएस्टर स्टपिल फाइबर के निर्माण के लिये संतोलन संयंत्र के आयात की अनुज्ञा दी गई थी। फरवरी 1970 की लइसेंसिंग नीति के लागू होने पर पार्टी के लिये इस पोलीएस्टर स्टपिल फाइबर क्षमता के लिये सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। पार्टी ने एसे लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और सरकार ने 450 मीटरी टन क्षमता का एक लाइसेन्स प्रदान किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1973 के पहले आठ महीनों में एकक ने 862 मीटरी टन पालीएस्टर स्टेपिल फाइबर का निर्माण किया।

(घ) मई 1972 में सी० ओ० वी० लाइसेन्स दिये जाने के उपरान्त 31 जुलाई 1973 की अवधि तक लाइसेन्स शुदा क्षमता के आधार पर कच्चे माल के आयात की अनुज्ञा दी है।

(ङ) अधिक उत्पादन के पहलू की जांच की जा रही है।

उर्वरकों के उत्पादन में कमी

2236. **डा० कर्णी सिंह :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के देशीय उत्पादन में कमी आई है ;

(ख) गत तीन वर्षों में उत्पादन के आंकड़ें क्या है; और

(ग) उत्पादन में कमी के क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों में उर्वरक का उत्पादन निम्नप्रकार रहा :—

('000 मीटरी टनों में)

	1970-71	1971-72	1972-73
नाइट्रोजन . . .	830	952	1,060
$पी_2$ $ओ_5$ . . .	229	278	326

उत्पादन अधिक हुआ होता किन्तु नये परियोजनाओं से कुछ परियोजनाओं के प्रारम्भ होने में विलम्ब तथा विद्युत कटौती वाल्टेज, अस्थिरता, श्रम अशान्ति, कुछ मामलों में कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई, तथा कुछ कार्यरत एककों में मशीनी खराबी के कारण अधिक उत्पादन नहीं हो सका।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा हरियाणा राज्य विद्युत आयोग के खरीद-सौदों की विशेष लेखापरीक्षा

2237. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य विद्युत आयोग के खरीद-सौदों को विशेष लेखा-परीक्षा भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस लेखा-परीक्षा के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हरियाणा सरकार के विशेष अधिकारी, जिसने विशेष लेखा-परीक्षा की थी, की रिपोर्ट मिल गई है।

(ख) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि हरियाणा प्रारूप अनुच्छेदों (ड्राफ्ट पेराग्राफ्स) को जारी करेगा। और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए सामग्री तयार करेगा। राज्य सरकार को महालेखाकार हरियाणा से कुछ अनुच्छेद प्राप्त हो गए हैं और उनके द्वारा उनका उत्तर दिया जा रहा है। नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही मुख्य निष्कर्षों का पता चलेगा।

Utilisation of Profits earned by Foreign Oil Companies for Industrial Purposes

2238. Dr. Laxinarayan Pandeya; Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether three foreign oil Companies viz,, Burmah-Shell, Caltex and Esso earned profit to the tune of Rs. 300·12 lakhs, Rs. 200·10 lakhs and Rs, 172·15 lakhs respectively in 1971-72 and remitted more than 20 per cent of the profits abroad;

(b) whether Government have any proposal to utilise the entire amount of the dividend in industries within the country; and

(c) if so, how ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The figures of net profit earned by these companies after tax and the amount allowed to them for remittances for the year 1971 are as under:

Name of the Company	Net profit after tax (Rs /lahks)	Corresponding remittances permitted by RBI (Rs/lakhs)
Burmah-Shell	300·12	72·00
Esso . .	179·00	72·00*
Caltex	83·96	Application for remittance is under consideration

(b) & (c) No, Sir.

उर्वरकों के वितरण का कार्य कृषि मंत्रालय को अंतरित करना

2240. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में कृषि मंत्रालय को देश में उर्वरक के समस्त वितरण कार्य को अपन नियंत्रण में लेने के बारे में सुझाव दिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : जी नहीं। तथापि भारतीय उर्वरक निगम के यूनिटों से उर्वरक के संबंध में सुझाव दिये गये हैं।

दानापुर डिवीजन (पूर्व रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

2241. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रलवे के दानापुर डिवीजन में नियुक्त रेलवे कर्मचारी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नियमित रूप से और पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त कर रहे हैं और इससे उन्हें भारी कठिनाइयां होती है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नियमित रूप से और पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दानापुर मण्डल के रेल कर्मचारियों की आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई हो रही है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है।

*As per the statement given by the Company, which is subject to varification by the Reserve Bank of India, the correct position in this regard will be laid on the Table of the House.

(ख) रेल कर्मचारियों सहित आम जनता के लिए खाद्यान्न तथा अन्यत: आवश्यक पदार्थों की सप्लाई का काम मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक भाग के रूप में देश में उचित दर की दुकानों की व्यवस्था की गयी है।

रेल प्रशासन रेल कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियां स्थापित करने और उन्हें चलाने के लिए रेल कर्मचारियों को प्रोत्साहन दते है। इन समितियों को उनके व्यवस्थित विकास के लिए आर्थिक सहायता तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और रियायतें दी जाती है। आम तौर पर, उन स्टेशनों पर, जहां 300 या अधिक रेल कर्मचारीयों काम करते हैं, रेल कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियों या राज्य द्वारा अधिकृत व्यापारियों के माध्यम से चलायी जा रही उचित दर की दुकानों की व्यवस्था की जाती है जो रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

पूर्व रेलवे प्रशासन ने संबंधित राज्य सरकारों से कहा है कि दानापुर मण्डल में तैनात रेल कर्मचारियों के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त एवं नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जाये।

दिल्ली के निचले न्यायालयों में भ्रष्टाचार

2242. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समय समय पर समाचारपत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के निचले न्यायालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या दिल्ली के निचले न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में व्यक्तियों, विभिन्न संगठनों और राजनैतिक दलों से सरकार को शिकायतें और ज्ञापन प्राप्त हुए है ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (घ) सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित ऐसी रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है। कभी कभी व्यक्तियों की ओर से भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसी शिकायतों के प्राप्त होने पर, आवश्यक कार्यवाही हेतु उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के पास भेज दिया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सतर्कता-सेल है, जिसमें तीन न्यायाधीश है और न्याय-पालिका के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच सतर्कता–सेल द्वारा की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य करने वाले सतर्कता अधिकारियों और सहायक सतर्कता अधिकारियों द्वारा की जाती है।

दिल्ली के न्यायालयों में अनिर्णित पड़े मामले

2243. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के न्यायालयों में तीन साल से अधिक की अवधि से अनिर्णित पड़े मामलों की संख्या कितनी है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और इन मामलों का निपटान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 10,175

(ख) इसका कारण न्यायिक अधिकारियों की कमी है। दिल्ली न्यायिक सेवा में कुछ रिक्तियां हैं और इन रिक्तियों के लिए भर्ती करने हेतु दिसम्बर, 1973 में एक परीक्षा आयोजित की जा रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधिशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए और दिल्ली न्यायिक सेवा के संवर्ग में वृद्धि के लिए प्रस्ताव रखा है। इसी बीच अधीनस्थ न्यायालयों को यह निदेश दिया गया है कि वे हाल में संस्थित मामलों की बजाय पुराने मुकदमों को अधिमान दें।

गाजियाबाद में रेलव कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी न करना

2244. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद के रेलवे कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं मिल रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) इस बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) गाजियाबाद के रेलवे कर्मचारियों और देश भर के अन्य कर्मचारियों को, जहां यह लागू है, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देने के लिए क्या नीति अपनायी गयी हैं; और

(घ) इसे कब से और किस तरह लागू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) गाजियाबाद वर्गीकृत श्रेणी 'सी' का नगर है, इसलिए वहां काम करने वाले रेल कर्मचारी वर्तमान नियमों के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता पाने के हकदार नहीं हैं।

(ख) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश यह है कि प्रतिकर (नगर) भत्ता उन कर्मचारियों को स्वीकार्य होना चाहिए जिनके काम करने का स्थान 1971 की जनगणना के अनुरूप नगर अथवा शहर की 'उपनगरीय वस्ती' के भीतर पड़ता हो और उस नगर की श्रेणी निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए उसकी उपनगरीय बस्ती को भी जनसंख्या का एक यूनिट माना जाना चाहिए।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश को सरकार ने मान लिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा, जो इस विषय में नियंत्रक मंत्रालय है इसके कार्यान्वयन का ब्यौरा तयार किया जा रहा है।

Help given to Passengers of Delhi-Ahmedabad Express Train at Someshwar Station

2245. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether passengers of 3-Up Delhi-Ahmedabad Express train, which was held up at Someshwar Station due to the floods were given help very late and about 1000 passengers had to face great inconvenience; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No. 3. Up Delhi-Ahmedabad Express was stranded at Someshwar station from 6·35 hours on 19-8-1973 and despite the station being cut off from both sides by rail and also not being accessible by road, supply of food, tea and snacks was arranged for the passengers in the after noon,

(b) Does not arise.

थीन बांध परियोजना का पूरा किया जाना

2246. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने थीन बांध परियोजना का निर्माण-कार्य पूरा करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में पंजाब सरकार से चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किए गए ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जबकि थीन बांध परियोजना तकनीकी रूप से संभव पाई गई है, कई अन्तर्राज्यीय मामलों पर, जैसे लागत लाभों का विभाजन, परियोजना, कार्य निष्पादन संगठन और विस्थापितों के पुनर्वास पर धन लगाना, केवल पंजाब सरकार से ही नहीं विचार-विमर्श किया जा रहा है बल्कि अन्य सभी संबद्ध राज्य सरकारों के साथ भी विचार किया जा रहा ।

कोयले को ले जाने के लिये पंजाब के लिये माल डिब्बों का कोटा

2247 **श्री रघुनन्दन लाल भाटीया : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले को ले जाने के लिए रेलवे बोर्ड ने पंजाब के लिए माल डिब्बों के कोटे का निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह कोटा पर्याप्त है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड वर्तमान कोटे में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) पंजाब सहित सभी राज्यों के लिए विभिन्न किस्म के कोयले का कोटा रेलें और राज्य सरकारें संयुक्त परामर्श से निर्धारित करती हैं। ऐसा करते समय राज्यों के प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा प्रायोजित संचलन का ध्यान रखा जाता है क्योंकि वे ही आवश्यकताओं की पर्याप्तता और अपर्याप्तता निर्धारित करते हैं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब को डीजल तेल की सप्लाई

2248. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त मात्रा में डीजल तेल सप्लाई करने की कोई व्यवस्था की है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) पंजाब के लिए डीजल आयल की मांग सहित देश में समस्त उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वस्तुगत सूचियां है। बोआई ऋतु के लिए एच० एच० डी० ओ० के साथ साथ एल० डी० ओ० की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। सूचियों के सही आंकड़ें बताना जनहित में नहीं होगा।

फारस की खाड़ी में तेल का पता लगाने में असफलता

2249. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक गैस आयोग फारस की खाड़ी में तेल का पता लगाने में असफल रहा है और जापान से 15 करोड़ रुपये में खरीदा गया 'ड्रिलिंग शिप' अप्रयुक्त पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग खम्भात की खाड़ी में तेल उपलब्ध करने में असमर्थ रहा है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अपतटीय कार्य केवल 1970-71 में शुरु किये गये थे और खम्भात की खाड़ी में अलियाबेट पश्चिम संरचना पर खोदे गये सब पहले कुएं में तेल पाया गया था किन्तु यह तेल वाणिज्यिक महत्व का नहीं था।

सैल्फ-प्रोपैण्ड तथा सैल्फ-एलीवेटिंग मोबाइल जैक-अप प्लेटफार्म "सागर सम्राट" जिसे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जापान से लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से खरीदा था, को इस्तेमाल में लाया गया है। और इस पोत की सहायता से पहला कुआं 11 अक्तूबर, 1973 को खोदा गया है। इस कुएं को 4500 मीटरों की गहराई तक खोदने की योजना है, और कुएं की खुदाई की जा रही है।

रेल यात्रियों के जन-घण्टों की क्षति होना

2250. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों के विलम्ब से चलने के कारण भारत में रेल-यात्री प्रत्येक वर्ष अपने खाली समय अथवा अपने काम के अरबों जन–घंटे गंवा देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच-पड़ताल की गई है और यदि हां, तो उक्त जांच-पड़ताल का क्या परिणाम निकला है;

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) पिछले 3 वर्षों में सभी भारतीय रेलों में सभी यात्री-गाड़ियों का समय पालन का प्रतिशत नीचे बताया गया है जो कि साधारणतया सन्तोषप्रद हैं :—

वर्ष	समय पालन का प्रतिशत बड़ी लाइन	मीटर लाइन
1970-71 . . .	82.3	87.4
1971-72 .	82.1	91.4
1972-73	85.8	89.9

इधर हाल में गाड़ियों के समय पालन पर जिन कारणों से बुरा प्रभाव पड़ा है उनमें से मुख्य कारण इस प्रकार है:—आन्ध्र प्रदेश में आन्दोलन, उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारियों में इन्जीनियरों के असन्तोष के कारण बिजली की सप्लाई में बाधा और लोको-कर्मचारियों की हड़ताल तथा पश्चात्वर्ती प्रभाव, सार्वजनिक और कर्मचारी आन्दोलन, बिजली में कटौति, लाइनों की टूट-फूट, दूर संचार तारों की चोरी और उसके फलस्वरूप सिग्नल और दूर संचार की विफलता, खतरे की जंजीरे खींचने की घटनाओं में वृद्धि आदि।

(घ) क्षेत्रीय रेलों द्वारा सभी स्तरों पर गाड़ियों के समय पालन पर कड़ी निगाह रखी जाती है और चुनी हुई मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों पर रेलवे बोर्ड के स्तर पर निगाह रखी जाती है। गाड़ियों के संचलन में सुधार करने के लिए परिहार्य अवरोध के संबंध में कार्रवाई की जाती है तथा उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। कुछ गाड़ियों में खतरे की जंजीरें भी निष्क्रिय कर दी गयी हैं ताकि समयपालन में सुधार किया जा सके।

कृत्रिम रेशा बनाने वाले क्षेत्र में बिड़ला बंधुओं की क्षमता

2251. **श्री मधु लिमये** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कृत्रिम रेशा बनाने वाले क्षेत्र में बिड़ला-गृह की क्षमता 80 प्रतिशत है ;

(ख) क्या सेंचुरी एन्का नामक एक बिड़ला कम्पनी को अतिरिक्त आशय पत्र दिया गया है ;

(ग) क्या सेंचुरी एन्का से कहा गया है कि वह एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से अनुमति ले लें ;

(घ) क्या इस कम्पनी के विरुद्ध एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करन के आरोप में कोई कार्यवाही की गई है; क्योंकि यह कम्पनी इस अधि-नियम के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत नहीं करा पाई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कृत्रिम रेशें/फिलामेंट यार्न (सैलूलोसिक तथा गैर-सैलूलोसिक) की विद्यमान क्षमता का लगभग 69% बिड़ला समूह के पास है।

(ख) मैसर्स सेन्चुरी एंका की नायलान फिलामेंट यार्न क्षमता को 2 मीटरी टन प्रतिदिन से 6.5 मीटरी टन प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिये दिये गये आशय पत्र की अवधि अक्तूबर, 1973 में बढ़ाई गई है।

(ग) चूंकि पार्टी ने 1 जुन 1970 को एम० आर० टी० पी० अधिनियम के लागू होने से पहले कारगर कदम उठाये थे इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार ने एम० आर० टी० एम० अधिनियम की संबद्ध धाराओं की सेन्चुरी एंका लि० पर उपयुक्तता का अध्ययन अभी पूरा नहीं किया है और इस कम्पनी के खिलाफ किसी कार्रवाई का सुझाव देना असामयिक होगा।

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली विदेशी औषध-निर्माता फर्मों को दिये गये लाइसेंस

2252. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पुंजी वाली विदेशी औषध निर्माता फर्मों को कितने निर्माण लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) सूत्रों (फार्मुलेशनस)/'बल्क' औषधियों के नाम, कीमत आदि के संबंध में प्रत्येक लाइसेंस का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये सूत्र भारतीय औषध निर्माता यूनिटों द्वारा तैयार नहीं किये जा सकते ; और

(घ) क्या ये विदेशी फर्में नई परियोजनाओं में और अधिक पुंजी निवेश करेंगी अथवा इन नई विस्तार परियोजनाओं का वित्त पोषण किस प्रकार किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) 1970-71, 1971-72 एवं 1972-73 के दौरान 26% से अधिक विदेशी साम्य पुंजी के साथ जारी किये गये उत्पादन लाइसेंसों से युक्त एक विवरण पत्र संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5814/73**] कई वर्षों से ऐसे मदों के लागत एवं मूल्यों में उतार-चढ़ाव तथा उत्पाद सामग्रि की सही सूचना भिन्न-भिन्न होने के कारण लाइसेंस के मूल्यों के सम्बन्ध में वह (सही सूचनाएं) उपलब्ध नहीं है। जारी किये गये सी० ओ० वो० लाईसैंसों के ब्यौरे 8 मई, 1973 के लोकसभा के अता० प्रश्न 9529 के उत्तर में दिए गये थे।

(ग) अनेक सूत्रयोग भारतीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित किये जा सकते हैं।

(घ) विस्तार कार्य अतिरिक्त पूंजी ऋण अथवा आन्तरिक स्रोतों से विस्तार कार्य किये गये/किये जा रहे है।

औषधि और भेषज निर्माता उद्योग की जांच करने सम्बन्धी समिति

2253. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि और भेषज निर्माता उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिये कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और सरकार कब तक इसकी घोषणा करने जा रही है ; और

(ग) उक्त समिति के निर्देश पदो का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

1 नवम्बर, 1973 से दस नई रेलगाड़ियों का चलाया जाना

2254. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**

श्री पी० एम० मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 नवम्बर, 1973 से दस नई रेलगाड़ियां चलायी गयी थीं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 1 नवम्बर, 1973 से लागू की गई समय-सारणी में निम्नलिखित बारह नयी अनुपनगरीय रेलगाड़ियां चलायी गयी है ।

रेल गाड़िया	जिस खण्ड पर आरंभ की गई
सप्ताह में दो बार जाने वाली दो जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ियां . . .	दिल्ली/नयी दिल्ली और समस्तीपुर
दो एक्सप्रेस गाड़ियां	पुणे-कोल्हापुर
दो सवारी गाड़ियां	बर्दवान-आसनसोल
एक शटल गाड़ी	बाघ डोगरा-सिलीगुड़ी
एक शटल गाड़ी	न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी
दो मिली जुली गाड़ियां	अदीलाबाद-पूर्णा
दो मिली जुली गाड़ियां	परभणी-पुरसी-बैजनाथ

डीजल तेल के उपयोग में कमी का डीजल इंजनों को उपयोग में लाने सम्बन्धी योजना पर प्रभाव

2255. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजल तेल के उपयोग में मितव्ययता बरतने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डीजल इंजनों को उपयोग में लाने संबंधी योजना पर जोर न दने के लिए रेल विभाग से कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में रेल विभाग ने क्या कार्यवाही की है और इसका क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (ग) और (ख) डीजल तेल के उपयोग में किफायत करने की जरुरत की दृष्टि से, योजना आयोग ने मूलत: भारतीय लों पर डीजलीकरण कार्यक्रम के पुनरीक्षण का सुझाव दिया था। लेकिन, आगे विचार-विमर्श के बाद, योजना आयोग ने अब रेलों द्वारा प्रस्तुत डीज़ल कार्यक्रम को मंजूर कर लिया है।

भारतीय भूवैज्ञानिक द्वारा अकार्बनिक पेट्रोलियम का संकेत शीर्षक से समाचार

2256. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 'यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "टाइम्स आफ इंडिया" अहमदाबाद संस्करण, दिनांक 22अक्तूबर, 1973 में "भारतीय भूवैज्ञानिक द्वारा अकार्बनिक पैट्रोलियम का संकेत" (इंडियन ज्ियोलाजिस्ट हिन्ट्स एट इन-आर्गनिक पैट्रोलियम) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह सिद्धान्त भारत में तेल की खोज में कहां तक सहाय्यक होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समाचार का संकेत और बातों के साथ-साथ आग्नेय तथा अन्य कठोर चिट्टान क्षेत्रों, जो तेल की अकार्बनिक उत्पत्ति के सिद्धान्त पर आधारित है, में पेट्रोलियम उपलब्ध करने की संभावना की ओर है। तेल की अकार्बनिक उत्पत्ती के सिद्धान्त नये नहीं हैं और कुछ इन सिद्धांतों का सामर्थन करते हैं। तथापि, इन सिद्धान्तों पर आधारित, कठोर चिट्टान क्षेत्रों में तेल अन्वेषण के लिये वाणिज्यिक उद्यम हमारी जानकारी के अनुसार नहीं विदेशों और न ही भारत में शुरू किये गये हैं। तो भी, इस समाचार में बताये गये विभिन्न भूवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई राय उचित कार्यवाही करने हेतु ध्यान में रख ली गई है।

प्रेषक केन्द्रों से पटसन की ढुलाई में रेलवे की असमर्थता

2257. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि प्रेषक केन्द्रों से पटसन की ढुलाई में रेलवे की असमर्थतता के कारण पटसन उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को टालने के लिये सरकार का विचार क्या आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अगस्त से जूट का अधिकांश यातायात रेल द्वारा भेजने के लिए पूर्वोत्तर सीमा, पूर्वोत्तर तथा पूर्व रेलवे के स्टेशनों पर प्राप्त हो रहा है ।

यद्यपि रेलवे लाइनों के टूट-फूट जाने तथा उन पर बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाने, बिजली की अत्यधिक कमी, कर्मचारियों के आन्दोलनों और इंजन कोयले की कमी के कारण हाल के महीनों में इन रेलों में गाडियों के परिचालन कार्य पर विपरीत प्रभाव पडा था,

फिर भी जूट के यातायात की निकासी प्राथमिकता के आधार पर की गयी। लदान में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे की तालिका से प्रकट है :-

जूट से लादे गये माल डिब्बों की संख्या

माह	बडी लाइन	मीटर लाइन	जोड
अगस्त 1973 .	1076	2437	3513
सितम्बर 1973 .	2275	3119	5394
अक्तूबर, 1973 .	3125	3528	6653

लदान को और आगे यथासम्भव अधिकतम सीमा तक बढाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाना

2258. **श्री के० कोंडडा रामी रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे अब तक कितनी जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाडियां चलाई गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी और अधिक एक्सप्रस रेलगाडियां चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) अभी तक दो जोडी जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाडियां चलायी गयीं है ।

जब कंभी अपेक्षित साधन उपलब्ध होंगे तब और भी जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाडियां चलाने पर विचार किया जायेगा ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश की समसोला परियोजना का शामिल किया जाना

2259. **श्री के० कोण्डा रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की समसोला परियोजना को पांचवीं योजना में शामिल करने का प्रस्ताव को योजना आयोग ने मंजूर कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो व्यय प्रारंभ होने की संभावित तिथि और परियोजना के पूरे होने की तिथि तथा उसके द्वारा सिंचित होने वाले रकबे जैसी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सोमासोला परियोजना का प्रथम चरण आंध्र प्रदेश की पांचवीं योजना में शामिल करने के लिये योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है ।

(ख) इस परियोजना में सोमासोला बांध का आंशिक उंचाई तक निर्माण ताकि आर० एल० 87 मीटर तक संचय किया जा सके और वितरण प्रणालियों के बिना कवालो उत्तरी पोषक तथा दक्षिणी पोषक नहरों का निर्माण परिकल्पित है । इस पर 17.2 करोड रुपये लागत आने का अनुमान है और यह वतमान सिंचाई को 1.15 लाख हैक्टेयर तक निश्चित करेगी। पांचवीं योजना के दौरान परियोजना के काफी हद तक पूर्ण होने की संभावना है ।

आंध्र प्रदेश के लिए मंजूर की गई ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं

2260. **श्री के० कोण्डा रामी रेड्डी** : क्या **सिचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के लिए मंजूर की गई समूह योजनाओं (ग्रामीण विद्युतीकरण) के नाम और संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुमानित व्यय और कार्य की प्रगति का योजना वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब तक कुल कितने पम्प सेटों को बिजली दी गई और इन योजनाओं से कितने उद्योगों को लाभ पहुंचा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने जुलाई, 1969 में शुरू होने से लेकर 31-10-1973 तक आंध्र प्रदेश के लिए 39 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की है जिनमें एक पाइलट सहकारी परियोजना भी शामिल है।

प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए ग्रामों/पंपसेटों की संख्या और लागत का ब्यौरा उपावन्ध एक में दिया गया है । **(ग्रंथालय म रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5815/73)**। 1972–73 तक स्वीकृत स्कीमों क संबंध में की गई प्रगति के ब्योरे उपबंध दो में दिखाए गए है ।

आंध्र प्रदेश में तेल की खोज के लिए सर्वेक्षण किया जाना

2261. **श्री के० कोण्डा रामी रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तेल की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में कोई सर्वेक्षण करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) कोई भी संरचन की अभी खोज नहीं हुई है जो व्यधन कार्य से परीक्षण का महत्व रखती है। सर्वेक्षण किये जा रहे है ।

विधायी विभाग के पत्रिका पक्ष में पुस्तकों की मूल्यांकन समिति में नियुक्तियां

2262. **श्री आर० बी० बडे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधायी विभाग के पत्रिका पक्ष में पुस्तकों की मूल्यांकन समिति में कुछ ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है जो विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के संकल्प में अपेक्षित अर्हताओं को पूरा नहीं करते है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियों में हुई गलती को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Increase in Taxi and Scooter Fares due to Increase in Price of Petrol

2263. Shri Ishwar Chaudhary :

Shri G. P. Yadav :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the taxi, scooter and auto-rickshaw drivers had to raise their fares due to the increase in the prices of petrol;

(b) if so, whether Government would make petrol available at cheaper rates to the taxi scooter and auto-rickshaw drivers so as to give relief to the travelling public; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The taxi, scooter and auto-rickshaw fares are fixed by the respective Governments of the States and Union Territories. Consequent on the increase in the price of petrol effective from 3-11-1973, the Governments of the States and Union Territories were advised to consider the revision of the fares.

(b) & (c) In the context of the need to reduce the consumption of Motor Spirit, there is no proposal to supply this product to and class of consumers at cheaper rates.

रेल विभाग में संविदा श्रमिक (विनियमन और समापन) अधिनियम का क्रियान्वित

2264. **श्री रोबीन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग में संविदा श्रमिक (विनियमन और समापन) अधिनियम, 1970 को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो कोयला और राख को चढाने और हटाने तथा रेल गाडियों में पार्सलों को चढाने और उतारने के काम में लगे हुए मजदूरों की सेवाओं को नियमित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और रेल विभाग में उक्त अधिनियम को कब तक लागू करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेल प्रशासनों को अक्तूबर 1971 में आदेश जारी किये गये थे जिनमें यह कहा गया था कि ठेका श्रमिक (विनियमन तथा समापन) अधिनियम, 1970 के विभिन्न उपबन्धों तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का कडाई से पालन किया जाये ।

(ख) और (ग) ठेका श्रमिक (विनियमन तथा समापन) अधिनियम, 1970 में वे क्षेत्र नहीं बताये गये है जहां ठेका श्रमिक व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिए। रेलों पर कोयला और राख चढाने उतारने का काम और गाडियों में पार्सल लादने और उतारने का काम परम्परा से ही ठेका प्रणाली द्वारा किया जाता रहा है और इस काम पर लगाये जाने

वाले श्रमिक ठेकेदार के ही कर्मचारी होते है तथा उन्हें नियमित रेल कर्मचारी नहीं माना जा सकता। तथापि कोयले और राख के चढाने उतारने के काम में और गाडियों में पार्सलों के लादने और उतारने के काम में ठेका प्रणाली समाप्त करने के प्रश्न पर केन्द्रीय ठेका श्रमिक परामश बोर्ड विचार कर रहा है ।

1973 में चलाई गई नई गाड़ियां

2265. **श्री मोहम्मद शरीफ :**

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या रेल मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971–72 और 1972–73 में देश में कुछ नई गाडियां चलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये गाडियां कितने मील की दूरी तय करती है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) 1971–72 और 1972–73 के दौरान भारतीय रेलों में यात्री ढोने वाली कुल 289 गाडियां, जिनस सब मिलाकर 20,420 यात्री गाडी किलोमीटर प्रतिदिन की वृद्धि हुई, चालू की गयीं उनका चालन क्षेत्र बढाया गया। इनमें से 134 अनुपनगरीय और 155 उपनगरीय गाडियां थीं ।

रेलवे इंजनों के उत्पादन में वृद्धि

2266. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में देश में रेलवे इंजनों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० मुहम्मद शफि कुरेशी (क) जी हां ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल 663 रेल इंजनों के संभावित उत्पादन की आशा है जिनमे सरकारी क्षत्र के उपक्रमों के उपयोग के लगभग 70 डीजल शंटर शामिल नहीं है। उसे बढाकर रेलों के लिए लगभग 1300 रेल इंजन कर देने की आशा है । इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उपयोग के डीजल शंटिंग ल इंजनों की आवश्यकताएं भी पूरी की जायेंगी।

पांचवी योजना के दौरान तेल शोधक कारखानों के स्थापना-स्थल

2267. **श्री बी० वी० नायक :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पांचवीं पंच वर्षीय योजना में कितने तेल शोधक कारखाने स्थापित किये जाने है;

(ख) क्या उनके स्थापना स्थलों के बारे में निर्णय कर लिया गया है और यदि हां तो व कहां कहां पर स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) यदि नहीं, तो स्थापना स्थलों के बारे में निर्णय कब तक किया जायेगा; और

(घ) सरकार इस समय किन किन स्थानों पर तल शोधक कारखाने स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) मथुरा तथा बोगाईगांव में शोधनशालाओं की स्थापना कार्य को जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन आरंभ कर देंगी, स्वीकृति दे दी गई है । कोयाली शोधनशाला के विस्तार योजना का भी अनुमोदन कर दिया गया है । खनिज तेल के अती शीघ्र बढते हुए मूल्यों एवं परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो आदर्श शोधनक्षमता प्राप्त होनी है, वह अब भी योजना आयोग के विचाराधीन है । इस लिए उपरोक्त बताए गए शोधनशालाओं के अतिरिक्त पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किये जाने वाले शोधन संयंत्र की संख्या तथा उनके स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

कोंकण रेलवे का परिव्यय

2268. श्री बो० वी० नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेलवे का अब तक का परिव्यय कितना है; और

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूखा से राहत के उपाय के रूप में आप्टा से दासगांव तक केवल मिट्टी सम्बन्धी कुछ काम किया गया है । मिट्टी सम्बन्धी इस काम पर महाराष्ट्र सरकार ने जो खर्च किया है उसका ब्यौरा इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्यों कि अभी तक परियोजना को मंजूरी नहीं दी गयी है क्योंकि अभी तक केवल प्रारंभिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया है । योजना आयोग द्वारा इस परियोजना के लिए अपेक्षित राशि आबंटित हो जाने के बाद ही इसका निर्माण शुरू करने के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया जा सकेगा ।

काली पनबिजली योजना को परियोजना लागत

2269. श्री बी० वी० नायक :

श्री सी० क० जाफर शरीफ :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काली पन बिजली योजना की कुल परियोजना लागत क्या है और इस पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है;

) यह परियोजना कब तक पूरी की जाएगी ;

(ग) क्या काली पन बिजली परियोजना को केन्द्रीय परियोजना मानने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या काली पन बिजली परियोजना द्वारा देश में सब से कम लागत पर बिजली पैदा होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) काली नदी जल विद्युत परियोजना चरण एक और दो को अनुमानित लागत 81.52 करोड रुपये है । 1972–73 के अंत तक कुल 16.06 करोड रुपये व्यय किए गए थे।

(ख) सम्पूर्ण काली नदी परियोजना के 1979 के अंत तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(ग) जी, नहीं। बहरहाल, चतुर्थ योजनावधि के दौरान विशेष केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई थी।

(घ) यदि वर्तमान स्वीकृत लागत बढती नहीं तो काली नदी परियोजना के देश में विद्युत के सब से सस्ते संसाधनों में से एक होने की संभावना है ।

कुकिंग गैस की कमी

2270. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सारे देश में कुकिंग गैस की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कुछ छुट-पुट मामलों को छोड़कर देश में वर्तमान ग्राहकों से खाना पकाने वाली गैस (एल पी जी) की आम कमी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । अगस्त, 1973 से हडतालों एवं बाढों से उत्पन्न परिवहन समस्याओं तथा अक्टूबर, 1973 में कोयाली शोधनशाला के कर्मकारों द्वारा नियमानुसार काम करने के कारण गत कुछ महीनों से कोयाली सप्लाई क्षेत्र की स्थिति खराब है ।

स्थिति में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये है :—

(1) नये ग्राहकों का बनाया जाना अस्थाई तौर पर बन्द कर दिया गया है ;

(2) जहां संभव हो पाता है एल पी जी के अन्य व्यापारियों की फिलिंग सुविधाओं का प्रयोग किया जा रहा है; और

(3) सप्लाई को सुदृढ बनाने के लिए बम्बई शोधनशालाओं का एल पी जी का समस्त अतिरिक्त उत्पादन कोयाली क्षेत्र को भेजा जा रहा है ।

Cancellation of Trains due to coal shortage during the last three years

2271. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of trains cancelled due to the shortage of coal during the last three years; and

(b) the period during which these trains remained cancelled?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) The information is being collected from the zonal railways and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

भाड़े की दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप रेलवे की हुई हानि

2272. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वैगनों में निर्धारित भार 110 क्विन्टल प्रति वैगन के बजाय 45 क्विन्टल भार प्रति वैगन की दर से भाड़ा वसूल किया गया था; और इसके परिणामस्वरूप रेलवे को वर्ष 1971 तक 4.14 लाख रुपये की हानि हुई थी;

(ख) क्या सितम्बर, 1971 के दौरान 110 क्विन्टल न्यूनतम भार के आधार पर भाडा वसूल करने का निर्णय किया गया था परन्तु इसे लागू नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(घ) इस प्रकार की हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सम्भवत: आशय पांचवी लोकसभा की लोक लखा समिति (1972–73) की 77 वीं रिपोर्ट के पैरा 2.51 में उल्लिखित मामले से है । एक टिप्पणी संलग्न है जिसमें स्थिति स्पष्ट की गयी है ।

(ख) यह विनिश्चय दक्षिण मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा जून, 1971 में किया गया था और उसे लागू किया गया ।

(ग) इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भारतीय रेल सम्मलन की माल शुल्क दर सूची में सम्बन्धित नियम का संशोधन करके यह व्यवस्था की गयी है कि जब किसी माल डिब्बे की मांग करके उसका उपयोग किसी एक परेषण के परिवहन के लिए किया जायेगा तो उसका प्रभार्य भाड़ा वह होगा जो उस वस्तु के लिए निर्धारित न्यूनतम वजन पर माल डिब्बा भार की दर से न्यूनतम प्रभार होगा ।

विवरण

मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, रामचन्द्रपुरम द्वारा 1968–69 से 1970–71 के दौरान बिजली उपस्करों और किटिंगों के कुछ परेषण लिगमपल्ली रेलवे स्टेशन से सम्बद्ध उनकी साइडिंग से बुक किये गये थे । परेषणों में दो प्रकार के उपस्कर थे : (1) व जो अपने आकार प्रकार में भारी भरकम थे जैसे टरबाईन, टरबों आल्टरनेटर्स आदि और (2) वे जिन्हें परिवहन में क्षति ग्रस्त होने की सम्भावना के कारण माल डिब्बे में एक तरह से अधिक लादे नहीं जा सकते थे, जैसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स, आयल सर्किट बेकर्स आदि । इन परेषणों के परिवहन के लिए पूरे माल डिब्बों की आवश्यकता थी । चूंकि प्रत्येक परेषण का वास्तविक वजन 45 क्विन्टल से कम था इसलिए भारतीय रेल सम्मेलन माल शुल्क दर सूची सं० 33 के भाग I के नियम 164 (1) के अनुसार 45 क्विन्टल के लिए फुटकर की दर से प्रभार लिया गया था । यह नियम नीचे उद्धृत किया जाता है

> 164(1) जब परिवहन के लिए प्रस्तुत माल इस प्रकार का हो कि उसके भारी भरकम होने, उसके आकार-प्रकार या अन्य कारण से बड़ी लाइन के प्रत्येक माल डिब्बे में 45 क्विन्टल तक और मीटर अथवा छोटी लाइन के माल डिब्बे में

30 क्विन्टल तक लाद पाना असम्भव हो जाये तो ऐसे माल के लिए प्रति डिब्बा क्रमश: 45 क्विन्टल और 30 क्विन्टल का प्रभार 'फुटकर' के हिसाब से गन्तव्य स्थान तक का लिया जायेगा चाहे उसमें आमान परिवर्तन निहित हो अथवा नहीं, लेकिन यह तब लागू नहीं होगा जब उसके लिए इस शल्क दर सूची में विशेष न्यूनतम प्रभार की व्यवस्था हो या अन्यथा अधिसूचित हो कि किस हालत में वह न्यूनतम प्रभार लागू होगा। यदि माल डिब्बा भार के लिए निर्धारित न्यूनतम वजन के लिए माल डिब्बा भार की दरें 'फुटकर' दर के प्रभार से कम हों तो माल डिब्बा भार की दर लागू होगी।

लेखा परीक्षा ने महसूस किया कि चूंकि इन परेषणों की लदान के लिए परेषकों को पूरे माल डिब्बों का लाभ दिया गया था इस लिए 'फुटकर' की दर से 45 क्विन्टल की बजाय 110 क्विन्टल का प्रभार लागू होना चाहिए था जोकि इन परेषणों के लिए माल डिब्बा भार की दर से लागू करने क लिए वजन की शर्त है। इस आधार पर लेखा परीक्षा द्वारा 1968–69 से 1970–71 तक की अवधि में जितनी क्षति का हिसाब लगाया गया था वह 4.14 लाख रुपया बैठता था।

लेखा परीक्षा द्वारा जितनी क्षति का हिसाब लगाया गया था उसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि 90 प्रतिशत परेषणों का 45 क्विन्टल की फुटकर दर से प्रभार ठीक लगाया गया था और उस समय 110 क्विन्टल के लिए भाड़ा प्रभार लगाने की नियमानुसार अनुमति नहीं थी। भले ही वास्तविक वजन काफी कम था। 10 प्रतिशत परेषणों के बारे में माल डिब्बे में जगह का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया था और इस वजह से 40,000 रुपये की हानि हुई थी। रेलवे के इस निर्णय के फलस्वरूप कि जून, 1971 के बाद के सभी माल डिब्बों पर 110 क्विन्टल के न्यूनतम वजन का प्रभार वसूल किया जाये, भारी भरकम वस्तुओं पर अधि-प्रभार के रूप में यह रकम कई बार वसूल की गयी थी।

Lower Income from Railway Container Service

2273. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether the income from Railway container service has been for below the estimate; and

(b) if so, the main reasons therefor and the steps taken by Government to ensure that high freight goods are carried by railways instead of road transport?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No Sir.

(b) Does not arise. However some of the important steps taken to attract more high rated traffic to railways are.—

(i) Maintaining close liaison with trade and industry.

(ii) Expansion of container services between important business centres.

(iii) Introduction offreight forwarder Services on more and more routes.

(iv) Exemption of high-rated commodities from operating restrictions, as far as possible.

(v) Introduction of Quick Transit services.

(vi) Introduction of Street Collection and Delivery services and Mobile Booking Services.

(vii) Upgradation of selected commodities in the Priority Schedule.

Loss in Transportation of Timber

2274. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railways have to incur loss in the transportation of timber because the same is not loaded after measuring or weighing; and

(b) the steps being taken by Government to make up this loss?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No. As in the case of other traffic, timber booked in wagonload is charged on the actual weight or the minimum weight prescribed, whichever is higher. The actual weight is ascertained by weighment at weigh-bridge wherever possible. Where weighment is not possible due to operational or other reasons, freight charges are levied on the weight declared by the sender or the prescribed minimum weight, whichever is higher. The actual weight is also acertained by measurement, wherever practicable.

(b) In view of answer to part (a), this question does not arise.

Retrenchment of Labourers in Farakka Dam Project

2275. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Irrigation and Power** be plased to state:

(a) whether there has been retrenchment of labourers on a large scale in Farakka Dam Project;

(b) if so, the number of labouters retrenched there; and

(c) whether Government propose to provide them employment and if so, when?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) All efforts are being made to absorb the staff likely to become surplus on the completion of the Farakka Barrage Project in other Central and State Government Department Public undertakings.

Electrification of Mahwal Railway Station (N.E. Railway)

2276. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state : (a) whether Government are aware of the demand for electrification of Mahwal station on Narkatia-Muzaffarpur railway line on North Eastern Railway;

(b) if so, steps proposed to be taken in this regard and the time by which that would be done; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) The work is in progress and is expected to be completed by March, 1974.

(c) Does not arise.

Suspension of Train Services on north Eastern Railway and other Sections

2277. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a large number of trains on the North Eastern Railway and in some other Sections remained suspended even after the strike was called off by the Loco employees and many trains are not running even now; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) Some of the trains on North Eastern Railway and other Railways remained cancelled after the strike of loco employees was called off owing to gradual normalisation of rake and engine links and due to difficult coal position.

Licensing policy for Petro-Chemical units

2279. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) Government's Licensing Policy for Petro-cehmicals;

(b) whether Government propose to liberalise issuing licences to the private units;

(c) if so, the main points to be taken into consideration by Government in this regard; and

(d) the number of applications for licences pending with Government and since when ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) The Petro-chemicals come within the core sector as announced by Government in its February, 1973 Licencing Policy. Larger Houses and foreign companies are eligible to participate in these Petro-chemical industries along-with other entrepreneurs.

(d) The number of applications pending year-wise is as below:

1970	3
1971	18
1972	25
1973	58

Bomb Explosion on Railway Platform of Bareily

2280. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether in October, 1973 there was a bomb explosion on the railway platform of Bareilly, as a result of which several persons were injured;

(b) if so, the number of persons injured, and

(c) the findings of the enquiry conducted by Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes. An explosion of a detonator (not a bomb) occurred on 27-10-1973 on platform No. 4/5 at Bareilly station; A few beggar boys had found a box containing some metallic article in a wastage pot which they brought to the platform. When out of curiosity they tried to break it, there was an explosion cuasing injuries to them.

(b) Eight persons, which included 1 adult and 7 children (all beggars) were injured.

(c) It was an accidental explosion involving no motive.

Accidents on Central Railway as a Result of subversive activities during the last five months

2281. Shri HukamChand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of accidents on Central Railway as a result of acts of sabotage during the last five months; and

(b) the future scheme of Government for checking such acts?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) During the period 1-6-1973 to 31-10-1973 no such accident occurred on the the Central Railway.

(b) The following measures have been/are being taken to prevent such activities:

By State Governments:

(i) Patrolling of the railway track, specially in vulnerable sections.

(ii) Conducting educative publicity among the villagers residing in close proximity to the railway track.

(iii) Enlisting help of village defence societies where they exist.

(iv) Granting rewards to persons giving timely information about subversive activities of anti-social elements.

(v) Collecting intelligence about mischievous, disgruntled and anti-social elements indulging in such activities.

(vi) Bringing the culprits to book, where possible by launching prosecutions under the Indian Penal Code as well as under Indian Railway Act.

By the Railways:

(i) The Railway Protection Force assist the State Police in the detection, apprehension and prosecution of culprits by collecting intelligence and exchanging it with the police.

(ii) The Dog Squads maintained by the Railway Protection Force are deployed to track the culprits, where possible.

(iii) Strict surveillance is kept over suspects, specially black-smiths, dealers in scrap materials and other known criminals and anti-social elements.

(iv) Close co-operation and co-ordination is maintained with the State Police by holding periodical meetings and exchanging information at various levels.

(v) Engineering and Permanent Way Staff have been instructed not to stack loose railway materials or tools near the track.

(vi) Deterrent punishment is awarded to the Railway Staff in cases where tampering is facilitated by lapses on their part.

(vii) The antecedents of the labourers employed on the track are verified.

Chain pulling incidents on Eastern Railway

2282. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of chain-pulling incidents on the Eastern Railway during the last five months; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to check these incidents?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) 10,591 cases of alarm chain pulling have been registered on Eastern Railway during the five months from May to September, 1973.

(b) The main measures taken by Railway Administration to check this evil are indicated below :

(i) Posting of plain clothed T.T.Es and Railway Protection Force men in III class compartments;

(ii) conducting of surprise checks by anti-alarm chain pulling squads, consisting of T.T.Es and Railway Protection Force personnel;

(iii) arranging of special ambush checks by ticket checking staff in collaboration with the staff of Railway Protection Force;

(iv) conducting of educative campaigns in the press, through posters, cinema-slides etc. and by announcements on the Public Address System provided at important stations;

(v) creating of consciousness among the students about the evil of alarm chain pulling through lectures in educational institutions by Senior Railway Officers;

(vi) offering of rewards for apprehending chain pullers; and

(vii) blanking off of the alarm chain apparatus on trains which are chronic victims of chain pulling.

Accidents on eastern Railway during the last five months

2283. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Railway accidents that occurred on the Eastern Railway during the last five months;

(b) the amount of loss suffered as a result thereof;

(c) the number of persons killed and wounded; and

(d) the amount given as compensation to the families of the deceased?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) During the period 1-6-1973 to 31-10-1973 there were 29 train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains on the Eastern Railway.

(b) The cost of damage to Railway property was estimated at approximately Rs. 40,72,000.

(c) In these accidents 24 persons were killed and 91 injured.

(d) So far, no compensation has been paid to any of the injured persons or to the legal heirs of the deceased.

Amount of Overtime Allowance given to the employees in the Ministry of Law, Justice and Company affairs

2284. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the amount of Overtime Allowance paid during the financial year 1972-73 to the employees working in his Ministry has considerably increased as compared to that paid during the years 1970-71 and 1971-72;

(b) if not, the year-wise amount of expenditure incurred on Overtime Allowance during the said financial years;

(c) whether Government propose to effect a cut in the estimated amount of Overtime Allowance to be paid during the financial year 1973-74, keeping in view the financial crisis; and

(d) Government's prospective policy and planning in this regard?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H.R. Gokhale) : (a) Yes.

(b) Does not arise. However, the relevant figures in respect of three financial years is as follows:

1970-71	Rs. 2,76,127-00
1971-72	Rs. 2,94,973-35
1972-73	Rs. 3,45,332-30

(c) and (d) Consistent with the exigencies of public service, efforts are being made to effect reduction in the expenditure on this account during the current financial year and such efforts will continue to be made during the future years also.

तीसरे वतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये दानापुर स्थित डी० एस० आफिस के अतिरिक्त (अनसचिवीय) पदों का बनाया जाना

2285. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर स्थित डी० एस० आफिस की कार्मिक की शाखा में क्लर्कों की संख्या में वृद्धि करने के लिये डिवीजनल अधिकारियों ने कलकत्ता स्थित मुख्यालय को गत एक वर्ष में अतिरिक्त पद बनाये जाने के लिये प्रस्ताव किये हैं? और यदि हा, तो कितने पदों की मांग की गई तथा रेलव प्रशासन ने कितने पदों की मंजूरी दी ;

(ख) वर्ष 1971–72, 1972–73 में कितने क्लेरिकल पद रिक्त हुये तथा वर्ष 1973–74 में कितने पद रिक्त होने की सम्भावना है तथा वर्षवार कितने कितने पद भर गये; और

(ग) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कितने अनुसचिवीय पद बनाये गये ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दानापुर मण्डल के कार्मिक शाखा में 151 लिपिक वर्गीय पदों के सृजन के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इस पर विचार हो रहा है ।

(ख) एक जगह 1971–72 में खाली हुई थी और ग्यारह 1973–74 में । सभी जगहें भरी जा चुकी है ।

(ग) दानापुर मण्डल में 350-475 रु० (अधिकृत वेतनमान) के ग्रेड में कार्यालय अधीक्षक के एक पद का सृजन किया गया है । जब और जैसे जरूरत पड़ेगी अन्य अराजपत्रित पदों का सृजन किया जायेगा ।

पदोन्नति के परिणामस्वरूप कार्यालय-कर्मचारी वर्ग के पदों का पुनः वितरण

2286. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कहा था कि रेल कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा शर्तों का मामला तीसरे वेतन आयोग के विचाराधीन है और कार्यालय कर्मचारी वर्ग के पदोन्नति के कोट की प्रतिशतता में वृद्धि के प्रश्न पर तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों तक प्रतीक्षा करनी होगी;

(ख) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने से पूर्व ही सरकार ने कुछ वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों का संशोधन किया/उनके पद का दर्जा बढाया है;

(ग) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और सरकार ने पद का दर्जा बढाये जाने के बारे में कुछ निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिशतता सहित भिन्न-भिन्न वर्गों में कार्यालय कर्मचारी वर्ग के पदों का पुनः वितरण क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) तीसरे वेतन आयोग ने रेल कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों में पदों के प्रतिशत बंटवारे के बारे में कोई सिफारिश नहीं की बल्कि रेलवे बोर्ड से केवल एक 'व्यापक समीक्षा' करने के लिए अनुरोध किया है । यह काम यथा समय किया ही जायेगा ।

पटना जंक्शन के लिये 11-अप एक्सप्रेस रेल गाड़ी में शायिकाओं का कोटा बढ़ाना

2287. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री भोला मांझी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना जंक्शन से दिल्ली जाने वाली 11-अप एक्सप्रेस रेल गाड़ी में तीन टायर वाले डिब्बे में तीन शायिकाओं का कोटा है;

(ख) क्या पटना जंक्शन से दिल्ली जाने वाली 11 अप एक्सप्रेस रेल गाड़ी में तीन टायर वाले डिब्बे में बहुत से यात्रियों को आरक्षण नहीं दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या पटना जंक्शन में 11 अप एक्सप्रेस रेल गाडी का कोटा बढ़ाया जा रहा है और यदि हां, तो शायिकाओं की संख्या कितनी है तथा इसको किस तिथि से लागू किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 11-अप हवड़ा दिल्ली एक्सप्रेस में पटना जंक्शन के लिए तीसरे दर्जे में 3 टियर की पांच शायिकाओं का कोटा है

(ख) इस गाड़ी में पटना जंक्शन की 3 टियर की शायिकाओं की मांग अधिकांशतः पूरी कर दी जाती है ।

(ग) और (घ) 11 अप हवडा दिल्ली एक्सप्रेस में पटना जंक्शन के लिए 3 टियर शायिकाओं का कोटा 2-10-1972 से 3 शायिकाओं से बढाकर 5 शायिका कर दिया गया था ।

इस समय इस कोटे को और बढाने की गुंजाईश नहीं है क्योंकि ऐसा करने के लिए अन्य स्टेशनों को आबंटित कोटों में कटौती करनी होगी जिनका पूरा उपयोग हो रहा है ।

मालगाड़ियों के निर्धारित स्थान पर पहुंचने पर कम पाये गये माल की धनराशि को मुगलसराय स्टेशन के गुडस क्लर्कों के नाम डालना

2288. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री भोला मांझी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सील बन्द मालडिब्बों वाली गाडियों के निर्धारित स्थान पर पहुंचने पर माल कम पाये जाने पर पूर्वी रेलवे के मुगलसराय स्टेशन में काम कर रहे गुडस क्लर्कों के नाम गत तीन वर्षों से काफी राशि डाली जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969 से 1972 तक किन गुडस क्लर्कों के नाम भाग (क) में निर्दिष्ट कि कारणों के लिये कितनी कितनी राशि डाली गई ;

(ग) क्या अन्य भारतीय रेलव जोनों में भी ऐसी व्यवस्था चालू है, यदि हां तो उसकी मोटी रुपरेखा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो पूर्वी रेलवे तथा अन्य रेलवे जोनों के गुडस क्लर्कों के बीच भेद-भाव बरतने के क्या कारण है ?

रल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं । जिन मामलों में माल की हानि के लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी निश्चित की जाती है उनमें कर्मचारियों से सुधारात्मक उपाय के रुप में छोटी छोटी रकमें वसूल की गयीं है जिसे रेल कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियमों के अधीन लघु शास्ति माना जाता है ।

(ख) जिन कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया और जिनसे वर्ष 1969, 1970, 1971 और 1972 के दौरान वसूली की गयी, उनके नाम संलग्न विवरण में दिये हुए है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5816/73**]

(ग) जी हां । दूसरी क्षेत्रीय रेलों पर भी, जिन मामलों में कर्मचारियों को माल की नियम के लिए जिम्मेदार पाया गया है, उनमें उनके विरुद्ध रेल कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियमों के अधीन कार्रवाई की जाती है और उनसे भी नियमों के अधीन, मामले के गुण-दोषों के आधार पर वैसी ही वसूलियां की जाती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा लगाया गया धन और अर्जित लाभ

2289. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी और सरकारी क्षेत्र की औषध निर्माता कम्पनियों ने भारत में गत तीन वर्षों में वर्षवार तथा वर्गवार कुल कितना धन लगाया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक श्रेणी को कितना लाभ हुआ;

(ग) क्या विदेशी औषध कम्पनियां अपने लाभ का केवल 6 प्रतिशत भाग ही अनुसन्धान कार्यों में लगा रही है । अपनी आय का लगभग 50 प्रतिशत भाग अपने उत्पादकों की विक्री से संवर्धन पर व्यय कर रही है जो प्राय: एक ही प्रकार के होते है परन्तु भिन्न कम्पनियों के नामों के अन्तर्गत बेचे जाते है ।

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशी कम्पनियों को औषधियों के नाम उनकी रचना अनुसार रखने और लाभ के अधिकांश भाग को अनुसंधान कार्यों पर व्यय करने तथा उपभोक्ताओं को मूल्य में राहत देने के लिए सहमत कराने की संभावनाओं पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उपाय किए गए है तो क्या परिणाम प्राप्त हुए है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा निवश की गई पुंजी तथा पिछले तीन वर्षों में उनके द्वारा अर्जित लाभ सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी। सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित सूचना सलग्न है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

(घ) और (ङ) फार्माकोपीएल नामों के अन्तर्गत विक्रय किये जाने वाले सूत्रयोग उत्पादन कर से मुक्त है । औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 की वैकल्पिक योजना के अन्तर्गत कुल विक्रय पर 15 प्रतिशत से अधिक अधिक होने वाले लाभ को एक अलग फंड से रखना होता है और केन्द्रीय सरकार के पुर्वानुमोदन से उसका उपयोग अनुसंधान एवं विकास आदि जैसे उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है । ब्रांड नामों (विदेशी फर्मों के नामों सहित) तथा उनके समाप्त के उलझाव जांचाधीन है ।

विवरण

सरकारी उपक्रम का नाम	निवेश				लाभ/हानि (+) (-)		
	1-4-70 को	1970-71	1971-72	1972-73	1970-71	1971-72	1972-73
इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लि०	2425.00	180.00	155.55	620.00	(-)799.24 (व्याज और मूल्य ह्रास की व्यवस्था के बाद)	(-)486.96	(-)369.95
हिंदुस्थान एण्टिबायोटिक लि०	247.26	शून्य	शून्य	शून्य	(+)12.47 (करों के उपरान्त लाभ)	(+)12.71	(+)5.83

पांचवीं योजना के दौरान यात्रियों की सुविधाओं के लिये नियत राशि

2291. **श्री आर० एन० बर्मन :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना के दौरान यात्रियों की सुविधाओं के लिये कितनी राशि नियत की गयी है; और

(ख) पश्चिम बंगाल के पिछडे क्षेत्रों के लिए कितनी राशि व्यय की जाएगी?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में यात्रि सुविधाओं के लिए अनन्तिम रुप से 20 करोड रुपये की रकम की व्यवस्था की गई है।

(ख) रेलों का विकास राज्यवार अथवा क्षेत्रवार नहीं दिया जाता। क्षेत्र के यातायात और उसकी परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाते है ।

"80 ट्रेन रोबरीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2292. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अक्टूबर, 1972 के "इण्डियन एक्सप्रेस" मे "80 ट्रेन रोबरीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी और जून, 1973 की अवधि मे रेलों में अपराधों की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है । लेकिन इसी अवधि में पूर्व रेलवे पर हत्या, लूटपाट और डकैती की घटनाओं में कुछ वृद्धि दिखायी दी है । उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे पर, इस अवधि में, इस तरह के अपराधों में कुछ कमी हुई है ।

रेलों में होने वाले अपराधों से निपटने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारें यथेष्ठ रुचि ले रही है।

रेलों में इस तरह के अपराधों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किये जा रहे है :

1. रात को चलने वाली महत्वपूर्ण सवारी गाडियों में सशस्त्र पुलिस के आरक्षी तैनात रहते है।
2. बदमाशों और कुख्यात अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा नियमित गश्त ड्यूटी की व्यवस्था की जाती है ।
3. सूचना इकट्ठी करने और अपराधियों की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए सादे कपडों में पुलिस कर्मचारी तैनात किये गये है ।
4. पूर्व, दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलों के पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पीछा करने वाले गश्ती दलों की व्यवस्था शुरू की गयी है। रेलों पर इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए प्रतिरोधी दस्ते गठित करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।
5. राज्य/केन्द्रीय सरकार (जिनमें रेलें शामिल है) के वरिष्ठ अधिकारीयों का एक कार्यकारी दल गठित किया गया है जो रेलों पर अपराध समस्या की पूरी तरह जांच करेगा और इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उपायों का सुझाव देगा।

इस दल ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है कि सरकारी रेलवे पुलिस की संख्या बढाने की तत्काल आवश्यकता है। लेकिन, राज्य सरकारों ने इस अतिरिक्त खर्च को वहन करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है और यह इच्छा व्यक्त की है कि संख्या म वृद्धि पर होने वाले खर्च को केन्द्रीय सरकार सहायता अनुदान देकर वहन करें। तदनुसार, वित्त आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है।

मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर का विस्तार करने का प्रस्ताव

2293. **श्री० ए० के० कोत्राशट्टी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या करनाटक स्थित मंगलौर केमिकल्स एन्ड फर्टीलाइजर ने अपनी क्षमता के विस्तार के लिए आवेदन पत्र भेजा है;

(ख) क्या सरकार ने उनके विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) सरकार ने इस उद्देश्य हेतु कि इस उपक्रम में अधिक से अधिक कन्नड़ भाषी लोगों को रोजगार दिया जाए, क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हा ।

(ख) सरकार की यह इच्छा रही है कि वे ऐसे विस्तार कार्यों का समर्थन कर बशर्ते कि स्त्रोतों तथा अन्य सम्बन्धित साधन उपलब्ध हों ।

(ग) यह एक ऐसा मामला है जो कम्पनी के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

काली नदी पन-बिजली परियोजना के लिए सहायता

2294. **श्री ए० के० कोत्राशेट्टी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली नदी पन–बिजली परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता तामिलनाडु और केरल के साथ बिजली घे बटवारे की शर्तों पर निर्भर है; और

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार चौथी योजना के केवल अंतिम दो वर्षों के दौरान ही कालीनदी जल विद्-युत परियोजना चरण एक के लिए गैर योजना सहायता के रूप में, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने के लिए सहमत हो गई है । केन्द्रीय सहायता तामिलनाडु और केरल के साथ विद्युत बटवारे के संबंध में किसी शर्त पर आधारित नहीं है ।

कोयाली तैल शोधक कारखाने के श्रमिकों के आन्दोलन का निपटारा

2295. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मुख्य मंत्री ने कोयाली तेल शोधक कारखाने के श्रमिकों के आन्दोलन के निपटारे के लिए उन्हे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री उन्हें कोई समझौता फार्मूला भी प्रस्तुत किया है; और

(ग) इस मामले को हल करने के लिए दोनों सरकारों ने क्या कदम उठाए है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) वास्तव में, बोनस के मामले पर कोयाली शोधनशाला के कमचारियों द्वारा किय जा रहे आन्दोलन को निपटाने के लिये पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने गुजरात के मुख्य मंत्री से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। मुख्य मंत्री बोनस का मामला शीघ्र ही निपटाना चाहते थे।

(ग) बोनस सम्बन्धी मामला निपट गया है और भारतीय तेल निगम के प्रबन्धकों एंव कर्मचारियों के संघ के बीच 5 नवम्बर, 1973 को इस आशय के एक करार पर हस्ताक्षर हो गय है।

मध्य प्रदेश में "सुपर" तापीय बिजलीघर की स्थापना

2296. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में कोरबा के निकट एक बहुत बडे तापीय बिजली घर की स्थापना करने का निणय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) क्या ये संयंत्र गुजरात राज्य के क्षेत्रों को भी बिजली की सप्लाई करेगा और इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय म उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश ने कोर्बा में एक बृहद ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है जिसकी अंतिम क्षमता 1800/2000 मैगावेट होगी। आरंभ में 80.15 करोड रुपये को अनुमानित लागत पर पांचवीं योजना के दौरान दो यूनिटों क प्रतिष्ठापन का प्रस्ताव है जिनमें से प्रत्येक को क्षमता 200 मैगावेट होगी। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) कोर्बा से गुजरात को कोई बिजली सप्लाई करने का विचार नहीं है क्यों कि इसमें निहित दूरी बहुत अधिक है।

अमरीका में हुआ विश्व जल सम्मेलन

2297. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सितम्बर, 1973 में अमरीका में हुए विश्व जल सम्मलन में सम्मिलित हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर किन बातों पर चर्चा हुई और उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ैर (ख) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय जल संसाधन संघ, अमेरिका द्वारा आयोजित जल संसाधनों पर प्रथम विश्व कांग्रेस में भाग लिया था। कांग्रेस ने आज मानव-वातावरण में जल की समस्या और महत्ता

पर ध्यान केन्द्रित किया था। जल संसाधनों के विकास से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय की संभावनाओं को पता लगाने, उपलब्ध वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का मूल्यांकन करने और विभिन्न देशों द्वारा जल संसाधनों के प्रबंध और आयोजन में उठाए गए कदमों का पुनरविलोकन करने के लिए विभिन्न तकनीकी बैठकें की गई। ताप प्रदूषण, जल-प्रदूषण और प्रणाली-विश्लेषण पर विशेष बैठके हुई थी।

दिल्ली में भाखड़ा से बिजली की सप्लाई

2298. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली को भाखडा से बिजली की सप्लाई में कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और कितनी कटौती की गई है; और

(ग) दिल्ली में बिजली की कमी को किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) भाखड़ा जलाशय में कमी होने से विद्युत के लिए जल निकास को इस ढंग से नियमित किया जाता है ताकि मौसम के अन्त तक सिंचाई और विद्युत उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सके। भाखड़ा से प्राप्त विद्युत के साथ दिल्ली में विद्युत उत्पादन दिल्ली को विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

केरल के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों के अधिक बड़े क्षेत्रों को ढकने के लिये छतों की व्यवस्था

2300. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के अधिकतर रेलवे स्टेशनों की छतें बहुत थोडी जगह ढकती है और अत्यधिक वर्षा में उस क्षेत्र के लिए वे अपर्याप्त है।

(ख) क्या केरल में महत्वपूर्ण रेलवे प्लॅटफार्मों के लिए अधिक ढके क्षेत्र की व्यवस्था हेतु कोई कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में भावी योजनायें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सरकार को पता है कि केरल राज्य के कुछ स्टेशनों पर यात्रियों के लिए छतदार स्थान अपर्याप्त है और उसमें विस्तार की आवश्यकता है। ऐसे काम सापेक्ष आवश्यकता और धन की उपलब्धता होने पर ही रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति के परामर्ष से शुरू किये जाते है।

(ग) और (घ) केरल राज्य में निम्नलिखित स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर छत डालने का काम हो रहा है । कार्यक्रम बनाया गया है :–

क्रम सं०	स्टेशन का नाम	लागत लगभग (हजार रुपयों में)
1.	कालीकट	29
2.	चेंगान्नुर	25
3.	पुनालुर (अतिरिक्त छत की व्यवस्था और स्टेशन में सुधार)	74
4.	चेमानचेरी	14
5.	कन्नानूर	18
6.	तिरूर	25
7.	ओलक्काट	26
8.	तेल्लिचेरी	21
9.	कोट्टायम	30

केरल में बलाड नदी पर "मन्नाथनयोडो पन्-बिजली परियोजना" का निर्माण

2301. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने बलाड नदी पर को काबिनी को उप नदी है "मन्नाथनयोडी पन बिजली परियोजना" के निर्माण के संबंध में एक योजना प्रस्तुत की है और केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मांगी है, और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां मान्नाथनयोडी स्कीम पर एक अग्रिम परियोजना रिपोर्ट केरल सरकार से प्राप्त हुई है ।

(ख) इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं ये है :—

(1) काबेरी बेसिन में काबिनी नदी की सहायक नदी मानन्थोडी पर 36.27 मीटर उंच बांध के निर्माण से 327 मिलियन घन मीटर को कुल क्षमता के एक जलाशय का निर्माण ।

(2) मानन्थोडो जलाशय से निकटवर्ती वालापट्टमम बेसिन को जल का व्यपवर्तन करने के लिए एक 1585 मोटर लम्बी सुरंग, और

(3) औस्तन 603.5 मीटर की कुल ऊंचाई से प्रचालन के लिए अभिकल्पित 50–50 मगावाट की 4 यूनिटों को प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ एक विद्युत केन्द्र ।

परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

कर्नाटक में काबिनों परियोजना का निर्माण

2302. **श्री सी० के० चंद्रप्पन :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री मैसूर में काबिनों परियोजना के निर्माण के बारे में 31 जुलाई 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2180 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने कन्नानोर के जिला कलक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का जिसका हवाला उत्तर के भाग (क) और (ख) में दिया गया है, अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या निर्णय किया है, और

(ग) सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को शीघ्र राहत दिलाने के लिए जिनकी भूमि और सम्पत्ति काबिनी परियोजना के निर्माण के कारण जलमग्न हो गई है, क्या कार्यवाही की गई है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कन्नानोर के जिलाधीश ने सरकार को कोई उत्तर नहीं दिया है। बहरहाल, केरल सरकार ने एक तथ्यान्वेषी समिति नियुक्त की थी । राज्य में पश्च जल स्तरों के संबंध में किसी प्रमाणीकृत आंकड़ों के अभाव में, समिति ने जलमग्न क्षेत्र तथा प्रभावित सम्पत्ति का केवल निकटतम मूल्यांकन किया । हाल ही में कर्नाटक और केरल सरकारें जलमग्नता के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने तथा किसी सौहार्दपूर्ण निर्णय पर पहुंचने के लिएं सहमत हो गई है । कर्नाटक सरकार ने काबिनी जलाशय के पश्च जल संगणना के समर्थन में कुछ आंकड़े भी भेजे हैं और पश्च जल के कारण जलमग्नता के वास्तविक स्तर के संबंध में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दोनों राज्यों के मुख्य अभियंताओं के बीच आगे पत्र-व्यवहार किया जा रहा है । अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

केरल सरकार ने आगे सूचित किया है कि जैसे ही केरल में जलमग्नता के सही विस्तार का निर्णय कर लिया जाएगा, कर्नाटक सरकार के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए और संभावित प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आग कार्रवाई की जाएगी ।

Exploration for Gas in Baramora, Tripura

2303. **Shri G. P. Yadav :**

Shri Dinen Bhattacharya

Will the Min'ster of **Petroleum & Chemicals** be pleased to state:

(a) whether biggest reserves of gas are expected to be found at Baramura in Tripura; and

(b) if so, by what time Government expect to utilise this gas?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) As a result of the surveys conducted till now, a number of favourable structures have been located in Tripura. The extent to which they are oil or gas bearing would be known only after they are tested through deep drilling. The O.N.G.C. has already started drilling at one of the structures, namely at Baramura where operations are still in progress.

In Baramura well No. 1, while drilling at the depth of about 1900 metres, a hydrocarbon show was noticed in well-cuttings and core. An open-hole drill-stem test was carried out, which showed that this sand interval was gas-bearing. The actual potential of this will have to be assessed after the well has been drilled to the target depth of 4500 metres. It is thus too early to speculate about the reserves that might exist in the structure or to plan for their exploitation.

उत्तरी उड़ीसा में स्वर्ण रेखा परियोजना

2304. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरी उड़ीसा की स्वर्ण रेखा परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने पर विचार कर रही है ;

(ख) चंदील में बांध का निर्माण कब शुरू होगा और क्या लोअर स्वर्ण रेखा क्षेत्र का जल-निकास और निकर्षण औसत पूर्वोपाय के रूप में इस वर्ष शुरू किया जाएगा; और

(ग) क्या तीन राज्यों ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा सुवर्णरेखा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों के अध्ययन और विस्तृत योजना को अंतिम रूप देने के लिए सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा अगस्त, 1972 में गठित सुवर्णरेखा समिति ने, जिसके संयोजक सदस्य (बाढ़) केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग तथा बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्य अभियंता सदस्य थे, अगस्त 1973 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सर्व समिति से निम्नलिखित सिफार शें की हैं ;

1. बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई स्वर्णरेखा बहूद्देश्यीय परियोजना में शामिल चंदिल में बांध में बाढ़ नियंत्रण जल संचय की व्यवस्था, और बाढ़ को कम करने के लिए सही सींचित जल की मात्रा बिहार परियोजना की स्वीकृति के समय तथा की जाएगी । इस बांध का निर्माण प्राथमिक आधार पर हाथ में लिया जाना चाहिए ।

2. बाढ़ों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के नीचले भागों में तटबंधों का निर्माण ।

3. उड़ीसा में खलजोरी तथा चकताई नालों पर जल निकास स्कीमों का प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन ।

4. समुद्र को सीधे मार्गों के निर्माण द्वारा निचली पहुंचो में नदी में सुधार लाने को व्यवहार्यता की जांच करना ।

5. बहूद्देशीय परियोजना को लागू आवंटन के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार चंडिल में बांध में बनाए जाने वाले बाढ़ संचय की लागत का तीनों राज्य सरकारों के बीच आवंटन करना ।

यह रिपोर्ट सिफारशों पर कार्यवाही आरम्भ करने के लिए सितम्बर, 1973 में बिहार, उड़ीसा, और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों को भेज दी गयी थी ।

उडीसा सरकार द्वारा आयोजित एवं क्रियान्वित किए जाने वाले कार्य है-उनके अपने क्षेत्र में तटबंधों, जलनिकास स्कीमों का निर्माण तथा नदी सुधार कार्य । उड़ीसा राज्य सरकार से समिती की सिफारशों को ध्यान में रखकर इन कार्यो के लिए प्रस्ताव तयार करने के लिए अनुरोध किया गया है । ये स्कीमें उनकी जांच करने तथा उनके पांचवी योजना में सम्मिलित करने निमित्त योजना आयोग के अनुमोदन के लिए उन पर कार्यवाही करने के लिए अभी तक केंद्र में प्राप्त नहीं हुई है ।

बिहार सरकार द्वारा पहले तैयार की गई सुवर्णरेखा परियोजना की रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में की जा रही है । जिस में चंदिल में बांध भी शामिल है ।

चावल की तस्करी के कारण दक्षिण-पूर्व रेलवे में गाड़ियों का विलम्ब से चलना

2305. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में गाडियों का विलम्ब से चलने का कारण यह है कि पसेंजर तथा एक्सप्रेस गाड़ियों में चावल की तस्करी करने वाले जमाखोर और अन्य तस्कर व्यापारी सवार होते है;

(ख) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्रवाही करने का है ;

(ग) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे की गाड़ियों में सशस्त्र गार्ड अब भी चलते है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) वाणिज्य विभाग द्वारा रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा दल के साथ मिल कर अभियान चलाये जा रहे हैं ।

(ग) जी हां, रात की गाड़ियों में ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पैट्रोल की कीमत में वृद्धि का पूर्व-ज्ञान

2306. **श्री सरजू पांडे :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्लीवासियों को पट्रोल की कीमत बढ़ने के बारे में अध्यादेश जारी होने से पूर्व ही इसका पता लग गया था;

(ख) क्या उपभोक्ताओं ने पेट्रोल के अधिक से अधिक गैलन अध्यादेश जारी होने के दिन खरीद लिये थे; और

(ग) यदि हां, तो इंडियन आयल के पम्पों द्वारा बेचे गये तेल की मात्रा क्या है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं । अध्यादेश पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् 2 नवम्बर, 1973 के सायं को प्रेस को सूचना दी गई थी ।

(ख) और (ग) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

पूर्वी रेलवे के हावड़ा बान्देल सैक्शन में उपमार्गों को चौड़ा करना

2307. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन पूर्वी रेलवे के हावड़ा-बान्देल सेक्शन के उपमार्गों और विशेषकर ऐसे मार्गों को जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरते है, को चौड़ा करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं । लेकिन कोन्नगर में वर्तमान सुरंग मार्ग निचले सड़क नीचे पुल को चौड़ा करने के लिए पूर्व रेलवे की अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । कोन्नगर नगरपालिका और राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत यह निर्माण कार्य उनके खर्च पर हाथ में लिया जाता है, खर्च को वहन करने के संम्बध में राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा है । सुरंग मार्ग को 8 फुटसे बढ़ा कर 12 फुट चौड़ा करने पर लगभग 5 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

दुर्गापुर तापीय बिजली संयंत्र द्वारा बिजली का उत्पादन

2308. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर तापीय बिजली संयंत्र कोयले की अपेक्षित किस्म की अपर्याप्त सप्लाई के कारण अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार बिजली का उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है;

(ख) क्या क्षमता से कम बिजली के उत्पादन के परिणामस्वरूप दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को अपेक्षित किस्म और मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है जिसके कारण उत्पादन में कमी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या समाधान सुझाया गया है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दुर्गापुर ताप विद्युत संयंत्र में कम उत्पादन के लिए योग-दायी एक तथ्य कोयले की अपेक्षित किस्म की अनुपलब्धता है ।

(ख) घाटी के बाहर के भारों सहित प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए दामोदर घाटी निगम प्रणाली में विद्युत् उत्पादन का स्तर हाल ही के सप्ताहों में पर्याप्त नहीं था । अतः दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सहित औद्योगिक उपभोक्ताओं की मांग पर पाबन्दियां लगानी पड़ी ।

(ग) विद्युत् उत्पादन के स्तर को उच्चतम करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है ताकि औद्योगिक उपभोक्ता अपनी पूर्ण आवश्यकताएं पूरी कर सकें । दुर्गापुर में 75-75 मेगावाट के दो यूनिटों को पुनः प्रतिष्ठापित करने का एक कार्यक्रम शुरु किया गया है । पिछले चार दिनों में दामोदर घाटों निगम के विद्युत् उत्पादन के स्तर में सुधार हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप सभी उपभोक्ताओं को पूर्ण विद्युत् सप्लाई करना संभव हो सका है । इस स्तर को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है । आगामी कुछ महीनों में चन्द्रपुर युनिट-चार के वाणिज्यिक प्रचालन हो जाने से स्थिति में और सुधार होने की संभावना है ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा संयुक्त उद्यम की पेशकश

2309. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करगें कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा की गई संयुक्त उद्यम की पेशशक पर सरकार ने इस बीच कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो हिस्सेदारी की शर्तें क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी अभी नहीं ।

(ख) उपरोक्त (क) को मध्यनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी मे प्रबंध-निदेशक के लिए स्वीकृत पेंशन संबंधी शर्तें

2310. **श्री मधु लिमये** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1955 में न्यू इंडिया एम्योरेंस कम्पनी के प्रबंध-निदेशक के लिए स्वीकृत पेंशन शर्तों का अनुमोदन कम्पनी विधि, सलाहकार आयोग द्वारा किस आधार पर किया गया;

(ख) कप्पनी कार्य विभाग द्वारा विशेषाधिकार अवकाश और बीमारी का अवकाश जैसी परिलब्धियों पर क्या पुनरीक्षित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये गए है; और

(ग) क्या सरकार के समाजवादी सिद्धांतों के पालन के संकल्प की दृष्टि से इनमें कोई पुनरीक्षण करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) :(क) कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को पेंशन, जो उस समय के कम्पनी विधि परामर्शदाता आयोग के परामश पर, तथा बीमा नियंत्रक से परामर्श करते हुये 1965 में अनुमोदित की गई थी, इस प्रतिदेय पर स्वीकृत की गई थी कि पेंशन स्वीकृत होने पर उसे (क) कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान (ख) लाभांश तथा (ग) कम्पनी के उपदान की सुविधाओं का परित्याग करना पड़गा। कम्पनी ने प्रति दन किया कि लाभांश भविष्य निधि तथा उपदान से प्राप्त सुविधाओं की प्रति वर्ष की कुल राशि, उसे लगभग 7000 रु० प्रतिवर्ष दी जाने वाली पेंशन की राशि से अधिक होगी ।

(ख) तथा (ग) मार्गदर्शी नियमों का पिछलीबार 1972 में संशोधन किया गया था, एव इन संशोधित मार्गदर्शक नियमों की एक प्रति, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 1972 को पूछ गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4332 (प्रति संलग्न है) के उत्तर में सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया था। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5817/73**].

आई० सी० आई० की परियोजनाओं का विस्तार

2311. **श्री रानेन सेन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० सी० आई० ने अपनी परियोजनाओं के विस्तार के लिये सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने आई० सी० आई० की योजना स्वीकार कर ली है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) आई० सी० आई० और मैसर्स अलक्ली एंड किमीकल्स कारपोरेशन आफ इन्डिया लि० जिस में यू० के० के० आई० सी० आई० और आई० सी० आई० (भारत) अधिकांश भागीदार है, से प्राप्त प्रस्तावों के विवरण तथा उस पर सरकार के निणय नीचे दिये हुए है :—

(i) रबड़ रसायन का निर्माण—कम्पनी का अपनी उत्पादन क्षमता को 2,770 मीटरी टन से 6,000 मीटरी टन प्रति वर्ष तक बढाने का कार्यक्रम है। इस प्रस्ताव का सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है। परन्तु अभी औद्योगिक लाइसन्स दिया जाना है।

(ii) नाईट्रो-सेलूलोस—कम्पनी का नाईट्रो सेलूलोस का नई वस्तु के रुप में निर्माण का प्रस्ताव है जो कि कम्पनी द्वारा निर्माण किया जा रहे औद्योगिक विस्फोटक में उपयोग करेगा। नाईट्रो-सेलूलोस का उत्पादन उनके अपने उपभोग के लिय होगा और वह जनता के लिये नहीं है।

(iii) तमिल नाडू में निम्नलिखित औषधियों के निर्माण के लिये एक नये उपक्रम की स्थापना हेतु 28-5-1969 को मैसर्स अलकलाइ ऐंड केमीकल्स कारपोरेशन आफ इन्डिया लि० को एक आशय पत्र दिया गया है ।

प्रोमोडिन	4,500	किलोग्राम	प्रति वर्ष
प्रोप्रनोलोल	1000	,,	,,
क्लिलोफाईवेट	10,000	,,	,,
हालोथेन	10,000	,,	,,
टेट्रामोमोल	10,000	,,	,,
सेट्रामेड	50,000	,,	,,
क्लिलोहेक्सोडीन	3,500	,,	,,
हैक्सा क्लिलोरोएथीन	35,000	,,	,,
टेटमोसोल	1,500	,,	,,
सूत्रयोग			

सहयोग की शर्तों का अनुमोदन किया गया है और सभी औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर औद्योगिक लाइसेन्स दिया जायेगा ।

इस कम्पनी को 2,500 किलो लिटर एक नई वस्तु-विप्रीडीलियम हरवीसाइड का मद्रास में निर्माण के लिये 20 दिसम्बर, 1971 को एक आशय पत्र भी दिया गया है।

परन्तु, 6000 मीटरी टन एनीलीन, 9000 मीटरी टन नाईट्रो बेंजीन, 6000 मीटरी टन नाईट्रिक ऐसिड और 600 मीटरी टन हाईड्रोजन तिवर्ष पश्चिम बंगाल राज्य में निर्माण के लाइसेंस के लिये कम्पनी का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है ।

इण्डियन फार्मेस्यूटिकल्स कारपोरेशन के कैप्टरीलैक्टम संयंत्र को चालू करने में विलम्ब

2312. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इण्डियन फामस्यूटिकल्स कारपोरेशन का केप्टरीलैक्टस संयंत्र जो अगस्त, 1973 में चालू किया जाना था 6 से 8 महीने देर से चालू होगा;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इण्डियन फार्मेल्यूटिकस्स कारपोरेशन लिमिटेड पर आधारित गैर सरकारी क्षेत्र के संयंत्रो को कच्चें माल के आयात पर निर्भर रहना होगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितना कच्चा माल आयात किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात राज्य उर्वरक कंपनी के कैप्रोलैक्टम संयंत्र में लगभग 8 महीनों का विलम्ब हुआ है ।

(ख) देशीय विनिर्माताओं द्वारा उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब किया जाना इस कार्यक्रम में देरी हो जाने का मुख्य कारण है।

(ग) जी हां ।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य व्यापार निगम द्वारा 7,800 मीटरी टन कैप्रोलेक्टम का आयात किया गया है ।

मिट्टी के तेल की मांग को पूरा करने के लिये इसका आयात

2313. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से मिट्टी का तेल आयात करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) उन अन्य देशों के नाम क्या है जिनसे चालू वर्ष में मिट्टी का तेल आयात करने की सरकार का प्रस्ताव है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इसकी कुल मांग क्या है; और

(घ) वर्ष के दौरान में देश में इसका कितना उत्पादन होने का अनुमान है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) रूस के अतिरिक्त, मिट्टी के तेल के आयात के लिये कुवैत नैशनल पैट्रोलियम कारपोरेशन के साथ भी करार किया गया है।

(ग) और (घ) 10.3 मिलियन मीटरी टन मध्यम आयुतों, जिनमें मिट्टी का तेल और डीजल तेल आदि सम्मिलित हैं, कि कुल आवश्यकता की तुलना में देशीय उत्पादन के लगभग 9.25 मिलियन मीटरी टन हो जाने की आशा है। उत्पाद वार उत्पादन तथा मांग संबंधी ब्यौरों को बताना जन-हित में नहीं है।

पूर्वी क्षेत्र में बिजलीघरों की स्थापना हेतु सुझाव देने के लिए उच्च शक्तिप्राप्त तकनीकी समिति

2314. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में 110 मैगावाट के बिजली घर स्थापित करने हेतु दो या तीन स्थानों का सुझाव देने के लिए कोई उच्च शक्ति प्राप्त तकनीकी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) पूर्वी क्षेत्र में बिजली की सप्लाई की गंभीर कमी को ध्यान में रखते हुए तकनीकी समिति ने यह सिफारिश की है कि रेलों द्वारा अपने बिजलीकृत खण्डों में 2 या 3 स्थानों पर अतिरिक्त बिजली घरों की स्थापना की जाये और परिचालन में किफायत के लिए उन्हें राज्य बिजली बोर्ड की बिजली व्यवस्था से सम्बद्ध कर दिया जाये।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा विधि आयोग को उसकी राय जानने के लिए भेजे गये मामले

2315. **श्री बी० मायावन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विधि आयोग को उसकी राय जानने हेतु भेजे गये कई मामले अभी भी विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) जी नहीं, सरकार "मामलों" को आयोग की "राय" जानने के लिए निर्दिष्ट नहीं कर रही है। तथापि, विशिष्ट विधियों का पुनरीक्षण करना आयोग के कृत्यों में से एक है और सरकार द्वारा समय-समय पर विशिष्ट विषयों से संबंधित विधि के पुनरीक्षण के लिए निर्देश किए जाते हैं। सरकार ने हाल ही में चार निर्देश किए हैं और आयोग उन विषयों पर अस्थायी प्रस्ताव तैयार कर चुका है। इसलिए उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर इंजीनियरिंग तथा डिजाइन संगठन द्वारा प्राप्त क्रयादेश

2316. **श्री वलायार रवि :**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से फर्टिलाइर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर इंजीनियरिंग तथा डिजाइन संगठन ने कितने क्रयादेश प्राप्त किए और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने क्रयादेश पूरे हो चुके है या ठेके में निर्धारित अवधि के भीतर पूरे होने की आशा है; और

(ग) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें इसे कार्य पूरा करने में विलम्ब के लिए विलम्ब दण्ड देना था और दण्ड की राशि क्या है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1970 के दौरान और उसके बाद प्राप्त आर्डरों का मूल्य (एफ० ए० सी० टी० इंजीनियरी और परिक्लन संस्थान को देय राशि के हिसाब है) निम्न लिखित है :—

1970-71 .	. रु० 2,62,200
1971 .	. रु० 58,74,000
1972 . .	. रु० 6,84,000
1973 (अक्तूबर तक) .	. रु० 4,00,000

(ख) तेजाब और उर्वरक परियोजना को छोड़ कर 1972 में 1,14,400 रुपये मूल्य के चार ठेके और 1973 में लिये गये चार लाख रुपये के मूल्य के दो ठेके अभी पुरे हो चुके है।

(ग) 1970 से फेडो द्वारा लिये गये ठेकों में परियोजना के पूरे होने में विलम्ब के कारण दंड की अदायगी का कोई अवसर नहीं हुआ है।

रेलवे यात्रियों को पैकेटों में खाद्यपदार्थ देने का निर्णय

2317. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच रेलवे यात्रियों को पैकेटों में खाद्य पदार्थ देने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब लागू किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) दोपहर और रात्रि के भोजन को पैकटों में देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन, कुछ चुने हुए स्टेशनों पर कम मूल्य पर खाद्य पदार्थ का पैकट देना प्रारम्भ किया गया है जिसका मूल्य एक रुपया होता है और पैकट में 6 पूड़िया, सब्जी, अचार और एक मिठाई होती है।

पांचवीं योजना अवधि में अधिक इंजन बनाने की योजना

2318. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पांचवीं योजना अवधि में अधिक रेलवे इंजन बनाने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उस अवधि में बनाये जाने वाले लोकोमोटिव, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों की संख्या क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) पांचवीं योजना अवधि में रेलों के लिए 1300 रेल इंजनों के उत्पादन का प्रस्ताव है (इसमें 400 बिजली रेल इंजन और शेष 900 डीज़ल रेल इंजन शामिल हैं)। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उपयोग के डीज़ल शंटिंग रेल इंजनों की आवश्यकताएं भी पूरी की जायेगी।

(ग) रेल इंजनों की खरीद के लिए रकम का अलग आवंटन नहीं किया गया है। सभी तरह के चलस्टाक के लिए, जिनमें मालडिब्बे, सवारीडिब्बे, रेलइंजन आदि शामिल हैं, अन्तिम रुप से कुल 400 करोड़ रुपयं के आवंटन का प्रस्ताव है।

दिल्ली में पेट्रोल की कमी

2319. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पैट्रोल की अत्यधिक कमी हो गई है;

(ख) क्या इसके कारण मोटर वालों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है; और

(ग) क्या यह कमी वास्तविक है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शहा नवाज खां) : (क) से (ग) सितम्बर, 1973 में बहुत थोड़े समय के लिये विदेशी तेल कम्पनियों के पट्रोल पम्पो में केवल दिल्ली में मोटर स्पिरिट की सप्लाई में कमी हुई थी। गुजरात क्षेत्र में भारी वर्षा, जिस के परिणाम स्वरुप शोधनशाला का उत्पादन घट गया था और कोबली तथा साबरमती, जो कि दिल्ली क्षेत्र के लिये सप्लाई के मुख्य स्रोत हैं, से रेल का आना-जाना बन्द हो गया था, के कारण कमी हुई थी। यह कमी अस्थाई थी और थोड़े समय रही और मांग को पूर्ण रूप से पूरी करने के लिये अब पर्याप्त उपलब्धता है।

उर्वरक निर्माता कम्पनियों को रियासतें

2320. **श्री अजंन सेठी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उवरकों की कमी से बचने के लिये सरकार, गैर-सरकारी क्षेत्र और विदेशी कम्पनियों को अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षत्रों में उर्वरक का उत्पादन करने के लिये अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कम्पनियों ने कई रियासतें मांगी ह; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) महत्वपूर्ण क्षेत्र का उद्योग होने के कारण उर्वरक कार्यक्रम में गैर-सरकारी क्षेत्र की साझेदारी, जिसमें विदेशी साम्य पुंजी साझेदारी युक्त बड़े औद्योगिक घर तथा कम्पनियां शामिल हैं, स्वीकार्य है। हमारे उर्वरक कार्यक्रम में इस समय कोई विदेशी पुंजी विवेश की परिकल्पना नहीं की गई है तथा बाह्य सहायता देश में अनुपलब्ध सेवाओं एवं सप्लाई तक ही सीमित है।

(ख) और (ग) उद्योग की लाभ प्रदता में सुधार करने के लिये उर्वरक उद्योग एवं सम्भावित उद्यमकर्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। इस संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

Electrification of Calcutta-Dehli Line

2322. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the time by which the work of electrification of Calcutta-Delhi Railway line is likely to be completed?

The Dy. Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): Electrification of the Howrah-Tundla section has already been completed. The remaining portion, viz., between Tundla and Delhi, is expected to be brought under electric traction by march, 1976.

उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन मामलों की संख्या

2323. **श्री जी० विश्वनाथन :**

श्री सेझियान :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय में बहुत से मामले विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय उनकी संख्या कितनी है और उन्हें शीघ्र निपटाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) जून, 1973 के अन्त में उच्चतम न्यायालय में 12,060 मुकदमें लम्बित थे।

लम्बित मामलों की फाइल का हमेशा भारत के मुख्य न्यायाधिपति पुनर्विलोकन करते रहते हैं। जैसे ही और जब आवश्यकता पड़ती है, दाण्डिक अपीलों को सुनने के लिए, जिनमें मृत्यु दंडादेश के मामले कर अपीलें, निर्वाचन अपीलें और श्रम अपीलें आदि होती हैं, समय समय पर विशेष न्यायपीठों की स्थापना की जाती है और यथासम्भव बकाया मामलों को निपटाया जाता है। समान प्रश्नों से सम्बन्धित अथवा एक ही विषय वस्तु से उद्भूत मामलों को मिलाकर वर्गबद्ध किया जाता है और ऐसे वर्गों को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से विशेष प्रयास किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय नियमों का 1966 में पुनरीक्षण किया गया है और उच्चतम न्यायालय ने अपील अभिलेख के मुद्रण का वह कार्य, जो पहले उच्च न्यायालयों द्वारा किया जा रहा था, मामलों को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से अपने हाथ में ले लिया है।

कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम के बीच रेल लिंक के निर्माण में हुई प्रगति

2324. **श्री जी० विश्वनाथन :**

श्री सेझियान :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल लिंक के निर्माण में क्या प्रगति हुई हैं ;

(ख) क्या यह कार्य निर्धारित अवधि में पूरा हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) नागरकोयल के रास्ते तिरुनेलवेलि से तिरुवनन्तपुरम तक और साथ ही कन्याकुमारी तक एक शाखा लाइन के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिष्ठान सम्बन्धी प्रक्रिया चालू है। इस बीच जमीन के मालिकों से सहमति-पत्रों के प्राप्त हो जाने से अधिकांश भूमि पर काम शुरू कर दिया गया है। मिट्टी के काम और पूरी की पूरी परियोजना के कुल 32 विस्तारों मे से 30 विस्तारों पर पुलों के निर्माण के लिए ठेके दे दिये गये हैं और मिट्टी का काम तथा पुल-निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। शेष दो विस्तारों के लिए भी, मिट्टी के काम तथा पुलों के लिए टेंडर मांगे गये हैं जो प्राप्त हो गये हैं और उन पर विचार हो रहा है। 33 छोटे-छोटे पुल पहले ही बनाये जा चुके हैं। पलायनकोट्टै में कर्मचारियों के लिए टाइप-III के 2 युनिट तथा टाइप-II के 16युनिट मकान बनायी जा चुके हैं। दूसरे स्टशनों पर कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) पहले इस परियोजना को 1974-75 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था जिसे धन-राशि में कटौती तथा पटरियों की सप्लाई में संभावित विलम्ब के कारण आगे बढ़ाकर 1976-77 कर देना पड़ेगा।

दिल्ली डिवीजन में ए० सी० सी० साइडिंग को निःशुल्क समय दिया जाना

2325. **श्री राज देव सिंह** : क्या रेल मंत्री दिल्ली डिवीजन में ए०सी० सी० और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की साइडिंग्स में वैगनों को रोके रखने के बारे में 8 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9627 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली डिवीजन के उन साइडिंगों के नाम क्या हैं जहां बीस घन्टें का निःशुल्क समय दिया जाता है ;

(ख) क्या दिल्ली डिवीजन के ओखला स्टेशन में ए० सी० सी० साइडिंग के निःशुल्क समय को बढ़ाकर 20 घन्टे कर दिया गया है;

(ग) ओखला स्थित ए० सी० सी० साइडिंग पर अप्रैल, 1973 से अक्तूबर, 1973 तक कितना विलम्ब शुल्क लगाया गया और इससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई ;

(घ) यदि कोई राशि वसूल नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दिल्ली मण्डल में केवल ओखला की ए० सी० सी० साइडिंग में संचालन की पायलट से पायलट प्रणाली के अधीन 20 घंटे का निःशुल्क समय दिया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) अप्रैल, 1973 से अक्तूबर, 1973 तक की अवधि में विलम्ब शुल्क के रूप में कुल 12,175 रुपये 50 पैसे देय थे जिसमें से 4,587 रुपये 40 पैसे वसूल किये जा चुके हैं और बाकी को माफ कर दिया गया है। 1 अप्रैल, 1973 से बढ़ाये गये निःशुल्क समय के आधार पर, अप्रैल से जून, 1973 तक मूलतः लगाये गये विलम्ब शुल्क में संशोधन कर दिया गया था।

(घ) चूंकि कोई राशि देय नहीं है इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे के सहायक स्टेशन मास्टरों को "गुडस कोर्स" प्रशिक्षण

2326. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के ऐसे सहायक स्टेशन मास्टरों की डिवीजन-वार संख्या क्या है जिन्होंने सामान के सम्बन्ध में अर्हता प्राप्त नहीं की है ;

(ख) क्या उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर ने सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये 'गुड्स कोर्स' आरम्भ करने का निर्णय किया है और जोनल प्रिंसिपल ट्रेनिंग स्कूल, चन्दौसी को उस सम्बन्ध में कक्षाओं की व्यवस्था करने के आदेश दिये है; और

(ग) यदि हां, तो सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये कक्षाओं की व्यवस्था करने में इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) उत्तर रेलवे में जिन सहायक स्टेशन मास्टरों ने माल के सम्बन्ध में अर्हता प्राप्त नहीं की है उनकी मंडलवार कुल संख्या इस प्रकार है :—

मंडल का नाम	माल के सम्बन्ध में अर्हता प्राप्त न करने वाले सहायक स्टेशन मास्टरों की संख्या
जोधपुर	156
फिरोजपुर	98
बीकानेर	146
इलाहाबाद	170
दिल्ली	194
मुरादाबाद	317
लखनऊ	383
जोड़	1,464

(ख) जी, हां।

(ग) ग्रेड 130-240 रुपये (अ०वे०) के जिन सहायक स्टेशन मास्टरों ने प्रारम्भिक भर्ती के समय 9 मास के सामान्य पाठ्यक्रम के बदले 6 मास का संक्षिप्त प्रशिक्षण लिया था और जिन्होंने परिवहन, कोचिंग तथा टेलीग्राफी में अर्हता प्राप्त की थी उनके लिए टी०-1 (गुड्स) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए रेल प्रशासन ने 23-8-1973 को आवश्यक अनुदेश जारी किये थे। पहला पाठ्यक्रम उत्तर रेलवे के क्षेत्रीय प्रशिक्षण विद्यालय, चंदौसी में 26-11-1973 को प्रारम्भ करने का निश्चित किया गया है। अनुदेश जारी होने के बाद यथासम्भव शीघ्र पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जा रही है।

उत्तर रेलवे में अनुसूचित जाति के सहायक भंडारण अधिकारियों का चयन

2327. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में गत पांच वर्षों के दौरान सहायक भंडारण अधिकारि ों के पद के लिए कितने अभ्यर्थियों का विभागीय स्तर पर चयन किया गया ;

(ख) इनमें से कितने अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के थ ; और

(ग) क्या ऐसे एक चयन परिणाम की घोषणा 22 अक्तूबर, 1973 को की गई थी जिसमें किसी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को नहीं चुना गया था ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 17 ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां।

दिल्ली क्षेत्र (उत्तर रेलवे) में एस० एण्ड टी० डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को पूल से बाहर क्वार्टरों का आबंटन

2328. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में कर्मचारियों को पूल से बाहर क्वार्टर आवेदन करने की कोई व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्वार्टरों को आबंटन करने की क्या प्रक्रिया है;

(ग) दिल्ली क्षेत्र अर्थात् तुगलकाबाद, ओखला, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सफदरजंग, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली, दिल्ली, सब्जी मंडी, दिल्ली किशनगंज, दयाबस्ती और शकूरबस्ती में एस० एण्ड टी० डिपार्टमेंट के आवश्यक सेवा कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(घ) इस विभाग के शेष आवश्यक सेवा कर्मचारियों को पूल से बाहर क्वार्टर देने के लिए रेल प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) मोटे तौर पर, पूल से बाहर का क्वार्टर एवजी के स्थान पर आने वाले एवजी कर्मचारीको आबंटित किया जाता है, किन्तु आपवादिक मामलों में, जब जाने वाला पदधारी अपने एवजी कर्मचारी के लिए क्वार्टर खाली करने की स्थिति में नहीं होता अथवा कुछ ऐसे विशिष्ट कारणों से उसे खाली नहीं कर पाता जिन्हें प्रशासन ने स्वीकार कर लिया हो, तब आने वाले पदधारी को बिल्कुल उसी टाइप का क्वार्टर, यदि खाली हो, अस्थायी तौर पर आबंटित कर दिया जाता है। समुचित क्वार्टर उपलब्ध होते ही इस पद के लिए नियत ऐसे क्वार्टर को तुरन्त खाली करा लिया जाता है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(घ) किसी भी स्टेशन पर, आवश्यक कर्मचारियों के लिए नये क्वार्टरों का निर्माण, उपलब्ध राशि के अनुसार एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। इस योजना शीर्षक के अधीन धन की अत्यन्त कमी है जिसकी प्रतिवर्ष बनाये जाने वाले क्वार्टरों की संख्या पर विपरित प्रभाव पड़ता है। आवश्यक कर्मचारियों के बिना पूल के क्वार्टरों के आबंटन के प्रश्न पर, केवल क्वार्टरों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

विवरण

कर्मचारियों की कोटियां

स्टेशनों का नाम	निरीक्षकीय		निरीक्षकों के क्लर्क		अनुरक्षक		अन्य कारीगर		चौथी श्रेणी	
	संख्या	कितनों को मकान दिया गया	संख्या	कितनों को मकान दिया गया	संख्या	कितनों को मकान दिया गया	संख्या	कितनों को मकान दिया गया	संख्या	कितनों को मकान दिया गया
तुगलकाबाद .	..	..	..		12	..	..		16	..
ओखला .	..	..	..	..	4	..	..		5	..
निजामुद्दीन .	3	3	1	..	66	5	1	..	25	..
दिल्ली सफदरगंज .		..	..		4	1	..		3	
तिलक ब्रिज .	..	..	..	..	6	4	..		8	..
नयी दिल्ली .	16	10	3	..	46	20	..	..	74	..
सब्जीमंडी .	..	..	..	..	3	2	..	..	..	..
दिल्ली किशनगंज .	1	1	..	..	3	3			6	..
दयाबस्ती .	..	..	..	..	3	3	..	..	4	..
शकूरबस्ती .	..	..	..	..	3	3	..	..	5	..
दिल्ली .	15	14	5	..	53	27	13	..	139	..

नियमानुसार काम करने के बारे में सिग्नल एण्ड टेलिकम्युनिकेशन स्टाफ ऐसोसिएशन द्वारा दिया गया नोटिस

2329. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिग्नल एण्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन ने अपनी काफी अरसे से पूरी न की गई मांगों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार काम करने के आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रशासन को नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं ;

(ग) उनकी मांगों को परा करने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) प्रशासन पर इस प्रकार का कोई नोटिस तामिल नहीं किया गया है। लेकिन एक सूचना प्त हुई है जिसमें यह संकेत दिया गया है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गयीं तो संघ के सदस्य 27-11-73 से "नियमानसार काम करो" आन्दोलन शुरू करेंगे

(ख) अनुबन्ध में सात मांगों की सूची दी गयी हैं ।

(ग) सभी कोटियों के कर्मचारियों से प्राप्त वैध मांगों पर विचार किया जाता है और स्थायी वार्ता-तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र जैसी सामूहिक आदान-प्रदान व्यवस्था, जो कि लम्बे समय से संवैधानिक और उद्देश्यपूर्ण रूप में काम कर रही हैं, के विभिन्न स्तरों के माध्यम से इन मांगों को पूरा किया जाता है। इसके अलावा गैरमान्यता प्राप्त यूनियनों सहित किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर यथोचित विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

जहां तक वार्ता सम्बन्धी सुविधाओं की विशिष्ट मांग का सम्बन्ध है, किसी कोटि विशेष के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों/एसोसिएशनों को मान्यता देना सरकार की नीति के विरुद्ध है।

विवरण

सात मांगों की सूची

1. वेतन आयोग की रिपोर्ट का पुनरीक्षण

सिग्नल एवं दूरसंचार कर्मचारियों को वे ग्रेड नहीं दिये गये हैं जो फोरमैन आदि के स्तर पर कारा-खाना कर्मचारियों को मंजूर किये गये हैं। सिग्नल एवम् दूरसंचार कर्मचारियों को इस बात से और अधिक निराशा हुई कि उन्हें यातायात नियंत्रकों आदि की गैर-तकनीकी कोटियों के भी समतुल्य नहीं माना गया है।

वेतन आयोग की सिफारिशों के ढांचे के अन्दर भी यह असमानता नहीं है।

2. ड्यूटी के घंटों का निर्धारण

हम, निरीक्षकों से लेकर खलासियों तक के सभी कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी की मांग करते हैं। कार्य-घंटा विनियमों के अन्तर्गत हम सभी को 'सतत' कोटि के कर्मचारियों के रूप में घोषित कर देने से ऐसा किया जा सकता है।

3. मापदंड तथा दुर्घटना जांच समिति की ऐसी सिफारिशों का कार्यान्वयन जिन्हें रेल प्रशासनने स्वीकार कर लिया हैं

जितने कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी है वह भारतीय रेल सम्मेलन सिग्नल उपसमिति के अन-न्तिम मापदंड के अनुसार भी नाकाफी हैं। इसके कारण हम पर बहुत अधिक कार्यभार और दबाव आ पड़ा है। हमारी मांग है कि जब तक प्रस्तावित माप-दंड निर्धारित न कर दिया जाता है तब तक कम से कम इसे उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित किया जाये।

4. (क) दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों के होते हुए भी सिग्नल की खराबियों की देखभाल के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, हमारी मांग है कि उसी प्रकार का वित्तीय अनुदान हमें भी दिया जाय जैसा कि रेलपथ कर्मचारियों को कांटों के फटने आदि की देखभाल करने के लिए दिया जाता है। इससे दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सकेगा और साथ ही इस प्रकार के स्पष्ट भेदभाव को भी समाप्त किया जा सकेगा।

(ख) भंडार के लिए स्टोर कीपरों की नियुक्ति करके निरीक्षकों को भंडार की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाना चाहिए।

5. रेलवे क्वार्टर

हमें कुसमय पर रेलवे के काम के लिए बुलाया जाता है, इसलिए हममें से प्रत्येक कर्मचारी को रेलवे क्वार्टर दिया जाना वाजिब है। यदि हमें क्वार्टर नहीं दिये जायेंगे तो कुसमय पर बुलाने या मुख्यालय स्टेशन से 8 कि० मी० की दूरी के भीतर रहने के लिए हमें मजबूर करने का रेलवे का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

इस कठिन समय में लाचार होकर हममें से कुछ कर्मचारियों ने दिल्ली जंक्शन के निकट मोतिया-बाग़ (दिल्ली जं० के पास) रेलवे कोलोनी के नवनिर्मित क्वार्टरों में आश्रय ले लिया है। हमारी मांग है कि इन सब को नियमित किया जाये और भविष्य में कर्मचारियों के हमारे प्रतिनिधि को दिल्ली क्षेत्र आवास समिति में स्थान दिया जाये।

6. वर्दियां

हम कर्मचारियों को मौसम का प्रकोप सहन करना पड़ता है और हमें रात के घंटों में सुरक्षा की और रेल कर्मचारी के रूप में मान्यता दिये जाने की भी आवश्यकता है जब हमें राज्य रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल वाले यदाकदा तंग करते हैं। इसलिए हम सब के लिए शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन पूरी वर्दी की मांग करते हैं।

7. वार्ता सुविधाएं

चूंकि किसी अन्य ट्रेड यूनियन या फेडरेशन द्वारा हमारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता, इसलिए हमारी बहुत सी शिकायतें अनसुनी रह जाती हैं, और परिणामतः कर्मचारियों में निराशा भरी रहती है।

इसलिए हम किसी भी रूप में रेल प्रशासन से वार्ता के साधन की मांग करते हैं।

आप्टा से दासगांव के आगे कोंकण रेलवे में हुई प्रगति

2331. श्री मधु दण्डवते :

श्री शंकरराव सावंत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आप्टा से दासगांव के आगे कोकण रेलवे के इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई ;

(ख) क्या योजना आयोग ने सम्पूर्ण कोंकण रेलवे लाइन के निर्माण की स्वीकृति दे दी है; और

(ग) क्या अपेक्षित व्यय के लिए व्यवस्था कर दी गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) से (ग) विकास सम्बन्धी लाइनों के लिए जिनमें वेस्टकोस्ट रेलवे परियोजना भी शामिल है पांचवी योजना में धनराशि के अतिरिक्त नियतन के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया गया है। योजना आयोग से मांगी गयी अधिक धनराशि के नियतन का कोई निश्चित संकेत मिलने पर ही इस लाइन का इंजीनियरी सवक्षण शुरू किया जायेगा।

कम्पनियों के प्रबन्ध तथा निदेशक मंडल में प्रस्तावित संरचनात्मक परिवर्तन

2333. श्री मधु दण्डवते : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम्पनियों के प्रबन्ध तथा निदेशक मंडल में शेयर होल्डरों, उपभोक्ताओं तथा कर्मचारियों द्वारा कम्पनियों के मामलों में कारगर ढंग से भाग लेना सुनिश्चित करने हेतु आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तन लाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों का स्वरूप क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) ऐसा करने के लिए वर्तमान में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बध में सुझाव

2334. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में यह सुझाव दिए गए हैं कि उनकी नियुक्ति संसदीय समिति द्वारा पुनर्विचार तथा सरकार द्वारा अनुसमर्थन करने पर ही की जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) प्रस्तावित रीति वाले कोई सुझाव सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

काश्मीर में प्राकृतिक गैस के लिये खोज

2335. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कश्मीर में प्राकृतिक गेस के लिए खुदाई कार्य शुरू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन कौन से स्थान चुने गए हैं ;

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) व्यधन कार्य के लिए चार स्थलों का चुनाव हुआ है । ये स्थल जम्मू एवं कश्मीर राज्य के श्रीनगर एवं बारामुल्ला में स्थित हैं ।

दिल्ली में बिजली का बन्द होना

2336. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इंजीनियरों के असहयोग के कारण दिल्ली में बिजली बार-बार बन्द होती रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करने के लिए कि बिजली का फेल होना, उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों की भूलों के कारण था अथवा नहीं, दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा सितम्बर, 1973 में एक समिति स्थापित की गई थी । समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही मिलने की संभावना है ।

हिमाचल प्रदेश में पन बिजली उत्पादन केन्द्र की स्थापना

2337. **श्री वीरभद्र सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना काल के दौरान हिमाचल प्रदेश में पन बिजली उत्पादन केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। बहरहाल, हिमाचल प्रदेश में कुछ जल-विदयुत परियोजनाएं पहले से ही निर्माणाधीन हैं और वे पांचवीं योजनावधि में चालू हो जाएंगी।

अशोधित तेल के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ के सुझाव

2338. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ ने खोज कार्य में विस्तार करने तथा आयातित अशोधित तेल पर निर्भरता कम करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सुझाव दिए गए और इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) बताया जाता है कि एफ० आई० सी० सी० आई० की स्थाई परामर्शदात्री समिति की बैठक 30 अक्तूबर, 1973 को हुई थी और उसने कच्चे तेल की सप्लाई तथा कुल ऊर्जा परिस्थिति का पुनरीक्षण किया था। उस से अगले दिन एफ० आई० सी० सी० आई० द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में, और बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपायों का "अनिवार्य रूप से" सुझाव दिया गया था :—

(i) अन्वेषण संबंधी प्रयत्नों का बढ़ाया जाना तथा आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता में कमी;

(ii) ऊर्जा के प्रतिस्थापित स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहन;

(iii) तेल खपत पर रोक लगा कर कच्चे तेल के आयात की बढ़ी हुई लागत के प्रभाव में कमी;

(iv) निम्न ग्रेड के कोयले के इस्तेमाल में वृद्धि।

ये सामान्य निष्कर्ष हैं तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, जो उपर्युक्त (i) एवं (iii) मदों से संबंधित है, ने इस बारे में कार्यवाही करना शुरू कर दिया है।

पांचवीं योजना की अवधि में यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करना

2339. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना की अवधि में यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर, हाल्ट स्टेशनों को छोड़कर सभी स्टेशनों पर तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों, बेंचों, बत्तियों, पीने के पानी, शौचालयों, अच्छे फर्श वाले प्लेटफार्मों, समुचित बुकिंग व्यवस्था और छायादार वृक्षों सरीखी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था के काम और सभी हाल्ट स्टेशनों पर पटरी के बराबर वाले प्लेटफार्म, छोटे प्रतीक्षाशेडों, टिकटघरों, बत्तियों, और छायादार वृक्षों की व्यवस्था के काम पूरे हो चुके हैं। जहां आवश्यकता होती हैं इन सुविधाओं में सुधार किये जाते हैं, और नये स्टेशनों, प्रतीक्षालयों, विश्रामालयों, प्लेटफार्मों पर छतों, भोजनालयों, विक्रय स्टालों, नलों से पानी की सप्लाई, अतिरिक्त ऊपरी पैदलपुलों, लाउडस्पीकरों, जलशीतकों, आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था रेल उपयोगकर्त्ता सुविधा समिति, जो जनमत से सम्पर्क रखती हैं, के परामर्श से निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर की जाती है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में यात्री/रेल उपयोगकर्त्ता सुविधा कार्यों पर खर्च करने के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

इंडियन आयल कारपोरेशन की शोधनशाला तथा पाईप लाइन्स डिवीजन के मजदूरों की ओर से हड़ताल का नोटिस

2340. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश के इंडियन आयल कारपोरेशन की शोधनशाला तथा पाइपलाइन्स डिवीजन के 8,000 मजदूरों ने अनिश्चित काल की हड़ताल करने का नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ;

(ग) उनकी मांगें स्वीकार न किये जाने के क्या कारण है; और

(घ) उनकी मांगे स्वीकार करने तथा किसी समझौते पर पहुंचने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) 1972-73 वर्ष के लिए बोनस के प्रश्न पर 8-11-1973 से हड़ताल पर जाने की धमकी भारतीय तेल निगम के शोधनशाला एवं पाइपलाइन प्रभाग के 7 मान्यता प्राप्त युनियनों ने दी थी। सात मान्यता प्राप्त युनियनों में 6 युनियनों के साथ द्विपक्षीय बात चीत से मैत्रीपूर्ण समझौता किया गया। बरौनी शोधनशाला के बरौनी तेल शोधक मजदूर युनियन ने अभी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये तथा मामले पर समझौता सम्बन्धी कार्यवाही हो रही है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर को मध्यनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात राज्य द्वारा उर्वरक संयंत्र की स्थापना

2341. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य द्वारा 121 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किये जाने वाले उर्वरक संयंत्र के लिए केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ग) इस बारे में कोई विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी; और

(घ) संयंत्र का कार्य कब शुरू होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) जी हां। सिद्धान्त रूप में सरकार की इच्छा रही है कि वह इस विस्तार कार्य का समर्थन करे। जैसा कि अन्य मामले के सम्बन्ध में विदेशी सहायता देश में अनुपलब्ध सेवाओं एवं सप्लाई तक ही सीमित रहेगी।

लोको संगचल कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति

2342. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लोको संगचल कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति से फिर गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल करने के क्या कारण हैं ?

(ग) इस बड़े पैमाने की अनुपस्थिति के कारण रेलवे को कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) उनके मामले को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) सभी रेलों में लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा अगस्त, 1973 के भारी आंदोलन के बाद, इस कोटि के कर्मचारियों द्वारा सब रेलों पर बड़े पैमाने पर सामूहिक अनुपस्थिति नहीं हुई है।

विधि मंत्रालय को राय देने के लिये निर्दिष्ट किए गये मामले

2343. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि विभिन्न सरकारी अधिकरणों द्वारा विधि मंत्रालय की राय जानने के लिये उसको निर्दिष्ट किए गए मामलों के निपटाने में मंत्रालय बहुत समय लेता है ;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय ने ऐसे मामलों में कितना समय लिया है ;

(ग) सरकारी विभागों द्वारा वर्ष 1972 और 1973 में मंत्रालय की राय जानने के लिए उसको कितने मामले निर्दिष्ट किए गए थे; और

(घ) मंत्रालय के पास राय देने के लिए कितने मामले अभी लम्बित हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) जी नहीं। वास्तव में, हाल में किए गए एक अध्ययन से पता लगा है कि 66.48 प्रतिशत मामलों का निपटान एक सप्ताह के भीतर, 19.38 प्रतिशत का एक से 2 सप्ताहों के भीतर, 8.29 प्रतिशत का 2 सप्ताह और एक मास के बीच, 5.76 प्रतिशत का एक से 3 मास के बीच और 0.09 प्रतिशत का 3 मास के बाद किया गया है।

(ग) इस मंत्रालय में 1972 और 1973 (जनवरी से अक्टूबर तक) में प्राप्त किए गए निर्देशों की संख्या क्रमशः 25181 और 20923 थी।

(घ) 450।

पेराम्बूर स्थित इंटिग्रल कोच फैक्टरी में उत्पादन

2345. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेराम्बूर स्थित 'इंटेग्रल कोच फैक्टरी' में उत्पादन बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972 के उत्पादन आंकड़ों की तुलना में वर्ष 1973 के आंकड़ों की क्या स्थिति है तथा कितना निर्यात किया गया है तथा किन देशों को किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) (1) सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर में 1972-73 और 1973-74 (योजनाबद्ध) के दौरान जो वास्तविक उत्पादन हुआ वह इस प्रकार है :—

	1972-73	1973-74
खोल (बिना साज-सामान के सवारी डिब्बे) . . .	671	750
पूर्णतः सज्जित सवारी डिब्बे	705	750

(2) जून, 1973 में सवारी डिब्बों कारखाने ने जाम्बिया के लिए 6 सवारी डिब्बों की सप्लाई का आर्डर पूरा किया जिसका मूल्य 14.81 लाख रुपये है । सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर ने 1972 में किसी बड़े आर्डर का काम नहीं किया ।

विभिन्न यूनिटों के लिए एक समान मजूरी नीति

2346. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन विभिन्न यूनिटों में एक समान मजूरी नीति लागू करने के लिए आगे क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या कोई फारमूला तैयार कर लिया गया है और यदि हां, तो इस फारमूले की मुख्य बात क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न एककों में समान वेतन नीति बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली-हावड़ा रेल गाड़ियों में घटिया किस्म का भोजन दिया जाना

2347. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली-हावड़ा रेलगाड़ियों में भोजनयान द्वारा दिया जाने वाला भोजन बहुत ही घटिया किस्म का होता है; और

(ख) खान पान की सेवाओं में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर चलने वाले भोजनयानों में परोसे जा रहे भोजन के स्तर के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ख) दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर चलने वाले भोजनयानों में खानपान व्यवस्था में सुधार करने के लिए, किये गये या किये जा रहे कुछ उपाय इस प्रकार हैं :–

(1) 1-7-1973 से 1 अप, 2 डाउन हावड़ा-दिल्ली मेल गाड़ियों में परम्परागत भोजन-यान सेवा के बदले मार्गवर्ती स्टेशनों पर स्थित भोजनालयों में पकाया हुआ 'बना बनाया' भोजन लेने की प्रणाली शुरू की गयी है। इस तरह की प्रणाली फ्रंटियरमेल और ग्रैंड ट्रक एक्सप्रेस गाड़ियों में भी चल रही है, जो बहुत लोकप्रिय हुई है। टूण्डला और कानपुर में आधुनिक ढंग की पाकशालाए स्थापित की गयी हैं जहां भोजन तैयार कराया जाता है और 1 अप, 2 डाउन मेल गाड़ी के रसोईयान को सप्लाई किया जाता है।

(2) 31-10-1973 से सप्ताह में दो बार चलने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस में भी इसी तरह की व्यवस्था की गयी है।

(3) 81 अप/82 डाउन और 103 अप/104 डाउन वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों में भी शीघ्र ही इसी तरह की सेवा आरंभ करने का विचार है।

(4) बड़ी भीड़ में यात्रियों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए, इस मार्ग के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सभी भोजन के पकेट उपलब्ध करने की व्यवस्था कर दी गयी है।

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

2348. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कावेरी नदी से संबंधित किसी भी सिंचाई परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकारने मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है तथा किन परियोजनाओं को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक में कावेरी बेसिन में निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाए योजना आयोग द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में अब तक स्वीकृत की गई हैं :—

1. मन्चनाबेले बहूद्देश्यीय जलाशय परियोजना
2. सागरे डोडाकेरे जलाशय परियोजना
3. तराका जलाशय परियोजना
4. गुन्डल जलाशय परियोजना
5. वोटेहोले सिंचाई परियोजना

कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित परियोजनाए स्वीकृति के लिए अभी तक पड़ी हुई हैं :—

1. हेमावती परियोजना
2. हरगी परियोजना
3. काबिनो परियोजना (संशोधित)
4. कावेरी जलाशर्य परियोजना

5. स्वर्णवती परियोजना

6. चंगावदी परियोजना

7. चिकलोहोले परियोजना

8. उदुथोरे हल्ला परियोजना

9. अर्कावती परियोजना (संशोधित)

कोचीन तेल शोधक कारखाने को अशोधित तेल लेजाने के लिये ट्रीटन एण्ड कम्पनी को दिया गया ठेका

2349. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ट्रीटन एण्ड कम्पनी को कोचीन तेलशोधक कारखाने में अशोधित तेल ले जाने के लिए ठेका दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान उस ओर दिलाया गया है कि मैसर्स ट्रीटन एण्ड कम्पनी हाल में अपने वायदे से मुकर गई है तथा उसने कोचीन तेलशोधक कारखाने को अशोधित तेल की ढुलाई से इंकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) भारत सरकार ने कोचीन रिफाइनरीज लि० को सलाह दी है कि वह ट्रीटन शिपिंग इंक० के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें तथा इस विषय को एसोशिएशन आफ अमेरिकन आरबिट्रेशन को भेजे जैसा कि कोचीन रिफाइनरीज लि० एवं ट्रीटोन शिपिंग इंक० के बीच 1964 के माल संविदा ठेके में व्यवस्था की गई है ।

वर्ष 1973–74 में आरम्भ की जाने वाली रेलगाड़ियां

2350. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में कितनी नई रेलगाड़ियां चलाए जाने की सम्भावना है;

(ख) यह रेलगाड़ियां रेलवे-वार किन-किन मार्गों पर चलाई जाएंगी; और

(ग) इन रेलगाड़ियों से रेलगाड़ियों में भीड़-भाड़ कम करने में कहां तक सफलता मिलेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशा) : (क) से (ग) उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलों के बड़े आमान खण्डों पर साहिबगंज लूप और फरक्का के रास्ते नयी दिल्ली और न्यू बोंगाई-गांव के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मीटर आमान खण्ड पर न्यू बोगाईगांव और गुवाहाटी के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली एक मेल लेने वाली गाड़ी जनवरी, 1974 में चलाने का प्रस्ताव है ताकि इन मार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों को राहत दी जा सके ।

उप-निर्वाचनों के लिए नई प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव

2351, **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उप-निर्वाचनों के दौरान मतदाताओं के हस्ताक्षर लेने की नई प्रक्रिया अपनाने की विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) प्रत्येक मतपत्र प्रतिपर्ण के साथ मुद्रित किया जाएगा । मतपत्र और प्रतिपर्ण पर एक ही क्रम संख्यांक होगा । मतपत्र के प्रतिपर्ण से अलग किए जाने और उसे निर्वाचक को दिए जाने से पूर्व, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में यथा प्रविष्ट, उस निर्वाचक से संबंधित भाग संख्यांक और क्रम संख्यांक प्रतिपर्ण पर अंकित किया जाएगा और उस पर निर्वाचक के हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे या अंगूठे का निशान ले लिया जाएगा । जब तक निर्वाचक प्रतिपर्ण पर अपने हस्ताक्षर नहीं करेगा या अंगूठे का निशान नहीं लगाएगा तब तक उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा । निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में, निर्वाचक को दिए गए मतपत्र का क्रम संख्यांक अंकित किया जाएगा, जैसा कि प्रतिपर्ण सहित मतपत्र वाली व्यवस्था आरम्भ किए जाने से पूर्व होता था, किन्तु निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि यह उपदर्शित करने के लिए रेखांकित की जाएगी कि निर्वाचक ने निर्वाचन में मतदान किया है । मतदान के समाप्त होने के पश्चात्, मतपत्रों के प्रतिपर्ण मुद्रांकित पैकेट में रखे जाएंगे और यह मुद्रांकित पैकेट खजाने में रखा जाएगा । यह मुद्रांकित पैकेट किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से ही खोला जाएगा अन्यथा नहीं ।

सीमेंट उद्योग के लिए वैगनों का उपलब्ध न होना

2352. **श्री रामकंवर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 सितम्बर, 1973 के 'दि इकानामिक्स टाइम्स' में प्रकाशित इस सर्वेक्षण रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि रेलवे वैगनों के उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 1972 में सीमेंट के उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) यह सही है कि सितम्बर, 1972 तक सीमेंट कारखानों को माल डिब्बों की सप्लाई पूरी तरह संतोषजनक नहीं थी । दिसम्बर, 1971 में भारत-पाक युद्ध के कारण रक्षा सम्बन्धी विशेष संचलन की वजह से मार्च/अप्रैल तक रेलों पर काम का बड़ा बोझ रहा । बंगला देश लौटने वाले विस्थापितों भारत में विभिन्न शिबिरों में ले जाये जा रहे युद्धापराधियों, अपने उपस्कर और भंडार सहित अपने ठिकानों पर लौटने वाले रक्षा कार्मिकों को ले जाने के लिए अनेक विशेष गाड़ियां चलानी पड़ी । अप्रल, मई और जून में बिशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में बिजली की गम्भीर कमी के कारण माल डिब्बों की उपलब्धता पर बुरा प्रभाव पड़ा जिसका कुप्रभाव रेल संचलन पर भी हुआ । बंद माल डिब्बों की स्थिति भी सन्तोषजनक नहीं थी क्योंकि उनमें से अनेक क्षतिग्रस्त हो गये थे, उनमें छेद कर दिये गये थे और उनके पेनलों को काट दिया गया था । माल डिब्बों की इस खराब हालत का एक कारण यह था कि 1970-71 में और 1971-72 के पूर्वार्ध में पूर्वी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं रही । सितम्बर, 1972 से रेलों ने बंद याल डिब्बों के पेनलों को ठीक करने, माल डिब्बों की मरम्मत और उनके पुनःस्थापन के लिये व्यापक अभियान चलाया जिसका वांछित परिणाम निकला और सीमेंट कारखानों को माल डिब्बों की सप्लाई में लग भग शत-प्रतिशत सुधार हो गया और यह स्थिति अभी भी बनी हुई है हालांकि विभिन्न राज्यों द्वारा की गयी बिजली की कटौती के कारण उत्पादन घटा है और परिणामतः लदान कम रहा है ।

अलकावती परियोजना के निर्माण के लिए मंजूर की गई धनराशि

2354. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलकावती परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार ने अब तक कितनी धनराशि की मंजूरी दी है ;

(ख) क्या इसके निर्माण में विलम्ब हुआ है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) या सरकार ने इसकी पांचवीं योजना में शामिल किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अलकावती परियोजना 6000 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए 85 लाख रुपये की लागत पर 1964 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा कार्य हाथ में नहीं लिया गया था और राज्य सरकार ने फरवरी, 1972 और मई, 1973 में संशोधित प्रस्ताव भेज दिए थे। परियोजना की अब अनुमानित लागत 416 लाख रुपये है और इससे 18,600 एकड़ को सिंचाई होने की संभावना है। इस परियोजना की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जांच की जा रही है।

(ग) पांचवीं योजना कार्यक्रमों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रेलवे लाइनों की लम्बाई में वृद्धि

2355. **श्री पीलू मोदी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार के औद्योगिक परियोजनाओं को जाने वाली रेलवे लाईनों को छोड़कर रेलवे लाइन की लम्बाई कितने मील बढ़ गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से नयी लाइनों के निर्माण और पुनःस्थापित लाइनों के हिसाब से मार्ग किलो मीटरों में 6652.46 किलो मीटर की वृद्धि हुई है।

मंगलौर-आप्टा रेलवे लाइन का निर्माण

2355. **श्री पीलू मोदी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : "पैट्रोल की कमी और अधिक लागत की आशंका को देखते हुए कितनी नई रेल लाइनों का निर्माण करने का विचार है तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और रेलवें मन्त्री द्वारा घोषित तथा अनुमोदित मंगलौर-आप्टा रेल लाइन की योजना स्थगित करने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : अन्तर्नगरीय परिवहन सामान्यतः कारों में किया जाता है जिनमें पेट्रोल का उपयोग होता है। कलकत्ता के लिए महानगर परिवहन परियोजना की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है और बम्बई, मद्रास और दिल्ली के लिए सर्वेक्षण कियें जा रहे है। आप्टा-मंगलूर लाइन के सम्बन्ध में परियोजना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस बीच आप्टा-दासगांव खण्ड (108 कि० मी०) में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूखें से राहत के उपाय के रूप में मिट्टी का काम प्रारंभ किया गया। दासगांव - मंगलूर खण्ड के शेष भाग में, जिसकी लम्बाई लगभग 800 कि० मी० है, एक विस्तृत इंजीनियरी सर्वेक्षण की आवश्यकता पडेगी। विकास सम्बन्धी लाइनों के लिए, जिनमें पश्चिम तटीय रेलवे परियोजना भी शामिल है, अतिरिक्त धन आबंटित करने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया गया है।

नई रेलवे लाइनो के लिए अधिक भाड़ा तथा यात्री किराया

2357. **श्री पीलू मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि यदि रेलवें से प्राप्त होनें वाली आय को अपर्याप्त समझा जाता है तो नई लाइनों के लिये अधिक भाडा तथा यात्री किराया क्यों नहीं लागू किया जाता है, विशेषकर इस स्थिति में जब कि वैकल्पिक सडक यातायात के किराए पहले ही बढ गये है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : नयी लाइनों के निर्माण के लिए मंजूरी देते समय यदि सामान्य किराया और माल भाडा दरों पर आधारित प्रतिफल की अनुमानित राशि अपर्याप्त रहती है, तो दूरी बढाकर यात्री किराया और माल भाडा लगाने की व्यावहारिकता की जांच की जाती है और यथावश्यक अपेक्षाकृत ऊंची दर के आधार पर प्रभार लगाये जातें हैं। ऐसी जांच के दौरान सड़क परिवहन की प्रतियोगित दरों को ध्यान में रखा जाता है ।

Trains arriving at and departing from New Delhi and Delhi Main junctionr daily

2358. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of passenger trains departing from and arriving at New Delhi and Delhi Main Junctions daily;

(b) the number of trains that arrived in time and the number that arrived late at the above stafions during the last three months.

(c) the particulars of the trains which arrived late and tne reasons therefor; and

(d) the amount of overtime the Indian Railways had to pay on this account?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) A total of 80 passenger trains leave and 79 trains reach Delni Main station daily. 64 dassenger trains reach and 64 trainsleave e New Delhi daily.

(b) & (c) Tne montnwise details of trains which arrived Delni and New Delhi stations right time and late during August to October, 1973 are as under:

Station	Month	No. of trains arrived right time	Number of trains arrived late
New Delhi	August, 73	579	827
	Sept., 73	990	684
	Octo., 73	1,091	668
Delhi Main	August, 73	698	1,115
	Sept., 73	1,059	1,297
	Oct., 73	1,127	1,255

The punctual running of trains during the past few months has deteriorated mainly on account of Loco Staff strike and its after effects, strike by U. P. State Electricity Board staff in October, 1973, other public and staff agitations from time to time, power cuts, breaches, theft of tele-communication wires resulting in signal & tele-communication failures, increased incidence of alarm chain pulling etc.

(d) Tne overtime paid ro staff is computed on tne basis of total extra hours worked during a month and not on the basis of the late running of a particular train/trip.

Improvement in the quality of foodstuff served by Railways

2359. Shri Shankar Dayal Singh :
Shri M. Ram Gopal Reddy :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the fact that the foodstuffs served by the Indian Railways is of inferior quality; and

(b) Whether Government propose to take steps to ensure purity and standardise the quality of foodstuffs served by Railways and if so, tne salient features of tne proposal?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) While there nave been some complaints, it is not a fact that quality of food served by the Railways is of inferior quality.

(b) Sustained efforts are being made by tne Railways to improve both the quality of food and standard of service by intensifying supervision over the funetioning of the catering units. Some of the important steps taken in recent times to improve the quality of catering on the Railways are given below:

(i) Replacement of the conventional dining car service by picking up 'Ready to Serve' food prepared in modernized kitchens set up at different points enroute enabling better quality of food to be served to passengers prepared under more hygienic conditions.

(ii) Introduction of low-priced packed meals to cater to requirements of bulk of passengers.

(iii) More emphasis on training of staff employed in departmental catering establishments.

Supply of Water for Irrigation to Bihar from Tillaiya and Konar Projects of D.V.C.

2360. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken in regard to tne supply of water for irrigation to Bihar from Tillaiya and Konar Water Projects of D.V.C.;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) if not, the action being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad): (a) to (c) In August 1972 the Chief Ministers of Bihar and West Bengal set up a joint study team comprising officers of the two States to study the outstanding issues on which they have differences of opinion, including utilisation of waters inthe D.V.C. storage, for irrigation through Tilaiya Diversion scheme and Konar Irrigation scheme, and to submit a report. The study team has since submitted its report to the Chief Ministers of Bihar and West Bengal who will take a final decision in the matter.

Post of Judges In Patna High Court

2361. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of posts of Judges in the Patna High Court and how many of there are vacant and since when;

(b) whether recommendations in regard to the appointment of additional Judges in Patana High Court have deen received by the Central Government from Bihar;

(c) if so, the time by which a final decision will be taken in this regard?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H.R. Gokhale): (a) The sanctioned strength of the Patna High Court is 18 Permanent Judges and 6 Additional Judges. At present, 2 posts of Permanent Judge are vacant from 18-11-72 and 7-3-73 respectively. Two new posts of Additional Judge sanctioned in June, 1972 are also yet to be filled.

(b) & (c) Proposals for appointment of Additional Judges have been received and are being considered.

केरल में एलपी होकर कायाकुलम से एर्णाकुलम तक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव

2362. श्री सी० जनार्दनन :

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एलपी होकर कायाकुलम से एर्णाकुलम तक रेलवे लाइन बनाने के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) क्या सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में ऊपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) : जी, हां ।

(ख) और (ग) 1970 में किये गये सर्वेक्षण से मालूम हुआ था कि यह परियोजना अलाभप्रद होगी। जैसा कि सर्वेक्षण से मालूम हुआ है, इस लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 10 करोड रुपये है । यह क्षेत्र सडक और अन्तर्देशीय जल मार्ग द्वारा पूर्ण रूप से सेवित है । वर्तमान कोल्लम एर्णाकुलम मीटर लाइन भी, जो बडी लाइन में बदली जा रही है, समुद्र तट से बहुत दूर नहीं है । इस दृष्टि से और नई लाइनों के निर्माण के लिए उपलब्ध सीमित साधनों को देखते हुए इस परियोजना पर निकट भविष्य में विचार करना कठिन होगा ।

बिजली के उत्पादन तथा वितरण का केन्द्रीयकरण

2363. श्री सी० जनार्दनन :

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानून बनाकर अथवा किसी अन्य उपाय के जरिये सरकार का बिजली के उत्पादन तथा वितरण का केन्द्रीयकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) किन किन राज्यों ने योजना का अनुमोदन कर दिया है तथा किन किन राज्यों ने विरोध किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्पादन सहित विद्युत् सप्लाई उद्योग के पुनर्गठन के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) इसके पुनर्गठन की आवश्यकता मुख्य तौर पर पिछले वर्षों में हुई विद्युत् प्रणालियों में बहुत बडी वृद्धि और आने वाले वर्षों में क्रियान्वित किए जाने वाले बृहत् कार्यक्रमों के कारण भी महसूस की जाती है ।

(ग) राज्यों से अभी कोई सलाह नहीं ली गई है ।

कीटनाशी दवाई कारखानों में उत्पादन

2364. **श्री अरविंद एम० पटेल :**

श्री बेकारिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में चलाए जा रहे कीटनाशी दवाई कारखानों के नाम क्या है तथा उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों में उनका वर्षवार तथा कारखाने वार वार्षिक उत्पादन क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) संगठित क्षेत्र में यूनिटों द्वारा तकनीकी ग्रेड पोस्टसाइडस् के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है ।

विवरण

क्रम संख्या	यूनिट का नाम	क्षेत्र	उत्पादन (मीटरी टनों में) 1970	1971	1972
1.	हिन्दुस्तान इन्सैकिसाइडंज लि० नई दिल्ली	सरकारी	2605	2656	2916
2.	हिन्दुस्तान इन्सैकिसाइड्ज लि० अलवैय	”	1123	2482	3031
3.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स रसायनी	”	–	160	1503
4.	टाटा केमिकल्स बम्बई	गैर–सरकारी	4368	3536	3201
5.	एलकली एण्ड केमिकल कार-पोरेशन आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता	”	3912	2598	3696
6.	पेस्टिसाइड्ज लि०. बम्बई	”	1403	502	106
7.	मिको फार्म कैमिकल्स, मद्रास	”	3713	3867	2802
8.	कनीरिया कैमिकल्स, रेनूखेत उ० प्र०	”	3569	4169	4439
9.	ट्रावनकोर केमिकल्स, कोचीन	”	373	546	514

क्रम संख्या	यूनिट का नाम	क्षेत्र	उत्पादन (मीटरी टनों में) 1970	1971	1972
10.	एक्सल इण्डस्ट्रीज लि०, बम्बई	,,	217	390	392
11.	साइनामाइड (इण्डिया) लि०, बम्बई	,,	582	776	805
12.	इन्डोफिल कैमिकल्स लि०, बम्बई	,,	1695	1062	1601
13.	बेयर (इण्डिया) लि०, बम्बई	,,	465	748	1039
14.	एग्रोमोरे लि०, बंगलोर	,,	14	30	45
15.	डेलिसिया (इण्डिया) लि०, बम्बई	,,	13	36	128
16.	टाटा फिसन इण्डस्ट्रिज लि०, बम्बई	,,	40	138	209
17.	भारत पोलवराईजिंग मिल्स प्रा०, लि०, बम्बई	,,	31	46	50
18.	सीबा आफ इण्डिया लि०, बम्बई	,,	–	–	223

कीटनाशी दवाइयों के लिए लाइसेंस नीति

2365. **श्री अरविंद एम० पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशी दवाइयों के बारे में आत्म–निर्भरता करने के लिये लाइसेंस नीति में कुछ सुविधाएं दिये जाने सम्बन्धी प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो वे सुविधाएं क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) अपेक्षित कीटनाशी दवाईयों, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिये जिनका वर्गीकरण महत्वपूर्ण किया गया है, के उत्पादन के लिये देश में विकास संबंधी सुविधाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। अन्य उद्यमकर्ताओं के साथ साथ बड़े बड़े उद्योगघराने तथा विदेशी फर्म उद्योग विकास में भाग ले सकती है तथा अपना योगदान दे सकती है; कुछ मुख्य रियायतें, जो इस समय इस उद्योग को दी जा रही हैं, इस प्रकार हैं :–

(क) क्षेत्र परीक्षणों मार्किट के विकास संबंधी कार्य आदि के लिये उद्यम कर्ताओं द्वारा नई कीटनाशी दवाइयों की तदर्थ आयात;

(ख) निम्नलिखित पर रियायती दरों पर सीमा शुल्क लगाना :–

(i) तकनीकी ग्रेड की कीटनाशी दवाइयों के निर्माण के लिये कुछ रसायन, और

(ii) उपर्युक्त (क) पर उल्लिखित किस्म की नई कीटनाशी दवाइयां तथा देश में सूत्रयोग क्षमता के अधिकतम प्रयोग के लिये आयातित अन्य कीटनाशी दवाइयों पर ।

सरकार द्वारा प्रकाशित "गाइडलाइन्ज फार इंडस्ट्रीज" नामक पुस्तक में और बातों के साथ साथ देश में कीटनाशी दवाइयों के निर्माण के लिये अतिरिक्त क्षमता के लाइसेंस के लिये भी गुंजाइश है ।

ईंधन की कमी के बारे में गृहिणियों की ओर से ज्ञापन

2366. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बेकारिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 के नवम्बर मास में ईंधन की कमी के बारे में दिल्ली की गृहिणियों ने उनको एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो ज्ञापन में निहित मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) श्रीमती सावित्री निगम से दिल्ली की गृहिणियों द्वारा गैस एवं मिट्टी के तेल जैसे ईंधन की अधिक कमी के कारण उठाई जा रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में एक पत्र प्राप्त हुआ था ।

(ग) दिल्ली में मिट्टी के तेल एवं ईंधन गैस की सप्लाई में सुधार लाने के लिए कदम उठाये गये हैं ।

मध्य प्रदेश में रेल संचार प्रणाली में विघ्न

2367. **श्री राजराज सिंह देव :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में भारी वर्षा के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में रेल संचार को भारी क्षती पहुंची है;

(ख) क्या क्षति का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) रेल सेवा पर कितना बुरा प्रभाव पडा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1973 के महीनों में भारी वर्षा के कारण कुल 18 यात्री गाड़ियाँ 1 दिन से लेकर 31 दिन तक को अलग-अलग अवधियों के लिए अंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रद्द की गयी थी ।

लाइनों की टूट-फुट की अवधि में तथा उसके बाद कुछ दिनों तक इन खण्डों में माल यातायात की ढुलाई पर गम्भीर रुप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था । रेल पथ को फिर से चालू कर देने के बाद प्रतिबन्धित रफ्तार पर गाड़ियाँ चलाये जाने के कारण यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । मध्यप्रदेश में भारी वर्षा के कारण जो खण्ड प्रभावित हुए थे उन से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

खण्ड का नाम	बाधा की तारीख	बहाली की तारीख
मध्य रेलवे		
1. इटारसी-भोपाल खण्ड	29-8-1973	31-8-1973
2. जबलपुर-इटारसी खण्ड	29-8-1973	31-8-1973
पश्चिम रेलवे		
3. उज्जैन-देवास (बड़ी लाइन)	19-7-1973	20-7-1973
4. उज्जैन-भोपाल (बड़ी लाइन)	30-8-1973	3-9-1973
5. देवास-इन्दोर (बड़ी लाइन)	6-9-1973	14-9-1973
दक्षिण पूर्व रेलवे		
6. कोट्टावलासा-किरान्दुल लाइन बचती और किरान्दुल के बीच	25-8-1973	28-8-1973
7. विलासपुर-कटनी खण्ड		
(1) बुड़हर और सिंघपुर के बीच	4-9-1973	4-9-1973
(2) हर्रद और माहुरी के बीच	30-8-1973	31-8-1973
(3) भंवर टैंक और खोदरी के बीच (4) खंगसरा और भंवर टैंक के बीच.	4-9-1973	4-9-1973
8. भिलाई-ढल्ली राजहरा खण्ड : बलोड और गुन्दरदेही के बीच	8-7-1973	8-7-1973

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को तेल की सप्लाई

2368. **श्री देवेन्दर सिंह गरचा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिंटो जांच के इस निष्कर्ष के बाद भी कि तेल के निकल जाने से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को एक वर्ष में 14 लाख रुपयों की हानि हुई, संस्थान को तेल सप्लाई करने वाले ठेकेदारों द्वारा धोखे घड़ी के नये मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ख) क्या श्री पिंटों के इस सुझाव को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है कि तेल की सप्लाई के लिए दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान को भारतीय तेल निगम के साथ सीधी व्यवस्था करनी चाहिए ।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पिन्टो समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तेल की सप्लाई में धोखा देने की कोशिश करने के एक मामले का पता लगा है ।

(ख) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का इंडियन आयल कार्पोरेशन के साथ बिजली घर स्थल पर तेल की डिलीवरी करने के संबंध में एक ठेका हुआ है । इंडियन आयल कार्पोरेशन तेल को सड़क द्वारा ले जाने के लिए एक परिवहन ठेकेदार को लगाती है । सड़क परिवहन को रेल टैंकरों के प्रयोग द्वारा समाप्त करने के प्रस्ताव को रेल प्राधिकारियों द्वारा संभव नहीं पाया गया है ।

उत्तर रेलवे की खान-पान व्यवस्था के बारे में शिकायतें

2369. **श्री देवेन्दर सिंह गरचा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की खान-पान व्यवस्था के बारे में अधिकारियों को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में इस मामले की कोई जांच करवाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) उत्तर रेलवे में खान-पान सेवा के विरुद्ध होने वाली शिकायतों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) और (ग) इस संबंध में कोई जांच नहीं करायी गयी है लेकिन उत्तर रेलवे में खान-पान की किस्म में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) दिल्ली–हावड़ा रेल मार्ग पर गाड़ियों में यात्रियों को भोजन देने के लिए टूंडला, कानपुर और इलाहाबाद में आधुनिक ढंग के रसोईघर बनाये गये हैं । भोजन ढक्कनदार ट्रे में रख कर बिजली चालित गरम ट्रालियों में इकट्ठा किया जाता है, जो गाड़ियों के पहुंचने पर प्लेटफर्म पर घुमाई जाती हैं और यात्रियों को गर्म ट्रे सीधे डिब्बों में दे दी जाती है ।

(ii) अलीगढ़, टूंडला, कानपुर, इलाहाबाद, मिरजापुर, वाराणसी, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ स्टेशनों पर कम दाम वाले भोजन पैकट की सप्लाई शुरू की गयी है जिसकी कीमत प्रति पैकट एक रुपया है ।

(iii) विभागीय रुप से संचालित और ठेकेदारों के प्रबन्ध में चलने वाली खान-पान इकाइयों की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण का काम तेज कर दिया गया है ।

कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन

2370. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्षों में कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के भारतीय नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों के पास कितनी कितनी आयातित पूंजी है ;

(ख) उक्त अवधि में कितने मूल्य के ऋणपत्र जारी किये गये तथा दिये गय;

(ग) भारतीय सूत्रों से लिये गये ऋण की राशि क्या है ;

(घ) उपभोक्ताओं को जमा राशि के रुप में कितनी धनराशी ली गई; और

(ड़) उक्त अवधि में आरक्षित निधी में कितनी राशि है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) मैसर्स कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को कुल प्रदत्त पूंजी में प्रश्न से संदर्भित, राष्ट्रिको के दो वर्गों द्वारा धारित पूंजी, पिछले चार सालों अर्थात 1970 से 1973 के मध्य निम्नांकित है :

साधारण स्टाक लन्दन रजिस्टर	1973	1972	1971	1970
(गैर–भारतीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए) . .	19,50,409 पौ०	19,69,349 पौ०	20,86,324 पौ०	22,44,604 पौ०
कलकत्ता रजिस्टर (भारतीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए) .	23,12,237 पौ०	22,93,297 पौ०	21,76,322 पौ०	20,18,042 पौ०
योग .	42,62,646 पौ०	42,62,646 पौ०	42,62,646 पौ०	42,62,646 पौ०
(गैर–भारतीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए)	13,99,255 पौ०	14,08,580 पौ०	14,08,580 पौ०	14,10,830 पौ०
कलकत्ता रजिस्टर (भारतीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए)	5,00,745 पौ०	4,91,420 पौ०	4,91,420 पौ०	4,89,170 पौ०
योग	19,00,000 पौ०	19,00,000 पौ०	19,00,000 पौ०	19,00,000 पौ०

(ख) कम्पनी के वार्षिक लेखाओं में यथा प्रदर्शित प्रेषित एवं अभिदत्त ऋणपत्रों का मूल्य प्रत्येक पिछले चार वर्षो की समाप्ति पर निम्नप्रकार है :––

31–3–73	31–3–72	31–3–71	31–3–70 तक
39,54,090 पौ०	39,54,090 पौ०	41,66,667 पौ०	41,66,667 पौ०

(ग) कम्पनी का अपने वार्षिक लेखाओं के अनुसार पिछले चार वर्षों में से किसी एक के मध्य भारतीय श्रोतों से कोई उधार नहीं था ।

(घ) कम्पनी द्वारा पिछले चार वर्षोंके मध्य अपने वार्षिक लेखाओं में यथा प्रदर्शित उपभोक्ता-जमाओं के रुप में लिये गये धन की राशि निम्न प्रकार थी:––

31–3–73 तक	31-3–72 तक	31–3–71 तक	31–3–70 तक
23,39,228 पौ०	21,70,848 पौ०	21,63,062 पौ०	20,44,061 पौ०

कम्पनी के वार्षिक लेखाओं में पिछले चार सालों के मध्य दिये गये कुल आरक्षित (आरक्षित पूंजे, राजस्व आरक्षित और सांविधिक आरक्षित) की राशि निम्नप्रकार थी:--

31-3-73 तक	31-3-72 तक	31-3-71 तक	31-3-70 तक
117,05,362 पौ०	116,15,534 पौ०	116,19,403 पौ०	114,39,948 पौ०

कोलगट पामओलिव, सिंगर स्विनगर मशीन तथा ग्रामोफोन कम्पनियों के लिये आरोप

2371. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित विदेशी नियंत्रित कंपनियां यथा कोलगेट पामओलिव, सिंगर स्विनगर मशीन तथा ग्रामोफोन कम्पनियों पर एकाधिकार तथा निबन्धकारी व्यापार प्रक्रिया के आरोप लगाये गये है।

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक के विरूद्ध किस प्रकार के आरोप लगाये गये है और

(ग) इन आरोपोंपर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विधी, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बारूआ) (क) से (ग): एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 10(क) (iii) के अन्तर्गत ग्रामोफोन कम्पनी इंडिया लिमिटेड के, उसके द्वारा बहुत सा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं में विहित होने के मामले में अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत जांच के लिए रजिस्ट्रार, निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा ने एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को एक आवेदन-पत्र दिया है। आयोग ने प्रार्थना-पत्र पर अभी तक कोई आदेश नहीं दिया है। सिंगर स्विंग मशीन लिमिटेड और कोलगेट पामऑलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में इस प्रकार के कोई आवेदन-पत्र नहीं दिये गये है।

सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान के कार्यकरण के बारे में रिपोर्ट

2372. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधी न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की:

(क) क्या सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट को संसद् में प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय किए जाने के पश्चात् रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने के प्रश्नों पर विचार किया जाएगा।

चौगुले एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

2373. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौगुले एंड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड एकाधिकार तथा निबन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं और नियम के अंतर्गत पंजीकृत है और यदि हां तो इस कम्पनी के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या है;

(ख) इसके मुख्य अंशधारियों के नाम क्या है तथा प्रत्येक अंशधारी के पास कितने शेयर हैं तथा वे कितने कितने प्रतिशत है;

(ग) चौगुले एंड कम्पनी (हिंद) के निदेशकों ने किन कम्पनियों के निदेशक-पद संभाले हुए हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कम्पनी के वर्तमान प्रबंध निदेशक के विरुद्ध कदाचार तथा अनियमितताओं के आरोप है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन आरोपों पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) चौगुले एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 में यथा-अपेक्षित एक उपक्रम के रुप में पंजीकृत किया गया है। पंजीकरण के समय, कम्पनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, कम्पनी के निदेशक श्री वी० डी० चौगुले (प्रबन्ध निदेशक), श्री एल० डी० चौगुले और वाई० डी० चौगुले थे। कम्पनी की सम्पूर्ण शैयर पूंजी 300.25 लाख रु० इन निदेशकों, इनकी पत्नियां और पुत्रों द्वारा धारित थी।

(ग) चौगुले एण्ड कंपनी (हिंद प्राईवेट लिमिटेड के निदेशकों द्वारा प्रस्तुत नवीनतम सूचना के अनुसार, 21 फरवरी 1972 तक उनके द्वारा धारित अन्य निदेशकताओं के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार थी :—

निदेशक का नाम	अन्य निदेशकता
1. श्री पी० डी० चौगुले	———
2. श्री० एस० डी० चौगुले	1. चौगुले स्टीम शिपस् लिमिटेड (प्रबन्ध निदेशक)
	2. चौगुले केमिकल प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक)

(घ) तथा (ङ) जुलाई, 1973 माह में जनता से एक व्यक्ति द्वारा एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों को प्रवंचना के विषय में कतिपय अस्पष्ट आरोप लगाते हुए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। शिकायतकर्ता के स्वयं को पूर्ण रुप से आगे स्पष्टीकरण हेतु शिनाख्त न किये जाने के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका।

पोंग बांध में पानी का स्तर ऊंचा होने के कारण कांगड़ा घाटी रेलवे पर ज्वाली और गुलेर स्टेशनों के बीच रेल पटरी का पानी में डूब जाना

2374. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्रालयने रेलवे अधिकारी को यह बताया कि पोंग बांध में पानी के स्तर के ऊंचा होने की संभावना है जिससे कांगड़ा घाटी रेलवे पर ज्वाली और गुलेर स्टेशनों के बीच पटरी के पानी में डूब जाने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे अधिकारियों को भेजे गये पत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिनांक 31 अक्तूबर, 1973 तक पानी का स्तर अधिक से अधिक कितना ऊंचा हुआ ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) रेल प्राधिकारियों को एक अर्धसरकारी पत्र द्वारा 19 दिसम्बर, 1972 को सूचित किया गया था कि 5 सुरंगों में से $2\frac{1}{2}$ सुरंगों को बन्द कर देने से पोंग बांध जलाशय का स्तर 1973 को मानसून के दौरान 1280 फुट अथवा इससे अधिक हो सकता है। इसके बाद सिंचाई और विद्युत तथा रेल मंत्रालय के अधिकारियों, और हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य 3-1-1973 को हुई बैठक में भी इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था। जलाशय द्वारा जलमग्न होने वाले क्षेत्र में जवाली-गुलर रेल लाइन का निम्नतम भाग 1254 फुट की ऊंचाई पर है।

(ग) 27-7-1973 को जलाशय में अधिकतम जल स्तर 1196.10 फुट था। 1973 के मानसून के दौरान ब्यास में कोई भारी बाढ़े नहीं आयी।

कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन (एन० जी०) को उखाड़ना

2375. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध के जल स्तर में वृद्धि की आशंका के कारण कांगडाघाटी रेलवे लाइन (एन० जी) को 1 अप्रैल, 1973 को उखाड दिया गया था और लाइन के उखाड़ने में कितना समय लगा ;

(ख) क्या गत सात महीनों में जिनमें वर्षा ऋतु भी शामिल है, जल का स्तर एक बार भी पुरानी रेलवे लाइन तक नहीं पहुंचा;

(ग) क्या यह रेल मार्ग बिना किसी ठोस आधार के उखाड़ा गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार लाइन को समय से पूर्व उखाड़ने जिसके परिणाम-स्वरुप उस क्षेत्र के लोगों को बहुत असुविधा तथा कठिनाई का सामना करना पड़ा है, के बारे में जिम्मेवारी निर्धारित करेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) ब्यास बांध के प्राधिकारियों और सिंचाई एवं बिजली मंत्रालय ने रेलवे को अगस्त 1972 में सूचित किया था कि पोंग बांध जलाशय में 1973 के मानसुन के दौरान पानी रोका जायगा। चूंकि इससे जवांवालाशहर और गुलेर के बीच की वर्तमान रेलवे लाइन जलमग्न हो जाती और व्यास बांध के प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित भूमि के सौपने में विलम्ब हो जाने के कारण इन दो स्टेशनों के बीच दुसरा स्थायी मार्ग तैयार नहों हो पाया था, अत: रेलवे ने 1 अप्रैल, 1973 से जवांवाला-शहर से आगे गाड़ी सेवाओं को विलम्बित कर दिया ताकि वर्तमान लाइन के जलमग्न होने से पूर्व उसकी परिसम्पतियों का उद्धार किया जा सके। तब उस क्षेत्र के लोगों को यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से कांगड़ा, नगरौटा, पालमपुर (हिमाचल प्रदेश), वैजनाथ पपरोला और जोगिन्दर नगर में आउट-एजेन्सियां खोली गयी। चूंकि परिवहन का साधन रेल गाड़ियों के बदले बस और ट्रक हो गया है अत: लोगों को वही किराया और भाड़े का भुगतान करना पड़ता है जो कि सड़क परिचालक वसूल करते हैं। रेलवे लाइन के बन्द हो जाने के बाद, यात्री यातायात की निकासी के लिए एम० के० सड़क परिवहन निगम द्वारा बस सेवाओं में काफी वृद्धि कर दी गयी है। यह व्यवस्था प्राय: पर्याप्त प्रतीत होती है क्योंकि रेलवे को कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है। बसों की अनुपलब्धता के कारण सैनिक कर्मचारियों के रुक जाने के बारे में प्रतिरक्षा प्राधिकारियों से भी कोई शिकायत नही मिली है।

सिंचाई और बिजली मंत्रालय से अब यह ज्ञात हुआ है कि पोंग बांध में 1974 के मानसून के दौरान पानी रोका जायेगा। लेकिन जवांवाला शहर और गुलेर के बीच रेल पथ को फिरसे बिछाना सम्भव नहीं है क्योंकि रेल पथ के अलावा अनेक गर्डर पुलों को भी उखाड़ा जा चुका है। समय से पूर्व रेल पथ को उखाड़ने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न नही उठता। क्योंकि 1973 के मानसून के दौरान पोंग बांध में पानी रोकने के लिए उस समय जो निर्णय किया गया था उसे देखते हुए अप्रैल 1973 में रेल पथ को उखाड़ना जरूरी हो गया था।

हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर पनबिजली परियोजना

2376. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के नाथपा अकारी नामक स्थान पर पन बिजली परियोजना को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां तो इस परियोजना का निर्माण कार्य किस तिथि तक आरंभ होने की संभावना है; और

(घ) कुल कितनी धनराशि खर्च होगी तथा यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हिमाचल प्रदेश में नाथपा-अकारी जल विद्युत् परियोजना के संबंध में अभी भी जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1973–74 के दौरान उत्तर रेलवे में रेल गाड़ियों में डीजल इंजनों का लगाया जाना

2377. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में रेलगाड़ियों में डीजल इंजन लगाये जाने की एक चरणबद्ध योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973-74 के दौरान कितनी रेलगाड़ियों में डीजल इंजन लगाये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) डीजल इंजनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, जिनकी मुख्य रुपसे माल यातायात की निकासी के लिए आवश्यकता पड़ती है, उत्तर रेलवे सहित सभी रेलों पर लम्बी दूरी की भीड़ भाड़ वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलीकरण एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है ।

(ख) 1973-74 के शेष महीनों के दौरान बड़ी लाइन पर 51/52 सियालदह-जम्मू तवी एक्सप्रेस और मीटर लाइन पर 31/32 दिल्ली-अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस को डीज़ल इंजन से चलाने का प्रस्ताव है ।

गैस के बारे में प्रकाशित समाचार

2378. **श्री शशि भूषण** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 नवम्बर, 1973 के 'नवभारत टाइम्स, में 'इंडेन' गैस पर दो का एकाधिकार' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में भारतीय तेल निगम के 16 इन्डेन वितरक हैं न कि 2 जैसा कि प्रकाशित समाचार में बताया गया था । इन 16 वितरकों में से, 12, 'युद्ध से हुई विधवाओं के लिए' । भूत-पूर्व सेना कर्मचारियों, 3 गैर सरकारी (खबरों में बताये गये उन 2 को सम्मिलित करते हुए) श्रेणी के हैं जिनकी नियुक्ति 1964/1968 के प्रारंभिक चरणों में की गई थी । ये 2 वितरक, जिनके बारे में प्रकाशित समाचार में कहा गया था, इन्डेन गैस का कुछ विक्रय अपनी स्वंय की शाखाओं तथा कुछ अपने उप-वितरकों द्वारा करते हैं । दिल्ली में इन्डेन की वर्तमान कमी के लिये इन वितरकों/उप-वितरकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । इसका मुख्य कारण कोयाली शोधनशाला, जो कि दिल्ली के लिये गैस की सप्लाई करती है, के कर्मचारियों द्वारा "नियमानुसार कार्य करना" तथा "धीरे कार्य करो" के परिणाम स्वरूप कम सप्लाई का होना है । स्थिति को सामान्य बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाय गये हैं—

(i) कुछ समय के लिये नये ग्राहकों के नामांकन बन्द कर दिय गए हैं ;

(ii) अन्य गैस (एल० पी० जी०) के सप्लायरों की, जहां कहीं संभव हो, गैस भरने की सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है ।

(iii) सप्लाई को बढ़ाने के लिये भारतीय तैल निगम की बम्बई की शोधन शालाओं का समस्त अतिरिक्त एल० पी० जी० का उत्पादन कोयाली को भेजा जा रहा है। दो बड़े डीलरों, जिनके कि अपने अनेक उप-डीलर हैं, की एजेन्सियों के सुव्यस्तीकरण का प्रश्न भारतीय तेल निगम के विचाराधीन है।

रेलवे कार्यालयों में लेखन सामग्री की कमी

2379. **श्री भोला मांझी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कार्यालयों में लेखन सामग्री की भारी कमी है ;

(ख) क्या रेलवे कार्यालयों को बहुत घटिया किस्म की वस्तुएं सप्लाई की जाती हैं तथा वे कम दिन चलती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रिकार्डों के उपयुक्त तथा प्रभावशाली बनाए रखने के लिये पर्याप्त मात्रा में लेखन सामग्री तथा वस्तुएं सप्लाई किए जाने के आदेश देने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं । लेकिन भारत सरकार के केन्द्रीय लेखन सामग्री कार्यालय से, जो सभी सरकारी कार्यालयों को लेखन-सामग्री सप्लाई करता है, सप्लाई में विलम्ब होने या सप्लाई न होने के कारण कुछ रेलों पर लेखन-सामग्री की कुछ मदों की यदाकदा कमी हो जाती है ।

(ख) लेखन-सामग्री नियंत्रक द्वारा रेलवे कार्यालयों को सप्लाई की जाने वाली लेखन-सामग्री की किस्म, वही होती है जिस मानक किस्म की लेखन-सामग्री अन्य सरकारी कार्यालयों को सप्लाई की जाती है। कभी कभी कुछ मदों की किस्म घटिया होती है जो कम दिन चलती है ।

(ग) जब कभी लेखन-सामग्री की कोई मद घटिया किस्म की पायी जाती है तो उसकी रिपोर्ट उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये लेखन सामग्री नियंत्रक को की जाती है । कमी को पूरा करने के लिये विभागीय सीधी खरीद की व्यवस्था की जाती है ।

आवास के आवंटन और किराये की वसूली के लिये मानदंड

2380. **श्री भोला मांझी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में वेतन तथा वेतन के 40 प्रतिशत ('रनिंग' भत्ते में वेतन का अंश) अंश को 'रनिंग स्टाफ को आवास का आबंटन करने तथा किराये की वसूली के लिये, वेतन के रूप में माना जाता है

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का कोई उल्लंघन हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कर्मचारी क्वार्टरों का आबंटन उस प्राधिकृत वेतन-मान समूह के अनुसार किया जाता है, जिससे वह कर्मचारी सम्बन्धित होता है न कि उस कर्मचारी द्वारा वास्तव में लिये जाने वाले वेतन के अनुसार किसी व्यक्ति को दिये गये मकान के लिये निर्धारित किराया अथवा उस व्यक्ति को परिलब्धियों का 10 प्रतिशत जो भी कम

हो, लिया जाता है, 220 रुपये प्रति मास से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में 10 प्रतिशत के बजाय $7\frac{1}{2}\%$ की निम्नतर सीमा लागू होती है। रनिंग कर्मचारियों के वेतन में, उनके वेतन मान में वेतन की 40 प्रतिशत रकम (जो रनिंग भत्ते में वेतन का द्योतक है) शामिल होती है। इस रकम को वेतन-निर्धारण, नगर प्रतिकर भत्ते और मकान किराया भत्ते की मंजूरी और मकान किराये की वसूली के प्रयोजन के लिये वेतन माना जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाराकार रेलवे कालोनी (पूर्व रेलवे) में बच्चों के लिये पार्क

2381. **श्री भोला मांझी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाराकार रेलवे कालोनी (पूर्व रेलवे) में अन्य रेलवे स्टेशनों की तरह बच्चों के लिये कोई पार्क नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसकी व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) बाराकर रेलवे बस्ती में बच्चों के लिये एक पार्क की व्यवस्था चालू वित्त वर्ष में ही की जा रही है।

Publication of Governments Proposals for Delimitation of Constituencies in English and Hindi

2382. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government's proposals for delimitation of constituencies in the States are not published both in English and Hindi; and

(b) the legal position in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhari) : (a) and (b) In view of the short time available to the Delimitation Commission for completion of its work of delimitation of constituencies well before the Sixth General Election to the Lok Subha to be held early in 1976, Government have granted exemption to the commission from publishing Hindi translations of its proposals for the delimitations of constituencies in respect of non-Hindi speaking States. The proposals of the Delimitation Commission for delimitation of parliamentary and assembly constituencies pertaining to the Hindi speaking States are, however, published both in Hindi and in English in the Gazette of India and the concerned State Gazette.

Arrangements for Hindi Translation work in Election Commission

2383. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is an adequate arrangement for Hindi translation work in the Election Commission ;

(b) if not, the steps being taken in this regard ; and

(c) if so, the reasons for not at all publishing or publishing very late the Hindi translations of English publications.

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) to (c) The present arrangements for the day-to-day Hindi translation work of the Election Commission are, on the whole, adequate. However, having regard to the increase in the use of Hindi in the work of the Commssion and the volume of Hindi translation work pertaining to the Delimitation Commission, the question of augmenting the existing staff in the Hindi Unit of the Election Commission is under Government's consideration. Every effort is being made by the Commission to have its publications translated into Hindi, wherever necessary, as early as possible.

Suggestions Invited by Election Commission from Hindi Knowing People of U.P. in English

2384. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Hindi-knowing people of Uttar Pradesh have been advised by the Election Commission to send their comments and suggestions regarding the proposals for the delimitation of constituencies in English ;

(b) if not, the factual position in this regard ;

(c) if so, the reason therefor ;

(d) the legal position in this regard ; and

(e) whether adequate arrangements do not exist for Hindi translation of delimitation work in the Delimitation Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) to (d) The Delimitation Commission's notification containing proposals for the delimitation of parliamentary and assembly constituencies in the State of Uttar Pradesh published in the Gazette of India also contained a provision inviting objections or suggestions in regard to these proposals. It was *inter alia* mentioned therein that it would facilitate prompt consideration if the objections and suggestions were sent in English. The Commission's notification, however, does not say that the objections and suggestions should be sent in English only. In fact, the objections and suggestions received from the public in Hindi have been considered by the Commission at its public meetings held at various places. The Commission has since decided to omit any reference to the objections and suggestions being sent to it in English in its future notifications containing proposals for the delimitation of parliamentary and assembly constituencies in the Hindi-speaking areas.

(e) The present arrangements for Hindi translation work pertaining to the Delimitation Commission are on the whole adequate. The question of making further improvement in this behalf is uder examination.

Railway Advisors in Indian Embassies Abroad

2385. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there are Railway Advisors in the Indian Embassies in foreign countries such as U.S.A., France, Germany and Russia ;

(b) if so, the amount spent on all such Advisors during the last three years, yearwise and the importance and necessity of this post ; and

(c) the reasons why these posts are not being abolished ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) There are

(i) Railway Advisers, one each at London in the United Kingdom and Dacca in Bangladesh;

(ii) Deputy Railway Advisers, one each at Paris in France, Berne in Switzerland and Bonn in West Germany and

(iii) a Second Secretary (Scientific and Technical) at Tokyo in Japan.

There is at present no Railway officer posted in the Embassies of India in the U.S.A. and the U.S.S.R.

(b) The estimated expenditure for the officers are as under :

1971-72	Rs. 9,32,000
1972-73	Rs. 9,00,000
1973-74	Rs. 5,78,000

The officers advise the Indian Missions concerned in matters pertaining to Railways and make direct inspection of railway equipment for which orders are placed abroad.

(c) With greater indigenisation our equipment import has come down in terms of money, but certain highly sophisticated items and those which are not manufactured in adequate quantity in India, are still to be imported. It has been found that it is more economical to get the inspection work done by our own officers, rather than get it done by the National Railways of the countries concerned on payment. The posts abroad are not, therefore, being abolished but are being kept at the minimum. However, it may be mentioned that one post of Attache (Technical) in Washington, U. S. A., has been abolished with effect from 1-7-1972.

रेलव सुरक्षा बल तथा सतर्कता निदेशालय के मुख्य कार्यालयों का दिल्ली/नई दिल्ली स्थानान्तरण

2386. **श्री अम्बेश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल तथा सतर्कता (सतर्कता निदेशालय) के मुख्य कार्यालय दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित हैं ;

(ख) क्या कार्यालयों को दिल्ली/नई दिल्ली से अन्यत्र ले जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, नई दिल्ली में।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर पूर्ण विकसित सुरक्षा और सतर्कता संगठन काम कर रहे हैं। सुरक्षा एवं सतर्कता निदेशालय रेलों के समस्त सुरक्षा एवं सतर्कता संगठनों के शीर्षस्थ निकाय हैं और रेल मंत्रालय के अविभाज्य अंग हैं जिन्हें उससे पृथक नहीं किया जा सकता।

Agreement Signed with U. S. S. R.

2387. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether an Indian delegation headed by Shri P. K. Dave, Secretary, Ministry of Petroleum and Chemicals, signed an agreement with U. S. S. R. recently ; and

(b) if so, the outlines of the agreement ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) A delegation headed by Shri P. K. Dave, Secretary, Ministry of Petroleum and Chemicals visited U. S. S. R. in October, 1973 to take part in discussions to review the Soviet assistance to the O.N.G.C. in its activitoes for oil exploration, develcpment and production. At the end of these discussic ns, a Record Note was signed on October 19, 1973 by Shri P. K. Dave, on behalf of the Indian side and Shri D. A. Takeev, Deputy Minister of Oil Industry, U. S. S. R., on behalf of the Soviet side. This note delineated the recommendations made and the decisions taken regarding the future Soviet assistance to the O.N.G. Commission through supply of equipment, deputation of specialists, training of Indian technicians etc.

The Delegation, among others, included Shri B. S. Negi, Chairman, O.N.G.C. During the visit of the Delegation, a Contract was signed on October 19, 1973, by Shri Negi on behalf of the O.N.G.C., with V/O Techno expert of U. S. S. R. for supply of instruments, a machinery, equipment, materials and spares, totalling to a value of Rs. 148.62 lakhs.

Dilapidated Condition of 1st Class Bogies in Trains

2388. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the first class bogies attached to most of passenger, express and mail trains are in a very dilapidated condition ;

(b) whether the fans installed therein are not in a good working condition as a result of which the passengers face a lot of inconvenience ;

(c) if so, whether the Railway Ministry proposes to conduct a survey of these inconvenient bogies to improve their condition; and

(d) if so, the salient features of the proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) Some complaints have been received for lack of certain amenities in 1st Class bogies, causing inconvenience to passengers.

(c) and (d) These complaints are promptly looked into and remedial measures are taken. The Railway Administration is keeping a regular watch on such matters.

व्यास-सतलुज जल परियोजना का काम

2389. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास-सतलुज जल परियोजना का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ग) [illegible] बांध और व्यपवर्तन सुरंग पर कार्य प्राय: संशोधित अनुसूची के अनुसार हो रहा है और 1975 तक इसके पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(ख) इस परियोजना पर सितम्बर, 1973 के अंत तक 159.53 करोड़ रुपये की कुल धनराशि व्यय हुई है।

Action taken on free Legal Aid to the poor

2390. Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) what action has been taken on the report of the Committee to provide free and cheap justice to poor people ; and

(b) the time by which the same would be provided to them ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) and (b) A sub-committee has been a set up to examine the Report and it has held fifteen meetings so far. It is expected that the examination of the Report will be concluded soon but it is difficult to set a date-line by which legal aid would be made available to the poor. This is so because Government would like to take into consideration the views of State Governments who have acquired experience as a result of working of some schemes of a like nature in their respective States.

आगामी पांच वर्षों में केरल में नई रेलवे लाइनें

2391. श्री ए० के० गोपालन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी पांच वर्षों में केरल में कौन सी नई रेलवे लाइनें बिछाई जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : नागरकोयल के रास्ते तिरुनेलवेलि से तिरुवनन्तपुरम् तक नयी बड़ी लाइन और कन्या कुमारी तक एक शाखा लाइन, जो अंशत: केरल में पड़ती है, का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। यह लाइन 1976-77 तक तयार हो जायेगी बशर्ते धन उपलब्ध हो। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की जाने वाली नयी लाइनों से सम्बन्धित प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि अगले पांच वर्षों में केरल में किन नयी लाइनों के निर्माण पर विचार किया जायेगा।

मंगलोर-त्रिवेन्द्रम और एर्णाकुलम-मद्रास रेलवे लाइनों पर बिजली का लगाया जाना

2392. श्री ए० के० गोपालन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मंगलोर से त्रिवेन्द्रम तक और एरणाकुलम से मद्रास तक रेल लाइनों पर बिजली लगाने के बारे में विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ द्वारा 30 अक्तूबर, 1973 को समस्तीपुर में प्रदर्शन

2393. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस से सम्बद्ध पूर्वोत्तर रेलवे मज़दूर संघ ने 31 अक्तूबर, 1973 को समस्तीपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया था और रेलवे मंत्री को कुछ मांगें प्रस्तुत की थीं; और

(ख) यदि हां, तो इसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शकी कुरेशी) : (क) जी हां। मुट्ठी भर लोगों द्वारा एक तरह का प्रदर्शन किया गया था।

(ख) उनकी मांगें संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

(1) आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन।

(2) कार्यरत कर्मचारियों के वेतनों का नये वेतनमानों में पाइंट-टु-पाइंट निर्धारण।

(3) महंगाई का शत-प्रतिशत निष्प्रभावीकरण।

(4) वेतन आयोग की सिफारिशों का 1-3-1970 से कार्यान्वयन।

(5) रेल कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस देना।

(6) पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता प्रदान करना।

(7) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लिए क्वार्टरों के किराये का अलग से आकलन किया जाये तथा पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों के लिए, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये पूल-नियतन आदेश को रद्द किया जाये।

(8) श्रमिक यूनियन की गतिविधियों के कारण कुछ कार्यकर्ताओं के कथित उत्योड़न को समाप्त किया जाना चाहिए।

(9) उत्तर प्रदेश और बिहार के बाढ़ से प्रभावित ज़िलों के निवासी कर्मचारियों को बाढ़ अग्रिम-प्रदान करना।

(10) संवर्ग सम्बन्धी स्थिति का पुनरीक्षण किया जाये और जहां कहीं अनुरक्षण पदों पर नैमित्तिक श्रमिक लगे हुए हैं वहां उन्हें नियमित वेतनमान में लगाया जाये।

(11) जो नमित्तिक श्रमिक जांच पड़ताल के बाद बने पेनल पर रखे गये हैं, उन्हें नियमित पदों पर नियुक्त किया जाये और इस पेनल को निष्क्रिय घोषित न किया जाये।

(12) ऐसे नैमित्तिक श्रमिक जिनकी जांच-पड़ताल नहीं की गयी है उनकी जांच-पड़ताल की जाये और उन्हें नियमित पदों पर नियुक्त किया जाय।

(13) नैमित्तिक श्रमिकों को दैनिक मजदूरी की दर समय-वेतनमान में नियुक्त उनके समकक्ष कमचारियों को दिये जाने वाले वेतन के 1/30के आधार पर निर्धारित की जाये।

इस तरह के प्रश्न समय-समय पर मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा उठाये जाते हैं और उन्हें विभिन्न स्तरों पर स्थायी वार्तातन्त्र और संयुक्त परामर्श तंत्र की बैठकों में विचार-विमर्श के ज़रिए हल किया जाता है। उपर्युक्त मांगों में से बहुत सी मांगों पर वस्तुतः विचार किया गया है और उनपर यथासम्भव कार्रवाई की गयी है।

गुजरात पेट्रो-रसायन द्वारा "डी० एम० टी०" के उत्पादन में कमी किया जाना

2394. श्री डी० पी० देसाई : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात पेट्रो-रसायन ने अगस्त, 1973 से 'डी० एम० टी०' के उत्पादन में 25 प्रतिशत की कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इससे 'पोलिएस्टर फाइबर फिलामेंट यार्न की और अधिक कमी हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो 'डी० एम० टी०' का उत्पादन अगस्त से पूर्व के स्तर तक लाने हेतु, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) मुख्य कच्चे माल पेराक्सेलीन के उपलब्ध न होने के कारण इण्डियन पेट्रो-रसायन निगम को अपना डी० एम० टी० प्लांट बन्द करना पड़ा।

(ख) जी हां।

(ग) विदेशी सहयोगकर्ता इस परियोजना के लिए पेराक्सीलीन प्लांट का जल्दी से मरम्मत कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही डी० एम० टी० प्लाट को पुनः चालू करने के लिए पेराक्सीलीन के आयात की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

मशीनों तेलों (लुब्रिकेन्टस) की मूल्य वृद्धि का विद्युत उद्योग पर प्रभाव

2395. श्री मान सिंह भोरा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या मशीनो तेलों की मूल्य-वृद्धि का विद्युत् उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा ; और
(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां। कुछ सीमा तक।

(ख) विद्युत् उद्योग में विभिन्न श्रेणियों और ग्रेडों के लुब्रीकेन्,प्स उपयोग में लाए जाते हैं। मूल्य-वृद्धि के कारण ट्रांस्फार्मरों और स्विचगीयरों में प्रयोग किए जा रहे इन्सूलेटिंग तेल को लुब्रोकेटिंग तेलों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। लुब्रीकेन्ट्स का विद्युत् संयंत्रों में भी काफी प्रयोग किया जाता है। अतः लागत में वृद्धि से इन उपस्करों की लागत में वृद्धि होगी। प्रचालन लागत में कुछ हद तक ही वृद्धि होगी।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त जल परियोजनाएं स्थापित किया जाना

2396. श्री मान सिंह भोरा :

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त सिंचाई जल परियोजनाएं स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या कोई अन्य राज्य भी इस प्रकार की संयुक्त परियोजनाएं स्थाक्ति करने पर सहमत हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) बांध सिंचाई परियोजना और पेंच जल विद्युत् परियोजनाएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संयुक्त उपक्रमों के रूप में निर्मित की जा रही हैं।

बांध परियोजना की अनुमानित लागत 15.22 करोड़ रुपये है जिसमें से महाराष्ट्र का हिस्सा 11 करोड़ रुपये है और जिससे महाराष्ट्र में 33670 हेक्टेयर भूमि और मध्य प्रदेश में 10,800 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच लागत और लाभ को 3 :1 के अनुपात से बांटा जाएगा ।

28.28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की पेंच जल विद्युत् परियोजना से 28.8 मेगावाट वास्तविक विद्युत् उत्पादन होगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच लागत और लाभ की 1:2 के अनुपात में बांटा जाएगा।

दोनों राज्य भोपाल पटनम, बाबनथड़ी, कालीसरार तथा अपर तापी परियोजनाओं के लिए भी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

(ग) कई परियोजनाएं संयुक्त उपक्रमों के रूप में क्रियान्वित की जा चुकी हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं। ये निम्नलिखित ह :—

परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति	सम्बद्ध राज्य
भाखड़ा नंगल . .	पूर्ण	पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान
मचकुण्ड . . .	पूर्ण	आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा
तुंगभद्रा . . .	पूर्ण होने वाली है	कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश
चम्बल . . .	पूर्ण होने वाली है	राजस्थान तथा मध्य प्रदेश
ब्यास यूनिट एक और दो .	निर्माणाधीन	पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान
बलीमेला बांध . .	वही	आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा
माही बजाजसागर . .	वही	राजस्थान तथा गुजरात
गंडक . . .	वही	उत्तर प्रदेश तथा बिहार
दमनगंगा . . .	वही	गुजरात, गोआ, दमन, दिऊ और दादरा तथा नगर हवेली

निम्नलिखित परियोजनाओं के संयुक्त प्रयासों के द्वारा निर्माण के लिए भी समझौते हो गये हैं :—

वानसागर . . .	मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश
चोलाटीपुझा . .	तमिलनाडु तथा केरल।

रेलों को उचित रुप में और कुशलता से चलाने के लिये को गई कार्यवाही

2397. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को घाटा हो रहा है और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) रेलों को उचित ढंग से और कुशलता से चलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। लाभ और हानि का लेखा वित्त वर्ष के अन्त में वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है। अन्तिम लेखों का संकलन की जाने के पश्चात् ही हानि की सही रकम का पता चल सकेगा। लेकिन, आशंका है कि हानि अत्यधिक होगी।

(ख) चालू वर्ष के अन्त में रेलों को अत्यधिक हानि होने की संभावना है जिसके कारण नीचे दिये गये है :—

(i) आमदानी में गिरावट –वर्ष के प्रथम छः महीनों में रेलों ने इस अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य से 80.6 लाख मेटरिक टन माल यातायात की कम धुलाई की ;

(ii) 1-5-73 और 1-8-73 से मंजूर किये गये अतिरिक्त महंगाई भत्ते, लोको फोरमेनों और गैंग मनों के बारे में विवाचक मंडल के अधिनिर्णय तथा वेतन आयोग की सिफारिशों आदि के कारण होनेवाला अतिरिक्त खर्च, जिसे बजट अनुमानों में शामिल नहीं किया गया था।

(ग) संचालन व्यय में कमी करने तथा आमदनी बढ़ाने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

रेल प्रयोक्ता सलाहकार समितियों का लाभ

2398. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेल प्रयोक्ता सलाहकार समितियों से रेलवे को कोई लाभ हुआ है ;

(ख) क्या ये समितियां कोई प्रभावकारी भूमिका अदा करती हैं अथवा केवल दिखावठी हैं ;

(ग) इन समितियों को अत्यंत न्यायोचित मांगों को भी विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों तथा मुख्य अधिकारियों द्वारा सामान्यतः नामंजूर कर दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन समितियों को सक्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेल उपयोगकर्ताओं की समस्याओं को समझने और रेल सेवाओंमें, जहां आवश्यकता होती है, सुधार करने के काम में ये समितियां बड़ी उपयोगी भूमिका निभाती ह। इन समितियों की बैठकों में जो सुझाव दिये जाते हैं अथवा जिन पर विचार विमर्श किया जाता है, उनकी जांच की जाती है और जहां तक व्यावहारिक होता है, उन पर अमल किया जाता है। आम तौर पर केवल उन प्रस्तावों को स्वीकार नही किवा जाता जिनका वित्तीय दृष्टि से औचित्य नहीं होता अथवा जो लाइन, कर्षण शक्ति और टर्मिनल क्षमता के अभाव में अन्यथा व्यावहारिक नही होते।

(घ) रेलों को इस आशय के अनुदेश जारी किये गये हैं कि (i) प्रत्येक समिति में किसी महत्वपूर्ण समाज सेवा संगठन के एक प्रतिनिधि को और एक सुप्रसिद्ध सेवा-निवृत्त शिक्षाविद को शामिल करके क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों के स्वरूप को अधिक व्यापक बनाया जाये, और (ii) स्टशन परामर्श समितियों को सक्रिय बनाया जाये।

अक्तूबर, 1973 तक राजस्थान में बस पौंग बांध के निष्क्रांत व्यक्ति

2399. **श्री विक्रम महाजन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध के कितने निष्क्रांत व्यक्ति 31 अक्तुबर, 1973 तक राजस्थान में बसे गए थे और ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनका पुनर्वास अभी होना है; और

(ख) पोंग बांध के सभी निष्क्रांत व्यक्तियों के पुनर्वास का काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राजस्थान नहर क्षेत्र में अभी तक 7274 पोंग बांध विस्थापितों को भूमि अलाट की गई है। इनमें से 4606 विस्थापितों ने अपनी जमीन पर कब्जा ले लिया है। 2788 और विस्थापितों से भूमि के आबंटन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। ज्योंही राजस्थान नहर क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली का विस्तार किया जाएगा, और आबंटन किया जाएगा।

कांगड़ा घाटी रेलवे

2400. श्री विक्रम महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कांगड़ा घाटी रेलवे के सम्बन्ध में 31 अक्तूबर, 1973 तक कितनी प्रगती हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : अक्तूबर, 1973 के अन्त तक समग्र प्रगती 30 प्रतिशत हुई।

विदेशी तेल संबंधी रियायतों के लिए भारत का प्रयास

2401. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री के० लकप्पा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अन्य देशों में तेल संबंधी जैसे ही रियायतें प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है जैसी उसे इराक में मिली है ;

(ख) यदि हां, तो वे देश कौन-कौन से हैं; और

(ग) क्या किसी देश से बातचीत की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस स्तर पर इससे संबंधित सूचना देना जनहित में नहीं समझा गया है।

25 सितम्बर, 1973 को रेल भवन पर रेल कर्मचारियों का प्रदर्शन

2402. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री पी० गंगादेव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 सितम्बर, 1973 को रेल भवन पर कई हजार रेल कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था ;

(ख) क्या रेल कर्मचारियों ने उन्हें कोई ज्ञापन दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 25-9-1973 को उत्तर रेलवे के कुछ कर्मचारी रेल भवन के सामने इकट्ठे हुए थे और बाद में उन्होंने रेल मंत्री को एक ज्ञापन दिया था ।

(ग) यह ज्ञापन निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में था :—

(i) रेलों पर स्थायी वार्ता तंत्र का काम करना।

(ii) रेल कर्मचारियों की आपसी एकता।

(iii) भारतीय रेल के लिए एक स्वायत्त निगम की मांग।

(iv) वतन आयोग की सिफारिशें।

(v) रेल कर्मचारियों को बोनस।

(vi) लोको शेड आदि में कारखाना अधिनियम लागू करना।

(vii) रेल कर्मचारियों के काम के घंटे।

(viii) चालू लाइन कर्मचारियों को राजपत्रित छुट्टियां।

(ix) सहायता प्राप्त अनाज की दुकानों से अनाज की सप्लाई।

(x) रेल कर्मचारियों के वेतन और बकायों के भुगतान में देरी।

(xi) विवाचक मंडल के निर्णयों का कार्यान्वयन।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महा-सचिव : मुझे राज्य सभा के महा-सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने 21 नवम्बर, 1973 को अपनी बैठक में बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973 पास कर दिया है।

(दो) कि राज्य सभा 26 नवम्बर, 1973 को अपनी बैठक में प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधियां) विधेयक 1972 में लोक सभा द्वारा 15 नवम्बर, 1973 को किये गये संशोधनों से सहमत हुई है।

(तीन) कि राज्य सभा 26 नवम्बर, 1973 को अपनी बैठक में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1973 में लोक सभा द्वारा 19 नवम्बर, 1973 को लिये गये संशोधनों से सहमत हुई है।

बोनस संदाय (दूसरा संशोधन)
PAYMENT OF BONUS (SECOND AMENDMENT) BILL

महा-सचिव : मैं बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

सभा के कार्य के बारे में
RE: BUSSINESS OF THE HOUSE

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मद संख्या 8 के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जांच समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा की जाती है। यह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया था परन्तु माननीय

सदस्यों को अभी तक यह उपलब्ध नहीं किया गया। अत: मेरा निवेदन यह है कि इस पर होने वाली चर्चा को स्थगित किया जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं श्री एस० एम० बनर्जी के विचार से सहमत हूं कि प्रतिवेदन की प्रतियां उपलब्ध होने तक इस पर चर्चा स्थगित रखी जाये अन्यथा हम इस पर समुचित विचार नहीं कर पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य इस चर्चा को स्थगित करने के पक्ष मे है? मुझे आशा है कि इस में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस सें सम्बन्धित चार सदस्यों में से एक की यह मांग है। अन्य सदस्यों की भी सहमति प्राप्त की जानी चाहिये।

श्री एस० एम०बनर्जी : इसके स्थान पर मद संख्या 7 पर चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 7 पर पांच बजे चर्चा की जायेगी। इस बीच समय का कुछ समायोजन करना होगा। मैं अन्य दो सदस्यों की जिम्मेदारी ले सकता हूं परन्तु श्री समर गुह की नहीं। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि उस पर आज चर्चा होगी। यदि वह न आये तो फिर ठीक है। अत: वह आयेंगे तब देखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामय्या) : क्या मैं आज होनेवाली दूसरी चर्चा को स्थगित समझूं?

अध्यक्ष महोदय : इण्डियन एअरलाइन्स की तालाबन्दी पर चर्चा को आज पांच बजे तक स्थगित किया गया है। दूसरी चर्चा अगले दिन के लिये स्थगित की जाती है।

नियम 377 के अधीन मामला
MATTER UNDER RULE 377

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग का वर्ष 1972 का प्रशासनिक प्रतिवेदन पेश करने में सरकार की असफलता

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : 15 मई, 1973 को मैंने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग के सभी प्रतिवेदनों को सरकार द्वारा प्रस्तुत न किये जाने के कारण कम्पनी कार्य मंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाने की अनुमति मांगी थी, उस समय मंत्री महोदय ने महान्यायवादी की राय ली थी और उन्होंने भी बताया था कि सरकार ने अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। अत: मंत्री महोदय ने बिना किसी शर्त के क्षमा याचना की थी। उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया था कि भविष्य में सभी प्रतिवेदन दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जायेंगे।

अब हमें फिर पता चला है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग का प्रशासनिक प्रतिवेदन पहले ही सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है परन्तु सरकार ने उसको दबा रखा है और उस को अभी तक दोनों सदनों में प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्ष 1972 के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अतिरिक्त व्यक्तिगत मामलों से सम्बन्धित भी कई प्रतिवेदन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस देश में एकाधिकारों के बारे में नीति सम्बन्धी मामलें सम्बन्धित हैं। वे प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत नहीं किये गये। यदि यह बात ठीक है, तो 15 मई, 1973 को मंत्री को दी गई बिना शर्त की माफ़ी निरर्थक ही जाती है। अत: मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और सम्बन्धित मंत्री की प्रतारना करे कि भविष्य में इस प्रकार की भूल को सहन नहीं किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye (Banka) : On a point of order. Sir, Similar situation had arisen in the case of Tariff Commission reports. There were 5-6 reports and you had observed that it was improper and the hon'ble Minister had asked for apology. It is impropriety and it should be treated as privilege issue (*Interruptions*)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : निःसंदेह मैंने कानूनी राय लेने के बाद सभा में वक्तव्य दिया था कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह आयोग के प्रतिवेदनों को दोनों सदनों में प्रस्तुत करे। मैंने यह भी कहा था कि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमे इस बात का अफ़सोस है। परन्तु स्थिति यह है कि कई वर्षों के प्रतिवेदन अभी सभा में नहीं रखे गये थे। परन्तु आश्वासन देने के बाद अनेक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे गये हैं और सात या आठ प्रतिवेदन जो साइक्लो-स्टाइल किये जा रहे हैं, वे अगले सप्ताह में मंगलवार को सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

जहां तक प्रशासनिक प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, वह बहुत बड़ा है और वह मुद्रणालय में है। उसे संसद के चालू सत्र में सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। हम किसी भी प्रतिवेदन को संसद से छिपाना नहीं चाहते। जैसे ही प्रतिवेदन तैयार होते हैं, उन्हें सभा में प्रस्तुत कर दिया जाता है और अब इस कार्य को यथाशीघ्र किया जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं?

अध्यक्ष महोदय : जब मेरे कहने के बाद अब काम को शीघ्र किया जा रहा है, तो और आप क्या चाहते हैं?

प्रेस परिषद (संशोधन विधेयक)—जारी

PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं यह कह रहा था कि मंत्री महोदय के विचार में यह एक साधारण-सा विधेयक है और इस पर कोई विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है। इस लम्बे वादविवाद से यह सिद्ध हो जाता है कि इसमें देश के प्रेस की निष्फलता और प्रेस परिषद के कार्यकरण के महत्वपूर्ण मामले अन्तर्गस्त हैं। मेरे विचार में नामनिर्देशन समिति की नियुक्ति के बारे में की गई आलोचना का तात्पर्य मुख्य न्यायाधीश, राज्य सभा के सभापति और अध्यक्ष महोदय पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाना नहीं था। परन्तु किस व्यक्ति विशेष की समाचार पत्रों में आलोचना के कारण ही व्यवस्था बदल देना कोई उचित बात प्रतीत नहीं होती। हमारा प्रेस स्वतंत्र है। हमारे समाचार-पत्रों में किसी भी व्यक्ति की आलोचना की जा सकती है अन्यथा वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। यदि ऐसी बात थी तो उन्हें इस प्रकार की समिति के साथ सम्बद्ध करने के समय विचार करना था। जिस प्रकार से आलोचना का ग्रहण किया गया है और त्यागपत्र दिये गये है, मेरे विचार में अब उनसे सभा का एकमत से अनुरोध करने का सुझाव ठीक नहीं प्रतीत होता।

यद्यपि प्रेस परिषद के पास अधिक शक्तियां नहीं है फिर भी वे गलती करने वाले पत्रकारों और समाचार-पत्रों को चेतावनी दे सकती है। वह सरकार को भी बता सकती है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कब आघात होता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रेस परिषद का नैतिक प्राधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इस संस्था को स्वतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए।

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर प्रस परिषद का विचार प्रस्तुत किया गया था और इसे ब्रिटिश प्रेस परिषद के ढांचे की तरह गठित किया गया था। ब्रिटिश प्रेस परिषद को "प्रेस की प्रतिष्ठित स्वतंत्रता बनाये रखने के लिये" ही गठित किया गया था। ब्रिटेन में प्रेस पूरी तरह से और शताब्दियों से स्वतंत्र है। परन्तु भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को स्थापित करना है और फिर उसको बढ़ाने की बात करनी होगी। प्रेस परिषद स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए, उसे संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु अब तो यह स्थापित हो चुकी है। मेरे विचार में इस परिषद को सूचना तथा प्रसारण

[श्री पी० जी० मावलंकर]

मंत्रालय के साथ सम्बद्ध नहीं करना चाहिए। यह प्राय: देखा गया है कि सूचना तथा प्रसारण मंत्री जो कुछ करता है या जहां कहीं जाता है, उसे समाचार बुलेटिन में किसी न किसी रूप में अवश्य शामिल किया जाता है भले ही उस समाचार का कोई महत्व हो या न हो। इससे प्रेस में लोगों की चापलूसी की भावना का पता चलता है। यदि प्रेस परिषद को किसी मंत्री के साथ सम्बद्ध करना है, तो उसे शिक्षा और संस्कृति मंत्री के साथ सम्बद्ध करना चाहिए, सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ नहीं।

मेरा सुझाव यह है कि प्रेस परिषद को ब्रिटिश प्रेस परिषद की तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए तभी वह अच्छा काम कर सकेगी।

मेरा आरोप यह है कि प्रेस परिषद अपने कार्य में असफल रही है और देश के लोगों को समय पर आवश्यक सूचना देते रहने में असफल रही है।

एक प्रजातंत्र तथा स्वतंत्र देश की संसद में हर विषय पर स्वतंत्र चर्चा होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि हमें किसी भी महत्वपूर्ण सुझाव को प्रेस तक पहुंचाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

श्री रामअवतार शास्त्री ने श्रमजीवी पत्रकारों के संघ की चर्चा की है। प्रेस परिषद, ने पत्रकारों के राष्ट्रीय संघ को मान्यता दे दी है। इसे राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है अत: इन प्रश्नों को यहां न लाया जाये। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्पादकों तथा पत्रकारों को अपने विचार प्रकट करने के अधिकार होने चाहिये।

यदि हम जनमत को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो हमारा प्रेस जगत स्वतंत्र होना चाहिये।

यह विधेयक पास किये जाने के लिये सामने आया है। लेकिन यह विधेयक मौनसून सत्र के दौरान क्यों नहीं लाया गया? लेकिन सरकार को अध्यादेश जारी करने की आदत सी पड गयी है क्योंकि वह जानती है कि विधेयक संसद में पास हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये हमने अधिक समय ले लिया है। मंत्री महोदय कितना समय लेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : लगभग 20 मिनट।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want to speak on the third reading also.

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको बोलना ही हो तो पहली रीडिंग में बोलें आखिर में नहीं।

Shri Madhu Limaye : It depends on what the Hon. Minister says.

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों ने नामांकन समिति का जिक्र किया है जिसका मैं स्वयं भी एक सदस्य हूं। मेरी उपस्थिति में बहुत कुछ कहा गया है। कितना अच्छा होता यदि मैं यहां न होता।

भारत के मख्य न्यायाधीश, राज्य सभा के सभापति तथा अध्यक्ष नामांकन समिति के सदस्य हैं। उनके बारे में मैं नहीं जानता लेकिन इस क्षेत्र में मेरा अपना अनेक वर्षों का अनुभव है। 25 वर्ष पहले मैं एक सम्पादक था और श्रमजीवी पत्रकारों के संघ का संस्थापक सदस्य था।

इस समिति की नियुक्ति अधिनियम के अधीन की गयी। लेकिन हमारे सामने यह मामला इसके अनेक पहलूओं के साथ आया। समिति ने पत्रकारों की लगभग सभी संस्थाओं को अपनी बात कहने का अवसर दिया। समिति की आलोचना होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाते इस समिति के सदस्य हैं। यदि आलोचना इस प्रकार से हो रही है, तो हमारा नामांकन ही ईमानदारी से नहीं किया गया। आलोचना तो आलोचना ही है। समिति की नियुक्ति विश्वास पैदा करने के लिये की गयी थी जो ऐसा करने में सफल नहीं रही।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि प्रेस परिषद ने क्या अपने कर्तव्य भलीभांति निभाये हैं अथवा नहीं।

श्री मावलंकर ने प्रेस की आजादी की चर्चा की और जैसे कि स्वाभाविक है, उन्होंने व्हाईट हाउस, ब्रिटन से प्रेरणा प्राप्त की है, उन्हें भारत में व्याप्त वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए सारी स्थिति पर विचार करना चाहिये। मैं कुमारी सुमित्रा देसाई के मामले की चर्चा पहले कर चुका हूं और अब भी करने जा रहा हूं। कुमारी सुमित्रा देसाई सम्बन्धी घोटाले के बारे में **हिन्दू**, मद्रास, **हिन्दूस्तान टाईम्स** तथा **टाईम्स आफ इंडिया** में विभिन्न शीर्षकों से समाचार प्रकाशित हुये। 4 नवम्बर के पेट्रियट में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ कि कुमारी सुमित्रा देसाई को पहचान लिया गया। पिछड़े वर्ग के एक हरिजन मंत्री को मैसूर राज्य के मंत्रीमंडल से इसी कारण हटाया गया। यह पत्रकारिता के इतिहास के लिये शर्मनाक बात है कि किसी भी समाचार पत्र ने इस बारे में क्षमायाचना नहीं की।

समझ में नहीं आता कि प्रेस परिषद् इस मामले में क्या करती रही। क्या वह इन समाचार पत्रों की निंदा नहीं कर सकती जिन्होंने इस प्रकार के समाचार प्रकाशित किये। चूंकि आपने इसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा शुरू की, इसी कारण मैंने कुछ सुझाव दिये।

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj) : The Committee compresising of Chief Justice of India, Speaker of Lok Sabha and Chairman of Rajya Sabha was constituted under the Press Council Act. It is not known as to what work was done after enforcing the Press Council Act in October, 1971.

It is not correct to say that there had been no satisfactory work after the enforcement of Press Council Act.

The Press Council is not a statutory body which, in fact, should have been so. The plight of Small papers is very miserable. Necessary attention should be paid towards this. It is not the big papers but the small which represent the majority from all parts of the country. They should also be provided with the teleprinting facilities as are provided to the big papers.

Finance Corporation Bill for small newspapers has not so far been brouhgt forward in spite of assurance given during the last budget session. The hon. minister should pay necessary attention towards this.

The Press Council Act needs to be strengthened so that big papers could not play with the life of common man (*Interruptions*).

Constitution of Finance Corporation is necessary for making the Press Council effective.

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा-पूर्व) : कहा जाता है कि यह विधेयक इस कारण लाया गया है कि नामांकन समिति की निंदा की गयी है। मेरे विचार में आलोचना नामांकन समिति की नहीं बल्कि प्रेस परिषद् के सभापति तथा सदस्यों की हुई है। मेरे विचार में यह विधेयक

[श्री दशरथ देव]

इतना सरल नहीं है जितना मंत्री महोदय कहते हैं। अध्यादेश द्वारा प्रेस परिषद का कार्य-काल बनाया गया और विधेयक इसलिये लाया गया है ताकि अध्यादेश का स्थान ले सके। अधिनियम का कार्य-काल बढाने के लिये अध्यादेश जारी करने की सरकार की आदत सी हो गयी है।

प्रेस परिषद् का कार्य संतोषजनक नहीं रहा, इसमें कोई संदेह नहीं। छोटे अखबारों को अखबारी कागज का कोटा नहीं मिल रहा है। त्रिपुरा से इस बारे में अनेक शिकायतें आयी हैं।

प्रेस परिषद् की आलोचना को नामांकन समिति की आलोचना नहीं मानना चाहिये।

यद्यपि हमारे देश में कच्चे माल की कमी नहीं है तथापि अखबारी कागज की कमी है। यह कमी इसलिए है कि हमने देश में कागज उद्योग को विकसित नहीं किया। यह कार्य कुछ व्यक्तियों और विदेशी उत्पादकों के हाथ में नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

भारत में बांस और अन्य कच्चे माल की कमी नहीं है। यदि सरकार इसे अपने हाथ में लेकर अखबारी कागज का उत्पादन करे तो देश कागज के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो सकता है।

सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि छोटे समाचार-पत्रों को महत्व दिया जाये ताकि वे अपने समाचार-पत्रों को संतोषजनक ढंग से चला सकें।

चर्चा
Discussion

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने सुना था कि मेरे नाम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से सम्बन्धित प्रस्ताव के स्थगन के बारे में चर्चा हो रही थी। हमारे देश में आये विदेशी अतिविशिष्ट व्यक्ति के सम्मान में उस पक्ष के मेरे मित्रों ने पार्टी कमेटी स्थापित की है। मैं अपने मित्रों को समय देने के लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपके अनुरोध पर मैं इस चर्चा को स्थगित करता हूं। हम इसे किसी अन्य दिन रख लेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : इसे कल के लिये स्थगित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में निर्णय कर सकते हैं क्योंकि यह कल के काम पर निर्भर करता है।

श्री समर गुह : यदि इसे कल रखा जाये तो बेहतर होगा।

अध्यक्ष महोदय : आपकी सुविधा के लिये हम ऐसा कर सकते हैं।

तत्पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock

---

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha Re-assembled after Lunch at four Minutes past fourteen of the Clock.

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए ।
SHRI S. A. KADER *in the Chair*]

श्री वाई० एस० महाजन (बुलढाणा) : जो विधेयक सभा के समक्ष है वह समर्थन प्राप्त करने लायक है क्योंकि यह औपचारिक स्वरूप का है। यद्यपि यह औपचारिक है तथापि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रेस परिषद् के उद्देश्यों और कार्यों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। प्रेस परिषद् में मुख्यतया सम्पादक या पत्रकार और कुछ आम आदमी हैं। यह एक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता बनाये रखना और यह सुनिश्चित करना है कि समाचार-पत्रों और सम्पादक व्यवसाय की गरिमा बनाये रखे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिषद् ने अपने उद्देश्यों को बड़ी समझबूझ और निष्पक्षता के साथ पूरा किया है। परिषद् के पास आने वाली कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो व्यक्तियों द्वारा समाचार-पत्रों के विरुद्ध मानहानि या चरित्र पर आक्षेप करने के बारे में की जाती है। परिषद को यह शक्ति है कि वह ऐसे मामलों की जांच शिकायत किये बिना ही करे परन्तु इस प्रतिवेदन में ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं परिषद् से अनुरोध करता हूं कि वह इस तरह के मामलों की जांच स्वयं करे क्योंकि यह बड़ा कठिन कार्य है कि लोक तंत्र के पास जाकर शिकायत दूर करायें।

सरकार के विरुद्ध दूसरे प्रकार की शिकायत समाचार-पत्रों में विज्ञापन रोकने के बारे में है और यह भी आरोप लगाया गया है कि उससे समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता कम हो जाती है। ऐसे मामलों में राज्य सरकारों ने परिषद् की वह सलाह नहीं मानी है जो समाचार-पत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापनों के बारे में सिद्धान्त प्रतिपादित किये जाने तथा उनको सार्वजनिक रुप से बताये जाने के बारे में है। यदि कोई विज्ञापन रोका जाता है तो उसे रोकने का कारण सम्बन्धित व्यक्तियों को बताया जाना चाहिये।

प्रेस परिषद् के कार्यसंचालन के बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि परिषद् का केवल नैतिक अधिकार है। इसका कोई न्यायिक अधिकार नहीं है। यदि समाचार-पत्रों अपनी महत्ता और समुचित व्यावसायिक शिष्टाचार नहीं बनाये रखते हैं तो परिषद् को दण्ड का अधिकार दिया जाना भी आवश्यक हो सकता है।

Shri Paripoornanad Painuli (Theri-Garhwal) : While supporting this Bill, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that there is control of big newspapers on the Press. Small newspapers and news agencies should be given proper representation on the Press Council. Secondly, there should be control of the Press Council over the newspapers.

To-day efforts are made to settle the disputes between the employer and the employees under Labour Law. As a result of that injustice is done to the working journalist. Such cases should be looked into by the Press Commission. The objective of constituting the Press Council is to give freedom to the Press but at the same time its objective is to raise the status of the Press.

I urge upon the Government to see the ways through which the small newspapers prosper. These small newspapers should be given the facilities of newsprint, advertisement etc. and they should be encouraged. The recommendation made by the Press Council for setting up of a Newspaper Finance Corporation has not been implemented so far.

Lastly, I would like to submit that the Press Council should be constituted on the pattern of Bar Council, Medical Council and similar other institutions. At the same time the working journalists should be given proper representation. It is matter of regret that the of journalism is impaired due to the existence of a rival organisation of working journalists in the Inndian Federation of Working Journalists.

श्री पी० आर० शिनाय (उदोपी) : यह विधेयक बिना अधिक चर्चा के भी पारित किया जा सकता है क्योंकि इस विधेयक द्वारा यह प्रयास किया गया है कि प्रेस परिषद् के चेयरमन और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जाय ताकि सरकार अगली प्रेस परिषद् का गठन करने के लिये संसद् सदस्यों से परामर्श कर सके ।

सुमित्रा देसाई के गुम हो जाने के मामले को लेकर सभी समाचार-पत्रों ने कुछ न कुछ टीका-टिप्पणी की है। मैं नहीं समझता कि सुमित्रा देसाई के गुम हो जाने के मामले का प्रचार करने समाचार-पत्रों ने अपनी स्वतंत्रता की शक्तियों का कैसे दुरुपयोग किया है ।

लगभग सभी समाचार-पत्रों ने उक्त समाचार का प्रचार किया है। मैं इतना ही स्पष्ट करना चाहता था ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर व्यापक चर्चा की है, परन्तु मैं इस विधेयक से सम्बन्धित विषयों तक ही स्वयं को सीमित रखूंगा ।

प्रेस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1954 में प्रस्तुत किया। प्रेस आयोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों में से एक सिफारिश यह भी थी कि एक प्रेस परिषद गठित की जाये और उसने यह भी सिफारिश की कि यह परिषद् एक सांविधिक निकाय हो। अतः 1965 में जब सरकार ने संसद् की दोनों सभाओं में एक विधेयक पेश किया था और प्रेस परिषद् गठित की गई थी तो ऐसा करना प्रेस आयोग की सिफारिश के अनुकूल ही था। प्रेस आयोग ने उस समय ब्रिटिश प्रेस काउन्सिल, जो एक स्वैच्छिक निकाय था, की भी जांच की परन्तु उसने अनुभव किया कि भारत में जैसी परिस्थिति थी उसके अनुसार इसे एक स्वैच्छिक निकाय न होकर सांविधिक निकाय होना चाहिये। इसने यह भी अनुभव किया कि यह प्रेस परिषद् के सदस्यों को, यदि उन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त है, अधिक कारगर ढंग और स्वतंत्र रुप से कार्य करने में सहायता देगी। अतः प्रेस आयोग की यह सिफारिश थी कि इसका गठन इस ढंग से किया जाय कि इसका कार्य न्यायिक कार्यवाही के क्षेत्राधिकार में न आये। लगभग तीन वर्ष के कार्यकरण के पश्चात् प्रेस परिषद् के कार्यकरण की कुछ आलोचना हुई। इतना ही नहीं भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के मनोनीत सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। संघ के सदस्यों ने यह महसूस किया कि वे ऐसे निकाय में कार्य नहीं कर सकते जिसमें इंडियन एन्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी और कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधि हों ।

सरकार ने इन सभी बातों पर वर्ष 1968 में विचार किया। सरकार ने संसद् सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय किया जिसने लगभग डेढ़ वर्ष तक कार्य किया और सर्वसम्पत्ति से एक सिफारिश की जिसके आधार पर एक मनोनीत करने वाली समित (नोमिनेटिंग कमेटी) पुनः गठित की गई ।

इस सभा में कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि मनोनीत करने वाली समिति को इस बात पर विचार नहीं करना चाहिये था कि किसे नियुक्त किया जाये और किसे नहीं। उसे उन विभिन्न दलों द्वारा किये गये मनोनयन को स्वीकार करना चाहिये था जिन्हें मनोनयन के लिये कहा गया है। प्रेस परिषद् की सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की तालिका मनोनीत करने वाली समिति द्वारा बनाई जानी चाहिये। अतः मनोनीत करने वाली समिति को प्रस्तुत की गई तालिका में से समिति ने जिन व्यक्तियों का चयन करने का निर्णय किया वह कानून के अन्तर्गत है। प्रेस परिषद् में अन्य सदस्यों के साथ-साथ इस सभा और

राज्य सभा के तीन संसद् सदस्य भी हैं परन्तु, दुर्भाग्यवश, जब सदस्य मनोनीत किये गये, तो आलोचना की गई। अतः उसके तुरंत बाद सदस्यों ने त्याग-पत्र देने का निर्णय किया। 1970 या उसके आस-पास सरकार को त्याग-पत्र प्रस्तुत किये गये। हमें आशा थी कि समय बीतने के साथ-साथ राज्य-सभा के सभापति, लोक-सभा के अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए अपने त्याग-पत्र के बारे में पुनर्विचार करना संभव होगा और वे यह निर्णय कर सकें कि तीसरी प्रेस परिषद् के गठन के लिये पुनः कार्य करें परन्तु खेद है कि हम ऐसा करने में सफल नहीं हुए हैं। केवल यही उपाय है कि कार्यकाल उस समय तक के लिये बढ़ाया जाये जब तक हम तीसरी प्रेस परिषद् का गठन कर पायें।

यदि प्रेस परिषद् को प्रभावी ढंग से कार्य करना है ता उन लोगों द्वारा एक आचार संहिता बनाई जानी होगी जो प्रेस परिषद् के कार्य के बारे में विचार कर रहे हैं। इस बात का कोई लाभ नहीं है कि किसी व्यक्ति से मनोनीत करने वाली समिति का सदस्य बनने का अनुरोध किया जाये फिर उसकी निष्कपटता पर आपत्ति की जाये। यह बहुत ही अनुचित है। यदि तीसरी प्रेस परिषद् को प्रभावी ढंग से कार्य करना है तो समाचार-पत्र उद्योग में अनुशासन की भावना आनी चाहिये। सरकार का प्रेस परिषद् के कार्यकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये इसका गठन संसद् के एक अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। प्रेस परिषद् में सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है। प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत नहीं किये जाते। ये सीधे सभा में प्रस्तुत किये जाते हैं। अतः किसी के लिये यह कहना अनुचित है कि उसे यह विश्वास नहीं है कि प्रेस परिषद् पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं है। प्रेस परिषद के किसी मामले में हस्तक्षेप करने या प्रभाव डालने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है।

श्री मधु लिमये ने एक दो उदाहरण रखे हैं। एक उदाहरण यह है जब उन्होंने राज्य सरकार की निन्दा की। यदि हमने प्रभावित करने का प्रयास किया होता अथवा उसमें हस्तक्षेप किया होता तो परिणाम उपलब्ध न हुए होते। श्री मधु लिमये भी इसको कहते हुए निश्चित मत नहीं थे।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ बातें उठायी हैं। श्री शास्त्री जी ने श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में कहा हैं। यदि मुख्य विधेयक में परिवर्तन करके गठन में परिवर्तन लाया जा सकता है तो सदन को अधिकार है वह ऐसा कर सकता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार इस मामले में कठोर नहीं है। हमारा मुख्य तात्पर्य प्रेस परिषद् के कार्यकरण में सुधार करने से है। प्रेस परिषद् के सदस्य अधिक गतीशीलता के साथ अपने दायित्वों को पूरा कर सकें। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि यह संगठन अच्छा है अथवा दूसरा। यह निश्चय करना पत्रकारों का काम हैं। क्योंकि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती अतः मैं यह नहीं कह सकता कि यह संगठन कैसा होना चाहिये और इसे किस प्रकार से चलाया जाना चाहिये। उन्होंने समाचार एजेंसियों तथा निगमों के बारे में भी कहा है। इस समय इस पर चर्चा करना उचित नहीं, अन्य अवसरों पर इन विषयों पर चर्चा हो सकती हैं और इस सम्बन्ध में मेरे विचार तो स्पष्ट हैं ही।

डा० पांडेय ने प्रश्न किया है कि समिति ने त्यागपत्र क्यों दिया ? यदि उन्होंने चर्चा को ध्यान से सुना होता तो अब तक उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होता। उन्होंने एक यह प्रश्न भी पूछा है कि क्या परामर्श कार्य के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति बनायी जा रही है। मैंने दूसरे उत्तर में बताया है कि ऐसी समिति बनायी गयी है। इसके पश्चात् उन्होंने अखबारी कागज़ की बात की है। इस विषय पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में ही चर्चा हुई है। मैंने सदन के सम्मुख वह समस्या रखी है जिसका सरकार को सामना करना पड़ रहा है। हमें आवश्यकता से बहुत कम कागज़ उपलब्ध हो रहा है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि विश्व

[श्री आई० के० गुजराल]

के बाजारों में मूल्य बढ़ते ही व्यापारी अपने वायदों से हट जाते हैं। आज विश्वपर्यन्त 11, 12 वस्तुएं ऐसी है जिनकी बहुत अधिक कमी हैं। अगले दो, तीन, चार वर्षों में नये कारखाने लगेंगे तब देश की स्थिति में कुछ सुधार आयेगा।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर प्रेस परिषद् के सदस्य रहे हैं। वह परिस्थिति से भलीभांति परिचित ह। उन्होंने इसे स्वायत्तशासी निकाय बनाने की मांग की है। मेरे विचार से वह यह जानते है कि यह स्वायत्तशासी निकाय है। प्रेस आयोग के सदस्यों की भी ऐसी ही इच्छा थी। परामर्शदात्री समिति में संसद् सदस्यों की भी ऐसी ही इच्छा थी। जब मुख्य विधेयक सदन के समक्ष आता है और सदस्य ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ विशिष्ट बातें उठायी गयी हैं। श्री ठोंबी सिंह ने यह बात उठायी है कि छोटे समाचारपत्रों के लिये एजेन्सी सेवा की सहायता क्यों नहीं दी जाती हैं। यह स्वयं ही में एक विषय है। इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि यदि हमें प्रेस की स्वतंत्रता बनाये रखनी है तो इस संदर्भ में हमें समस्त प्रेस को एक निकाय को रूप में देखना होगा। श्री श्यामनन्दन मिश्र ने कहा है कि समाचारपत्र विपक्षी दलों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है। मेरे विचार से यही सरकार विश्व में ऐसी सरकार है जिसका अपना कोई समाचारपत्र नहीं है।

श्री मधु लिमये (बांका) : सभी समाचारपत्र यहां तक कि 'कन्टन्ट' भी उन्हीं के दल करते है।

श्री आई० के० गुजराल : श्री गौड़ा ने एक अच्छी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अन्ततः सभी चीजें राज्य के अधिकार में चली जाती हैं। प्रेस परिषद् की नामांकन करनेवाली समिति त्यागपत्र दे देती है इसीलिये राज्य को और अधिकार दे दिये जाने चाहिये। प्रेस परिषद् का कार्यकाल बढ़ाने के लिये एक अध्यादेश लाया गया है, अतः राज्यों को और अधिकार दिय जाने चाहियें; समाचारपत्र ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अतः राज्यों को और अधिकार दिये जाने चाहिये। अब यह निश्चय वह स्वयं ही करें कि किस बात के लिये राज्यों को और अधिकार दिये जायें।

श्री विक्रम महाजन ने भी बहुत सी बातें कहीं हैं। उन्होंने मजूरी बोर्ड के बारे में भी कहा है। यह प्रश्न उन्हें श्रम मंत्रालय से पूछना चाहिये।

मेरे विचार से उन्होंने मुख्य रूप से यह बात उठाई है कि प्रेस, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आनी चाहियें। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि प्रेस किसी मंत्रालय अथवा भारत सरकार के अधीन नहीं है। प्रेस प्रभावी रूप से एक संस्थान के रूप में कार्य करती है जिसका हमें गर्व है। इसकी अपनी समृद्ध परम्परायें हैं। इसका अपना एक इतिहास है जिसका हमें गर्व होना चाहिये। संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है और सरकार इसे निभाने के लिये वचनबद्ध है। प्रेस की स्वतंत्रता नीति का मामला नहीं है, यह विश्वास की बात है। इन संस्थानों का विकास करना है। प्रेस परिषद् अनुशासन लाने वाले निकाय हैं। यह आपने विधेयक में भी दखा होगा। प्रेस परिषद् को दंड देने वाली शक्तियां नहीं दी गई हैं। दंड देने का कार्य सरकार का है। श्री सालवे ने अधिक अधिकार देने की बात कही है। यदि व ह यह समझते हैं कि प्रेस परिषद् को अधिक अधिकार दिये जायें तो मैं उनसे इस सम्बन्ध में विधेयक पर चर्चा के समय बात करूंगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत प्रेस परिषद् असफल हो चुकी है। कई कारणों से इसका स्वैच्छिक अनुशासन लागू नहीं किया जा सका। बहुत से ऐसे संगठन हैं जो दंड संहित स्वैच्छिक अनुशासन लागू करते हैं। इन्स्टीटचूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटन्ट ऐसा ही एक संगठन है।

श्री आई० के० गुजराल : जो उदाहरण दिये गये हैं वे प्रेस परिषद् पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि इनमें से किसी को भी वे अधिकार प्राप्त नहीं है जो आपने संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत प्रदान किये है। यदि प्रेस की स्वतंत्रता बनाये रखनी है तो इस सम्बन्ध में व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। जब विधेयक संशोधन के लिये आता है तब इस पर व्यापक रूप से विचार किया जाना चाहिये। इस विषय पर वर्ष 1970 में भी चर्चा हुई थी। संसद् सदस्यों की परामर्शदात्री समिति ने भी इस विषय पर विस्तार से विचार किया था और एकमत से यह निष्कर्ष निकाला कि प्रेस परिषद् को दंडात्मक अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये। यह सरकार का निर्णय नहीं था।

'मदर इंडिया' में कुछ विज्ञापनों के बन्द होने की बात कही गई है। प्रेस परिषद् ने इस पत्र के विरुद्ध कई बार आरोप लगाये हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें अश्लील चीजें प्रकाशित होती हैं। अब यदि यह सब कुछ देखते हुए इस पत्र को विज्ञापन नहीं मिलते हैं तो क्या इसके लिये मुझे दोषी ठहराया जायेगा ? विज्ञापनों में भी आत्मसम्मान निहित होता है अतः वे ऐसे समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं होने चाहियें जिनमें अश्लीलता अथवा अभद्र सामग्री प्रकाशित होती है।

सभापति महोदय : वह यह बात जानना चाहते हैं कि क्या विज्ञापन सरकारी प्रभाव के कारण बन्द हुए हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : श्री मधु लिमये को भी मेरे साथ उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिये जिन्होंने विज्ञापन भेजने बन्द किये है।

विज्ञापनों के लिये समाचारपत्रों पर बड़ी पुंजी के प्रभाव की बात कही गई है। कुछ बातों में मैं श्री लिमये से सहमत हूं। दुर्भाग्यवश देश में प्रेस संगठन का विकास इस प्रकार हुआ है कि समाचारपत्रों की अर्थव्यवस्था विज्ञापनों पर निर्भर करती है। इसका कोई विकल्प अभी तक नहीं निकल पाया है। देश में विज्ञापन बजट में तेजी से वृद्धि हो रही है। तीन वर्ष पूर्व मैंने बताया था भारत में कुल किन विज्ञापनों पर लगभग 20 करोड़ रुपए व्यय आता है। इस राशि का काफी भाग समाचारपत्रों को जाता है। जिन समाचारपत्रों में विज्ञापन निकलते हैं वहां दो तीन बातें ध्यान में रखी जानी चाहियें। इन समाचारपत्रों के लिये पठनसामग्री तथा विज्ञापन सामग्री के प्रकाशन हेतु कोई प्रतिशतता निर्धारित की जानी चाहिये।

अखबारी कागज़ के क्षेत्र में कालाबाज़ारी की बात कही गई है। यह प्रश्न उन्हें अध्यक्ष से पूछना चाहिये था। उन्होंने कहा है कि समिति को यह आलोचना क्यों इतनी बुरी प्रतीत हुई है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि समिति में राज्यसभा के सभापति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश भी कार्य कर रहे हैं। अतः जब ऐसी समिति की आलोचना की जाती है तो वहां ऐसी उच्चपदाधिकारियों की निष्ठा पर आंच आती है। इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति अपना परामर्श दे सकती है। सरकार इस पर उदारता से विचार करेगी।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : नामांकन समिति के सदस्यों ने वर्ष 1970 में त्यागपत्र दिये थे। • $2\frac{1}{2}$ वर्ष तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

श्री आई० के० गुजराल : हम उन्हें इस बात के लिये सहमत करने के प्रयत्न कर रहे थे कि वे अपने त्यागपत्र वापस ले लें । अभी अभी तीन महीने पहिले भी मैंने यह प्रयास किया । राज्य सभा के सभापति ने यह तर्क दिया कि यह बात दोनों सदनों के हित में होगी यदि उनके अध्यक्षों को किसी विवादास्पद विषय में न लाया जाये । यह एक सुदृढ़ तर्क था अत: मैंने उनसे आगे कहना बन्द कर दिया ।

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड) : मंत्री महोदय ने यह बात स्वीकार की है कि समाचारपत्रों में 65 से 70 प्रतिशत स्थान विज्ञापनों में निकल जाता है और पठन सामग्री बहुत कम रह जाती है और प्रस परिषद् कोई नियंत्रण लगाने की स्थिति में नहीं है । क्योंकि एकाधिकार वादी प्रवृत्तियां बढ़ रही है अत: प्रस परिषद् प्रेस की स्वतंत्रता बनाये रखने की स्थिति में नहीं है। यदि परिषद् को प्रभावी बनाना है तो दूसरी संरचना में परिवर्तन करना होगा । मंत्रीमहोदय ने इस बात का उत्तर नहीं दिया है ।

श्री आई० के० गुजराल : वर्ष 1970 में कानून में परिवर्तन करते समय हमने परिषद् को यह दायित्व प्रदान किया है कि वह एकाधिकार के बारे में रिपोर्ट दे । अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है । सरकार ने कहा है कि परिषद् इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करे। सरकार उन पर खुले मस्तिष्क से विचार करेगी। प्रेस की स्वतंत्रता, समाचारपत्रों में औद्योगिक संबंध, समाचारपत्रों में एकाधिकार का विकास, विज्ञापन एवं पाठ्य सामग्री का अनुपात, समाचारपत्रों का मूल्य आदि समस्याओं का निपटान तो स्वयं प्रेस के लोगों को करना है । प्रेस परिषद् तो केवल अवरोधक है । मुझे विश्वास है कि प्रेस एक संस्था के रूप में यह अनुभव करेगा कि आन्तरिक अनुशासन ही सब से अच्छा अनुशासन है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

"कि खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक म जोड़ दिये गये ।
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री आई० के० गुजराल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधयक पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

Shri Madhu Limaye (Banka): The Press Council has not fulfilled responsibilities placed on it by Press Council Act. It has not fulfilled its objectives.

This House, this Government and Press Council has to consider how Political Power, Economic Power and Money Power is being utilized to-day. 60 Crores of rupees are being spent on Advertisement account. This is a huge amount to influence News Papers.

A big Advertisement has appeared in all the Newspapers of Bombay. Simllarly big advertisements from Gobind Sugar Mills, Birla Cotton Spinning & Weaving Mills and Audh Sugar Mills, Birla Concerns and D.C.M. concerns are printed in National Herald which is considered to be a leading Progressive Daily. We discussed yarn for about 2½ hours in this House and during the discussion Century Mica and J. K. Synthetics were discussed but this paper did not give any coverage to this discussion. This money power can influence any body and National Herald is not an exception in this regard. Similar big advertisements appear in Patriot and other progressive papers also. Government should pay attention towards this.

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड़) : माननीय मंत्री ने प्रेस परिषद् के कार्यकरण के बारे में कुछ आकांक्षाएं व्यक्त की हैं । परन्तु केवल सोचने मात्र से ही समस्याएं हल नहीं हो जातीं और न ही इतने मात्र से प्रेस परिषद् का कोई लाभ होगा । हमें इस बात पर विचार करना होगा कि प्रेस परिषद् का संगठन किस प्रकार होता है ।

माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रेस परिषद् को प्रेस की आचार संहिता समाचारपत्रों के कार्यकरण, विज्ञापनों अथवा पाठ्य सामग्री आदि के संबंध में जनमत तयार करना चाहिये । परन्तु मेरा मत है कि परिषद् में अधिकांश प्रतिनिधि निहित स्वार्थों के है । आज यदि प्रेस परिषद् के समक्ष यह सुझाव आये कि समाचारपत्रों में केवल 40 से 50 प्रतिशत तक ही विज्ञापन होने चाहियें तो इस सुझाव पर कोई भी विचार नहीं होगा । क्योंकि बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि उसमें हैं । उन्हें लोगों की समस्याओं और देश की समस्याओं से कोई लगाव नहीं जब तक सरकार यह नहीं स्वीकार करेगी कि प्रेस एक उद्योगों के साथ ही साथ एक व्यवसाय भी है जिसका काम लोगों को शिक्षित करना और जनमत तैयार करना है और जब तक प्रेस का विकास एक तरफा है तब तक प्रेस परिषद् कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकती ।

श्री मनोरंजन हाजरा (आराम बाग) : प्रेस आयोग द्वारा 1954 में की गई सिफारिशें आज 19 वर्ष के पश्चात् 1973 में कार्यान्वित की जा रही है । इसमें कोई शक नहीं कि प्रेस एक उद्योग है परन्तु इसके साथ ही यह अखबारी कागज और अखबारों से भी संबंधित है ।

कलकत्ता में 'बंगलादेश' नामक एक साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिका है । राज्य व्यापार निगम द्वारा इसे अखबारी कागज नहीं दिया जा रहा । माननीय मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

Shri Ishaque Sambhali (Amroha) : Indian Press had played a very commendable role during struggle for independence but to-day we find that Press in the country is representing Big Business and Right Reaction instead of repreesenting the voice of Common man. There should be some definite policy for Newspapers. We have accepted Socialism, Secularism and Democracy but there are newspapers in the country which are subverting these principles. They do not want Socialism, Secularism and Democracy to flourish in this country.

There is no basis for not giving recognition to working Journalists. They should be give representation in the Press Council on a big scale.

[Shri Ishaque Sambhali]

Government should stop the policy of getting pressurised by big newspapers which are controlled by Tata, Birla and other International Capitalists. Newspapers should represent common man.

Shri N. K. P. Salve (Betul) : I feel that the hon. Minister cannot shelve his responsibility by merely saying that resignation by three members of the Press Council on the ground of criticism is most unfortunate. So, the hon. Minister should clearly spell out the basic amendments proposed to be made in the present Bill. It is corrcet that voluntary censorship should be established. A disciplinary Committee consisting of 3-4 members should be formed to introduce this. The decision of this committee should be final and should not be criticised. Unless this is done neither Press Council nor the hon. Minister will be able to do justice to their responsibi ities.

Shri I. K. Gujral : An important point has been raised about the manner in which the Press Council should function. In fact the Press Council has been entrusted with so many responsibilities under section 12 of the Act. It should not only censure but it should also study developments which may tend towards monopoly or concentration of the ownership of newspapers and news agencies including a study of the ownership and financial structure and if necessary suggest remedies thereof. Similarly they should examine the question of promoting technical research, aspects of education and development of professionalism.

There is no dispute about the internal functioning of the Council. The basic thing is how to constitute the Nomination Committee? First of all it was constituted in 1965 and then in 1970, but some people were not convinced with the constitution or finding of the Committee. I feel that people who have to work in such institutions where self discipline is required should adopt the policy of give and take and accommodate the views of one another.

I agree that some things should be done about to newspapesr owned by big businessmen. There should be freedom of press but side by side we have to look in to the question of delinking. I agree with the views of Shri Madhu Limaye regarding advertisements. It is true that economic base of many newspapers in democratic societies is advertisements.

Shri Vasant Sathe (Akola) : May I know the Government's share in the expenditure of Rs. 60-70 crores being incurred on advertisements?

Shri I. K. Gujral : A drop in the ocean. The total annual expenditure of Government of India on advertisements comes to Rs. one crore 20 lakhs. The expenditure of public sector corporations on advertisements come to about Rs. one crore approximately. The main season for this is that public sector industries are basic industries and not consumer industries. Similarly average expenditure of States other than small States like Nagaland and Himachal Pradesh will be between Rs. 10 lakhs and 20 lakhs. The basic thing is not that of number of advertisements but their influence. We try to give advertisements to maximum number of newspapers and especially to small newspapers. Then we pay more attention towards the result of advertisements. But we have never used advertisements as an instrument of policy. There are many newspapers which criticise the Government but even then we shed advertisements to them. I do not want to term any newspaper as antinational. They can be anti-Government but not against the country itself. If any newspaper is considered to be communal, there are other ways to deal with them. We do not want the readers of such newspapers to be unaware of Government policies and programmes. The Government of India, however, does not use the advertisement as an instrument to increase or decrease its influence.

The owners of some newspapers feel that they cannot reduce advertisements least it should affect their economy. They consider advertisements as part and parcel of newspapers. We have to find ways in which the newspapers become popular as well as remain free from all sorts of influence pointed out by Shri Madhu Limaye. We can devise such ways with the cooperation of all concerned because it is a debatable issue.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

भारतीय रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक

INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महंमद शफी कुरेशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 का और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82क से 82अ का संशोधन करना है। धारा 82अ में ऐसे उपबन्ध हैं जिनके अन्तर्गत रेल दुर्घटनाओं में घायल या मृत व्यक्तियों या उनके आश्रितों को अब क्षतिपूर्ति दी जाती है। अब अधिकतम 20,000 रुपए की राशि दी जा सकती है।

इस मांग पर निरन्तर जोर दिया गया है कि रेल दुर्घटनाओं में शिकार हुए लोगों को दी जाने वाली राशि बढ़ाई जानी चाहिये। वर्ष 1962 से उच्चतर सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 29,000 रुपए कर दी गई। इसके बाद जीवन निर्वाह में वृद्धि हुई है और यह अनुभव किया गया है कि दुर्घटनाओं में शिकार हुए लोगों को अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिये।

अब यह प्रस्ताव है कि मृतक की आय का ध्यान किये बिना उस क्षतिपुर्ति को उसको हुए जख्म के प्रकार या मृत्यु के आधार पर दी जानी चाहिये। अब क्षतिपूर्ति की राशि 50,000 रुपए होगी और ऐसे मामले में जिसमें किसी व्यक्ति को ऐसी चोटें आई होंगी जिसके परिणाम-स्वरूप वह अपनी सामान्य कार्य करने में असमर्थ होगा, तो भी क्षतिपूर्ति 50,000 रुपए होगी।

अतिरिक्त व्यय को पूरा करने तथा भारतीय रेलों में यात्रा को अधिक सुरक्षित करने और यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिये यात्री किराये पर अधिकार लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpur) : Mr. Chairman, it has been provided in the Bill introduced by the hon. Minister to amend the Railway Act that Rs. 50,000 will be paid as compensation to the family of the persons died in the rail accident.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

If a person dies in an accident one lakh rupees are paid as compensation. This Government is boasting of Socialism but they discriminate between man and a man even at the time of death both, a rich man and a poor man dies, but for the death of the rich one lakh rupees are paid and for the death of a poor only fifty thousand rupees are paid. I do not understand, what type of socialism is this.

In the Bill the hon. Minister has raised the amount of compensation from twenty thousand to fifty thousand and on the other hand he has increased the fare by imposing surcharge. I am deadly against it and I vehemently oppose it. I oppose the policy of increasing the fare by putting pressure on common man. This is the policy of a Bania who gives one paisa but takes ten paise instead. Non Government employers are adopting this practice. If they enhance the wage of the labourers by Rs. 25/- they simultaneously raise the prices of commodities. Coal workers were given dearness allowance but alongwith that the price of the coal has also been increased. The Government is adopting the methods of capitalists. When we say that they are stooges of capitalists they say with grudge that this is not correct and that they are suppressing the capitalists and that they are socialists. I hope the hon. Minister will reconsider the question of raising the fare.

[Shri Mohammad Ismail]

So far as the loco running staff of the railways is concerned another crisis is in the offing. They went on strike and the Government banned the strikes for six months. We want that Government should react at negotiated settlement.

This delay can prove dangerous. I will request the hon. Minister to hold talks with workers in this regard. I have received two, three telegrams. Agitation is going on in the Western Railway. Cricis can erupt there any moment.

You are saying that these things are not relevant but I cannot tell this thing to the hon. Minister at his residence. If I say the se things here the people all over the country will come to know of our demand. We want that Government should reach a negotiated settlement quickly with labour. The recognised Unions have also passed resolutions that if the decision is not taken at an early date, they will take some action. Excesses are being committed on the leaders of the Association.

So far as the question of casual labour is concerned two policies are being followed in the railways. In some departments all facilities are provided to the casual labour after six months but in some departments only pay is given to the casual labour and no other facility is allowed to them. I hope the hon. Minister will consider all these things.

Shri M. C. Daga (Pali) : The hon. Minister deserves thanks for making the provision of equal amount of compensation to both rich and the poor. Let him also state the earnings likely to be made as a result of clamping this surcharge. There have been 4959 railway accidents last year in which 2619 people were killed.

Every Budget provides for an increase in the railay fares but no efforts are made to avoid superfluous expenditure in the Railways which are already over staffed. Let the hon. Minister state the figures relating to the amounts spent yearly on pay and allowances as well as accommodation of both the officers and other staff. It is strange that as much as Rs. 35 crores are being spent on the Railway Protection Force but still the pilferage of goods and ticketless travelling is on the increase. So, do the Government have any specific Scheme to reduce the expenditure, curb pilferages and check ticketless travelling on Railways? Railway accidents are also on the increase despite availability of computers.

If the hon. Minister deems fit let him have a Parliamentary Committee to probe the ways and means to reduce the expenditure on Railways.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : The hon. Member said that there were as many as 4959 accidents last year. May I, therefore know as to what actually is the cause of such accidents? Then there is alround and serious discontentment among railway employees. They went on strike recently and withdrew on the assurance given by the Minister. But nothing has been done afterwards and they are again planning to go on strike. They do not feel encouraged to put in heart & soul in their job and that, naturally, results in negligency and putting off work. Resultantly the trains are late both in departure and arrival and that too even upto 12 to 16 hours. Accidents are also there, so , it is very essential that the staff is kept satisfied.

As regards compensation, it is very strange that whereas Rs. one lakh are given to the man who dies in an aircrash but the person who is killed in a Railway accident gets only Rs. 50,000. Why this descrimination when in botn the cases there is a deatn and the next of kin of those persons suffer the same consequences whether the death is in a railway or aircraft accident. It is said that there is not much earning in Railways but when you are levying surcharge to increase the income why dont' you enhance the amount of compensation too ! For increasing the income of Railways you can very well stop ticketless travelling and pilferages in Railways. It should be noted that ticketless travelling is mainly due to the fact that fares have gone very high and it is very difficult for the poor people to buy tickets. Pilferages are however mainly due the negligence of the railway staff as also on the strengtn of their collusion with the miscreants. If these things are checked effectively, there would no need of levying surcharge. I, therefore, request the hon. Minister to withdraw the proposed surcharge and set the things right the otherway.

The composition of the Railway Board is also not at all satisfactory. I had levelled corruption charges against the person who is now the chairman of the Railway Board. The hon. Minister also had assured of making necessary inquiries into those charges. But, on the contrary, the man has been given promotion and appointed as a Chairman.

In conclusion I would urge that ticketless travelling and pilferages should be stopped to augment the income of the Railways and the idea of levying surcharge should be dropped. Secondly, the compensation amount should be increased to Rs. one lakh as is in the case of aircrash.

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं इस विधेयक का तो समर्थन करता हूं परन्तु बार बार इस प्रकार के तदर्थ संशोधन करना वांछित नहीं है । इसी धारा 82 में पिछले सत्र में भी संशोधन किया गया था और अब फिर हो रहा है । इससे संसद के कार्यकरण पर भी आक्षेप आता है । फिर बार बार कानून बदलने से जनता को परेशानी होती है क्योंकि लोगों को कानून का पता नहीं रह पाता । मेरे विचार से मंत्री महोदय को समूचे भारतीय रेलवे अधिनियम में व्यापक संशोधन कर लेने चाहियें ।

मैं मुआवज़े की राशि को बीस हजार से बढ़ाकर 50,000 किये जाने पर स्वागत तो करता हूं परन्तु मुझसे पहले कुछ माननीय सदस्यों की यह दलील भी महत्वपूर्ण है कि विमान दुर्घटना में मृत्यु तथा रेलवे दुर्घटना में मृत्यु पर मुआवजा देने में यह फर्क क्यों रखा जाता है ? आखिर मृत्यु तो दोनों ही सूरत में होती हैं चाहे रेल में यात्रा करते समय हो अथवा हवाई जहाज में । जीवन का मूल्य तो एक समान है । इसके अतिरिक्त मैं, अधिभार ले जाने का कड़ा विरोध करता हूं । रेल दुर्घटना में अधिकतर रेलवे विभाग की भूल के कारण होती है परन्तु मुआवजे के लिये आप लोगों से पैसे लेते है ? क्यों ? यह सिद्धांत मुझ स्वीकार नहीं है । दागा साहब की यह बात सही है कि रेलवे में मितव्ययता करने से 2½ करोड़ की हानि को पूरा किया जा सकता है ?

आमदनी की क्षमता का हिसाब न रखते हुए सभी को समान मुहावज़ा देने का म स्वागत करता हूं । हमें यह तो अनुभव होगा कि कम से कम मृत्योपरांत तो हमारे साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है । परन्तु साथ ही यह समझ में नहीं आ रहा है कि मुआवज़े की राशि का निश्चय करने की बात निगमों पर क़्यों छोड़ दी गई है । आप स्पष्ट कहिये कि मरने वाले को इतना मुआवज़ा मिलेगा । 50,000 रुपए मिलेगा । 50,000 रुपए तक कहने का क़्या अर्थ है । पहले किसी की आमदनी क्षमता के आधार पर मुआवज़े का हिसाब लगाया जाता था परन्तु अब तो यह बात नहीं है । अतः मृत्यु अथवा आहत होने--दोनों ही स्थिती में मुआवज़े की राशि स्पष्ट निश्चित कर देनी चाहिये ।

इसके साथ ही सरकार की हितों की रक्षा भी की जानी चाहिये । ऐसा नहीं कि अनधिकृत लोग मुआवज़ा ले जाये । हमने क़्लेम आयुक्त को बहुत शक़्तियां दे दी हैं परन्तु साथ ही विभाग के हितों की सुरक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिये । जहां तक गैर सरकारी व्यक्ति को यह हक है कि वह मुआवज़े के बारे में अपील कर सकता है वहां रेलवे को भी यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि यदि वह यह समझे कि गलत मुआवज़ा दिया गया है तो वह अपील कर सके इसके लिये संबंधित धारा में संशोधन किया जाना चाहिये ।

धारा 82(क) में भी संशोधन किया जाना चाहिये क़्योंकि इसमें वे नियम तो हैं जिनके अन्तर्गत व्यक्ति, पशु या सामान को हानि पहुंचने पर मुआवज़ा दिया जाये परन्तु यह स्पष्ट व्यवस्था नहीं कि यदि कोई बेइमान आदमी झूठ-मूठ के सामान खो जाने या नष्ट हो जाने का दावा करके मुआवज़े मांगे तो उसे रोका जा सके । नियमों के अनुपस्थिति में एक बेईमान व्यक्ति इस कमी का अनुचित लाभ उठा का प्रयास कर सकता है । अतः इस धारा में समुचित संशोधन किया जाय ।।

[श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी]

मंत्री महोदय उपरोक्त बातों पर विचार करें तथा अधिकार न लगायें । साथ ही जहां मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं वहां पर अनुरोध भी करता हूं कि इस प्रकार छोटे छोटे संशोधन न लाकर व्यापक रूप से भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 में संशोधन किया जाये ।

Shri R. R. Sharma (Banda) : Stating the purpose of his second amendment the hon. Minister has said :

"Under Section 82A of the Indian Railways Act, 1890 the maximum liability of the railway administration for loss occasioned by the death of a passenger dying as a result of railway accident and for personal injury and loss of property is limited to Rs. 20,000 in respect of any one person. Having regard to the increased cost of living and the limits applicable in the case of air-crash victims, this limit has been critisied in and outside Parliament as being low. It is therefore proposed to raise this limit to Rs. 50,000."

And in the financial memorandom he said ;

"To cover the additional expenditure and also for improving the safety of travel on the railways and passenger amenities, it is proposed to take action separately for levying a surcharge on passenger fares."

Now when the railway passengers are required to pay the fares. They are also entitled to all the necessary facilities and amenities as also protection from the Railways who take all these things in account while fixing up fares. Why then are the passengers themselves being asked to pay for compensation to be provided by the Railways to the sufferers of the railway accidents most of which occur as a result of the fault on the part of Railways? The burden of the compensations should be borned by the Railways and not by the passengers. It is not at all justified that since you are enhancing the amount of compensation, you should levy a surcharge on the poor passengers for no fault of theirs. It is the sole responsibility of the railways to carry the passengers safe and sound upto their destination.

Similarly, the discrimination between the amount to repaid in respect of an air crash and a railway accident is also not at all justified. You should pay Rs. one lakh in case a man dies in rail accident also. It should be at par with air accident.

As regards railway accidents., their number has been constantly increasing since 1971. That is all because of the lackness on the part of Railway Administration. The tech nocrats do not care for certain defects which result in major accidents and thereby loss to life and properties of the innocent passengers.

Pilferages, thefts and decoities are very common in railways. Compensation should be given in such cases also. It is the duty of the Railways to protect the passengers from such evils.

It is now well proven that the passengers are not given adequate facilities and amenities worth their value of tickets. Trains on branch lines travel without light. Many stations do not have sheds and the passengers wait in the open.

I, therefore, oppose the surcharge and request for increasing the amount of compensation as well as the facilities and amenities to the passengers. Besides that ticketless travelling and pilferages should be checked and economic measures adopted.

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इसमें मुआवजे की राशि को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है । रुपए का मूल्य दिन प्रति दिन तेजी से घटता जा रहा है इसलिये यदि यह राशि 50,000 रुपए की बजाये एक लाख रुपए कर दी जाती तब भी मैं इस विधेयक का फिर भी समर्थन करता क्योंकि विमान दुर्घटना के बारे में एक लाख रुपए की राशि का मुआवजा दिया जाता है जबकि विमान दुर्घटना में मृत्यु होने की अधिक संभावना होती है । साथ ही धारा 82(अ) के अन्तर्गत सरकार को

नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं और मुझे आशा है कि मुआवजे संबंधी नियम बड़े सरल बनाये जायेंगे । पहले अधिनियम में आमदनी की क्षमता के हिसाब से मुआवजे की व्यवस्था थी परन्तु अब इसमें ऐसा न होकर चोर के स्वरूप के हिसाब से मुआवजे की व्यवस्था की गई है ।

उपरोक्त वृद्धि से 2.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा जिसके लिये सरकार यात्री टिकट पर अतिरिक्त अधिकार लगाने की व्यवस्था करने जा रही है । यह व्यवस्था अलग से करने की बजाये एक व्यापक संशोधन विधेयक लाया जाना चाहिये था । अधिभार के फलस्वरूप सरकार को काफ़ी आय होगी जिसमें से भिक्षुक गृहों का निर्माण किया जाना चाहिये जोकि रेलगाड़ियों तथा स्टेशनों पर यात्रियों के लिये बड़ी परेशानी का कारण बन रहे हैं । भिक्षुकों को गाड़ियों या स्टेशनों पर नहीं आने दिया जाना चाहिये और प्रमुख स्थानों पर उनके लिये भिक्षुक गृह बना देने चाहियें ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

इस अधिकार से प्राप्त राशि में से भिक्षुक-गृहों के रख-रखाव की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

रेल दुर्घटनायें गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ के कारण होती हैं अत: भीड़ कम करने क लिये अधिक यात्री डिब्बों की व्यवस्था की जाये । मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कोच तथा मालडिब्बे बनानेवाली बम्बई की कम्पनी मैं केंज़ींज लिमिटेड जोकि प्रतिवर्ष एक हज़ार डिब्बों का निर्माण करती थी दो-तीन वर्ष से बन्द है । सरकार इस कम्पनी को अपने अधिकार में ले ले ताकि देश में डिब्बों संबंधी स्थिति में सुधार हो सके ।

*श्री जे० एम० गौड़ा (नीलगिरी) : वर्तमान विधेयक में मुआवज़े की राशि में वृध्दि करके उसे 20,000 रुपए के स्थान पर 50,000 रुपए करने की व्यवस्था है, अर्थात् यदि कोई व्यक्ति रेल दुर्घटना से मारा जाये तो उसे 50,000 रुपए मुआवज़ा सरकार देगी । परन्तु सरकार को दूसरे विभाग में यदि कोई व्यक्ति विमान दुर्घटना के फलस्वरूप मारा जाये तो उसे सरकार एक लाख रुपया मुआवज़ा देगी । श्रीमन् कहते हैं कि मृत्यु के बाद सभी लोग एक-समान स्तर के हो जाते हैं परन्तु यह कांग्रेस सरकार मृत्युपरान्त भी व्यक्ति-व्यक्ति में भेदभाव रखती है । वह रेल दुर्घटना तथा विमान दुर्घटना की मौतों में भी भेदभाव बरतती है । बड़ा विचित्र समाजवाद है यह ।

विमान द्वारा केवल धनिक वर्ग के लोग ही यात्रा कर सकते हैं जबकि रेलों में अधिकतम संख्या निर्धन लोगों की ही होती है । फिर भी विमान दुर्घटना में रेल दुर्घटना की अपेक्षा अधिक मुआवज़े की व्यवस्था की गई है । ऐसे भेदभाव के होने तो समाजवाद कभी नहीं आ सकता ।

यह कहा गया है कि मुआवज़े में वृद्धि से 2.5 करोड़ रुपए या खर्च बढ़गा अर्थात् रेलवे विभाग ने 500 व्यक्तियों के मरने का अनुमान लगाया है । यह अनुमान भी शायद बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए लगाया गया है अर्थात् रेलवे विभाग को आशा है कि दुर्घटनाए इसी प्रकार होती रहेंगी । बड़ा विचित्र सोचने और करने का ढंग है रेलवे विभाग का ।

*तामिल में दिए गए मुल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतरण ।

Summarised Hindi version of English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री जे० एम० गौडा]

वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये रेल यात्रा पर अतिरिक्त अधिकार लगाने की व्यवस्था अलग से की जायेगी। मैं इस अधिकार का कड़ा विरोध करता हूं। रेलवे के पास राजस्व प्राप्त करने के अन्य अनेक साधन हैं, निधियां हैं। यह बड़ी अनुचित बात है कि मुआवज़ा देने के लिये रेल-किराये पर अधिभार लगाया जा रहा है। यह नहीं समझ आता कि रेलवे विभाग इस अतिरिक्त खर्च को वहन करने में क्यों असमर्थ है? क्या वह इतना दिवालिशा हो गया है कि मुआवज़ा देने के लिये पैसे प्राप्त करने हेतु अधिभार लगाने की अनुमति लेने के लिये संसद में दौड़ा आये? संक्षेप में मैं इस प्रस्ताव का दो कारणों से विरोध करता हूं। रेल दुर्घटनाओं के शिकार हुए कुछ व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिये अन्य यात्रियों को दंडित क्यों किया जाये? दूसरे, ऐसे मामलों में मुआवजा देते समय भी सरकार लोगों में भेदभाव करती है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मुआवजे की राशि में वृद्धि करे और यात्रि किराये पर अधिभार न लगायें।

श्री एन० टोम्बी सिह (आन्तरिक मनीपुर) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं, किन्तु साथ ही मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। सरकार ने मुआवजे की राशि में वृद्धि का सम्बन्ध किराये में वृद्धि से जोड़ दिया गया है। इस व्यवस्था के आधार पर ही सरकार को अन्य सरकारी यात्रा-एजेन्सियों के लिये भी ऐसी ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी मांग का वहां उठना भी स्वाभाविक है। इस बात पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। क्या सरकार ने अन्य यात्रा एजेंसियों के लिये भी ऐसी ही व्यवस्था की योजना पर विचार कर लिया है?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभापति महोदय, विधेयक का उद्देश्य बहुत अच्छा है कि रेल यात्रा करते समय दुर्घटना में मरने वालों के मुआवजे के रुप में पर्याप्त राशि बिना कठिनाई के हकदार को मिल जाये। किन्तु रेल दुर्घटना और विमान-दुर्घटना में मरे लोगों को सरकार दवारा मुआवजा अलग-अलग दिया जायेगा। रेल दुर्घटना के मामले में राशि 50,000 रखी गई है जबकि विमान दुर्घटना के मामले में राशि 1,000,00 रुपए रखी गई है। यह कैसी समानता है? विमान से यात्रा करने वाले अमीर लोगों के लिये एक लाख रुपए की राशि और रेल से यात्रा करने वाले निर्धन लोगों के लिये 50 हज़ार रुपए की राशि। यह विषमता दूर की जानी चाहिये। साथ ही मेरा यह सुझाव है कि विमान सेवा की भांति रेलवे सेवा में भी मुआवजे की राशि एक लाख रुपए कर दी जानी चाहिये और इससे विषनता दूर हो जायेगी। यदि रेलवे प्रशासन के खर्च में कमी कर दी जाये, तो किराये में वृद्धि करने या अधिकार लगाने की आवश्यकता न पड़ेगी। प्रशासन में कार्यकुशलता लाने से दुर्घटना को कम किया जा सकता है। आपातकाल में भी रेलगाड़ियों को चलाने का काम प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों को नहीं सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि व सभी कार्यों में कुशल नहीं होते हैं।

अधिकांश वक्ताओं ने इस बात को उठाया है कि रेल दुर्घटना और विमान दुर्घटना के लिये मुआवज़े के रूप में समान राशि नहीं रखी गई है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस आशय के संशोधन को स्वीकार कर लें, ताकि विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो जाये।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : Sir, a number of railway amendments have been brought this year at different times and thereby wasting the time of House and the time of Draftsmen etc. It appears that there is nobody in railway administration to give serious thought of such matters. All these amendments could have been brought simultaneously, there should be a separate cell in the Railway Ministry to look to this.

While levying a surcharge on the passenger fares, it is argued that it was being done to meet the burden on the exchequer as a result of payment of more compensation to the victims of railwy accidents and providing more amenities to the passengers. I think there is no relation between accidents and amenities. There should not be mention of amenities in it. As regards the accidents, they take place due to human failure or failure of machinery for which technicans are responsible the Government is penalisng the passengers by levying the surcharge on the railway fares instead of taking its own officers to task.

In this context, I would like to give a new suggestion, there should be provision for payment of compensation to the victims in case of late running of trains, because passengers are put to great loss and inconvenience by late arrival or departure of trains. Railway employees dont care for their duty and trains have to wait for hours at signals. Trains often take more than scheduled runing time even without being involved in any accident. There are no light even in first class compartment what to speak of third class compartments. Government always thinks of increasing its revenue from the railways, government should think of providing more amenites to passeasinsengers, so that passengers are not put to hardships.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, there is no quorum in the House.

Mr. Chairman : The bell is bring rung. Now there is quorum.

Shri Ramkanwar (Tonk) : Mr. Chairman, Sir, it is good that the amount of compensation has been increased from Rs. 20,000 to Rs. 50,000 but I am sorry to point out that people are not being treated at par even in the matter of death for those, who die in air accidents the compensation is Rs. 100,000 and for those who die in Railway accidents it is Rs. 50,000. But the increase in the railway fares has been made in the form of surcharge.

I want to suggest that the efficiency should be increased in railways. All unmanned. railway crossing should be manned because many accidents take place, due to level crussing being unmanned. Surcharge should not be levied on passengers fares and compensation should be out of the fund of railway and this burden should not be put on poor peoples.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : Sir, I am happy that the amount of compenstation has been incressed from Rs .20,000 to Rs. 50,000. But as the same surcharge on railway Ticket has been imposed and I think this surcharge will go on increaseing with the increase in number of railway accidents instead of bringing this proposal the Minister of Railways should have brought the measure containing ways and means of decreasing the number of accidents. I also support the suggestion of Shri D. N. Tiwary that late running of trains exceeding 30 minutes should be deemed as major accident and compensation should be paid to that affected passengers. There was a press report based on the answer given by shri Qureshi in Rajya Sabha that a bi-wekly train would be introduced soon from Delhi to Punai in Assam. But nothing happened so far in that direction.

Mr. Chairman : You may continue tomorrow. Now discussion under rule 193 will be taken up.

इंडियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी के बारे में चर्चा
DISCUSSION RE LOCK-OUT IN INDIAN AIRLINES

सभापति महोदय : अब श्री एस० एम० बनर्जी नियम 193 के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी के बारे में पर्यटन और नागर विमानन मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा उठायगे ।

श्री एस० एम० **बनर्जी** (कानपुर) : सभापति महोदय मैंने श्री राजबहादुर द्वारा दिये गये दो वक्तव्य सुने । एक उन्होंने दो दिन पूर्व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते समय दिया था और दूसरा वक्तव्य उन्होंने कल दिया था । मंत्री महोदय ने संपूर्ण दोष कर्मचारियो और उनके संगठनों पर मढ़ दिया है । अब यह कहा जा रहा है कि एक संगठन नयी पारी प्रणाली को मानने के लिए राजी हो गया है ।

[श्री नरेन्द्र कुमार सालवे पीठासीन हुए ।
SHRI N. K. SALVE *in the Chair.*]

[श्री एस० एम० बनर्जी]

उनके अनुसार सारा दोष कर्मचारियों तथा उनके संगठनों का है । इनमें यह भी बताया गया है कि तालाबंदी तभी समाप्त की जा सकती है जब कि इंडियन एयरलाइन्स तकनीशियन एसोसियशन के समाप्त अन्य एसोसियेशन भी शिफ्ट प्रणाली मान लेने का निर्णय करें । वास्तव में उक्त एसोसियेशन प्रबन्धकों की कठपुतली है परन्तु फिर भी उसने एयर चीफ मार्शल श्री पी० सी० लाल के सुझाव पर बंध पत्र पर हस्ताक्षर न करके इस तानाशाही सुझाव के प्रति विद्रोह किया है ।

इस महीने की 23 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति की सचिव, श्रीमती पुरबी मुखर्जी ने संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई । उसमें सभी दर्जों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद् सदस्यों के समक्ष भाषण करते हुए श्री पी० सी० लाल ने बताया कि उस दिन उनसे मिलने वाले कार्मिक संघों के नेताओं ने नई शिफ्ट प्रणाली को प्रबन्धकों की इस शर्त पर स्वीकार कर लिया है कि अनुभव के आधार पर उसमें सुधार किये जायेंगे। उन्होंने उस यूनियन का नाम नहीं बताया जो प्रबन्धकों से सहयोग करने को तत्पर है । श्री लाल ने ने यह भी कहा कि प्रबन्धक सर्वोच्च हैं और वे सभी कर्मचारियों का सहयोग चाहते हैं परन्तु प्रबन्धकों के मूल अधिकारों के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जा सकता । इस पर किसी का कोई विवाद नहीं । परन्तु क्या कर्मचारियों का कोई अधिकार नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय वायुनियमों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को प्रबंधक मंडल में स्थान दिया गया है । सरकार ने भी प्रबन्ध में श्रमिकों के योगदान संबंधी योजना को स्वीकार किया है । परन्तु इस संबंध में कर्मचारियों की कोई सहमति प्राप्त नहीं की गई ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में श्री राज बहादुर ने यूनियन एवं प्रबन्धकों के बीच 2-6-1971, 10-1-72 तथा 15-2-72 के तीन समझौतों का उल्लेख किया है जिनके अनुसार कार्य में वृद्धि करने के विचार से शिफ्ट प्रणाली में परिवर्तन करने करने का प्रबन्धकों को अधिकार है। स्वयं निगम के अध्यक्ष महोदय ने भी स्वीकार किया है कि इरादा कार्य में वृद्धि का है न कि समयोपरिभत्ते में कमी करने का । यूनियन ने भी यही बात कही है । यूनियन नई शिफ्ट प्रणाली को परीक्षण के तौर पर मानने को तत्पर थी परन्तु उसे आशंका इस बात की थी कि एक बार इसे स्वीकार कर लेने पर प्रबन्धक कोई भी परिवर्तन करने को तत्पर नहीं होंगे ।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में कहिये । समय बहुत कम है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : समय को बढ़ा दीजिये ।

सभापति महोदय : वह मेरे हाथ में नहीं है।

Shri Hukum Chand Kachwai (Ujjain) : Sir, yesterday we had said that two hours should be fixed for item.

डा० रानेन सेन (बारासह) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है अत : इसके लिये समय बढाया जाना चाहिये ।

Mr. Chairman : It is not in my hands to extend the time. I will request all members to the very brief.

श्री एस० एम० बनर्जी : इसी आशंका के आधार पर उसने कहा कि बातचीत का एक और दौर होना चाहिये । 23 तारीख को शाम को संसद सदस्यों के साथ बातचीत में यह नहीं बताया गया कितालबन्दी होने जा रही है । मैं समझता हूं कि यह सभी संसद् सदस्यों के

विशेषाधिकार का प्रश्न है। हमें केवल इतना ही सूचित किया गया कि समझौते के प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु दसरी ओर तालाबान्दी का फैसला किया जा चुका था। मेरा यह मत है कि कठपुतली युनियन की सहायता से इंडियन एअरलाइन्स को नहीं चलाया जा सका। जब तक दोनों यनियनों का सहयोग प्राप्त नहीं किया जाता तब तक ऐसा करना संभव नहीं होगा।

यह तालाबन्दी उस समय की गई है जब रूस के नेता कामरेड ब्रेझनेव भारत की यात्रा पर आ रहे हैं।

श्री० मधु दण्डवते (राजापुर) : माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि कामरेड ब्रझनेव हमारे देश के अतिथि हैं। अत: इस विवाद के बीच उनका नाम नहीं खींचा जाना चाहिये।

समापति महोदय : कामरेड ब्रेझनेव हमारे देश के माननीय अतिथि ह, अत: उनका नाम इस विवाद में नहीं खींचा जाना चाहिये। उनकी मात्रा में किसी प्रकार की गड़बड़ करने का किसी का कोई इरादा नहीं हो सकता।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मेरा श्री बनर्जी से अनुरोध है कि इस टिप्पणी को वे वापस ले लें।

डा० रानेन सेन : उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है। आप भिन्न मत रख सकते हैं। इस टिप्पणी को वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : इंडियन एयरलाइन्स ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी है। परन्तु यदि रेलवे में भी हड़ताल हुई, तो क्या वहां पर भी तालाबन्दी की घोषणा कर दी जायेगी ? वहां पर तो मतभेद दूर करने के लिये कई दिन तक बातचीत की जाती है। परन्तु इस मामले में तालाबन्दी घोषित कर दी गई है।

यह कहा गया है कि कर्मचारी समझौता नहीं करना चाहते। किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। वह समझौते के इच्छुक हैं परन्तु उनसे जबरदस्ती पूर्ति नहीं मनवाई जा सकती। मंत्री महोदय प्रबन्धकों से ऊपर हैं। उन्हें समझौते का एक अन्य प्रयास करना चाहिये। कर्मचारी समयोपरि भत्ते के पीछे नहीं। उन्होंने कई बार ऐसा कहा भी है। शिफ्ट प्रणाली के बारे में 1970 में कोई समझौता नहीं हुआ। हां 1972 में हुआ था परन्तु उसे अब कार्यान्वित किया जा रहा है। यह पहले क्यों नहीं कार्यान्वित किया गया ? कर्मचारियों के प्रति रवैया बदलना चाहिये। सभी यूनियनों का सम्मेलन बुलाया जाये। नई शिफ्ट प्रणाली का कार्यान्वयन एक पक्ष के लिये रोक कर मामले पर विचार किया जाये। 'फार्मूले को स्वीकार करो अन्यथा तालाबन्दी घोषित की जायेगी' यह रवैया लोकतन्त्र विरोधी है। अत: इसे त्यागना चाहिये।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : श्री बनर्जी ने आरोप लगाया है कि सरकारी पक्ष कमचारियों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हम भी कर्मचारियों के कल्याण के लिये उतने ही चिंतित हैं जितने श्री बनर्जी। परन्तु उसके साथ ही हम वायुयानों में यात्रा करने वाली सामान्यजनता से भी सूविधा के प्रति भी चिंतित हैं।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्होंने तस्वीर का एक ही पहलू पेश करने की कोशिश की और भूल गये कि तस्वीर का दसरा पहलू भी है। उन्होंने इस विवाद में हमारे प्रतिष्ठीत अतीथि का नाम खींचने का भी प्रयास किया है।

[श्री नारायण चन्द पाराशर]

सरकारी उपक्रम समीति के 28वें प्रतिवेदन में उल्लिखित है कि इंडियन एयरलाइन्स की उडानों की संख्या वर्ष-प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। उडाने देरी से होती हैं इसके परिणाम-स्वरूप यात्रियों को असुविधा होती है। वायुयान में यात्रा करने वाले अपने समय की बचत के लिये यात्रा करते हैं परन्तु यदि उडानों में देरी की जाये, तो फिर वायुयान की यात्रा का क्या लाभ ?

सरकारी उपक्रम समिति के प्रतिवदन में समयोपरि भत्ते के बारे में भी उल्लेख है। समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है कि एयरलाइन्स के कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते की राशि 1971-72 में 298.97 लाख रुपए थी जोकि कुल वार्षिक वेतन का 18.7 प्रतिशत है। श्री बनर्जी के अनुसार समयोपरि भत्ते का कोई विवाद नहीं है। परन्तु क्या कर्मचारियों ने किसी समय समयोपरि भत्ते को कम करने की मांग की है ? कमेटी ने खेद के साथ अनुभव किया कि समयोपरि भत्ते में पांच वर्ष की अवधि में 170 प्रतिशत वृद्धि हुई है। हमारे देश के विमान चालकों के कार्यभार की पश्चिमी युरोप के देशों के विमान चालकों से तुलना कीजिये। उनका कार्यसमय 65 घंटे है जबकि यहां 52 घंटे हैं। क्या नई शिफ्ट प्रणाली का उद्देश्य कार्यभार में वृद्धि करना है ? कार्यभार में वृद्धि करने की इच्छा न सरकार, न प्रबन्ध और न ही मंत्रालय की है।

क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के वेतन इंडियन एयर फोर्स के लोगों से अधिक हैं ? एयर फोर्स के विंग कमांडर को 1600 रु० और इंडियन एयरलाईन के जेट कमांडर को 7000 रुपए मिलते हैं। यह केवल एक ही उदाहरण है। आप तुलना कहीं से भी करें लेकिन यह निश्चित है कि इंडियन एयर-लाइन्स के लोगों को सबसे अधिक वेतन मिलता है।

मेरे विचार में संसद के पास ऐसे अधिकार होने चाहियें जिससे देश की हवाई सेवाओं पर नियंत्रण रखा जा सके तथा इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर नियंत्रण रखा जा सके।

मेरे माननीय मित्रों ने श्री लाल की उपस्थिति की चर्चा की है। उन्हें एक नागरिक के नाते संसद सदस्यों के सामने अपना दृष्टिकोण रखने का पूरा हक़ है। तो उनके आने के विरोध में विशेषाधिकार का प्रश्न क्यों उठा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : उन्हें निमंत्रित किया गया था।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : उन्हें आने तथा संसद सदस्यों के सामने अपनी बात कहने का पूरा हक़ था। श्री बनर्जी को कर्मचारियों से अपील करनी चाहिये कि लाखों लोग इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं में संतोषजनक सुधार की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

नई शिफ्ट प्रणाली एक परीक्षण है। 8 कर्मचारी संघों को इस प्रणाली का उचित परीक्षण करना चाहिये। यदि यह सही नहीं साबित होती, तो सरकार उसे रद्द करने के लिये तैयार है। लेकिन इसका परीक्षण क्यों नहीं किया जाता ? यदि सुधार की कोई गुंजायश होगी, तो वह किया जायेगा। मंत्री तथा सरकार को भी कर्मचारियों को भी एक अवसर देना चाहिये तब उसमें आवश्यक सुधार किये जा सकते हैं तथा समझौता किया जा सकता है।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpur) : It will be a great injustice to us.

The previous speaker has mentioned the name of Shri Breznev; I think it was wrong on his part. So far as people and their difficulties are concerned we are one. I want to say two or three things in regard to employees and hope the hon. Minister will look into them.

They gave notice on the 10th November. Their main demand was that status quo should be maintained, negotiations should be held and some decision should be taken. But they were not heard. The Management and Chairman remained adament. I feel the responsibility for the conditions created and inconvenience caused to public lies with the Chairman and the hon. Minister.

The question of overtime is also raised. Mr. Lal became Chairman in August. It came to his mind that crores of rupees paid to the people on account of overtime should be stopped. So far as employees are concerned they have been saying from the very beginning that there should be no overtime; they are under staffed and this strength should be made up. I want to quote an example. You take the case of Commercial Staff working at Palam in Delhi. There should be 46 persons in the morning shift, 28 persons in the afternoon shift, 32 person in the evening shift and six persons in the night shift. But in the morning shift there are only 26 persons. It resulted in pressure of work on other persons and they were given overtime for disposing of their extra work. This is not the case here only but this is happening through out India. Everywhere, the staff is less and extra work is taken from them. They have to do the work on the arrival of the plane and because they are understaffed overtime has to be paid to them. The Chairman and the Corporation have not through of recruiting new persons. Several times the employees raised the question that their strength should be supplemented. This will solve the question of overtime automatically. But no attention has been paid to this matter. Mr Lal belongs to Military. He thinks that the work in the corporation should be done as is being done in the military. Same discipline should be followed here in this corporation. He does not want to pay overtime although 26 persons are working in place of 46. No attention was paid on the demand of the employees. This and other things have led to a lock out. This is the public utility service. As such the lock out is illegal. In the public utility services, if some demand arises it should be settled by holding negotiations with representatives of the employees. They demanded that the *Status quo* should be maintained but their demand has been rejected. Then they gave the notice of strike and again urged to maintain the *status quo*. But the Management and the Chairman stick to their stand, have continued with their experiment of a shift system and wanted to enforce this system. The demand of the employees was that they should be given full strength and that they do not want overtime. But this was not considered. It resulted in a situation where they declared a lock out. This lock out is illegal, wrong and unjust. This is a treason with country. The Chairman and corporation will create terror by presenting wrong picture of the whole situation. The employees for the present situatoin but I feel that officers and Chairman are responsible for that.

You can see how the public money is being wasted from 1971. In 1971 the number of Commercial Managers was five. Now their number is 18. They are drawing three to four thousands Rupees.

Similarly the number of Deputy Operational Managers has also increased from nine in 1971 to 52 at present. They are drawing one to two thousand rupees. The strength of the Deputy Commercial Manager in 1971 was fifteen but to-day their number is 88. They are drawing two to four thousand rupees. All this reveals how the number of these posts has been increased and public money wasted.

The office of the Corporation is kept in the building of the Indian Airlines but this office is being maintain in Kanchanjinga in Link House by paying two lacks rupees as rent. Such a high rent is being paid and the office is being run. Do you think any solution is possible when public money is wasted like this. What is solution of the present situation. *Status quo* should be maintained and negotiations should be held with the employee. Public inconveniences should be taken into consideration. An amicable settlement should be done with the employees as was done with loco workers. I hope Government will do likewise. But if Government remained adament the consequences will be grave.

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं आरम्भ में ही यह कह देना चाहता हूं कि कर्मचारियों के विश्वास में लेने के अन्य उपाय करने से तथा उनमें योगदान की भावना भरने से इस विश्वास के संकट से बचा जा सकता था जो पारस्परिक सम्पर्क के अभाव के कारण उत्पन्न हुआ है।

यह मामला समयोपरि भत्ते का मामला है । हमने भी कहा है कि हमें यह अनिष्टारी समयोपरि प्रणाली नहीं चाहिये जिसकी सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी भर्त्सना की है तथा श्रमिक नेताओं के रूप में हम भी इस सदन में इसके विरुद्ध कहते रहे हैं । यदि ऐसा है तो इस नई शिफ्ट प्रणाली का परीक्षण करने में क्या हानि है ।

कार्य के घंटों में वृद्धि नहीं की गई है तथा वास्तव में नई शिफ्ट प्रणाली में 42 से भी कम घंटे हैं । एक भार लादने वाले कर्मचारी अथवा तकनिशियन को 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं करना पड़ता । अतः नयी शिफ्ट प्रणाली के अन्तर्गत वास्तव में कार्य का आबंटन बेहतर ढंग से किया जाता है ।

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : Shri P. C. Lal after taking over as Chairman of the Indian Airlines, found that a big amount is paid as overtime allowance to employees and that the number of employes on duty is less during the peak hours. Therefore, he decided to change the shift pattern. If the Chairman wanted to rationalise the shift pattern, he should have taken the employees into confidence. The employees were not taken into confidence as a result of which present situation developed.

The country suffered a lot due to lockout. Thus matter should not be allowed to drag on for long. Those who were guilty should be punished. The lock out should be lited early. The employees should be taken into confidence and the matter should be settled at an early date.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मैं श्रमिकों के हड़ताल करने सम्बन्धी अधिकार को स्वीकार करता हूं । किंतु प्रश्न यह है कि इस अधिकार का कब और कैसे प्रयोग किया जाय। विचारणीय प्रश्न यह है कि इस सेवा से लाभ उठाने वाले लोगों की ओर से क्या प्रबन्धकों को यह अधिकार है कि वह इंडियन एयरलाइन्स को मितव्ययता के आधार पर चलाने के लिये एयरलाइन्स के कार्य संचालन में मितव्ययता लाने के लिये आवश्यक कदम उठाये । मुझे इसे स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं है कि संगठन प्रबन्धक तथा अधिकारी इस स्थिति के लिये कैसे जिम्मेदार हैं । श्री लाल तथा नागर विमानन के नये मंत्री ने गलती का अध्यापन किया तथा उसे ठीक करना चाहा । क्या उन्हें सम्पूर्ण समर्थन न दिया जाय, जिसकी उन्हें आवश्यकता है ।

किसी को भी सेवा से निकाल नहीं जा रहा है । यह भी किसी ने नहीं कहा कि कर्मचारियों के वेतनमानों में कमी की जा रही है । केवल शिफ्ट प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा रहा था ताकि व्यस्ततम काल में अधिक कर्मचारियों को कार्य पर लगाया जा सके । कर्मचारियों ने नयी शिफ्ट प्रणाली का विरोध किया क्योंकि इससे उनके समयोपरि भत्ते पर प्रभाव पड़ेगा । इन सब बातों के लिये प्रबन्ध उत्तरदायी है । मंत्री महोदय को बताना चाहिय कि क्या वर्तमान कार्यवाही सुव्यवस्था की दिशा में पहला और अंतिम कदम है अथवा उन कदमों की श्रृंखला भी पहली कड़ी है जो उन अधिकारियों के विरुद्ध उठाये जायेंगे जिन्होंने पार्किन्सन के सिद्धान्तों के अनुसार अपनी संख्या बढ़ा ली है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इस विषय में कोई कानून नहीं है । इंडियन एयरलाइन्स में भी यही स्थिति है ।

इसका समर्थन करते हुए भी, मुझे आशा है कि श्रमिक-नेता तथा श्रमिक अपना आन्दोलन समाप्त करेंगे और तालाबन्दी समाप्त कर दी जायेगी । किन्तु इसके पश्चात् सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये जो देश के सम्मान को ठेस पहुंचा र हैं ।

अन्त में मैं इसकी तुलना लोको कर्मचारियों की हड़ताल से नहीं कर सकता। गजेन्द्रगडकर आयोग ने भी एक संघ की ही सिफारिश की है। दूसरा संघ बनाने की बात को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : श्री थी किरुतिनन। इस चर्चा के लिये एक घन्टे का समय निर्धारित किया गया था। इतना समय हम ले चुके हैं चर्चा में लगभग सभी बातें आ गई हैं। इसे हम 6.30 बजे तक जारी रखेंगे।

श्री थी किरुतिनन (शिवगंज) : इंडियन एयरलाइन्स भ्रष्टाचार, दुराचार सभी अन्य ऐसी कुरीतियों का उदाहरण है। यह स्थिति नई नहीं है। मंत्री महोदय ने सारा दोष कर्मचारियों पर डालने का प्रयत्न किया है। यह सच नहीं है। प्रबन्धक कार्यकुशलता में सुधार करने में असफल रहे हैं। उन्हें वर्तमान तालाबन्दी समाप्त करने के लिये सभी प्रकार के यत्न करने चाहियें। कर्मचारियों के साथ समझौता किया जाना चाहिये।

प्रबन्धक दावा करते हैं कि समयोपरि भत्ते कम किये जा रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न कार्यपटुता बढ़ाने और अनावश्यक व्यय को कम करके निगम को लाभप्रद ढंग से चलाने का है।

प्रबन्धकों ने पक्षपात किया है और समूचे प्रशासन को खराब कर दिया है। अधिक वेतन पानेवाले कर्मचारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। औद्योगिक सम्बन्ध विभाग का अभूतपूर्व ढंग से विस्तार कर दिया गया है। निगम के प्रबन्धक सभी नियुक्तियों के लिये जिम्मेदार हैं।

तालाबन्दी पूर्णतया गैरकानूनी और अनावश्यक है। प्रबन्धक समझौता कराने और सामान्य स्थिति लाने तथा प्रशासन के निर्बाध संचालन में असफल रहे हैं। मंत्री महोदय यह बात स्पष्ट करें कि त्रिपक्षीय बात-चीत होगी, जिसमें सरकार भी शामिल होगी और समस्याओं का हल निकाला जायेगा।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : तालाबन्दी की घोषणा के लिये श्री बानर्जी ने प्रबन्धकों पर दोषारोपण किया है। आज लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि इंडियन एयरलाइन्स में सुधार नहीं हो सकता, तो इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये। परन्तु जब सुधार के लिये प्रयास किय जाते हैं और कठोर पग उठाया जाते हैं तब बहुत शोर शराबा मचाया जाता है। मेरे एक मित्र ने कहा है कि सुधार लाने के लिये पहले बातचीत की जानी चाहिये। बात-चीत लम्बे समय तक होती रही है और बम्बई की यूनियन भारी व्यवस्था के लिये सहमत थी परन्तु केन्द्रीय यूनियन के हस्तक्षेप के कारण उन्होंने अपना पक्ष बदल लिया। अतः यह कहना कि बातचीत नहीं हुई, गलत है। देश में कर्मकारों के कार्य की शर्तों में सुधार की आवश्यकता है। हमें देखना है कि देश में सरकारी निगमों का कार्य इस प्रकार से चले कि वे लाभ कमायें। मैं श्री लाल द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं। नयी भारी व्यवस्था कर्मचारियों के हितों पर कोई आघात नहीं है। पहले 28 सप्ताहों के बाद उन्हें सात दिन मिलते थे अब उन्हें 32 सप्ताहों के बाद आठ दिन मिलेंगे। 44 घन्टों के स्थान पर उन्हें 41 घंटों और 7 मिनट कार्य करना होगा। सरकार को यह निर्णय करना चाहिये कि समयोपरि भत्ता नहीं होगा और यदि आवश्यक हुआ तो नये लोग भर्ती किये जायेंगे।

इंडियन एयर लाईन्स के समूचे वेतन ढ़ांचे पर राष्ट्रीय बचत की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये। हमें कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और प्रबन्धकों ने कड़ा रुख अपनाया है। मैं इसके पक्ष में हूं।

श्री राज बहादुर : कहा गया है कि श्री लाल मनमाने ढंग से शिफ्ट प्रणाली को बदलना चाहते हैं। प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच यह समझौता हुआ था कि वर्तमान शिफ्ट व्यवस्था में परिवर्तन किया जाये। यह निश्चित किया गया था कि पारी व्यवस्था को कार्यभार से सम्बद्ध किया जाये। यदि ऐसा किया जायेगा तो मामले पर संघ के साथ बात-चीत की जायेगी **(व्यवधान)**। 18 अगस्त को नये अध्यक्ष ने कहा था कि परिवर्तन इस लिये किया जायेगा कि लोगों को सेवा में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। 8 अगस्त तथा 22 सितम्बर को नियमित रूप से बैठक हुई। 15, 16 तथा 26 अक्तूबर को भी बैठक हुई। उनसे बात-चीत करने के पश्चात् 28 अक्तूबर को नई पारी के सम्बन्ध में एक पत्र कर्मचारियों को दिया गया।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या कोई समझौता हुआ ?

श्री राज बहादुर : क्योंकि बात-चीत करने पर भी कोई समझौता नहीं हो सका, अत: अन्तिम निर्णय ए० एम० यू० पर छोड़ दिया गया। तकनीकी व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह निर्णय क्षेत्रीय निदेशक पर छोड़ दिया गया। इंजीनियरों के संबंध में भी यह निर्णय क्षेत्रीय निदेशक पर छोड़ दिया गया।

हमारे दिलों में श्रमिकों के प्रति पूरी सहृदयता है परन्तु हमें प्रबन्धकों का भी खयाल रखना है। लेकिन इस संदर्भ में केवल ये दो ही पक्ष नहीं है बल्कि तीसरा पक्ष यात्रा करने वाले लोगों का भी है जोकि पैसा दे कर यात्रा करते हैं। परन्तु कर्मचारी गण भी चाहे जब हड़ताल कर बैठते हैं, धीमी गति से काम करने का अभियान चलाते हैं, बिना छुट्टी ड्यूटी से अनुपस्थित हो जाते हैं। उस वृद्धा यात्री के कथन से जनता की भावना का पता लगता है कि इन लोगों को अच्छे पैसे मिलते हैं फिर भी ये लोग संतुष्ट नहीं है और चाहे जब सेवायें ठप्प कर देते हैं। क्या इससे सार्वजनिक जीवन अस्तव्यस्त नहीं हो जाता ? लोगों को परेशानी नहीं हो जाती है? अब ऐसी स्थिति में मंत्री क्या उत्तर दें ? और फिर केवल कोई एक संगठन ही हड़ताल नहीं करता बल्कि कुछ मुट्ठीभर कर्मचारी भी सारी सेवा को ठप्प कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि उन्हें जनता के साथ खिलवाड़ करने दिया जाये ?

स्वयं इस सभा द्वारा नियुक्त संसदीय सार्वजनिक उपक्रम समिति ने कहा है कि संशोधित स्तर पर विभिन्न कामों के लिये निर्धारित घण्टों से वास्तविक घण्टों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। यह वृद्धि 6 प्रतिशत से लेकर 365 प्रतिशत तक हो गई है। समिति का कहना है कि जब तक वर्तमान कदाचारों तथा खामियों को दूर करने के लिये प्रभावी उपाय नहीं किये जाते, जिनके कारण एयरलाइन्स के प्राय: सभी विभागों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, तब तक घंटों में वृद्धि का यह चक्र चलता ही रहेगा। समिति के अनुसार उत्पादनशील कार्य-घंटों में कमी के दो कारण हैं—एक : आत्यधिक छुट्टी के घंटे दूसरे : परोक्ष तथा अनियत घंटे। अत: समिति ने यह आदेश दिया है कि अनुपस्थिति तथा समयोपरि कार्य आदि पर कड़ा नियंत्रण रखा जाये। उसने कहा है कि निगम उत्पादकता बढ़ाने तथा अनुपस्थिति और समयोपरि कार्य तथा अपव्ययशीलता को न्यूनतम करने के लिये कड़ाई से प्रयास करे।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मैं यह समझूं कि भविष्य में सावजनिक उपक्रम समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली जायेंगी ?

श्री राज बहादुर : समिति ने कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के मध्य हुए करार को सहारा था जोकि एक मानदण्ड तथा मार्गदर्शक के रूप में किया गया है और जिसे शब्द तथा भावना के साथ अनुसारित किया जाना चाहिये।

अब नई शिफ्ट प्रणाली व्यवस्था का उद्देश्य है कि उत्पादकता के लिये स्थिति में सुधार किया जाये। इंडियन एयरलाइंस के श्रमिक, तथा कर्मचारी-वृन्द का कार्यक्षमता का पूरा पूरा लाभ उठाया जाये तथा कार्य के भार के अनुरूप कर्मचारियों की उपस्थिति निर्धारित की जाये।

हमने न केवल कार्यकुशलता का सुनिश्चय करना अभिप्रेत है तथा साथ ही सुरक्षा का सुनिश्चय भी करना है । मैं संघीय नेताओं से भी इस संबंध घंटों बात-चीत की थी ताकि उन्हें भी आश्वस्त कर दूं तथा उनसे कह दूं कि वे उसे सम्मान-असम्मान का प्रश्न न बनाये ।

सरकार अथवा प्रबन्धकों की ओर से भी जैसी धारणा नहीं रखी जायेगी। इन सब औपचारिकताओं के बावजूद भी यदि यह कह दिया जाये कि समझौता नहीं हो सकता तो क्षेत्रीय निदेशक या सहायक प्रबंध निदेशक को यह कहना ही पड़ा कि ये लोग समझौता समाप्त करना चाहते हैं। इसलिये मेरी अपील है कि नई पारी व्यवस्था पर ठण्डे दिल से सहृदयतापूर्वक विचार किया जाये । इसमें जज़बात की बात नहीं है बाद के सुरक्षा तथा एक महत्वपूर्ण एयरलाइंस को कुशलतापूर्वक संचालित करने का उद्देश निहित है जोकि देश के लिये एक गौरवपूर्ण संस्थान होना चाहिय । क्या वे लोग इस करार पर हस्ताक्षर नहीं कर चुके थे कि इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक अथवा सहायक प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा ? (**व्यवधान**) स्वस्थ संघीय प्रणाली तो वही है जहां दायित्व पर खुले दिल से विचार किया जाये। अच्छा तो यही होता कि ये लोग पहले तो नहीं शिफ्ट प्रणाली को स्वीकार कर लते और यदि उचित समझते तो बाद में उसमें संशोधन के लिये कह देते; और यह बात अब भी हो सकती है, इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य : आप तालाबन्दी उठा लीजिये ।

श्री राज बहादुर : किसी भी पक्ष को कठिनाई का लाभ उठाकर स्वार्थपूर्ति नही करनी चाहिये। क्या स्वयं माननीय सदस्यों का भी यह दायित्व नहीं कि वे कर्मचारियों से यह कहे कि वे अपने शब्दों का पालन करें जिसके लिये उन्होंने हस्ताक्षर किये हैं ? वे ऐसा क्यों नही करते हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि कर्मचारियों से कोई परामर्श नहीं किया गया और यह व्यवस्था उन पर थोपी गयी है ।

श्री राज बहादुर : श्री बनर्जी बड़ी कड़वी बात कहते हैं । उन्होंने कहा कि श्रीमती पुरबी मखर्जी ने संसद सदस्यों को एक बैठक बुलाई और चैयरमैन ने वक्तव्य दिया और तालाबन्दी का कोई संकेत नहीं दिया । उन्होंने मेरेविरुद्ध यह भी आरोप लगाया कि मैं विशेषाधिकार भंग करने का दोषी हूं । उन्हें याद होगा कि मैंने पहले ही दिन कहा था तथा यहां संसद में भी दोहराया था कि यदि कम संख्या में इंजीनियर और तकनीशियन काम पर लौटेंगे तो भी सुरक्षा की दृष्टि से हम विमान सेवा नहीं चलायेंगे । यदि विमान नहीं मिलते हैं, इंजीनियर नही मिलते हैं तो क्या हम सिविल विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करके विमान चलाते ? क्या हमें अब भी सेवायें चालू रखनी चाहियें ? हम तालाबन्दी नहीं चाहते थे . . . (**व्यवधान**) हमें इसके लिये विवश किया गया है और इसके लिये विपक्ष के कई सदस्यों ने उन्हें गलत प्रोत्साहन दिया है . . . (**व्यवधान**) आप यह बात मानिये । मैं फिर अपील करता हूं कि वे लोग अपने वचनों तथा अपने किये गये हस्ताक्षरों का सम्मान करें। वह इस सनूचे मामले को हल होने दें और यदि उसमें कोई त्रुटि या कमी नजर आये तो उसे ठीक किया जा सकता है ।

यह कहा गया है कि चैयरमैन ने यह धमकी दी थी कि यदि मंत्री ने हस्तक्षेप किया, तो वह त्यागपत्र दे देंगे । यह सरासर अत्याचारपूर्ण कथन है । यह भी कहा गया कि मंत्री विवश है । परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि अपने विभाग के दायित्व संबंधी दोष चैयरमन के ऊपर डाल कर स्वयं तमाशबीन बना रहूं । मैं अपने विभाग के हर काम के लिये उत्तरदायी हूं ।

[श्री राज बहादुर]

एक अन्य प्रश्न उच्च स्तर पर अधिकारियों की संख्या में वृद्धि से संबंधित था । साथ ही श्री बनर्जी ने यह भी कहा कि तालाबन्दी उस समय की गई जब कि एक अत्यंत माननीय अतिथि हमारे देश में मौजूद थे । यह बड़ी भयानक बात है । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश के एक विशेष अतिथि के स्वागत का दायित्व उस अधिकारी वर्ग या व्यापारी कार्यकर्ताओं पर नहीं होता है । उनके स्वागत का दायित्व भारतीय जनता पर है । यदि उन्हें लाल किले जाना है तो वह देखेंगे कि लाखों लोग वहां उनके स्वागत के लिये पहुंचेंगे । वे रेलगाड़ियों से आये श्री बनर्जी ने देश के अतिथि के संदर्भ में यह बड़ा ही अपमानजनक बात कही है और उसके लिये उन्हें क्षमा मांगनी चाहिये । विमान से आने के इच्छुक लोग एयरइंडिया के विमानों से भी आ सकते थे जोकि चार केंद्रों से अपनी सेवायें चला रही थी । मैं कहता हूं कि श्री ब्रेझनेव जनता के नेता हैं, वह व्यापारियों के या अधिकारियों के नेता नहीं है । अतः श्री बनर्जी को ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता । मुझे इनके इस कथन से बड़ा आघात पहुंचा है । मनुष्य को अपनी अपनी गलती को अनुभव करके उसे स्वीकार कर लेना चाहिये ।

अब प्रश्न है कि इंडियन एयर लाइन्स में जो कमियां या त्रुटियां हैं, क्या उन्हें दूर नहीं किया जाना चाहिये ? मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वयं ही क्या इंडियन एयरलाइंस के चेयरमैन तथा प्रबंधक इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिये कोई कसर न उठा सकेंगे ताकि सुरक्षा और कार्यकुशलता और जनता के संतोष के अनुसार बढ़े । इसमें यदि कोई व्यक्ति रुकावट डालता है, रोड़े अटकाता है तो मैं समझता हूं कि वह न तो कर्मचारियों का हितैषी है और नहीं प्रबंधकों का तथा नहीं वह देश और जनता के प्रति वफादार है । अतः यह हमारा पहला कदम है जिसके द्वारा हम इस प्रकार की हड़तालों धीरे कार्य करने अभियानों, अनुपस्थित रहने की प्रवृति आदि से निपटना चाहते हैं ये, सब गैर कानूनी बातें हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह तालाबन्दी भी गैर कानूनी है ।

श्री राज बहादुर : जी नहीं । यह तालाबन्दी गैर कानूनी नहीं है । श्री बनर्जी शायद-कानून नहीं जानते हैं । एक वकील होने के नाते भी मैं समझता हूं कि यह तालाबन्दी गैर कानूनी नहीं है । अतः मैं आपसे, श्री बनर्जी से यह अपील करूंगा कि यदि कर्मचारी गण उनका कहना मानते हैं, तो वह उनसे कहें कि वे अपने वचनों, अपने हस्ताक्षरों का मान करें और नये आधारों पर एक नया वातावरण बनायें ।

मैं सभा द्वारा दिये गये समर्थन के लिये कृतज्ञ हूं ।

I shall reply to the question regarding losses later on. However, I wanted to point out that more harm is caused when our people are harassed and irritated for no fault of of their. That has to be viewed seriously.

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 28 नवम्बर, 1973/7 अग्रहायण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday November 8, 1973/ Agrahayana 7, 1895 (Saka).

GIPN—S3 31 L. S. S./73—6-3-74—490